नगर लखनऊ रविवार 9 मार्च, 2025, रु. 6.00 (12+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

शुल्क पर भारत की सहमति के ट्रंप के बयान पर सरकार खामोश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर कि 'भारत अपने शुल्क में 'पर्याप्त' कटौती करने पर सहमत हो गया है'- सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथ लिया है।

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि भारत अपने शुल्क में 'पर्याप्त' कटौती करने के लिए सहमत हो गया है, क्योंकि 'भारत अमेरिका पर बहुत अधिक शुल्क लगाता है, जिससे वहां उत्पाद बेचना मुश्किल हो जाता है।' इस मुद्दे से जुड़े केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल इस बारे में भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। अभी भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत की तैयारी चल रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वार्ता को लेकर अमेरिका में बैठकें की हैं।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 'यदि 'टैरिफ' (शुल्क) के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप की बात सही है तो यह सरकार का आत्मसमर्पण है।' ट्रंप ने

कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को लेकर कहा कि यह सरकार का समर्पण है। इस मुद्दे पर सरकार को को चाहिए कि वह संसद को विश्वास में ले।

अपने बयान में ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अब वे अपने शुल्क में कटौती करना चाहते हैं।

शुक्रवार को वाशिंगटन में ओवल आफिस (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय) से दिए बयान में कहा, 'आर्थिक, वित्तीय और व्यापारिक दृष्टिकोण से हमारे देश को दुनिया के लगभग हर देश ने पूरी तरह से ठगा है।'

उन्होंने कहा, 'कनाडा, मेक्सिको और फिर आप सीधे लाइन में चले जाइए। भारत हम पर बहुत ज्यादा शुल्क लगाता है, बहुत ज्यादा। आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। यह लगभग, यह लगभग प्रतिबंधात्मक है। यह प्रतिबंधात्मक है। हम अंदर बहुत कम व्यापार करते हैं।' ट्रंप ने बाकी पेज 8 पर

'भारत को अमेरिका के साथ वार्ताओं से हट जाना चाहिए'

नई दिल्ली, 8 मार्च (ब्यूरो)।

आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआइ ने शनिवार को कहा कि भारत को अमेरिका के साथ सभी वार्ताओं से हट जाना चाहिए और ट्रंप प्रशासन के साथ उसी तरह से बातचीत की तैयारी करनी चाहिए, जैसे चीन और कनाडा जैसे देश कर रहे हैं। -पूरी खबर पेज 6 पर

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एलान

महिला समृद्धि योजना मंजूर*

*शर्तें लागू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 मार्च।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शनिवार को महिला समृद्धि योजना को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह देने वाली महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी गई। साथ ही योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को भी मंजूरी दी गई है।

सरकार ने योजना के कार्यान्वन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति भी गठित की है, जिसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा शामिल हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह वित्तीय सहायता देकर ,महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह योजना चुनावों के दौरान हमारे (भाजपा) संकल्प पत्र 'विकसित दिल्ली संकल्प पत्र' को दिल्ली की महिलाओं के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करता है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता के उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए आर्थिक स्थिरता और सामाजिक उत्थान सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।योजना की पारदर्शिता, दक्षता और धन के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेगी।इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जाएगा। लाभार्थियों को प्रमाणित करने के लिए आधार-आधारित ई-केवाइसी सत्यापन का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वित्तीय सहायता केवल उन लोगों तक पहुंचे जो पात्र हैं।

महिला समृद्धि योजना की घोषणा करतीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। साथ में मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य।

शर्तें क्या हैं

लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्डधारी होना जरूरी, तीन लाख से ज्यादा की आय नहीं होनी चाहिए।

आय प्रमाण पत्र का होना जरूरी, महिला अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही हो।

महिला किसी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं हो, परिवार की सिर्फ एक महिला ही लाभार्थी।

उम्र 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, आधार कार्ड नंबर का होना जरूरी।

पांच साल से दिल्ली की नागरिक होना अनिवार्य है। दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र का होना जरूरी।

आधार कार्ड का लिंक बैंक खाते से होना जरूरी, पैन कार्ड का होना आवश्यक।

महिलाओं की सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता : मोदी

नई दिल्ली, 8 मार्च (ब्यूरो)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने के लिए कानूनों में संशोधन किया है।

-पूरी खबर पेज 8

लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए मौत की सजा का प्रावधान करेंगे : मोहन यादव

नई दिल्ली, 8 मार्च (ब्यूरो)।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार नाबालिगों से बलात्कार के लिए सजा की तर्ज पर लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करेगी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भोपाल आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमारी मासूम बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों के खिलाफ बहुत सख्त है। हम उन्हें मजबूर करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों को जीने नहीं दिया जाना चाहिए। इस संबंध में मृत्युदंड का बाकी पेज 8 पर

हंपी : इजराइली पर्यटक समेत दो महिलाओं से सामूहिक बलात्कार

साथ में मौजूद तीन पुरुषों को झील में फेंका, एक की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

कर्नाटक के हंपी के पास सनापुर झील के किनारे गुरुवार रात 27 वर्षीय इजराइली पर्यटक समेत दो महिलाओं के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया और उनसे मारपीट भी की गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, महिलाओं के साथ मौजूद तीन पुरुष पर्यटकों पर भी हमला किया गया और उन्हें एक नहर में धकेल दिया गया, जिनमें से एक पर्यटक की मौत हो गई। कोप्पल के पुलिस अधीक्षक रामएल अरासिद्दी ने बताया कि तीनों आरोपियों में से हमने दो को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में तीसरे संदिग्ध को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मल्लेश और चेतन साई के रूप में हुई है। दोनों लगभग 21 साल के हैं और गंगावती शहर के साई नगर के रहने वाले हैं तथा राजमिस्त्री का काम करते हैं। यह घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे उस समय हुई जब रात्रि भोजन के बाद होमस्टे संचालक 29 वर्षीय एक महिला, इजराइली नागरिक और तीनों पुरुष पर्यटक सनापुर झील के पास तुंगभद्र

हंपी में घटनास्थल पर जांच करते पुलिसकर्मी।

पुलिस ने बताया कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे संदिग्ध को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

नहर के किनारे बैठकर गिटार बजाते हुए संगीत का लुत्फ उठा रहे थे। पुरुष पर्यटकों में से एक अमेरिका से था, जबकि अन्य ओड़ीशा और महाराष्ट्र के निवासी थे। अपनी शिकायत में होमस्टे संचालक ने आरोप लगाया कि जब वे संगीत सुन रहे थे, इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन लोग उनके पास आए और पूछा कि उन्हें पेट्रोल कहां मिलेगा। जब उसने उन्हें बताया कि बाकी पेज 8 पर

गुजरात कांग्रेस में बड़े बदलाव का संकेत देते हुए राहुल गांधी ने कहा

भाजपा के लिए काम कर रहे कांग्रेसियों को छांटना होगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी में उन कार्यकर्ताओं और नेताओं की पहचान करने की जरूरत है, जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने

अहमदाबाद में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी।

कहा कि पार्टी का पहला काम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के दो समूहों को अलग करना है। पहला जो पार्टी की विचारधारा को अपने दिल में रखते हैं और जनता के साथ खड़े हैं और दूसरे जो जनता से कटे हुए हैं, जिनमें से आधे भाजपा के साथ हैं।

राहुल का राज्य दौरा 2027 के विधानसभा चुनावों पर केंद्रित है, जिसके लिए उन्होंने पार्टी की राज्य इकाई में बड़े बदलाव का संकेत दिया है और भाजपा को हराने के लिए एक मजबूत रणनीति का दावा किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात बाकी पेज 8 पर

चैंपियंस ट्राफी विराट और रोहित के करिअर का यह हो सकता है आखिरी बड़ा मैच

भारत और न्यूजीलैंड में आज खिताबी भिड़ंत

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 8 मार्च।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को आइसीसी चैंपियंस ट्राफी के नौवें संस्करण का फाइनल खेला जाएगा। यह मैच दुबई के मैदान पर आयोजित होगा।

भारत ने टूर्नामेंट में अब तक अपनी शानदार रणनीतियों और प्रदर्शन से प्रतिद्वंद्वी टीमों को जवाब दिया है, लेकिन अब ट्राफी जीतने के लिए भारत को न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को हराना होगा। विराट और रोहित के करिअर बाकी पेज 8 पर

-संबंधित खबर पेज 12

दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार को अभ्यास के दौरान भारतीय खिलाड़ी।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I hitherto known as HEMA AGGARWAL W/O ANKIT AGGARWAL R/O B-218,Lok Vihar,Pitampura, Delhi - 110034 have changed my name and shall hereafter be known as HEMLATA AGGARWAL. 0040778778-8

I Vinay Kumar S/o Harish Chandra Thapliyal R/o B-102, Brahmaputra Apartment, Anand Ashray Society, Sector-Phi-02, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201308, have changed my name to Vinay Kumar Thapliyal 0070955524-1

I Sudhir Chajuram S/O Chajuram Dayal R/O E-1504 JM Aroma Sector-75 Noida UP,Have Changed My Name To Sudhir Dayal 0040778693-5

I Hiramuni Devi W/o Shakal Dev Manjhi R/O C-117, Qutub Vihar, Tajpur Khurd, G. South West Delhi, Delhi-110071, have changed my name to Heera Mati. 0070955528-1

I hitherto known as SAVTANTER RANI Alias PROMILA RANI W/O BALDEV RAJ R/O G-21/275,Block-G,Pkt-21, Rohini, Sector -7,Delhi-110085 have changed my,name and shall hereafter be,known as PROMILA DHALL. 0040778778-7

I,Amit Marwah,S/o Sarup Lal,R/o-H-159,Vikaspuri,Delhi-110018,have changed my minor daughter name Tehzeeb kaur to Tehzeeb kaur Marwah 0040778709-2

I, DAVINDER SINGH W/o-AMARJEET SINGH R/o - H No - 194/195, Flat No- 3, UGF, Sultanpur Colony, Kamboj Apartment, Sultanpur Delhi-110030 Have Changed My Name DEVINDER KAUR, For All Purposes . 0050262385-1

It is for general information that I,ADITYA KUMAR BEHERA,S/O SUBASH CHANDRA BEHERA,R/O H.NO-14,FF,PLOT.NO-1 KH.NO-465, GALI.NO-2.TUKMIR PUR,PO KARAWAL-NAGAR,DIST-NORTH WEST,DELHI,DELHI-110094,declare that name of my father and my-mother have been wrongly-written as SUBASH and RENUKA in my-10th and 12th-class educational-documents.The actual name of my-father and my-mother are SUBASH CHANDRA BEHERA and RENUKA BEHERA respectively,which may be amended accordingly. 0040778782-3

I,suresh rathee,w/o-joginder rathee,house no.54/9,near-BKG modern school,harki Devi-colony,sec.4, rohtak, Haryana-124001,have change my name,from suresh rathee to suresh kumari permanently. 0040778773-6

I,hitherto known as SHYAM LAL alias SHAM LAL alias NEVDEEP SINGH,Son of,SHRI TARSEM LAL,residing at, House No.107,Pocket-13, Sector-21,Rohini,Delhi-110086, have changed my name and shall hereafter be known as NAVDEEP SINGH. 0040778782-2

I,Yash Paul Arora,S/O Kastoori Lal R/O,A-18 Sector-32,Pi Police SAS Ltd Greater Noida.UP,Have Changed My,Name To Yash Pal Arora 0040778693-3

I,Vikas @babloo Kapoor,s/o-Prem pal Kapoor r/o,k-27,IIIrd-floor, gobind Pura-Extention, Krishna Nagar,delhi-110051, have changed my name to Vikas Kapoor,for all,purpose. 0040778700-6

I,VIVEK S/O,RAJ KUMAR GOEL R/O,G-81,82,VIJAY VIHAR, PHASE -2,SECTOR-4,ROHINI, DELHI -110085,HAVE CHANGED MY NAME VIVEK GOEL. 0040778700-2

I,Swapana De W/O Himansu Bimal De R/O B-703 The Crescent Plot.No-F,02 Sector-50,Noida UP,Have Changed My Name To Swapna De 0040778693-2

I,UMANG GAUR,W/O-RAHUL GAUR,R/O-1701,YORKSHIRE, MAHAGUN MEADOWS,SECTOR-150,NOIDA,GAUTAM BUDDHA NAGAR,UTTAR PRADESH-201310,have changed my name to UMANG SOOD GAUR,for all,purposes. 0040778773-5

I,Trilok Chand,S/o-Thakur Dass,H.No.157,Ward No.-11, Nehru-Park Gali.No.3, Bahadurgarh,Distt Jhajjar (Haryana)-124507, have changed my name to Tirlok Chand. 0040778781-5

I,Sunil Jindal S/o-Ved Prakash Jindal R/o-LU-15,Pitampura Delhi-110034,have changed my minor daughter name from Akshaya Jindal to Akshya Jindal. 0040778781-8

I, ANUL HAQ S/O MD ISMAIL R/O T-353, 4TH FLOOR, AHATA KIDARA, BARA HINDU RAO, SADAR BAZAR, DELHI-06 have changed my name to AINUL HAQ for all purposes. 0040778728-2

I jigyasa Sudhir Dayal D/O Sudhir Dayal,R/O E-1504 JM Aroma Sector-75,Noida UP,Have Changed My Name To Jigyasa Dayal 0040778693-4

I,Anjala Ajay Kalsie,W/O Ajay Kalsie,R/O B-103, Signature View Apartment Mukherjee Nagar Delhi-110009,Have Changed My Name To Anjala Kalsie. 0040778773-1

व्यक्तिगत

I,Shalini Roy,D/o-Shiban Krishen Saraf,R/o-17/A, D-Block,Lajpat Nagar-2,Delhi, have changed my name to Shalini Saraf,for all purposes. 0040778762-5

I,Shailender Kumar Venaiyak, R/o 197-B,3rd-Floor,Old Gupta Colony,Delhi-110009,have changed my minor daughter's name,from Prachi Vinayak to Prachi,for all,future purposes. 0040778773-10

I,Santosh Kumar,S/O-Ram Charan Agnihotri,R/O,K-228, Gali.no.4 Gautam-Vihar Ghonda-North,East Delhi-110053,have changed my name Santosh Kumar Agnihotri,for all,future purposes. 0040778700-7

I,Sandeep Khanna,S/o Madan Gopal Khanna,R/o-3/18A,S.F Block-3,Vijay,Nagar Double Storey,Kingsway,Camp Delhi-110009 changed my name to Sandeep Kumar Khanna. 0040778762-7

I,Sachin S/o Prem Singh R/o-284 Anagpur Gaon Amar Nagar,Faridabad,have changed my name to Sachin Bhadana 0040778709-1

I,SONIA D/O-MAHESH KUMAR R/O,385,OLD-NO-309-310,F/F, MOHALLA DOONGAR SHAHDARA,DELHI-110032,have changed my name to SONIA RAJPOOT,for all,future purposes. 0040778700-5

I,SHIBA ZAIDI,W/O ASIF ZAIDI,R/O,FLAT NO-3362,F-3,SECTOR-50,ALOK VIHAR NO-1,NOIDA,GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR PRADESH-201301,have changed my name to SHEEBA ZAIDI. 0040778773-9

I,S Harjot Singh S/o Manjinder Singh,R/o-H.No.X/1868-A-5 Gali No.13,Rajgarh Extn. Gandhi Nagar,East Delhi-110031,have changed my name to Harjot Singh. 0040778781-2

I,Rubby Kumari,W/o Hemant Kumar,Permanent Address, Village-Rampur Chaukra,Post-Piri Bazar,Distt.-Lakhisarai, Bihar-811112.Present Address -House.No.773, Village-Jharsa, Near-Kanhai More,Sector-39, Gurugram, Haryana-122003, have changed my,name from Rubby Kumari to Nitu Devi,for all,future purposes. 0040778693-7

I,Richa Chauhan W/o-Ravi kumar,House.no.2916,Gali.no. 72-73, B.Block,sant nagar burari delhi-110084,changed my name to Richa. 0040778781-1

I,Ria D/O Rakesh Sachdeva,R/O Shop.No-2,Ground Floor,Back Side,Old Market,Tilak-Nagar, New Delhi-110018,Have Changed my name to Ria Sachdeva. 0040778773-7

I,Rekha Sachdeva W/o,Deepak Sachdeva,R/o-26, B-Block, Chanakya-Place Part-1,Uttam-Nagar, West-Delhi, Delhi-110059,that name of mine has-been wrongly-written as Chitralekha Verma in my-minor son Jaksh Sachdeva aged-6-years in his School-Records and Chitralekha in his School-ID-Card.The actual-name of mine is Rekha Sachdeva. 0040778782-4

I,Gaurav S/O Krishan Chand R/O F-24/40, Sector-3,Rohini, Delhi-110085, have Changed my name to Gaurav Goel. 0040778782-8

I,Rajeev Kumar Gupta,S/o Late Shri.Nem Chand Gupta,R/o-H-2/502,Hindon Apartment, Sector-7,Sidharth Vihar, Ghaziabad, U.P.-201009,have changed my name from Rajeev Gupta to Rajeev kumar Gupta,for all future purposes. 0040778693-8

I,RATAN W/O TABHA BHAI,R/O H-2,590,JAHANGIR PURI,DELHI-110033.HAVE CHANGED MY NAME TO RATAN DEVI FOR ALL PURPOSES. 0040778762-2

I,Preeti w/o satish kumar,R/o-42 Nehru Kutia Malka Ganj, North Delhi-110007,have changed my name to Preeti Saxena,for all,future purposes. 0040778700-8

I,Praveen Agarwal S/O-Mahabir parsad Agarwal Address- House No. 259,1st Floor,Sector-8, PO: Faridabad Sector 7, DIST: Faridabad, Haryana-121006, Changed My Name To Parveen Aggarwal 0040778773-2

I,Parvati Devi W/o Raj Kumar R/o-RZ-12,Palam Vihar Dwarka Sector-6,Delhi-110075, inform that both names Parvati Devi and Parwati Devi pertain to one and the same person 0040778782-8

I,Nikki Kaur,W/o-Meharban Singh,R/o A-11,Block-A, Sunday Bazar-Road,Chander Vihar,Nangloi,New Delhi 110041,have changed my name to Rinki Kaur. 0040778781-7

I,Mohan Lal,S/O Sh Balwan Singh R/O,T2-704,PARSVNATH MAJESTIC FLOORS, Indira puram, Ghaziabad,Uttar Pradesh- 201014,have changed my name to Mohan Lal Jindal,for all,future purpose. 0040778700-3

I hitherto known,as CHETANYA SHARMA S/O SATPAL SHARMA,R/O A-4/249,Paschim Vihar,West Delhi,Delhi - 110063,have changed my name,and shall hereafter be known as VIEHAN NKSHARMA. 0040778776-6

I, MOD MANSOOR S/O AINUL HAQ R/O T-353, 4TH FLOOR, AHATA KIDARA, BARA HINDU RAO, SADAR BAZAR, DELHI-06 have changed my name to MOHD MANSOOR S/O AINUL HAQ for all purposes. 0040778728-4

I,MOHINDER KUMAR GOEL,S/O CHANDER BHAN GOEL,R/O 89,PUNJABI COLONY, NARELA,DELHI-110040.HAVE CHANGED MY NAME TO MAHENDER GOEL. 0040778762-3

I,MOHAMMAD SHAFI KHAN,S/O MD LATIF KHAN,R/o-N-38,C-221,CD-Park,Jahangirpuri, Delhi-110033,have changed my name to MOHD SHAFI KHAN. 0040778762-8

I,Keshav Sharma Nirinjan Kumar Sharma S/o-Nirinjan Kumar Sharma R/o,C-68, Sudershan-Park Delhi-15,have changed my name to Keshav Sharma. 0040778773-4

I,Karambir Sharma,S/o-Balram R/o-Hathira,(9) Kurukshetra Haryana-136119,declare that,name of my father,has been wrongly written,as Balram Sharma in,my discharge book Sr. No.-24070100998.The actual,name of my father is Balram,which may be amended-accordingly. 0040778781-9

I,KAMINI KUMARI/KAMINI DEVI,W/O SANTOSH KUMAR, R/O PLOTNO.81-82,UPPER GROUND-FLOOR,BLOCK-E,POCKET-1,SECTOR-16,ROHINI,DELHI-110089.HAVE CHANGED MY NAME TO KAMINI SAH. 0040778762-1

I,Jogender Singh Rana,S/o-Kartar Singh,H.No.326,Pana-Natan,Mungesh Pur , Qutabgarh,North-West Delhi-110039,have changed my name to Joginder Singh. 0040778781-4

I,Jhuni Devi/Junhi Devi,W/o-Yogendra Kumar Yadav,R/o-J-11/47, Fourth-Floor,Rajouri Garden,Delhi,have changed my name to Jhuni Devi Yadav,for all purposes. 0040778762-6

I,Jasvir Kaur D/o-Surjeet Singh Chaggar,W/o-Harjeet Singh, R/o-B-134,Jhilmil Colony,East Delhi-110095,have changed my name to Jasbir Kaur,for all,purposes. 0040778781-3

I,Haardik S/O-Rakesh Sachdeva,R/O-Behind Shop No-2,Ground Floor,Old Market,Tilak-Nagar New Delhi-110018,Have Changed my Name to Hardik Sachdeva. 0040778773-8

I,Ramesh Kuamr S/O Nebha Raj R/O E-87-88,Gandhi Vihar, Dr. Mukherjee Nagar,Delhi-110009,have changed my name to Ramesh Kumar. 0040778778-1

I,DHABA BHAI,S/O HARKHA BHAI,R/O H-2,590,JAHANGIR PURI,DELHI-110033.HAVE CHANGED MY NAME TO TABHA BHAI FOR ALL PURPOSES. 0040778762-4

I,DEEPANSHI W/O,VIVEK GOEL R/O,G-81,82,VIJAY VIHAR, PHASE-2,SECTOR-4,ROHINI, DELHI-110085 HAVE CHANGED MY NAME DEEPANSHI GOEL. 0040778700-1

I,Banani Rout W/o,Shasikanta Rout R/o,A-28, Gali-No.11, Pratap-Nagar, Mayur-Vihar Phase-1,Delhi-110091,that name of mine has-been wrongly-written as Banani Mallick in my-minor daughter Madhusmita Rout, aged-9-years in her School-Records and Birth-Certificate.The actual-name of mine is Banani Rout. 0040778782-1

I,BHAGWAN YADAV/SHRI BHAGWAN YADAV S/O, CHETRAM YADAV,R/O House. No -584,Opposite Metro Pillar No-541,MUNDKA,Delhi-110041,have changed my, name to SHRI BHAGWAN. 0040778778-4

I,BABLI S/O-RAM SHARAN,R/O OPP. D.D.A.,2355 JHUGGI, BLOCK-K,JAHANGIRPURI, DELHI-110033,have changed my name,from BABLI to VIKASH KUMAR,in my-bank of baroda-account No.33280100023927. 0040778700-10

I,Asha Rathee,D/o-Parlhad Singh,R/o-Sankhol,Tehsil Bahadurgarh,Distt Jhajjar (Haryana)-124507,declare that Asha Rathee@Asha both Names are One and the Same Person. 0040778781-6

I,Akanksha Mehta W/O Varun Mehta R/O H-6,Shanti Appts,Sector-13,Rohini,Delhi-110085,have Changed my minor Son's Name,from Riaan Mehta to Revant Mehta. 0040778778-3

I,Ajay bansal S/o Shri Jagdish rai bansal R/o 6-7,upper Ground & First-Floor Block A,Sector 11,Rohini Delhi-110085,have changed my,name Ajay Gupta to Ajay Bansal for all,purpose. 0040778778-5

I,Ajay Kalsie,S/O Jugal Kishore Kalsie,R/O B-103,Signature View Apartment Mukherjee-Nagar Delhi-110009,Have Changed My Minor Daughter's Name,From Utkarsha To Utkarsha Kalsie. 0040778762-10

I,Ajay Kalsie,S/O Jugal Kishore Kalsie,R/O B-103,Signature View Apartment Mukherjee-Nagar Delhi-110009,Have Changed My Minor Daughter's Name,From Lakshanya To Lakshanya Kalsie. 0040778762-9

I, NAVEEN GOSAIN S/O SHRI GYAN SINGH R/O C-2, K.NO.770, 41- PUSTA ROAD, KAFAL APARTMENT, BURARI, DELHI-84 have changed my name to NAVEEN for all purposes. 0040778758-1

I, KM. SAVITA D/o Sh. Babu Lal and W/o Sh. Raj Kumar, R/o H. No. 100/A, IIIrd Floor, Sainik Colony,Sector-49, Faridabad, Haryana-121001, has changed my name to SAVITA SINGH. 0040778646-1

व्यक्तिगत

I,ASHOK KUAMR,S/O,BELI RAM R/O 24/6,SECOND-FLOOR, SHAKTI-NAGAR,PO-MALKA GANJ,DELHI-110007,have changed my name to ASHOK KUMAR ANAND 0040778700-4

I,AKASH KALRA,S/O,GANDHARV KUMAR,R/O,R-866,NEW RAJINDER-NAGAR,DELHI-110060HAVE CHANGED MY NAME TO AKASH KUMAR KALRA.AKASH KALRA AND AKASH KUMAR KALRA IS SAME-PERSON. 0040778700-9

I,ABHISHEK,S/O RAMJI LAL,R/O,H.NO-Z-193,MANAV KALYAN VIHAR CAMP,OKHLA INDUSTRIAL ESTATE,Delhi-110020,Have Changed My Name To ABHISHEK SHRIVASTAV,permanently 0040778773-3

I, PUNAM SINGHAL,W/O NAVEEN SINGHAL,R/O R-14/101,GROUND FLOOR,SECTOR-14, RAJNAGAR,GHAZIABAD U.P -201001,HAVE CHANGED MY NAME PUNAM SINGHAL TO POONAM SINGHAL 0040778693-6

I, NIRMALA RANA, W/O Anil Kumar, R/O Flat.NO-605,Tower F-4,Panchsheel Greens-1,Greater Noida West,Uttar Pradesh,have changed my name to NIRMALA DEVI. 0040778693-1

I, Jitender Kumar S/o Shri Jagan Singh Khari, resident of SF-4 Plot No 8/25 Sector 3 Rajendra Nagar Sahibabad Ghaziabad-201005, have changed my name from Jitender Kumar to Jitender Kumar Khari. Hencforth I would be known by the name of Jitender Kumar Khari for all future purposes 0070955461-1

खोया+पाया

मैं, रूपा देवी पुत्री रमेश चंद्र निवासी, ए-8 सेक्टर-72 नोएडा-201301 (उ.प्र.) ने अपना जी.एन.एम. तृतीय वर्ष का मूल अंकपत्र रोल नंबर-G35J2251010084 नामांकन संख्या-37102GNMJ181144, वर्ष-2021, सदगुरु स्कूल ऑफ नर्सिंग सतना-37102 (म.प्र.) द्वारा जारी किया है। यदि मिल जाए तो कृपया संपर्क करें-8595611528

My original-property papers i.e. Relinquishment Deed of property No.D-51,Kirti-Nagar,New-Delhi-110015,vide-document No-873, Addl.Book-No-1 Vol.No-5653, Page-No.111 to 113 on dated-10-02-1992 in the office of Sub-Registrar-1,Delhi has been lost.finder contact:Dheeraj Kumar Dua S/o,Laxman Dass Dua, R/o-175, Sudarshan-Park,New Delhi-110015.mobile-No.7982566145. 0040778782-7

I, Vedveer Singh S/o of Shri Niranjan Singh R/o 19/30,Mukhiya Market, Rama Garden, Karawal Nagar, Delhi-110094, hereby declare that I have lost all my originaldocuments of registration for my plot address, Rect. No.15, Killa No. 2, Plot No B-29-B, Gali No. 4, Phase 5, ShivVihar, Karawal Nagar, Delhi-110094. If found, pleasecontact : 9868187979. 0040778724-1

I,Ashok Kumar Thirwani, S/o Late Sh. R. J. Thirwani have lost my Original Allotment Letter,Possession Letter & Share Certificate of Flat no 28,New Subhash Co-operative Group Housing Society LTD. aka Anuradha Apartments, A-2,Paschim Vihar,New Delhi-110063.Finder please contact 9958662949 0040778778-9

I,Sonali Singla,D/O Sh.Ravinder Kumar have lost my,property papers,BBA,All Payment Receipts,Possession Letter etc.of My Flat.No 501,Block-B,The Residency,Ardee City,Sector-52, Gurgaon, founder please inform at 9671110507. 0040778693-10

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Ruchira Banga Lall W/O Brejesh Lall Residing at House 3 M4 Street IIT Delhi Hauz Khas New Delhi 110016 declare that name of mine has been wrongly written as Ruchira Lall & Ruchira B Lall in my minor son Kabir Lall School Records and Birth Certificate MCDOLR09190060.The actual name is Ruchira Banga Lall which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

By this Legal-Notice to General Public, be it known to all concerned that my Client SH. MAM CHAND S/O Lt. SH. BHULE RAM aged 70 years R/o WZ- 646/2/2A Fateh Nagar Village, B-1 Block Janak Puri, New Delhi-110058, is the absolute & exclusive owner of several Movable & Immovable Properties in Delhi and Haryana including the above-mentioned House. By way of this Legal Public-Notice Sh. MAM CHAND had Disinherited /Debar / Disown, his elder Son namely SH. RAJESH KUMAR & his Wife SMT. MANOJ, from his entire Property and all Assets, movable & immovable, whatsoever and wherever thesame may be, with immediate effect and seized all relations with both of them because of their misconduct, misbehaviour and un-respectful attitude of both of them. Now Sh. Mam Chandh as no concern with Sh. Rajesh Kumar & his wife Smt. Manoj also and directs them to evicthis House within 30 days of this Publication.

B.K. Bharti (Advocate)
Seat No. 124, Adjacent to Central Pillar Central-Hall Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

"Be it known to all that notice is hereby given on behalf of My Client i.e. SBI to the public at large that due to fire Accident at **SBI, PBB, Sansad Marg, New Delhi** on 09.09.2017 around 9:00 PM, Title Deed and other documents of mortgagers i.e., **Sh. Narinder Kumar Narula** and **Ms. Veena Narula** pertaining to **Flat No. 799, Second Floor, Block B, Pocket A, Lok Nayak Puram, New Delhi–110043,** which was mortgaged with SBI for creation of mortgage got destroyed in fire that broke out in said premise. Therefore, a complaint was lodged on 29.09.2017 at P. S. Parliament Street having DD No. 51 B. Further, **ALL PERSONS / COMPANY / FIRM / FINANCIAL INSTITUTION / HUF / SOCIETY** having any claim in respect of the sale, lien, or otherwise whosoever are requested to put their claim in underwriting with undersigned with documentary proof therein, within 15 days hereof failing which the claim(s) if any, of such persons(s) will be considered to have been waived and/or abandoned and internal process of SBI shall be completed."

Krishna Kr Sharma (Advocate)
E–mail:-advkrishna1411@gmail.com,
Mob:- +91-9315165656
C-87, LGF, Lajpat Nagar-1,
Delhi-110024
Dated:- 07.03.2025

मणिपुर : कांगपोकपी में झड़प, एक की मौत, 25 लोग घायल

इंफल, 8 मार्च (भाषा)।

मणिपुर के कांगपोकपी जिले के विभिन्न हिस्सों में कुकी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार को हुई झड़पों में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, वहीं महिलाओं समेत 25 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। मृतक की पहचान लालगौथांग सिंगसिट के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि 30 वर्षीय सिंगसिट को कीथेलमानबी में झड़पों के दौरान गोली लगी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गमगीफई, मोटबंग और कीथेलमानबी में सुरक्षा बलों के साथ झड़पों के दौरान करीब 25 प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं, जिन्हें उपचार के लिए पास के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य भर में मुक्त आवाजाही की अनुमति देने के निर्देश का विरोध करने पर कुकी बहुल जिले में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं, जब पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी।

स्थिति तब और खराब हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने निजी वाहनों में आग लगा दी और इंफल से सेनापति जिले जा रही राज्य परिवहन की बस को रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-दो (इंफल-दीमापुर राजमार्ग) को भी अवरुद्ध कर दिया। यह विरोध प्रदर्शन फेडरेशन आफ सिविल सोसाइटी (एफओसीएस) की ओर से आयोजित शांति मार्च के खिलाफ भी था।

एफओसीएस एक मैतेई संगठन है। इस शांति मार्च को कांगपोकपी जिले में पहुंचने से पहले ही सुरक्षा बलों ने सेकमई में रोक दिया। हालांकि, एफओसीएस के सदस्यों ने यह कहते हुए विरोध किया कि वे केवल गृह मंत्री के निर्देश का पालन कर रहे थे, जिसमें शनिवार से पूरे राज्य में मुक्त आवाजाही की अनुमति दी गई है। इस बीच, कुकी-जो गांव के स्वयंसेवकों के समूह द्वारा एक अज्ञात स्थान से जारी एक कथित वीडियो में कहा गया है कि वह स्वतंत्र आवाजाही के बारे में भारत सरकार के फैसले के खिलाफ है और एक अलग प्रशासन की मांग करता है।

मणिपुर के कांगपोकपी में शनिवार को कुकी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के बाद उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत : राष्ट्रपति मुर्मू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परामर्श को संबोधित करते हुए मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है।उन्होंने कहा, जैसे-जैसे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी भी उसी गति से बढ़नी चाहिए। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि एक आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और सशक्त महिला विकसित भारत के निर्माण की कुंजी है। सभी से आत्मनिर्भरता और सफलता की दिशा में हर कदम पर महिलाओं का समर्थन करने का आग्रह करते हुए मुर्मू ने कहा, 'विकसित भारत का सपना हमारी सामूहिक आकांक्षा है और हमें इसे प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।' भारतीय महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डालते हुए मुर्मू ने कहा, 'हमारी बेटियां विकसित भारत के सपने को साकार करने में बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं।' यह जरूरी है कि समाज उन्हें प्रगति के लिए और भी बेहतर माहौल प्रदान करे।

समृद्धि एक्सप्रेस मार्ग पर वाहन पलटने से दो की मौत

मुंबई, 8 मार्च (भाषा)।

महाराष्ट्र के मुंबई-नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एक एसयूवी पलटने और उसे पीछे से एक अन्य वाहन के टक्कर मारने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि छह अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

सिंधखेड़ राजा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना सुबह करीब नौ बजे उस समय हुई जब वाहन यवतमाल से श्रद्धालुओं को लेकर शिर्डी की ओर जा रहा था। उन्होंने बताया कि वाहन का एक टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर पलट गया और इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार ने भी वाहन को टक्कर मार दी।

सार्वजनिक सूचना

आप सभी को ज्ञात हो कि हम, कमल शर्मा और बृजेश रानी शर्मा पुत्र/पत्नी हरि ओम शर्मा दोनो स्वामिनी सी-4/16A, प्रथम तल, एलआईजी फ्लैट लॉरेंस रोड, दिल्ली-110035 ने उक्त फ्लैट के प्रमाणित कागज जैसे मूल आवंटन पत्र, उत्परिवर्तन पत्र, साइट कब्जा पर्ची, बिजली और पानी के कनेक्शन की एनओसी, जो कि खो गई है, के लिए आवेदन किया है। फ़ाइल संख्या F.26(1465)74/HB, इस संबंध में पुलिस थाना अपराध शाखा दिल्ली में दिनांक 08/03/2025 को एक प्राथमिकी (एल आर नं..2651481/2025) दर्ज की गई है। किसी भी अधिकार, हित का दावा करने वाला, कोई आपत्ति करने वाला व्यक्ति या मूल दस्तावेजों के कब्जे वाला व्यक्ति, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर उपरोक्त नामित व्यक्ति के साथ उपरोक्त पते / फोन नंबर 7042925386 या उप निदेशक (एलएबी) आवास या निदेशक (आवास), डीडीए कार्यालय विकास सदन, नई दिल्ली के पास लिख सकता है / संपक कर सकता है।

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed to the General Public that I, Geeta Kumari Pruthi W/o Gulshan Kumar have lost the Original Provisional Allotment Letter No-JGNKM 0320001 dt Apr 27, 2010 and Possession Certificate dt 27/05/2016 issued by Jaiprakash Associates Ltd. in respect of Unit Bearing No KM 32-001 in Kosmos Project situated at JayPee Greens Noida on 02-12-2024. Any one finding the said documents is requested to return the same to me or to the company. Name: Geeta Kumari Pruthi Address: Aashirwad Apt. Plot 11 Sec 12 Dwarka, Delhi. Ph :9811591149 Email: **Geetakapoorpruthi@yahoo.co.in**

PUBLIC NOTICE

My client SHANAZ GAZI DAUGHTER OF MUHAMMAD MOINUDDIN GAZI RESIDENT OF D-388, F/F, NAWADA HOUSING COMPLEX, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059, HAD LOST/MISPLACED HIS ORIGINAL SALE DEED DT.04/10/2022, DULY REGD. AS DOCUMENT NO.25125, IN ADDL.BOOK NO.I, VOLUME NO.8157, ON PAGES 146 TO 155, DATED.01/10/2022, OF PROPERTY BEARING NO.D-388, UPPER GROUND FLOOR WITHOUT ROOF RIGHTS, LAND AREA MEASURING 45 SQ.YDS., OUT OF KHASRA NO.230, SITUATED AT NAWADA HOUSING COMPLEX, NAWADA, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110059,ON DT.05/03/2025 at 11:00 Hrs. AT PHOTOCOPY SHOP AT UTTAM NAGAR NEW DELHI-110059, AND IF ANYONE FOUND THEN INFORM ON MOBILE NO.7428621887, email: nazshaaz4@gmail.com and ALSO LODGED NCR VIDE LR.NO. 2643597/2025,DT.05/03/2025).

Sd/- B.B.N.Deo, Advocate,
SR-IInd,B Coumpus, Janak Puri,ND-58

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Ruchira Banga Lall W/O Brejesh Lall Residing at House 3 M4 Street IIT Delhi Hauz Khas New Delhi 110016 declare that name of mine has been wrongly written as Ruchira Lall & Ruchira B Lall in my minor daughter Simran Lall School Records and Birth Certificate MCDOLR09190071. The actual name is Ruchira Banga Lall which may be amended accordingly.

सार्वजनिक नोटिस

आम जनता को सूचित किया जाता है कि एम.एल. गुप्ता उर्फ माखन लाल गुप्ता और स्नेह प्रभा गुप्ता निर्मित संपत्ति संख्या 330, जिसका क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है, ब्लॉक-केपी, पीतमपुरा, दिल्ली के सम्पूर्ण भूतल और सम्पूर्ण प्रथम तल के पूर्ण स्वामी हैं, साथ ही नीचे की भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा (जिसे आगे 'उक्त संपत्ति' कहा जाएगा) । उक्त संपत्ति की श्रृंखला के कुछ मूल दस्तावेज जैसे, श्री के सी गुप्ता के पक्ष में डीडीए द्वारा जारी आवंटन पत्र, (2) एम एल गुप्ता और स्नेह प्रभा गुप्ता के पक्ष में डीडीए द्वारा जारी कब्जा सौंपने का पत्र, और (3) एम एल गुप्ता और स्नेह प्रभा गुप्ता के पक्ष में डीडीए के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा निष्पादित दिनांक 03/09/1977 के परपेचुअल लीज डीड का अंतिम पृष्ठ, जिसके पीछे की तरफ पंजीकरण का विवरण आमतौर पर उल्लेख होता है, खो गया है जिसके लिए खोए हुए लेखों / दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक सूचना रिपोर्ट पहले ही पुलिस स्टेशन, अपराध शाखा, नई दिल्ली में एलआर संख्या 2633618/2025 दिनांक 02.03.2025 के तहत दर्ज कराई जा चुकी है। उपरोक्त खोए हुए कागज के आधार पर उक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी दावा, प्रभार, हित या ग्रहणाधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति/वित्तीय संस्थान आदि, इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर दस्तावेजी प्रमाण के साथ आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसके समाप्त होने के बाद, कोई भी दावा, अधिकार, शीर्षक, हित या आपत्ति, यदि उठाई गई या प्राप्त हुई, तो उसे शून्य और अमान्य माना जाएगा और उसे और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अधोहस्ताक्षरी
रूप चंद गौतम (अधिवक्ता)
चैंबर नंबर 231,
पश्चिमी विंग, तीस हजारी, कोर्ट, दिल्ली-54

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में झरने के पास तीन लापता लोगों के शव मिले

जम्मू, 8 मार्च (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर में कठुआ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में स्थित एक झरने के पास सुरक्षा बलों ने शनिवार को ड्रोन के जरिए तीन लापता लोगों के शवों का पता लगाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि मरहून निवासी दर्शन सिंह (40) और योगेश सिंह (32) तथा देहोता निवासी वरुण सिंह (15) पांच मार्च को बिलावर तहसील के लोहाई मल्हार में एक विवाह समारोह से लौटते समय लापता हो गए थे। उन्होंने बताया कि इनमें से एक व्यक्ति ने दो दिन पहले अपने परिवार से संपर्क किया था और बताया था कि वे वापस आते समय जंगल में भटक गए थे।

उन्होंने बताया कि लापता लोगों की तलाश के लिए सेना और पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि शवों को निकालने के प्रयास जारी हैं और मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सतीश शर्मा ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को यह मुद्दा उठाया था। शर्मा ने कहा था, मैं सदन को तीन आम नागरिकों के लापता होने के बारे में सूचित करना चाहता हूं। हम सरकार से जवाब चाहते हैं।

रेलयात्री कृपया ध्यान दें!
महत्वपूर्ण जानकारी
इंटरसिटी एक्सप्रेस का ग्वालियर तक अस्थायी विस्तार

रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए रेलवे द्वारा रेलगाड़ी सख्या 14212/14211 नई दिल्ली – आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस का ग्वालियर स्टेशन तक अस्थायी तौर पर विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 13.03.2025 से 17.03.2025 तक रेलगाड़ी संख्या 14212 नई दिल्ली – आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस ग्वालियर तक जायेगी और 14211 आगरा कैंट – नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ग्वालियर से चलेगी। विस्तारित सेवा का विवरण निम्नानुसार है :–

14212/14211 नई दिल्ली – आगरा कैंट – नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस का ग्वालियर तक विस्तार

रेलगाड़ी सं. 14212		स्टेशन	रेलगाड़ी सं. 14211	
आगमन	प्रस्थान		आगमन	प्रस्थान
----	17:40	नई दिल्ली	10:00	----
21:30	21:35	आगरा कैंट	03:40	05:45
22:23	22:25	धौलपुर जं.	02:10	02:12
23:03	23:05	मुरैना	01:30	01:32
23:45	–	ग्वालियर जं.	--	01:00

अझई स्टेशन पर अस्थायी ठहराव

ट्रेन संख्या 12279/80 नई दिल्ली–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (प्रतिदिन), 18237/38 कोरबा–अमृतसर (प्रतिदिन), 18477/78 पुरी–योग नगरी ऋषिकेश (प्रतिदिन) और 14211/12 आगरा कैंट–नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस (प्रतिदिन) को 29.03.2025 से 06.04.2025 तक अझई स्टेशन पर दो मिनट के लिए अस्थायी ठहराव प्रदान किया जाएगा।

विस्तृत विवरण के लिए कृपया रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 डायल करें अथवा रेलगाड़ी पूछताछ वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in देखें।

रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139
रेलमदद वेबसाइट देखें :- www.railmadad.indianrailways.gov.in
रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

पर हमें फॉलो करें
746/25
उत्तर रेलवे
सदैव आपकी सेवा में
www.nr.indianrailways.gov.in पर विज़िट
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

सामूहिक बलात्कार के जुर्म में दो लोगों को उम्रकैद

ठाणे, 8 मार्च (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2017 में एक महिला से बलात्कार के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वसुधा एल भोसले ने शुक्रवार को आरोपी सुरेश पांडुरंग गोसावी (40) और उमेश उर्फ राकेश झाला (39) को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 55,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आरोपियों को महिला का अपहरण करने और डकैती का भी दोषी ठहराया गया तथा उन्हें अलग-अलग अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी पीड़िता को मुआवजे के रूप में 40,000 रुपए का भुगतान करें।

अतिरिक्त लोक अभियोजक वर्षा चंदाने और राजेंद्र पी पाटिल ने अदालत को बताया कि एक स्टोर प्रबंधक के रूप में कार्यरत रही महिला 19 दिसंबर, 2017 की शाम को काम से घर लौट रही थी, वह गोसावी की कैब में बैठी जिसमें एक व्यक्ति पहले से ही आगे की सीट पर बैठा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोनों ने महिला से लूटपाट की, उसके आभूषण और मोबाइल फोन छीन लिए और कार में उसके साथ बलात्कार किया।

देशविरोधी गतिविधियों का आरोपी मुरादाबाद से गिरफ्तार

मुरादाबाद, 8 मार्च (भाषा)।

यूपी पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट के उल्फत हुसैन को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई।

एटीएस की सहारनपुर इकाई और संबद्ध एजंसियों द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी के बाद शुक्रवार को यह गिरफ्तारी की गई, जिसमें हुसैन के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और 2001 में दर्ज एक मामले के संबंध में उसकी वांछित स्थिति का संकेत दिया गया। बयान में कहा गया कि आइपीसी के हत्या का प्रयास (307), शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन, पोटा (आतंकवाद निरोधक अधिनियम) और सीएलए (आपराधिक कानून संशोधन) अधिनियम जैसे आरोप में हुसैन वांछित था। वर्ष 2001 में हथियारों और विस्फोटकों के जखीरे की बरामदगी के सिलसिले में भी उसकी तलाश थी।

उसकी गिरफ्तारी के लिए स्थायी वारंट जारी किया गया था और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जांच में पता चला है कि हुसैन नजब जहानुद्दीन आतंकवादी संगठन का सदस्य है। वह कथित तौर पर 1999 से 2000 तक आतंकवादी प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) गया था। इसके बाद वह भारत लौट आया और कथित तौर पर एक बड़ी आतंकवादी घटना की योजना बना रहा था। इस सिलसिले में एटीएस की जांच जारी है।

पाकिस्तान से लिया था प्रशिक्षण

कटघर थाने की पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकी ने पूछताछ में बताया कि उसने 1999-2000 में पाकिस्तान जाकर आतंकी ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद वह मुरादाबाद आया और यहां असातलपुरा स्थित मस्जिद में रहने लगा था। इसी दौरान उसने रिजवान, जफर आलम, नसीम और तकी से दोस्ती कर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल कर लिया था। कटघर थाने के तत्कालीन प्रभारी ककान सिंह तालान ने नेतृत्व में पुलिस टीम ने नौ जुलाई 2002 में उल्फत हुसैन और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के बाद इनके कब्जे से 01 एके-47, 01 एके-56, 02 पिस्टल 30 बोर, 12 हैंड ग्रेनेड, 39 टाइमर, 50 डेटोनेटर, 37 बैटरी, 29 किलो विस्फोटक पदार्थ, 560 कारतूस, 08 मैगजीन बरामदगी की गई थीं।

‘अकबर या औरंगजेब, इनकी सोच एक जैसी’

गौतमबुद्ध नगर, 8 मार्च (भाषा)।

मुगल शासक औरंगजेब को लेकर छिड़ी बहस के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि अकबर हो या औरंगजेब, हिंदुओं के प्रति सबकी मानसिकता एक ही थी। महाराष्ट्र में सप के विधायक अबू आसिम आजमी को मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली टिप्पणी के कारण बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा से 26 मार्च को समाप्त होने वाले बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद औरंगजेब को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दादरी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दादरी में किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण।

उन्होंने इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अकबर हो या औरंगजेब, हिन्दुओं के प्रति सबकी मानसिकता एक ही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे आदर्श और महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ना कि अकबर या औरंगजेब। अकबर कभी नायक नहीं हो सकता। इन्होंने भारत की सनातन परंपरा को रौंदने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे। इसके विपरीत, महाराणा प्रताप ने अपने बलिदान से सनातन संस्कृति की रक्षा की। योगी ने छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह का भी बार-बार उल्लेख किया और कहा कि ये राष्ट्रनायक हमारी प्रेरणा हैं। जो इनका सम्मान नहीं करते, वे विकृत मानसिकता के शिकार हैं और उन्हें उपचार की जरूरत है। योगी ने महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, स्वधर्म और स्वदेश के प्रति अद्वितीय समर्पण को याद करते हुए उन्हें सच्चा राष्ट्रनायक करार दिया। राष्ट्रीय तापविद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) परिसर में महाराणा प्रताप स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने उनकी वीरता की गाथा को विस्तार से बयां किया।

मुख्यमंत्री ने राणा सांगा की वीरता का भी जिक्र किया। योगी ने जनसभा स्थल से ही गौतमबुद्ध नगर के लिए 1,467 करोड़ रुपए की 97 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप के जीवन और कृतित्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तनिक स्वार्थ के लिए सत्ता के सामने झुकने की बजाय, उन्होंने स्वाभिमान को चुना।

योगी ने कहा कि चित्तौड़ के राजवंश में जन्मे और कुंभलगढ़ में पैदा हुए महाराणा प्रताप ने मात्र 28 साल की उम्र में अकबर जैसे विशाल साम्राज्य से पहला युद्ध लड़ा। योगी ने हल्दीघाटी की प्रसिद्ध लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि 20 हजार सैनिकों के साथ लाखों की सेना का मुकाबला करने वाला योद्धा ही हमारा सच्चा नायक हो सकता है। हल्दीघाटी ने उन्हें राष्ट्रनायक का दर्जा दिया।

योगी ने कहा कि मौजूदा समय में भी हल्दीघाटी की मिट्टी को लोग तीर्थ के रूप में सम्मान देते हैं। यह भारत की महान परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने ब्रजभूमि के रंगोत्सव पर कहा कि विदेशी आश्चर्यचकित हैं कि भारत में कोई भेदभाव नहीं, सब एक साथ रंगों में सराबोर हैं।

जीबी नगर में माइक्रोसाफ्ट कैंपस की आधारशिला रखने के दौरान यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

‘देश में निवेश के लिए उत्तर प्रदेश बड़ा गंतव्य’

नोएडा, 8 मार्च (भाषा)। यूपी देश में निवेश के लिए सबसे बड़ा गंतव्य है और माइक्रोसफ्ट का आगामी अनुसंधान एवं विकास केंद्र इसका प्रमाण है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को यह बात कही। मुख्यमंत्री ने यहां माइक्रोसाफ्ट के ह्यइंडिया डेवलपमेंट सेंटरह्व (आइडीसी) की आधारशिला रखी। इस अवसर पर आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे बताया गया है कि माइक्रोसाफ्ट का इंडिया डेवलपमेंट सेंटर उनके मुख्यालय के बाहर अनुसंधान और विकास का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा... हैदराबाद के बाद, अब यूपी एक नए परिसर के रूप में माइक्रोसाफ्ट का घर बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आइडीसी नोएडा न केवल एआइ और क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए भारत के तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएगा।

खबर कोना

दो अफसरों पर रिश्वत मांगने का आरोप, कार्रवाई की संस्तुति

सहारनपुर, 8 मार्च (जनसत्ता)।

जनपद सहारनपुर के नकुड़ और देवबंद तहसील से राजस्व और चकबंदी अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने के मामले सामने आए हैं। आरोपियों की डीएम मनीष बंसल द्वारा जांच कराई गई तो दोनों पर आरोप सही पाए गए। नकुड़ के मामले में जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के सर्वे कानून-गो संजय सिंह को एक किसान से रिश्वत मांगने के आरोप सही पाए जाने पर निलंबित कर दिया जबकि देवबंद के सहायक चकबंदी अधिकारी सुरेंद्र गौतम के खिलाफ शासन को कार्रवाई की संस्तुति की गई। जिलाधिकारी मनीष बंसल की कथित भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध सख्ती से जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों पर भय व दहशत का माहौल बन रहा है।

कार्य में लापरवाही बरतने पर निरीक्षक लाइन हाजिर

वाराणसी, 8 मार्च (जनसत्ता)।

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कानून-व्यवस्था और यातायात नियंत्रण में लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अपनाया है। इसी क्रम में भेलूपुर थाने के निरीक्षक विजय नारायण मिश्रा को लाइन हाजिर कर दिया गया। यह कार्रवाई अपराध समीक्षा बैठक के दौरान की गई, जहां पुलिस कमिश्नर ने उन्हें फटकार लगाते हुए तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन में आमद कराने का निर्देश दिया। निरीक्षक विजय नारायण मिश्रा पर महिला अपराधों और यातायात नियंत्रण में शिथिलता बरतने का आरोप था। हाल ही में एक महिला के पर्स चोरी मामले में उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई थी। पुलिस कमिश्नर ने शनिवार को बताया कि चोरी का सीसीटीवी फुटेज प्रसारित होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ गुमशुदगी की रपट दर्ज की थी। इस लापरवाही पर उन्होंने पहले भी उन्हें चेतावनी दी थी।

चौकीदार को बंधक बना बदमाश गन्ना क्रय केंद्रों से कीमती सामान लूट ले गए

मोदीनगर, 8 मार्च (जनसत्ता)।

भोजपुर थाना के अंतर्गत ग्राम फजलगढ़ में मोदी एवं सिंभावली शुगर मिल के गन्ना क्रय केंद्रों पर पहुंचे कैंटर वाहन सवार बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाकर दोनों गन्ना क्रय केंद्रों से कांटे, लोहे की प्लेट सहित अन्य कीमती सामान कैंटर वाहन में भरकर ले गए। घटना से लोगों में अंसतोष है। विरोध स्वरूप किसानों ने हंगामा भी किया। पुलिस ने रपट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भोजपुर थाना के अंतर्गत ग्राम फजलगढ़ में गांव के मुख्य मार्ग पर एक ही स्थान पर अलग-अलग कुछ दूरी पर मोदी तथा सिंभावली शुगर मिल के गन्ना क्रय केंद्र बने हुए हैं। ग्राम फजलगढ़ निवासी पिता-पुत्र जसवीर एवं राजू चौकीदार तैनात हैं। ाया गया है कि जसवीर के कहीं बाहर चले जाने पर राजू ही दोनों गन्ना क्रय केंद्रों पर अकेला ड्यूटी पर तैनात था।

अनूठा आयोजन : लड्डू गोपाल ने बाबा विश्वनाथ को भेजे उपहार

वाराणसी, 8 मार्च (जनसत्ता)।

होली के मद्देनजर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास और श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा के बीच एक ऐतिहासिक पहल की गई। इसके तहत भगवान विश्वनाथ द्वारा श्री कृष्ण जन्मस्थान में विराजमान लड्डू गोपाल के लिए विशेष उपहार भेजा गया। वहीं मथुरा से भगवान लड्डू गोपाल ने श्री काशी विश्वनाथ को भेंट अर्पित की।

बाबा विश्वनाथ के धाम से ठाकुर जी के जन्मस्थान मथुरा भी भेजा गया तोहफा।

इस शुभ कार्य के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण ने श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा के सचिव कपिल शर्मा और गोपेश्वर चतुर्वेदी से चर्चा की थी, जिसे मथुरा के अधिकारियों ने सहर्ष स्वीकार किया।

शनिवार को विधि-विधान से पूजन के बाद मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश कुमार मिश्र, डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण, विशेषकार्याधिकारी उमेश कुमार सिंह, नायब तहसीलदार मिनी एल शेखर सहित अन्य अधिकारियों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में लड्डू गोपाल के लिए विशेष उपहार सामग्री शनिवार को मथुरा के लिए रवाना की गई।

श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा से भगवान विश्वनाथ के लिए अर्पित उपहार भी वाराणसी के लिए भेजे गए। होली के मौके पर इसका उपयोग होगा।

लट्ठमार होली का नजारा देख भाव विभोर हुए श्रद्धालु

मथुरा, 8 मार्च (जनसत्ता)।

‘रंग मत डारे नंदकिशोर हमारी राधा गोरी है।’ जब नंदगांव से नंद नंदन बरसाना होली खेलने आए तो सखियां कहती हैं कि नंदबाबा गोरे, यशोदा मइय्या गोरी और दाऊजी भी गोरे हैं तो तुम कारे कहा ते हो गए। तुम पे तो कोई रंग चढ़ेगो ना हीं। हमारी श्रीराधेजू गोरी है सब रंग दिखेंगे।

आज भी द्वापरयुग की परंपरा बरसाना नंदगांव के बीच निभाई गई। नंदगांव के हुरियारे बरसाना होली खेलने पहुंचे। प्रिया कुंड पर बरसाने के ग्वाल बालों ने उनका ठंडाई पिलाकर स्वागत किया। जहां नंदगांव के छोटे बड़े ग्वाल सब ने लट्ठमार होली खेलने के लिए अपने फेंटा (पाग) सिर पर कसे, बरसाने की ग्वलिनों के लट्ठ झेल सकें। यहां से नंदगांव के हुरियारे सीधे सीढ़ियों से होते हुए रसीली गालियां देते हुए नंदनंदन के नामों के जयकारे करते हुए मंदिर पहुंचे। श्रीराधारानी के दर्शन किए राधारानी के चरणों में गुलाल अर्पित किया और होली खेलने की अनुमति मांगी। वहां बरसाना के ग्वाल बाल पहले से ही टेसू व नाना प्रकार रंग लिए मंदिर में खड़े थे। नंदगांव से आए ग्वालबालों की खुब खातिर की। यहां से टेसू के रंगों से सराबोर हुरियारों ने सीधे गली का रूख किया। मंदिर से नीचे आने के बाद नंदगांव के हुरियारें नीचे गलियों मोहल्लों में इस कदर फैल गए जैसे युद्ध में सैनिक अपने-अपने मोर्चो पर खड़े हो जाते हैं। हौं भी क्यों नहीं यह लट्ठमार होली युद्ध से कम थोरई है। पहले से ही लट्ठ लिए खड़ी बरसाना की ग्वालिनें हुरियारों को देख लट्ठ लिए टुट पड़ीं। होली का वह अद्‌भुत दृश्य साकार हो उठा जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं।

लाठियों और ढाल के अनोखे रंग से गुलजार हुई बरसाना की गलियां

लाठियों और ढाल के अद्‌भुत व अनोखे रंग से बरसाना की गलियां गुलजार हो उठीं। हुरियारिनों ने मस्ती में डूबे हुरियारों पर लाठियां बरसाईं तो मस्ती में डूबे हुरियारों द्वारा ढालों की ओट में खुद को बचाने की लीला जब रंग-रंगीले बरसाना में हुई तो मानो द्वापर युग सजीव हो उठा। लठामार होली की लीला की जीवंतता का आलम ऐसा था कि इसे देखने आंखें लालायित थीं और दिल इस रंग से सराबोर होने को मचल उठते हैं। आनंद का समां ऐसा बंधा कि होली देखने को चंद्र देव व सूर्य देव भी उतावले दिखे। जहां चंद्र देव आने को बेताब तो वहीं सूर्य देव भी कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी अस्त होने की गति ही रोक दी, हुरियारों हुरियारिनों की लठामार अनोखी होली के साक्षी बने।

उत्सव मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली के दौरान हुरियारों पर लाठियां बरसाती हुरियारिन।

ताजमहल में महिला पर्यटकों को मिला निशुल्क प्रवेश

आगरा, 8 मार्च (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ताजमहल और आगरा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा संरक्षित अन्य स्मारकों को देखने आने वाले सभी पर्यटकों- घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश निशुल्क कर दिया गया है।

पुरातत्व विभाग के आगरा क्षेत्र के प्रभारी राज कुमार पटेल ने शनिवार को कहा कि आगरा में ताजमहल सहित आठ स्मारक हैं, जो एएसआई के अधीन हैं, जिनके लिए प्रवेश टिकट की आवश्यकता होती है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी आठ स्मारकों में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश टिकट मुक्त रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों से महिला दिवस पर यह लागू रहता है।

ताजमहल देखने आई पर्यटक लता ने कहा कि यह कदम महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा संदेश है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रवेश निशुल्क कर दिया गया है। अपने परिवार के साथ ताजमहल देखने पहुंची एक अन्य पर्यटक लीना ने कहा कि ताजमहल भारत की शान है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आगरा के ताजमहल में प्रवेश निशुल्क कर दिया गया है और यह एक अच्छा कदम है। ताजमहल एक महिला के लिए बनाया गया था और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर यह बहुत खुशी की बात है।

अनियमितता बरतने के आरोप में दो ग्राम सचिव निलंबित

सहारनपुर, 8 मार्च (जनसत्ता)।

अनियमितता बरतने के आरोप में दो ग्राम सचिवों को निलंबित किया गया है। दोनों सचिवों के खिलाफ वर्ष 2022 में शिकायतें मिली थीं। मामले में तत्कालीन डीएम और सीडीओ ने जांच कराई थी। जांच में आरोप सही पाए गए थे। एक मामला मुजफ्फराबाद के ब्लाक की पंचायत हुसैनपुर नवादा का है। जहां ग्रामीण ने सचिव की शिकायत की थी। जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक शर्मा ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सचिव प्रदीप कुमार और नीलेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

आजादी के वर्षों बाद भी बंद नहीं हुई गोहत्या : अविमुक्तेश्वरानंद

मोदीनगर, 8 मार्च (जनसत्ता)।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा की देश को आजाद हुए 78 साल हो गए मगर आजतक गौ हत्या बंद नहीं हुई। शंकराचार्य शनिवार को अपने अनुयायियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी की पहली लड़ाई गोमाता की रक्षा के लिए ही हुई थी।

उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में भी इतनी गोहत्या नहीं होती थी जितनी बड़ी संख्या में आज हो रही है। इसके विरोध में 17 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में पूरे दिन बैठेंगे। इसके पक्ष में वह माहौल तैयार कर रहे हैं। इस मौके पर पीठाधीश्वर रामानुजाचार्य देवकीनंदन महाराज, यति नरसिंहानंद महाराज, सतेंद्र त्यागी, पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, भीष्म शर्मा, सुनील गुप्ता, दीपक वत्स, राजेंद्र शर्मा, सभासद सूबे सिंह, प्रदीप शर्मा आदि मौजूद रहे।

मऊ के जिला जेल में एचआइवी संक्रमित मिले पांच कैदी

बलिया, 8 मार्च (भाषा)।

यूपी के मऊ जिले के जिला कारागार में स्वास्थ्य जांच में पांच कैदियों के एचआइवी से संक्रमित पाए जाने का मामला सामने आया है। मऊ जिला कारागार के जेलर राजेश कुमार और जिला कारागार के फार्मासिस्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को बताया कि पिछले एक सप्ताह के अंदर जांच में जेल के पांच कैदियों के एचआइवी से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इनके अलावा चार अन्य कैदी भी संदिग्ध हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है।

उन्होंने बताया कि जिला कारागार में पहले से नौ कैदी एचआइवी संक्रमित हैं। इस तरह एचआइवी संक्रमित कैदियों की कुल संख्या 14 हो गई है। उन्होंने बताया कि जिला कारागार की तरफ से एचआइवी संक्रमित कैदियों को विशेष भोजन देने के साथ ही नियमित रूप से दवा मुहैया कराई जाती है। जिला कारागार के फार्मासिस्ट श्रीवास्तव ने बताया कि संक्रमित कैदियों में से कुछ ने बलिया के ददरी मेले में पीठ और हाथ पर टैटू बनवाया था। कुछ कैदी एक ही निडिल बार-बार लेने से संक्रमित हो गए हैं।

सियासत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डाक्टर लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने मांग को किया खारिज

मेरठ का नाम बदलने के सवाल पर भाजपा नेता एकमत नहीं

प्रदीप वत्स
मेरठ, 8 मार्च।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य केंद्र मेरठ का नाम बदलने के सवाल पर भाजपा नेताओं में अलग-अलग राय दिखी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डाक्टर लक्ष्मीकांत बाजपेई ने कहा कि पूरे विश्व में मेरठ की अपनी खास पहचान है। मेरठ का नाम बदलने की माग आधारहीन है। ऐसी किसी भी मांग का समर्थन नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि बीते दिनों अग्रसेन मंदिर के शिलान्यास के दौरान यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के सामने भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल ने मेरठ का नाम बदलकर अग्रसेन नगर करने की मांग की थी। इस दौरान वहां मौजूद बाजपेयी ने स्पष्ट कहा कि मेरठ का नाम नहीं बदलेगा।

दरअसल, विनीत अग्रवाल के बयान के बाद चर्चा छिड़ गई थी शायद मेरठ का नाम भी बदलने वाला है। लेकिन जब इस मुद्दे पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद डाक्टर लक्ष्मीकांत बाजपेयी से बात की तो उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांतिधरा सारे संसार में मेरठ के नाम से जानी जाती है। नाम बदलकर इस शहर की ख्याति को खत्म करने का सुझाव ठीक नहीं है। मैं ऐसी किसी भी मांग का समर्थन नहीं कर सकता।

त्रिभाषा विवाद पर बाजपेयी ने कहा कि जब किसी भी राज्य में वहां के युवा अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ें तो फिर समस्या कहां है। इस प्रकार के सवाल ओछी राजनीति है। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान पर कहा कि औरंगजेब का नाम जिन लोगों ने लेना शुरू किया है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, उनके पास कोई विचार नहीं है।

उधर, नाम बदलने के मुद्दे पर विनीत अग्रवाल शारदा ने फिर दोहराया कि मेरठ बहुत अधिक राजस्व देने वाला राज्य है, यहां बड़ी संख्या में वैश्य समाज रहता है। उन्होंने कहा कि वह अभी भी अपनी मांग पर अडिग हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी मांग रखेंगे।

उत्तर प्रदेश में बदले जा चुके हैं कई शहरों व जनपदों के नाम

योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में कई शहरों के नाम बदल चुकी है। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुगलिया नामों को बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री योगी ने फैजाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इन दोनों शहरों को उनकी असल सनातनी पहचान के आधार पर नया नाम दिया था। इसके बाद से ही पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक शहरों के नाम बदलने की मांग लगातार हो रही है। अब अलीगढ़ को हरिगढ़, संभल को कल्कि नगर, बदायूं को वेद मऊ, फिरोजाबाद को चंद्रनगर, आजमगढ़ को आर्यमगढ़, गाजीपुर को गढ़ीपुरी व मुजफ्फरनगर को लक्ष्मीनगर करने की मांग उठ रही है।

पति की मौत से परेशान महिला ने की आत्महत्या

हापुड़, 8 मार्च (जनसत्ता)।

सड़क दुर्घटना में पति की मौत से परेशान 35 वर्षीय महिला ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सर्वोदय नगर में सूचना के बाद पुलिस आई। स्वजनों के अवसाद से घिरी आरती का पोस्टमार्टम नहीं कराने के लिए पुलिस से आग्रह किया।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि आरती के पति राहुल की 26 दिसंबर 2024 को एक कार से कुचलकर मौत हो गई थी। पति वियोग के कारण महिला मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। वो सुसराल में सास-ससुर के पास रहने लगी। आरती रोज पति राहुल के पास जाने की बात दोहराती थी इसलिए परिजन उसे अपने पास ही रखते थे रात्रि में सभी स्वजनों के सोते समय आरती ने चुन्नी से फंदा लगाकर जान दे दी।

विवाद बढ़ने के बाद अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय प्रशासन ने दी अनुमति

सभागार में होली खेल सकते हैं विद्यार्थी

अलीगढ़, 8 मार्च (भाषा)।

एएमयू के एनआरएससी सभागार के प्रभारी प्रोफेसर बृज भूषण सिंह ने शुक्रवार की देर रात बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बात की अनुमति देने फैसला किया है कि एएमयू का कोई भी विद्यार्थी 13 और 14 मार्च को एनआरएससी सभागार में रंग और गुलाल से होली खेल सकता है।

अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय (एएमयू) ने फैसला किया है कि विद्यार्थी 'नान रेजिडेंट स्टूडेंट्स सेंटर' (एनआरएससी) सभागार में स्वतंत्र रूप से होली खेल सकते हैं।

एएमयू के एनआरएससी सभागार के प्रभारी प्रोफेसर बृज भूषण सिंह ने शुक्रवार की देर रात बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बात की अनुमति देने फैसला किया है कि एएमयू का कोई भी विद्यार्थी 13 और 14 मार्च को एनआरएससी सभागार में रंग और गुलाल से होली खेल सकता है। उन्होंने कहा कि नौ मार्च को एएमयू बोर्ड की परीक्षा है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई विद्यार्थी यहां आकर होली खेले तो यह उचित नहीं होगा। परिसर में 10, 11 और 12 मार्च को कार्य दिवस हैं तथा विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं होंगी इसलिए कार्य दिवस पर होली खेलना उचित नहीं होगा। ऐसे में 13 और 14 मार्च को छुट्टियां हैं उन दिन होली खेली जा सकती है। एएमयू की वेबसाइट के अनुसार एनआरएससी गैर-निवासी विद्यार्थियों के लिए एक केंद्र है जो विश्वविद्यालय में स्नातक से पीएचडी तक की पढ़ाई कर रहे हैं।

दरअसल, अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम ने शुक्रवार को एएमयू में होली मनाने संबंधी विवाद को यह कह कर और बढ़ा दिया था कि कोई भी किसी को एएमयू परिसर में होली मनाने से नहीं रोक सकता। गौतम ने हिंदू विद्यार्थियों को अपना समर्थन देते हुए कहा था कि अगर किसी हिंदू विद्यार्थी को परिसर के अंदर होली मनाने में कोई परेशानी होती है तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं।

विवाद तब शुरू हुआ जब दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के सदस्यों ने एएमयू प्रशासन पर हिंदू विद्यार्थियों को परिसर में होली मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति न देने का आरोप लगाया। गौतम ने कहा कि किसी भी जगह होली खेलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वहीं स्थानीय कांग्रेस नेता और अलीगढ़ के पूर्व विधायक विवेक बंसल ने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए एएमयू में होली के उत्सव को लेकर जानबूझकर विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।

खबर कोना

रोडवेज की 11 दिवसीय विशेष होली प्रोत्साहन योजना शुरू

हापुड़, 8 मार्च (जनसत्ता)।

होली पर्व के मद्देनजर उत्तर-प्रदेश परिवहन निगम ने यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए रोडवेज मुख्यालय लखनऊ ने चालक व परिचालक को जाग्रत करने को होली प्रोत्साहन योजना चलाई है। शनिवार 8 मार्च से 18 मार्च तक लागू योजना में चालक परिचालक को वेतन के अतिरिक्त इनामी धनराशि दी जाएगी। लगातार 11 दिन ड्यूटी करने वालों को 4400 रुपए इनामी राशि मिलेगी। योजना का लाभ संपूर्ण प्रदेश में रोडवेज डिपो में कार्यरत नियमित व संविदा चालक व परिचालकों को प्रदान किया जाएगा। हापुड़ डिपो के एआरएम रणजीत सिंह ने बताया कि लखनऊ, दिल्ली, बरेली, आगरा, मुजफ्फरनगर नोएडा आदि रूटों पर 132 अनुबंधित व निगम बसों का संचालन प्रतिदिन होता है। पर्व मनाने को अन्य राज्यों तथा जिलों में नौकरी व्यवसाय करने वाले लोग घरों को लौटना शुरू कर देते हैं।

बंद पड़े मकान में सट्टेबाजी के अड्डे पर छापा, बाइस आरोपी गिरफ्तार

बरेली, 8 मार्च (जनसत्ता)।

थाना बारादरी की पुलिस ने सट्टेबाजी के एक अड्डे पर छापामारी करके 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक धनंजय कुमार पांडेय ने बताया कि मौके से पुलिस ने 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, 97 सट्टा पर्चियां, पांच मोटरसाइकिल और दूसरे सामान बरामद किए हैं। गिरोह का सरगना मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि कालीबाड़ी की एक सकरी गली मे बंद पड़े मकान में बड़े पैमाने पर सट्टे का अवैध कारोबार चल रहा है। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ सट्टेबाजी के गुप्त अड्डे पर शुक्रवार की देर रात अचानक छापा मारकर 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि जिस मकान में सट्टा चल रहा था, उसे लक्ष्मीनारायण उर्फ गुन्ना और विजय उर्फ कुप्पी ने किराए पर ले रखा है।

दिशा समिति की बैठक के दौरान तू-तू-मैं-मैं पर उतरे पक्ष-विपक्ष के नेता

चंदौली, 8 मार्च (जनसत्ता)।

जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद विरेंद्र सिंह तथा सभी विधायक एवं अधिकारी मौजूद थे। बैठक शुरू होते ही राबर्ट्सगंज सांसद छोटेलाल खरवार ने लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। जो सैय्यदराजा से भाजपा विधायक सुशील सिंह को नागवार गुजरा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने किसी तरह बीच-बचाव कर दोनों को शांत कराया। इसके बाद मुगलसराय से भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने सकलडीहा से सपा विधायक प्रभु नारायण यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अपनी सीमा से बाहर जाकर मुगलसराय में सड़क चौड़ीकरण के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। वहीं, बिना किसी प्रमाण के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इस पर सपा विधायक ने रमेश जायसवाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो। इस पर भाजपा विधायक भड़क गए और सपा विधायक को मर्यादा में रहकर बात करने की नसीहत दी। इस तू-तू मैं-मैं में सैय्यदराजा विधायक सुशील सिंह भी शामिल हो गए। इसके बाद माहौल और गरम हो गया और सत्तापक्ष के जनप्रतिनिधि विधायक से माफी मांगने की मांग करने लगे और बैठक छोड़कर बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद विधायक वापस आ गए।

खेत पर काम करने गए युवक की गोली मार कर हत्या

मथुरा, 8 मार्च (जनसत्ता)।

रनवारी में तीन सगे भाइयों ने एक खेत पर काम कर रहे एक युवक की दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी। हमलावरों युवक के सिर व सीने में तीन गोलियां दागीं। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान भरत पाल उर्फ पप्पू के रूप में हुई है।

हत्या करने के बाद तीन आरोपियों में से एक भाई ने खुद थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। शनिवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे दिनदहाड़े हुई इस हत्या की वारदात का कारण अभी सामने नहीं आया है। मृतक युवक के परिजन भी कारण नहीं बता रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि रंजिश में यह हत्या की गई है। मृतक युवक के परिवार में शादी-विवाह का कार्यक्रम है। बड़ा भाई कल्लू पहलवान घर पर शादी का काम निपटा रहा था। भरत पाल उर्फ पप्पू पुत्र हरिराम (32) खेत पर काम करने गया था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

छाता थाना प्रभारी गोविंद बाबू मिश्रा ने बताया मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश को लेकर हत्या होने की बात सामने आ रही है। मृतक युवक की दो बेटी और एक बेटा है।

मृतक के भाई कल्लू पहलवान ने बताया कि भाई खेत पर सिंचाई का पानी देखने आया था। वह घर पर थे और काम निपटा रहे थे। गांव के ही रहने वाले कुमार पाल, शेरो, ईश्वर ने भरतपाल को गोली मार दी।

जोधपुर हावड़ा ट्रेन लेकर पहुंची महिला पायलट

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर रेलवे अधिकारियों ने किया सम्मानित

इटावा , 8 मार्च (जनसत्ता)।

इटावा रेलवे स्टेशन जंक्शन पर रेलवे के स्टाफ और स्टेशन मास्टर ने जोधपुर हावड़ा ट्रेन की महिला पायलट को माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। महिला दिवस पर जोधपुर हावड़ा ट्रेन में अधिकतर महिला कर्मचारी मौजूद रहीं। आरपीएफ का स्टाफ भी महिलाओं का रहा है।

इटावा में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर इटावा रेलवे स्टेशन पर जोधपुर हावड़ा ट्रेन पहुंची। इस महिला दिवस पर ट्रेन को महिला पायलट ने चलाया है।

इटावा रेलवे स्टेशन जंक्शन पर रेलवे के स्टाफ और स्टेशन मास्टर ने जोधपुर हावड़ा ट्रेन की महिला पायलट को माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया।

महिला दिवस पर जोधपुर हावड़ा ट्रेन में अधिकतर महिला कर्मचारी मौजूद रहीं। आरपीएफ का स्टाफ भी महिलाओं का रहा है। इटावा रेलवे स्टेशन अधीक्षक पीएम मीणा ने शनिवार को बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रेलवे की ओर से चलाई गई ट्रेन का संचालन महिला रेलवे कर्मियों की ओर से किया जाना महिला हितों के दृष्टिगत सबसे बेहतर कदम है।जोधपुर हावड़ा ट्रेन को लोको पायलट के रूप में संचालित कर रही पूजा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ट्रेन को संचालित करने का मौका मिला है जिसका अनुभव बेहद सुखद रहा है। रेलवे सुरक्षा बल में तैनात महिला सिपाही पुष्पा देवी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रेल विभाग की ओर से 50 की संख्या में महिलाओं को प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया है। इससे महिलाओं को बल मिलेगा। महिला टीसी अर्चना चतुर्वेदी ने बताया कि रेल प्रशासन की ओर से महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित कर रेलवे ने महत्वपूर्ण कार्य किया है।

प्रयास

प्रयागराज में शनिवार को गर्मी से बचने के लिए दुपट्टे से खुद को ढंकती युवतियां।

बहराइच में युवती का सिर कटा शव मिला, फैली सनसनी

बहराइच, 8 मार्च (जनसत्ता)।

जनपद बहराइच के थाना नानपारा स्थित एक गांव में नहर के समीप एक युवती का सिर कटा शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शनिवार की सुबह ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच की। शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने में जुट गई है।

जिले के नानपारा कोतवाली के गांव जगन्नाथपुर नहर के समीप दूसरी तरफ खाली पड़ी जमीन पर पड़ा था। शव के मिलने की सूचना से वहां ग्रामीणों भीड़ इकट्ठा हो गई। उसी में से किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ग्रामीणों के मुताबिक युवती का शव एक दिन पुराना लग रहा है। सिर गायब है। ऐसे में माना जा रहा है कि उसकी गला रेत कर हत्या की गई है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी प्रदुम्न सिंह ने बताया कि युवती की उम्र 20 से 25 वर्ष के आसपास लग रही है। उन्होंने बताया कि युवती की पहचान और घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम लगाई गई है।

'सपा अपने वोट बैंक को साधने के लिए कर रही सनातन का विरोध'

बरेली, 8 मार्च (जनसत्ता)।

प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने आरोप लगाया कि सपा शुरू से ही अपने संप्रदाय विशेष के वोट बैंक को साधने के लिए सनातन धर्म और इसकी परंपराओं का विरोध करती रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी और राज्य में योगी सरकार के आने के बाद सनातन धर्म के मानने वालों में उत्साह बढ़ने के साथ ही एकता भी कायम हुई है। इससे बौखलाए सपा नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे है। नंदी ने कहा कि प्रयागराज में हुआ महाकुंभ सनातन एकता का प्रतीक है, जहां 67 करोड़ लोगों ने मेले में आकर संगम में डुबकी लगाई।

कप्तानगंज चीनी मिल की नीलामी पर हाई कोर्ट की रोक

कुशीनगर, 8 मार्च (जनसत्ता)।

अगले सत्र में चीनी मिल चलाने के लिए मरम्मत कराने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर तहसील प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया के तहत चीनी मिल का ताला शुक्रवार खोल दिया। अब किसानों को चीनी मिल चलने की उम्मीद है।

किसानों के गन्ना मूल्य बकाया के बाद चीनी मिल को तहसील प्रशासन ने सील कर दिया था और नीलामी की तैयारी चल रही थी। भुगतान का दावा करने पर हाईकोर्ट के नीलामी के आदेश पर रोक लगाई। इससे किसानों में मिल चलने की आस जगी है।

अगले सत्र में चीनी मिल चलाने के लिए मरम्मत कराने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर तहसील प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया के तहत चीनी मिल का ताला शुक्रवार खोल दिया। अब किसानों को चीनी मिल चलने की उम्मीद है। कप्तानगंज चीनी मिल पर पेराई सत्र 2021-22 का किसानों का करोड़ों रुपए मूल्य के गन्ने का बकाया भुगतान नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। मामला बढ़ता देख तहसील प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए जुलाई वर्ष 2023 में चीनी मिल को सील कर दिया और मिल प्रबंधन को नोटिस जारी कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी ताकि इसे बेचकर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किया जा सके।

एसडीएम विकास चंद ने बताया कि चीनी मिल प्रबंधन किसानों का अप्रैल तक बकाया भुगतान कर देगा। हाई कोर्ट में लिखित तौर पर यह कहा गया है। अगले पेराई सत्र के लिए चीनी मिल में लगे उपकरणों की मरम्मत के लिए ताला खोला गया है।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

मैं दुर्गा वती देवी पत्नी दिलीप यादव निवासी ग्राम व पोस्ट-पुरैना थाना-विशेष्वरगंज तहसील व जनपद-बहराइच उ०प्र० सशपथ बयान करती हूं कि मेरा सही नाम दुर्गा वती देवी है जबकी मेरे पुत्र नंबर-4204288 एल लांस नायक शैलेन्द्र कुमार यादव के सैनिक अभिलेखों में मेरा नाम भूलवश दुर्गावती दर्ज हो गया है। अतः मेरे पुत्र के सैनिक अभिलेखों में मेरा सही नाम दुर्गा वती देवी दर्ज किया जाए।

मै, केशपती देवी पत्नी शिवप्रसाद शर्मा निवासी-ग्राम पूरे राघव पंडित पोस्ट-अचलपुर, तहसील-गौरीगंज, जिला-अमेठी, मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम केशवपती व जन्मतिथि 11.07.1948 अंकित हो गयी है जोकि गलत है मेरा सही नाम केशपती देवी व जन्मतिथि 01.07.1947 है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाये।

सर्वविदित हो कि कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम रमेश लाल धुरिया अंकित है परन्तु अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम रमेश लाल अंकित है। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम हैं। भविष्य में मुझे रमेश लाल के नाम से जाना पहचाना जाये-रमेश लाल पुत्र स्व. बुद्धू लाल नि. - 645ए/264डी, जानकी बिहार कॉलोनी, जानकीपुरम, लखनऊ

NAME CHANGE I,Jahrul Nisha, M/o- NO-4580083H, Rank-Lhav, Name- Naushad Ahmad,R/o Vill-Kamapur, Po-haswa, Teh-Tiloi, Dist-Amethi, UP,? Pin-229309, My Name Jahrul Nisha,Which is written in my Aadhar Card(620677611200), & My Son Service Record My Name Written as Jahaul Nisha,?Change My Name JAHAUL NISHA to JAHRUL NISHA, in my son service record, 0130050006-1

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Indian Overseas Bank (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

ई-नीलामी सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय-लखनऊ | केन्द्रीय कार्यालय-चेन्नई

ई-नीलामी-अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

ई-नीलामी का दिनांक व समय-दिनांक 28.03.2025, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक, (बिक्री सम्पन्न होने तक प्रत्येक 10 मिनट का स्वतः विस्तार)

ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि-दिनांक 27.03.2025 दोपहर 01:00 बजे तक

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्ति का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, सपठित नियम 8(6) के प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) के प्रावधानों के आधार पर अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत बैंक बंधक अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी

यह सूचना आम तौर पर जनता के लिए और विशेष रूप से ऋणी(ओं), बंधककर्ता(ओं), जमानतकर्ता(ओं), निदेशकों व कानूनी उत्तराधिकारियों को दी जाती है, कि निम्न वर्णित अचल सम्पत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/भारित है, प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक (सुरक्षित लेनदार) द्वारा सम्पत्ति का सांकेतिक/भौतिक कब्जा लिया जा चुका है, के द्वारा "जहाँ है जैसा है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है", के आधार पर उपरोक्त लिखित दिनांक को ऋणी (ओं), बंधककर्ता(ओं), जमानतकर्ता(ओं), निदेशकों व कानूनी उत्तराधिकारियों की सम्पत्ति की बिक्री कर उल्लिखित बकाया धनराशि व भविष्य के ब्याज एवं अन्य खर्चे जो कि इण्डियन ओवरसीज बैंक (सुरक्षित लेनदार) को वसूल करना है। आरक्षित मूल्य व ईएमडी धनराशि निम्नलिखित है। ई-नीलामी वेब पोर्टल https://baanknet.com के प्लेटफार्म पर सम्पन्न होगी।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ताओं/बंधककर्ताओं/का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण/कब्जे का प्रकार	बकाया धनराशि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
शाखा-राजाजीपुरम, सी-6/4242/1 निकट एचपी पेट्रोल पंप, टेंपो स्टैंड राजाजीपुरम के पास, लखनऊ-226017 फोन नं. 0522-2412898/2418460, ई-मेल: iob1783@iob.in				
1.	(1) मेसर्स यू.एस. मोटर्स (ऋणी) (प्रोप.-श्री सचिन झा), पता-प्लॉट सं. 44, खसरा सं. 241 (एम) आलम नगर रोड राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017 (2) श्री सचिन झा (बंधककर्ता/ प्रोपराईटर) पुत्र स्व. श्यम्बर झा, पता-सी-507/सी ब्लॉक, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016	भवन निर्मित प्लॉट सं. 44, खसरा सं. 241 (मिनजुमला) स्थित कोंडार, वार्ड- सआदतगंज, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ, क्षेत्रफल-2720 वर्ग फीट, स्वामित्व-श्री सचिन झा पुत्र स्व. श्यम्बर झा, चौहद्दी-: पूर्व: सरकारी मोहान रोड, पश्चिम: प्लॉट सं. 45 पर श्री चंद्रवंशी का मकान, उत्तर: 20 फीट चौड़ी सड़क/मार्ग, दक्षिण: प्लॉट सं. 43 पर श्री सलीम का मकान, (कब्जे का प्रकार-सांकेतिक)	रू. 2,14,01,524.91 दिनांक 28.02.2025 तक + भविष्य की लागत ब्याज संविदात्मक दर पर एवं अन्य खर्चे	रू. 2,08,55,000/- रू. 20,85,500/- रू. 50,000/-

खाता विवरण-इण्डियन ओवरसीज बैंक, खाता का नाम-Sarfaesi Sale Parking Account, खाता सं.: 17830113035001, IFSC Code: IOBA0001783

*Bank's dues have priority over the Statutory dues.

नियम व शर्तों के अधिक जानकारी के लिए कृपया सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://baanknet.com अथवा बैंक की वेबसाइट http://www.iob.in का अवलोकन करें।

उपरोक्त सम्पत्ति निरीक्षण अथवा सम्पत्ति मे भाग लेने के लिए अथवा रूचि लेने वाले खरीददार कृपया उल्लिखित सम्बंधित शाखा प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

दिनांक: 07.03.2025 स्थान: लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

तैयारी महाकुंभ से पहले पूरा हो चुका है बड़े हनुमान मंदिर के गलियारे का पहला चरण

होली के बाद शुरू होगा गर्भगृह का काम

प्रयागराज, 8 मार्च (एजंसी)।

संगम क्षेत्र में स्थित बड़े हनुमान मंदिर के भव्य गलियारे का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके पहले चरण का निर्माण महाकुंभ के पहले पूरा हो चुका है, लेकिन स्नान पर्वों को देखते हुए दूसरे चरण का कार्य बाद में करने का निर्णय लिया गया था। यह होली बाद शुरू हो जाएगा। इसके तहत मंदिर के गर्भगृह और विशाल मंडप का निर्माण होगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ये कार्य अगले दो से तीन महीने में पूरा कराएगा।संगम क्षेत्र में स्थित बड़े हनुमान मंदिर, प्रयागराज के प्रसिद्ध मंदिरों में एक है।

सनातन आस्था के महापर्व के आयोजन के चलते पूरे शहर के सौंदर्यीकरण, मंदिरों के जीर्णोद्धार और गंगा नदी पर घाटों का निर्माण किया गया है। संगम क्षेत्र में स्थित बड़े हनुमान मंदिर के भव्य गलियारे का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके पहले चरण का निर्माण महाकुंभ के पहले पूरा हो चुका है, लेकिन स्नान पर्वों को देखते हुए दूसरे चरण का कार्य बाद में करने का निर्णय लिया गया था।

यह होली बाद शुरू हो जाएगा। इसके तहत मंदिर के गर्भगृह और विशाल मंडप का निर्माण होगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ये कार्य अगले दो से तीन महीने में पूरा कराएगा।संगम क्षेत्र में स्थित बड़े हनुमान मंदिर, प्रयागराज के प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। महाकुंभ के दौरान मंदिर में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। मंदिर के पुजारी सूरज पांडेय ने बताया कि मेले के दौरान प्रत्येक दिन मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन का क्रम चलता रहता था। वर्तमान में सामान्य दिन में भी 5 से 10 हजार श्रद्धालु हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, मंगलवार और शनिवार को दर्शन-पूजन करने वालों की संख्या और ज्यादा हो जाती है।

मंदिर के पुजारी के अनुसार महाकुंभ मेले के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, समेत कई गणमान्य अतिथियों ने भी हनुमान जी का दर्शन व पूजन किया था। उधर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा ने बताया कि बड़े हनुमान मंदिर के कोरिडोर की विशालता और स्नान पर्वों के चलते कोरिडोर का निर्माण 2 फेज में करने का निर्णय लिया गया था।

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE
कॉर्पोरेट कार्यालय: नंबर 167-169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई - 600015
शाखा कार्यालय: कार्यालय संख्या- द्वितीय तल, एससीओ-19, सेक्टर - 26, सरस्वती विहार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चक्करपुर, (एम.जी. रोड मेट्रो स्टेशन के पास) गुड़गांव हरियाणा - 122001
ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com
आरएलएम – हर्ष ठिहारिया – मोबाइल नंबर -8826934787 ● आरआरएम – सुनील वर्मा – मोबाइल नंबर - 8397972200
सीएलएम – मुकुल शर्मा – मोबाइल नंबर 8285415168 ● सीएलएम – हिमांशु सिंह – मोबाइल नंबर 9958443500

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत सूचना

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से नीचे उल्लिखित कर्जदारों/गारंटरों द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में, जो नीचे उल्लिखित तिथियों पर बकाया राशि सहित एनपीए बन गए हैं। हमने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित विस्तृत मांग नोटिस पहले ही पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा आपको बकाया देयता की याद दिलाने के लिए जारी कर दिया है, जिसे बिना डिलीवर किए वापस कर दिया गया है/पावती प्राप्त नहीं हुई है। हमने 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने की आपको शर्त के मामले में अनुसार धारा 13(4) के अनुसार आप में से किसी एक के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों पर कब्जा करने के अपने इरादे का संकेत दिया है। ऊपर बताए अनुसार आपको दायित्व का निर्वहन नहीं करने की स्थिति में, बैंक/प्रतिभूत लेनदार सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है और कब्जे की सूचना/नीलामी सूचना, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा विधि से आवश्यकतानुसार प्रकाशित करते समय सरफैसी अधिनियम के तहत, बैंक/प्रतिभूत ऋणदाता आपकी तस्वीर भी प्रकाशित कर सकता है। विवरण यहां दिया गया है–

क्र. सं.	कर्जदारों/सह-कर्जदारों/गारंटरों का नाम तथा एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण
1.	**श्री पवन कुमार वडालिया, श्रीमती निशा रानी (सह-कर्जदार) पत्नी पवन कुमार, दोनों** अपार्टमेंट नंबर के-601, ब्लॉक/टॉवर-K में 6वीं मंजिल पर रोजेलिया, सेक्टर 95ए, रायल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास, गांव वजीरपुर, तहसील हरसरू और जिला गुड़गांव, हरियाणा-122505 **खाता संख्या** DL/OKH/OKHL/A000000552 ऋण खातों को 05-07-2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	15-01-2025 रु. 2875029/- 11-01-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	यूनिट नंबर के-601, ब्लॉक/टॉवर-के में 6वीं मंजिल पर, 569.243 वर्ग फीट का कारपेट एरिया और 101.978 वर्ग फीट का बालकनी एरिया, फ्लोर नंबर -6 पर, साथ में टू व्हीलर पार्किंग। द रोसेलिया के नाम से जानी जाने वाली अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी में स्थित, सेक्टर 95ए, गाँव वजीरपुर, तहसील हरसारू और जिला गुड़गांव, हरियाणा **सीमाएं:** पूर्वः फ्लैट नंबर 602, पश्चिमः फ्लैट नंबर 603, उत्तरः खुला क्षेत्र, दक्षिणः फ्लैट एंट्री
2.	**श्री नवीन नवीन,** मकान नंबर 827 रेथोज 169 गुड़गांव हरियाणा - 122102, **श्रीमती सुलेंद्री पत्नी सुमनपाल,** दुर्गा मंदिर के पास सोधा मोहल्ला नाथूपुर, गुड़गांव, हरियाणा- 122002 **खाता संख्या** DL/BDP/BDRP/A000001104 ऋण खातों को 05-11-2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	15-01-2025 रु. 3047065/- 11-01-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	खेवट/खाता संख्या 253/265, ता 273 एम. संख्या 34 किला संख्या 10(7-11), 11(8-0), 12(8-0), 19(8-0), 20(8-0), एम. संख्या 50 किला संख्या 3(8-0), एम. संख्या 50 किला संख्या 4/2(0-4), एम. संख्या 41 किला संख्या 9/2(0-6), एम. संख्या 35 किला संख्या 14(8-0), एम. संख्या 41 किला संख्या 7(8-0), 8(8-0), 9/1(1-14), 12(8-0), 13(8-0), खसरा संख्या 82 रकबा (1-8), खसरा संख्या 81 रकबा (1-11) एम. नं. 41 किला नं. 14(8-0), एम. नं. 35 किला नं. 8(8-0), 9(8-0), 13(8-0), किता 20 रकबा 124 कनाल 14 मरला आराजी का हिस्सा 40/2494 बाकदर रकबा 2 कनाल 0 मरला यानि 1210 वर्ग गज, वाका मोजा गांव रिठौज तहसील सोहना और जिला गुड़गांव, हरियाणा **सीमाएं:** पूर्वः करमचंद पुत्र कनैहिया, पश्चिमः रास्ता आम 20 फीट चौड़ा, उत्तरः अन्य की संपत्ति, दक्षिणः अन्य की संपत्ति।
3.	**श्री संदीप पुत्र चत्तर सिंह, श्रीमती अंजू पत्नी संदीप, चत्तर सिंह पुत्र पार्थी सिंह, सभी पतेः** मकान नंबर 448/5 हरि नगर, डॉ बलराज लाइन पार, बहादुरगढ़ झज्जर, हरियाणा-124507 **खाता संख्या** HN/RTK/BHGH/A000000007 ऋण खातों को 05-11-2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	18-01-2025 रु. 2838386/- 11-01-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	संपत्ति/मकान/प्लॉट आराजी खेवट नं. 325/319 खाता नं. 426 मस्ट नं. 28/21/1 2-6 20/2 2-18 रकबा 133 वर्ग गज, वाका मोजा रेलवे लाइन पार जौहरी नगर नगर पालिका के भीतर, बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा
4.	**श्री अशोक कुमार (कर्जदार) पुत्र दीवान सिंह, श्रीमती निशा (सह-कर्जदार) पत्नी अशोक कुमार, दोनों पतेः** बसलांभी 130 फर्रुखनगर गुड़गांव हरियाणा-122503 **खाता संख्या** DL/BDP/BDRP/A000000486, CO/CPC/CPOF/A000002191 ऋण खातों को 05-11-2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	18-01-2025 रु. 2382401/- 11-01-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	क्षेत्रफल 6 मरला 5 सरसई (लगभग 201.66 वर्ग गज) की एक संपत्ति/घर/प्लॉट, खेवट/खाता नंबर 460/495, खसरा नंबर 544(0-3), किता 1 रकबा 0 कनाल 3 मरला शेयर 13/27, यानी रकबा 0 कनाल 1 मरला 4 सरसई, सम्मिलित। खेवट/खाता नंबर 461/496, मुस्तकिल नंबर 39, किल्ला नंबर 20/2(3-7), कित्ता 1 रकबा 3 कनाल 7 मरला हिस्सा 46/603, यानी रकबा 0 कनाल 5 मरला 1 सरसई, कुल रकबा 0 कनाल 6 मरला 5 सरसाई, कुल भूमि 201.66 वर्ग गज, वाका सिवाना मोजा ढाणी प्रेम नगर, कसान, तहसील मानेसर, जिला गुरूग्राम हरियाणा **सीमाएँ:** पूर्वः हेतराम पुत्र तुलाराम, पश्चिमः सड़क 16 फीट चौड़ी, उत्तरः राजेश पुत्र चरण सिंह, दक्षिणः चरण सिंह पुत्र गिरधारी लाल
5.	**श्री सुखबीर रिछपाल, श्रीमती कविता वेदराम (सह-कर्जदार) सुखबीर की पत्नी, दोनों पताः** भेरमपुर, वजीराबाद, गुड़गांव, हरियाणा-122101 **खाता संख्या** HR/NCH/GURH/A000001261, CO/CPC/CPOF/A000004099 ऋण खातों को 05-11-2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	24-01-2025 रु. 2333406/- 24-01-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	एक संपत्ति/मकान/प्लॉट खेवट नंबर 39/5, खाता नंबर 79/12, मुस्तकिल नंबर 20 किला नंबर 22/2/1(1-12) और मुस्तकिल नंबर 30, किला नंबर 2/1(0- 4), किता 2, रकबा 1 कनाल 16 मरला हिस्सा 1/4 बकदर रकबा 0 कनाल 9 मरला यानि 272 वर्ग गज, वाका मोजा बेहरामपुर तहसील वजीराबाद जिला गुरुग्राम हरियाणा **सीमाएँ:** पूर्वः बलवीर का घर, पश्चिमः ईश्वर का घर, उत्तरः सड़क 20 फीट, दक्षिणः अन्य प्लॉट
6.	**श्री जितेन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह, श्रीमती अर्चना जितेन्द्र, दोनों पताः** मकान संख्या 203/2, भरमा कुआं, खांडसा, तारा पट्टी के पास, गुड़गांव, हरियाणा-122004 खाता संख्या GR/KAP/KUNJ/A000000572 ऋण खातों को 05-11-2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	18-01-2025 रु. 1882545/- 11-01-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	एक संपत्ति/घर/प्लॉट संख्या 203/2, क्षेत्रफल 55 वर्ग गज, 17.6 फीट x 28.4 फीट, लाल डोरा में शामिल, लाल डोरा के अंदर आबादी में स्थित, वाका सिवाना मोजा खांडसा, तहसील और जिला गुरुग्राम हरियाणा **सीमाएँ:** पूर्वः महेंद्र सिंह का घर, पश्चिमः रास्ता आम, उत्तरः श्री राजेंद्र का घर, दक्षिणः भूप सिंह का घर।
7.	**श्री आशीष पुत्र सुनील, श्रीमती इंद्रा पत्नी सुनील, दोनों पताः** मकान नं. 32, गांव खोर पटौदी, गुड़गांव हरियाणा-122414 **खाता संख्या** GR/KAP/KUNJ/A000000599 ऋण खातों को 05-11-2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	18-01-2025 रु. 1876835/- 11-01-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	एक संपत्ति/घर/प्लॉट, क्षेत्रफल 1 कनाल 15 मरला (लगभग 1055 वर्ग गज), खेवट/खाता संख्या 1400/1426, मुस्तकिल/किल्ला संख्या 112//15(4-11), 16(8-0), 24(8-0), 25(8-0), कित्ता 4 रकबा 28 कनाल में सम्मिलित, 11 मरला भाग 1/20 यानी रकबा 1 कनाल 8 मरला 5 सरसई और खेवट/खाता नंबर 1401/1427, मुस्तकिल/किल्ला नंबर 112/17, (2-3), कित्ता 1 रकबा 2 कनाल 3 मरला हिस्सा 1/20 यानी रकबा 2 मरला 1 सरसई और खेवट/खाता नंबर 1404/1430, मुस्तकिल/किल्ला नं 124//5/1 (5-7), किता 1 रकबा 5 कनाल 7 मरला हिस्सा 121/14420 यानि रकबा 8 सरसई और खेवट/खाता नं 1482/1511, मुस्तकिल/किला नं 90//27(2-2), किता 1 रकबा 2 कनाल 2 मरला हिस्सा 13/160 यानि रकबा 3 मरला 4 सरसई। कुल रकबा 1 कनाल 15 मरला। वाका मोजा खोड़, तहसील पटौदी, जिला गुरुग्राम हरियाणा **सीमाएँ:** पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः अन्य की संपत्ति, उत्तरः संपत्ति का हिस्सा, दक्षिणः रास्ता
8.	**श्री गुलशन कुमार (कर्जदार) पुत्र किशन चंद, श्रीमती सीमा रानी पत्नी गुलशन कुमार (सह-कर्जदार), दोनों पताः** मकान नं. 386/16 (पुराना), 759/17 (नया), नई बस्ती, पुराना रेलवे रोड, शिव मंदिर, गुड़गांव हरियाणा-122001 खाता संख्या HR/NCH/GURH/A000000117 ऋण खातों को 05-11-2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	23-01-2025 रु. 1060906/- 23-01-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	संपत्ति/मकान/प्लॉट नं. 386/16(पुराना), 759/17(नया), एम.सी. नं.-666 रकबा 54 वर्ग गज, कवर्ड एरिया 416 वर्ग फुट, वाका सिवाना मोजा नई बस्ती तहसील और जिला गुड़गांव हरियाणा। **सीमाएं:** पूर्वः रास्ता, पश्चिमः अन्य की संपत्ति, उत्तरः मकान नंबर 760, दक्षिणः मकान नंबर 758
9.	**श्री राकेश राजू, श्रीमती रेखा किताब (सह-कर्जदार) पत्नी राजू चावरिया, दोनों** मकान नंबर-1151, शिव मंदिर के पास, गुड़गांव, हरियाणा-122102 **खाता संख्या** GR/KAP/KUNJ/A000000704 ऋण खातों को 05-12-2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	15-01-2025 रु. 1427482/- 11-01-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	खेवट/खाता नंबर 873/1021, एम. नंबर 37, किल्ला नंबर 21/1(1-4), 21/2(5-12), 22/1(6-9), 22/2(0-14), किता 4 रकबा 13 कनाल 19 मरला अराजी ऑफ शेयर 15/2511 सरसई बकदर रकबा 0 कनाल 1 मरला 6 सरसई (50 वर्ग गज) वाका सिवाना भोंडसी तहसील सोहना जिला गुड़गांव, हरियाणा **सीमाएँ:** पूर्वः रास्ता आम 18 फीट चौड़ा, पश्चिमः दूसरों की संपत्ति, उत्तरः दूसरों की संपत्ति, दक्षिणः आम रास्ता 20 फीट चौड़ा
10.	**श्री सलीम खान (कर्जदार) पुत्र इस्लाम खान, श्रीमती रुकसीना (सह-कर्जदार) पत्नी सलीम खान, दोनों पताः** मन्नाकी मानकी (153) मेवात हरियाणा-122107 **खाता संख्या** HR/GGN/FRBD/A000001094 ऋण खातों को 05-12-2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	24-01-2025 रु. 2096494/- 24-01-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	फ्लैट नंबर-1605, टावर नंबर-5, सोलहवे तल पर, कारपेट एरिया 585.41 वर्ग फीट (54.39 वर्ग मीटर) तथा बालकनी क्षेत्र 99.91 वर्ग फीट, दो पहिया वाहन पार्किंग सहित हमारे प्रतिष्ठित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल्डिंग में स्थित है, जिसे ''ग्लोबल हिल व्यू'' कहा जाता है, सेक्टर-11 सोहना, गुड़गांव हरियाणा **सीमाएं:** पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः अन्य की संपत्ति, उत्तरः सड़क 22 फीट, दक्षिणः अन्य की संपत्ति
11.	**श्री इंदरजीत पुत्र जय राम, श्रीमती मंजू पत्नी इंदर जीत दोनों पताः** मकान नं. 105 गली नं. 2, खेरली लाला 220, सोहना हरियाणा-122103 **खाता नं.** HR/GGN/FRBD/A000001738 ऋण खातों को 05-12-2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	18-01-2025 रु. 1769151/- 11-01-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	एक संपत्ति/मकान/प्लॉट आराजी खेवट नंबर 90/92 एम. नंबर 17 किला नंबर 4(8-0), किता 1 रकबा 8 कनाल 0 मरला हिस्सा 98/1440 सरसई बक्दार रकबा 10 मरला 8 सरसई यानी 330 वर्ग गज, 66 फीट x 45 फीट नापकर, वाका मोजा खेड़ली लाला, तहसील सोहना जिला गुड़गांव हरियाणा **सीमाएँ:** पूर्वः सड़क 14 फीट चौड़ी और नेपाल का प्लॉट, पश्चिमः मालिक बलबीर, उत्तरः रामनिवास का घर, दक्षिणः दूसरे का प्लॉट
12.	**श्री हरकेश, श्रीमती प्रियंका पत्नी हरकेश, श्रीमती सविता पत्नी ब्रह्मदास, दोनों पताः** मकान नं. 272, मकान नं. 743, वार्ड नं. 1, पटौदी, गुड़गांव, हरियाणा-122503 **खाता नं.** GR/SOH/SETN/A000000066 ऋण खातों को 06-01-2025 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	08-02-2025 रु. 2520329/- 08-02-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	एक संपत्ति/मकान/भूखंड खेवट/खाता नंबर 1715/1750 में सम्मिलित, मुस्तकिल/किला नंबर 57//1/1, 6-8 घेर एम. मकान कित्ता 1 तदादी 06 कनाल 8 मरला हिस्सा 15/512 बकदर 0 कनाल 3 मरला 7 सरसई वाका मोजा पटौदी तहसील पटौदी जिला गुरुग्राम हरियाणा
13.	**श्री नरेंद्र पुत्र मुंशीराम, श्रीमती मंजू हर्षरूप पत्नी नरेंद्र कुमार, दोनों पतेः** खरहर 21, बहादुरगढ़ झज्जर, हरियाणा-124501 **खाता संख्या** GR/KAP/KUNJ/A000001005 ऋण खातों को 05-12-2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	08-02-2025 रु. 1529746/- 08-02-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	8 मरला (240 वर्ग गज) की संपत्ति/घर/प्लॉट, जिसमें खेवट नंबर 491 खोतानी नंबर 529 में शामिल, किट्टा 19 रकबा 125 कनाल 19 मरला हिस्सा 1/6 बकदर 20 कनाल 19.8 मरला वाका मोजा गांव खर्रार तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा
14.	**श्री दिनेश मलिक (कर्जदार) पुत्र श्याम लाल मलिक, श्रीमती सुनीता देवी (सह-कर्जदार) पत्नी श्याम लाल मलिक, दोनों पतेः** वीपीओ डाबोदा खुर्द 49, डाबोदा खुर्द, झज्जर, हरियाणा - 124507 **खाता संख्या** GR/KAP/MUNI/A000000086 ऋण खातों को 06-02-2025 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	18-02-2025 रु. 794541/- 18-02-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	एक संपत्ति/मकान/भूखंड आराजी खेवट नं. 151//139 खतौनी नं. 193 एम. और किला नं. 24//13/2(7-12) नेहरी किता 1 रकबा तदाड़ी 7 कनाल 12 मरला हिस्सा 7/152 बकदर रकबा 0 कनाल 7 मरला, वाका मोजा गांव डाबोदा खुर्द, तहसील बहादुर गढ़ जिला झज्जर हरियाणा
15.	**श्री आशीष रंगा (कर्जदार) पुत्र बीर सिंह, श्रीमती मुकेश देवी पत्नी बीर सिंह (सह-कर्जदार), दोनों पताः** 607/20, गली नं.-05, रवि नगर, गुड़गांव, हरियाणा - 122001 **खाता सं.** GR/KAP/KUNJ/A000000463 ऋण खातों को 06-02-2025 को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया है	19-02-2025 रु. 1179357/- 19-02-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	एक संपत्ति/मकान/भूखंड रकबा 77 वर्ग गज, खसरा नंबर 607 में शामिल, माप 25 फीट x 28 फीट, वाका सिवाना मोजा बसई, बसई गांव के पास, तहसील और जिला गुड़गांव, हरियाणा
16.	**श्री अमित कुमार (कर्जदार) पुत्र कैलाश राय, श्रीमती गायत्री देवी पत्नी कैलाश राउत (सह-कर्जदार), दोनों पताः** धनकोट गांव, सेक्टर-102, गुड़गांव, हरियाणा - 122505 **खाता सं.** जी.आर./के.ए.पी./कुंज/ए000000399 ऋण खातों को 06-02-2025 को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया है	19-02-2025 रु. 1621088/- 19-02-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	ब्लॉक/टावर 13 में आवासीय अपार्टमेंट नंबर 2 (ग्राहक कोड जा-13042), तीसरी मंजिल पर 27.963 वर्ग मीटर (301 वर्ग फीट) का कारपेट एरिया और 65 वर्ग फीट का बालकनी एरिया और एक (1) दो पहिया वाहन पार्किंग स्पेस के साथ बहुमंजिला आवासीय आवास परिसर में जिसे ''जारा आवास'' के नाम से जाना जाता है, सेक्टर-104 में स्थित भूमि पर, गांव गुरुग्राम तहसील जिला गुरुग्राम, हरियाणा के आसपास स्थित है, भूमि में आनुपातिक, अविभाजित अविभाजित हिस्सेदारी और हित के साथ-साथ अन्य सह-मालिक जिस पर आवासीय इकाई है
17.	**श्री हिमांशु एच. (कर्जदार) पुत्र लेफ्टिनेंट श्री राम किशन, श्रीमती ज्योति जे पत्नी हिमांशु (सह-कर्जदार), दोनों पताः** 807/16 बसी रोड, शिव मंदिर नई बस्ती के पास, गुड़गांव, हरियाणा-122001 **खाता संख्या** GR/KAP/KUNJ/A000000273 ऋण खातों को 05-07-2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	19-02-2025 रु. 1019099/- 19-02-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	मकान नं. 807 क्षेत्रफल 42.5 वर्ग गज, नई समिति नं. 406, वार्ड नं. 15 क्षेत्रफल 42.5 वर्ग गज, क्षेत्रफल से बाहर 85 वर्ग गज, वाका आबादी नई बस्ती गुड़गांव, नगर निगम गुरुग्राम के अंदर, तहसील और जिला गुरुग्राम हरियाणा **सीमाएँ:** पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः अन्य संपत्ति, उत्तरः सड़क/प्रवेश, दक्षिणः अन्य संपत्ति
18.	**श्री रिंकू पुत्र उदयबीर, श्रीमती सविता रामचंदर (सह-कर्जदार) पत्नी रिंकू, दोनों पताः** खेरी सुल्तान, पटौदी झज्जर, हरियाणा-124108 **खाता संख्या** GR/KAP/KUNJ/A000001089 ऋण खातों को 05-12-2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	12-02-2025 रु. 1657169/- 12-02-2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	एक संपत्ति/मकान/प्लॉट खेवट नं. 961 खाता नं. 1016 कित्ता 1 रकबा ताड़ी 0 कनाल 18 मरला हिस्सा 5/12 बकदार 0 कनाल 7.5 मरला वाका रकबा में, मोजा खेरी तालुका पटौदी तहसील और जिला झज्जर हरियाणा
19.	श्री परवीन, श्रीमती सविता, दोनों पताः जसाना (110), बदरपुर सैयद, फरीदाबाद, हरियाणा-121101 **खाता संख्या** DL/MTG/MTNG/A000000524 ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	10.02.2025 रु. 16,87,578/- 31.01.2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	997 वर्ग गज का एक संपत्ति क्षेत्र खेवट संख्या 138//119, खतौनी संख्या 153, मु संख्या 25, किला संख्या 1(8-0), मु संख्या 26, किला संख्या 5/2(2-17), किता 2 रकबा 10 कनाल 17 मरले 62/382 हिस्से में से यानि 1 कनाल 3 मरले (695 वर्ग गज) और खेवट नंबर 141//122 खतौनी नंबर 156, मु नंबर 20, किला नंबर 21/2(2-3), किता 1 रकबा 2 कनाल 3 मरले 10 मरले (302 वर्ग गज) में से, वाका मौजा जसाना में स्थित, तहसील तिगांव और जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121101 **सीमाएं:** पूर्वः सड़क, पश्चिमः प्रमोद का घर, उत्तरः निजी मार्ग, दक्षिणः संपत्ति
20.	**श्री कुमार पाल, श्रीमती अनीता, दोनों पताः** नंगली पचंकी, सरकारी स्कूल के पास, अहरवां, पलवल, हरियाणा-121102 **खाता संख्या** GR/PLW/PLWL/A000000009 ऋण खातों को 05.11.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	10.02.2025 रु. 24,07,665/- 31.01.2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	माप 900 वर्ग गज भाग वाला संपत्ति क्षेत्र खेवट / खाता नंबर 10/13, म्यू नंबर 11, किल्ला नंबर 25/2/1(2-5), म्यू नंबर 12, किल्ला नंबर 7/1(1-12), 7/2(5-17), 8(6-14), किता 4 रकबा 16 कनाल 08 मरला और खेवट/खाता नंबर 11/14, म्यू नंबर 11, किला नंबर 16/1/1(7-9) 145/149 का हिस्सा रकबा 07 कनाल 05 मरला, कुल रकबा 23 कनाल 13 मरला, वाका मौजा पचनकी में स्थित, तहसील और जिला पलवल, हरियाणा-121102 **सीमाएँ:** पूर्वः प्रवेश/सड़क 22 फीट चौड़ा, पश्चिमः भूखंड कृषि भूमि का हिस्सा, उत्तरः महेंद्रे, दक्षिणः गली 10 फीट चौड़ा
21.	श्री संजय, श्री मुकेश, श्रीमती संतोष, सभी पताः कलुरिया मोहल्ला, नांगल जाट (286), पलवल, हरियाणा-121102 **खाता संख्या** GR/SKP/SUPR/A000000205 ऋण खातों को 05.09.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	10.02.2025 रु. 19,22,792/- 31.01.2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	15 मरला 3 सरसई (लगभग 459 वर्ग गज) मापने वाली एक संपत्ति/घर/प्लॉट क्षेत्र, जिसमें खेवट नंबर 107, खाता नंबर 114, मु नंबर 3, किला नंबर 21/3 (4-12) हिस्सा 1/6 शामिल है जो रकबा 0 कनाल 15 मरला 3 सरसई है जो वाका मौजा नांगल जाट, उप-तहसील बहिन और जिला पलवल, हरियाणा-121102 में स्थित है **सीमाएँ:** पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः रास्ता, उत्तरः कृषि भूमि, दक्षिणः प्रवेश
22.	**श्री धर्मेंद्र नरेंद्र, श्रीमती राम रांकी, दोनों पताः** बढ़ा 27, पलवल, हरियाणा-121102 **खाता संख्या** HR/GGN/FRBD/A000001740 ऋण खातों को 05.09.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	23.01.2025 रु. 16,87,578/- 31.01.2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	605 वर्ग गज मापने वाली एक संपत्ति क्षेत्र। खेवट का गज भाग/ खाता नंबर 244/245, एमयू नंबर 48, किला नंबर 16(8-0), 25/1(5-10), किता 2 रकवा 13 कनाल 0 मरला 20/270, वाका मौजा बढ़ा में स्थित, तहसील एवं जिला पलवल, हरियाणा-121102 **सीमाएँ:** पूर्वः प्रवेश/गली 12 फीट चौड़ा, पश्चिमः मोहरां, उत्तरः बिजेंदर फौजी, दक्षिणः मनोज
23.	**श्री मुकेश चंद्र भान, श्रीमती रामवती, दोनों पताः** शमशान घाट के पास, पंडवान रोड, वार्ड नंबर 15, होडल रुरल (भाग 93), पलवल, हरियाणा-121106 **खाता संख्या** HR/GGN/FRBD/A000001905 ऋण खातों को 05.09.2024 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	31.02.2025 रु. 33,12,461/- 31.01.2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	एक संपत्ति (संपत्ति आईडीः-3HEMELN7) क्षेत्रफल 140 वर्ग गज, खेवट/खाता नंबर 431/425 का हिस्सा, खसरा नंबर 836(11-1), रकबा 11 कनाल 1 मरला 140/6685 शेयर यानी 4.62 मरला, वाका मौजा होडल पट्टी तिहाड़ में स्थित, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा-121106 **सीमाएं:** पूर्वः सड़क, पश्चिमः कृष्ण का घर, उत्तरः कमलेश का घर, दक्षिणः योगेश का घर
24.	**श्री अविनाश कुमार, श्रीमती सुनीता, दोनों पताः** फ्लैट नंबर 210, द्वितीय तल, ब्लॉक-जी, पॉकेट-5, सेक्टर-14, वेगास मॉल के पास, द्वारका, नई दिल्ली-110023 **खाता संख्या** DL/DEL/DWND/A000001184 ऋण खातों को 06.01.2025 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है	08.02.2025 रु. 20,50,382/- 08.02.2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	फ्लैट नंबर 210, दूसरी मंजिल पर बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 30.75 वर्ग मीटर, ब्लॉक-जी में स्थित, पॉकेट-5, सेक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली-110078 **सीमाएँ:** पूर्वः फ्लैट नंबर 209, पश्चिमः फ्लैट एंट्री, उत्तरः फ्लैट नंबर 208, दक्षिणः फ्लैट नंबर 212
25.	**श्री इदरीश खान, श्रीमती रश्मिना इदरीश, श्रीमती असरी, सभी पताः** पचंका 244, हथीन, पलवल, हरियाणा-121103 **खाता संख्या** HR/GGN/FRBD/A000002188 ऋण खातों को 06.01.2025 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है 06.01.2025	08.02.2025 रु. 20,46,691/- 08.02.2025 तक + ब्याज + विधिक प्रभार	संपत्ति क्षेत्रफल 375 वर्ग गज, खेवट नंबर 208 का हिस्सा, खाता नंबर 230, मु. नंबर 20, किला नंबर 8/2(1-5), पचंका तहसील हथीन में स्थित, जिला पलवल, हरियाणा-121103 **सीमाएँ:** पूर्वः रास्ता 9 फीट चौड़ा, पश्चिमः कमर चंद का घर, उत्तरः रास्ता 9 फीट चौड़ा, दक्षिणः सफीराज का घर

उपर्युक्त कर्जदारों/गारंटरों को सलाह दी जाती है कि सरफेसी अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई से बचने के लिए (1) अधिक और पूर्ण विवरण के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त करें और (2) ऊपर उल्लिखित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर शेष बकाया राशि ब्याज और लागत आदि का भुगतान करें।

तिथिः 09-03-2025,
स्थानः गुरुग्राम

प्राधिकृत अधिकारी
हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग वृत-दौसा

Address:-Police Line Opp. Meena Hostel Maheshwara Road Dausa,
Email ID-se.dau.phed@rajasthan.gov.in

No. SE Dausa/DIPR/NIT-31 to 33/2024-25/7582-88 Date:- 03/03/2025

निविदा सूचना 31 से 33/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान के अन्तर्गत खण्ड दौसा/महवा/बाँदीकुई के अधीन पेयजल सम्बन्ध स्थापित करने हेतु कनेक्शन निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लागत 320.00 लाख के कार्यों हेतु निर्धारित प्रपत्रों में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदाएँ दिनांक 05.03.2025 को प्रातः 09:30 बजे से दिनांक 16.03.2025 को सायं 6:00 बजे तक डाउनलोड अपलोड की जाकर दिनांक 17.03.2025 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी। निविदाओं से सम्बन्धित समस्त विवरण राज्य सरकार की वेबसाइट http://www.dipronline.org, http://www.eproc.rajasthan.gov.in, http://www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदाओं के UBN No. निम्नानुसार है :-

NIB code PHE2425A5026
UBN is: PHE2425WSRC11001
UBN is: PHE2425WSRC11002
UBN is: PHE2425WSRC11003

हस्त./-
अधीक्षण अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग,
वृत दौसा

DIPR/C/3247/2025

SBI

ऋणग्रस्त परिसंपत्तियां वसूली शाखा–II स्टेट बैंक भवन, (शाखा कोड 51521)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, 18/4 आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005
दूरभाष : 011-28752163, फैक्स : 28755674, ई-मेल : sbi.51521@sbi.co.in

परिशिष्ट-IV [नियम – 8(1)] अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **भारतीय स्टेट बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 18–12–2024 निर्गत की थी, जिसमें ऋणधारक **श्रीमती मधु पत्नी श्री अरुण कुमार एवं श्री अरुण कुमार पुत्र श्री आनंद कुमार को सूचना में अंकित राशि, 17–12–2024 के अनुसार, रु. 41,87,626.55/– (रुपये इकतालिस लाख सत्तासी हजार छह सौ छब्बीस और पचपन पैसे मात्र)** का 17–12–2024 से प्रभावी भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणधारक निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणधारक तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **5 मार्च 2025** को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणधारक को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **रु. 41,87,626.55/– (रुपये इकतालिस लाख सत्तासी हजार छह सौ छब्बीस और पचपन पैसे मात्र)** का 17–12–2024 से प्रभावी भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि हेतु भारतीय स्टेट बैंक के प्रभाराधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण :-

संपत्ति के समस्त उन भागों एवं अंशों में निम्न पता समाविष्ट है : संपत्ति का स्वामित्व इनके पास है : श्रीमती मधु पत्नी अरुण कुमार एमआईजी फ्लैट संख्या–282, भू तल, पॉकेट–4 सेक्टर ए–09, ब्लॉक–एम 7, नरेला दिल्ली पिन 110040, दिव्य एरिया 72.00 वर्ग मीटर, पंजीकरण संख्या 2938, बही संख्या 1, खंड संख्या 3608 दिनांक 02–09–2016

दिनांक : 05–03–2025, स्थान : दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

Bank of India
Relationship beyond banking

सम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना : 25.03.2025
गाजियाबाद ज़ोन, बी-32, सैक्टर-62, नोएडा-201307
फोनः 0120-2404135

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

परिशिष्ट - IV-A नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना
आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का रचनात्मक / भौतिक कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर दिनांक **25.03.2025** को (पूर्वा. 11.00 बजे से अपा. 05.00 बजे) को बेचा जाएगा।
ईएमडी / दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि **24.03.2025** है। इच्छुक खरीदार अपने नाम पोर्टल **https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration** पर पंजीकृत करवाएंगे। और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी ऑनलाइन जमा करें।

बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैः वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।

क्र. सं.	शाखा का नाम और खाता / कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण और मालिक	बकाया राशि (प्रतिभूत ऋण) कब्जे की स्थिति और तिथि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मोबाइल नं./जिससे बोलीदाता शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकता है
1	बैंक ऑफ इंडिया –अंबाला रोड सहारनपुर शाखा खाता – मैसर्स आर्य होजरी प्रोप. श्री सुनील कुमार पुत्र कदम सिंह (उधारकर्ता)	**रिहायशी भवन और प्लॉट का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि खसरा नं. 245/2, नगर पंचायत, हाउस टैक्स नं. 2581, वेक आबादी मोहल्ला गढ़ी, कस्बा चिलकाना, परगना–सुल्तानपुर, जिला सहारनपुर यूपी–247001 में स्थित, क्षेत्रफल 121.30 वर्ग मी., यह सम्पत्ति सुनील कुमार पुत्र कदम सिंह के नाम पर है।** चौहद्दीः उत्तर में – बबीता का प्लॉट, दक्षिण में – विक्रेता का प्लॉट, पूरब में – नीरज गुप्ता का प्लॉट, पश्चिम में – 15 फीट चौड़ा रास्ता	रु. **19,64,620.14** + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. **19.27** लाख रु. **1.93** लाख रु. **0.20** लाख	**25.03.2025** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	अनिल कुमार शर्मा **9760884454**
2	बैंक ऑफ इंडिया –अंबाला रोड सहारनपुर शाखा खाता – i) मैसर्स अयान ट्रेडर्स प्रोप. मोहम्मद अकरम पुत्र मोहम्मद हनीफ (उधारकर्ता) ii) मोहम्मद असलम पुत्र अकबर अली (गारंटर) iii) श्री रघुवीर सिंह पुत्र आनंद लाल (गारंटर iv) श्री विजय पाल सिंह पुत्र राम दिया (गारंटर)	**रिहायशी / व्यवसायिक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्रकाश विहार कॉलोनी, सहारनपुर यू.पी.–247231 खसरा सं. 60/1(एम),63(एम) और 62/2(एम) वेक दारा शिवपुरी, स्वाद वारून क्षेत्रफल 3480.00 वर्ग मी. यह सम्पत्ति मोहम्मद अकरम पुत्र मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद असलम पुत्र अकबर अली, श्री रघुवीर सिंह पुत्र नंद लाल और श्री विजय पाल सिंह पुत्र राम दिया के नाम पर है,** चौहद्दीः उत्तर में – अन्य का प्लॉट, दक्षिण में – श्री विजय कुमार का मकान, पूरब में – 15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में – श्री सुभाष चोपड़ा की संपत्ति	रु. **27,78,308.64** + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. **266.22** लाख रु. **26.63** लाख रु. **0.50** लाख	**25.03.2025** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	अनिल कुमार शर्मा **9760884454**
3	**बैंक ऑफ इंडिया –सिकंदराबाद शाखा मैसर्स हर्षित भोग आटा प्रोप. श्री सचिन कुमार पुत्र विजय कुमार (उधारकर्ता–बंधककर्ता)**	औद्योगिक भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि वार्ड नं. 19, गांव–राजपुर खुर्द, तहसील–सिकंदराबाद, जिला – बुलंदशहर, उ.प्र.–203205 में स्थित, क्षेत्रफल 108.69 वर्ग मी., यह सम्पत्ति सचिन कुमार पुत्र विजय कुमार के नाम पर है। चौहद्दीः उत्तर में – खेत विक्रेता, दक्षिण में – खेत विक्रेता, पूरब में – रास्ता 15 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम में – खेत विक्रेता	रु. **33,96,996.86** + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. **22.93** लाख रु. **2.30** लाख रु. **0.23** लाख	**25.03.2025** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	राजेश कुमार सिंह **8368040874**
		वार्ड नं. 19, गांव–राजपुर खुर्द, तहसील– सिकंदराबाद, जिला–बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश–203205 में प्लांट एवं मशीनरी और अन्य उपकरण स्थापित		रु. **6.83** लाख रु. **0.69** लाख रु. **0.07** लाख	**25.03.2025** 11 a.m to 5 p.m	**Rajesh Kumar Singh** **8368040874**
	नोटः बैंक के खिलाफ उधारकर्ता द्वारा दायर मामला सं. SA/65/2025 दिनांक 10.01.2025 जो प्रकाशन की तिथि तक माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ के समक्ष लंबित है। सभी इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली लगाने से पहले मामले की स्थिति की जांच/पुष्टि करें। इसके अलावा, सभी बोलीदाताओं को खाते में वैधानिक बकाया की जांच करने की भी सलाह दी जाती है। बैंक/एओ खाते में किसी भी लंबित वैधानिक बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।					
4	बैंक ऑफ इंडिया – बुलंदशहर शाखा खाता 1 – क.) मैसर्स सिटी होम फर्निशिंग प्रोपराईटर मोहम्मद हासिम पुत्र मोहम्मद उमर (उधारकर्ता), ख.) मोहम्मद उमर पुत्र रफीक अहमद (गारंटर–बंधककर्ता), ग) श्रीमती अफरोज निशा पत्नी मोहम्मद उमर (गारंटर–बंधककर्ता), खाता 2: क) मोहम्मद उमर पुत्र रफीक अहमद (उधारकर्ता–बंधककर्ता) ख) श्रीमती अफरोज निशा पत्नी मोहम्मद उमर (उधारकर्ता) ग) मोहम्मद हासिम पुत्र मोहम्मद उमर (उधारकर्ता)	रिहायशी सह व्यवसायिक भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. 983, वार्ड नं. 25, ग्राम– नयागांव (धमेरा रोड), परगना– बरन तहसील और जिला– बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश– 203001, क्षेत्रफल 130.08 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मोहम्मद उमर और अफरोज निशा के नाम पर है। चौहद्दीः उत्तर में – धमेरा रोड, दक्षिण में – अनिल और अन्य का मकान, पूरब में – अफरोज बेगम और गुलशन की दुकान और प्लॉट, पश्चिम में – गजेंद्र सिंह का मकान	रु. **70,80,729.94** (नकद ऋण रु. 48,04,688.72 और एलएपी रु. 22,76,041.22) + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. **86.24** लाख रु. **8.62** लाख रु. **0.87** लाख	**25.03.2025** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	राजेश कुमार सिंह **8368040874**
5	**बैंक ऑफ इंडिया – इंदिरापुरम शाखा खाता – श्री ज्ञानेंद्र कुमार पुत्र बालेश्वर त्यागी (उधारकर्ता – बंधककर्ता)**	रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट सं. 718जी, भूतल, न्याय खंड–I, इंदिरापुरम गाजियाबाद यू.पी. –201014, यह सम्पत्ति श्री ज्ञानेंद्र कुमार पुत्र बालेश्वर त्यागी के नाम पर है। क्षेत्रफल–24.65 वर्ग मी., चौहद्दीः पूरब में – फ्लैट सं. 715, पश्चिम में – फ्लैट सं. 717, उत्तर में – अन्य की संपत्ति, दक्षिण में – प्रवेश और गलियारा	रु. **10,59,562.96** + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) भौतिक कब्जा	रु. **11.23** लाख रु. **1.13** लाख रु. **0.12** लाख	**25.03.2025** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	देवेन्द्र कुमार सागर **7505276325**
6	**बैंक ऑफ इंडिया – भंगेल एसएसआई शाखा खाता – i) श्री परीक्षित महेंद्रू पुत्र दिलीप कुमार महेंद्रू (उधारकर्ता) i) श्री दिलीप कुमार महेंद्रू पुत्र रघुबीर सिंह महेंद्रू (गारंटर–बंधककर्ता)**	व्यवसायिक भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि एलजी–01, निचला तल (अंसल फॉर्च्यून आर्केड) प्लॉट नं. 87, ब्लॉक के, सेक्टर–18, नोएडा जिला– गौतमबुद्ध नगर यू.पी. –201301 में स्थित, क्षेत्रफल 9.53 वर्ग मी., यह सम्पत्ति दिलीप कुमार महेंद्रू पुत्र रघुबीर सिंह महेंद्रू के नाम पर है। चौहद्दीः पूरब में – गलियारा, पश्चिम में – अन्य की भूमि, उत्तर में – अन्य की भूमि, दक्षिण में – वाणिज्यिक जगह एलजी–02	रु. **14,47,610.89** + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) भौतिक कब्जा	रु. **8.80** लाख रु. **0.88** लाख रु. **0.09** लाख	**25.03.2025** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	वैभव केसरवानी **8130334222**
		व्यवसायिक भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि एलजी–02 निचला तल (अंसल फॉर्च्यून आर्केड) प्लॉट नं. 87, ब्लॉक के, सेक्टर–18, नोएडा जिला– गौतमबुद्ध नगर यू.पी.–201301 में स्थित, क्षेत्रफल 12.40 वर्ग मी., यह सम्पत्ति दिलीप कुमार महेंद्रू पुत्र रघुबीर सिंह महेंद्रू के नाम पर है। चौहद्दीः पूरब में – गलियारा, पश्चिम में – अन्य की भूमि, उत्तर में – वाणिज्यिक जगह एलजी–01, दक्षिण में – वाणिज्यिक जगह एलजी–03		रु. **11.41** लाख रु. **1.15** लाख रु. **0.12** लाख	**25.03.2025** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	वैभव केसरवानी **8130334222**
7	**बैंक ऑफ इंडिया – धूम मानिकपुर शाखा खाता – श्री प्रदीप कुमार पुत्र ग्यासू (उधारकर्ता–बंधककर्ता)**	रिहायशी भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट सं. ए–180, ब्लॉक ए, खसरा सं. 383 का हिस्सा, सूर्य चमन एन्क्लेव, गांव– धूम मानिकपुर, दादरी, गौतमबुद्ध नगर, यूपी–203208, क्षेत्रफल 50.00 वर्ग गज, यह सम्पत्ति प्रदीप कुमार पुत्र ग्यासू के नाम पर है। चौहद्दीः उत्तर में– प्लॉट सं. ए–179, दक्षिण में – श्री धर्मेंद्र का प्लॉट सं. ए–181, पूरब में – रास्ता 22 फीट चौड़ा और प्लॉट सं. 256, पश्चिम में – श्री संजीव का प्लॉट सं. ए–173	रु. **8,89,222.79** (अवधि ऋण रु. 2,08,102.21 एवं एचएल– रु. 6,81,120.58) + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. **7.47** लाख रु. **0.75** लाख रु. **0.08** लाख	**25.03.2025** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	वैभव केसरवानी **8130334222**
8	**बैंक ऑफ इंडिया –वजीराबाद रोड शाखा खाता – I. श्रीमती रेखा पत्नी बृज पाल (उधारकर्ता–बंधककर्ता) II. श्री नवाब पुत्र अनीश (गारंटर)**	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट द्वितीय तल, प्लॉट नं.4, लेन नं.4, खसरा नं.27/2, कैंपिटल कपाउंड, ग्राम–सिकम्बरपुर, गाजियाबाद यूपी–201005 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 28.00 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती रेखा पत्नी बृज पाल के नाम पर है। चौहद्दीः उत्तर में – अन्य की संपत्ति, दक्षिण में – प्रवेश द्वार और लेन नं. 4, पूरब में – प्लॉट नं. 5, पश्चिम में – प्लॉट नं. 3	रु. **7,81,209.80** + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. **11.82** लाख रु. **1.19** लाख रु. **0.12** लाख	**25.03.2025** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	देवेन्द्र कुमार सागर **7505276325**
9	**बैंक ऑफ इंडिया – सेक्टर 50 नोएडा शाखा खाता – 1. महमूद पुत्र मोहम्मद सलाम (उधारकर्ता)**	रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान सं. 78 (पुराना नं. 91) मोहल्ला–मिर्जाजान, डासना गेट, तहसील और जिला–गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 11.07 वर्ग मी., यह सम्पत्ति महमूद पुत्र मोहम्मद सलाम और नगीना पत्नी महमूद के नाम पर है। चौहद्दीः उत्तर में – आत्मा राम मल्होत्रा का मकान, दक्षिण में – एस पी शर्मा का मकान, पूरब में – 12.4 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम में – हंसराज तनेजा का मकान	रु. **39,84,361.16** + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. **55.78** लाख रु. **5.58** लाख रु. **0.56** लाख	**25.03.2025** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	शरद त्यागी **9837251021**
10	बैंक ऑफ इंडिया – बुलंदशहर शाखा खाता – i) श्रीमती फरजाना बेगम पत्नी स्वर्गीय नफीस अहमद (सह–उधारकर्ता–बंधककर्ता / मृतक उधारकर्ता स्वर्गीय नफीस अहमद पुत्र अब्दुल वहीद खान की कानूनी उत्तराधिकारी) **ii)** मृत उधारकर्ता स्वर्गीय नफीस अहमद पुत्र अब्दुल वहीद खान के कानूनी उत्तराधिकारी – क) मोहम्मद वसीम पुत्र स्व. नफीस अहमद, ख) हारून पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद, ग) मोहम्मद आरिफ पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद, घ) मोहम्मद आमिर पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद, ङ) शावेज पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद, च) शारुख खान पुत्र स्वर्गीय नफीस अहमद, छ) फिजा पुत्री स्वर्गीय नफीस अहमद 2. श्रीमती सितारा बेगम पत्नी अब्दुल सलाम (गारंटर–बंधककर्ता)	रिहायशी भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. 218, मोहल्ला–टांडा, जिला– बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश– 203001 में स्थित, क्षेत्रफल 125.49 वर्ग मी., (पंजीकृत दिनांक 20.03.1996, बही संख्या 1, जिल्द संख्या 437, पृष्ठ सं. 33–34, क्रमांक 299) यह सम्पत्ति श्रीमती फरजाना बेगम पत्नी स्वर्गीय नफीस अहमद के नाम पर है। चौहद्दीः उत्तर में – 12 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण में – अफजल का मकान, पूरब में – हिकमत का प्लॉट, पश्चिम में – रोड़	रु. **378985.03** + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. **38.32** लाख रु. **3.83** लाख रु. **0.39** लाख	**25.03.2025** को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	वैभव केसरवानी **8130334222**

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री / बोली केवल ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया **https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration** वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) नीलामी की तिथि और समय : **24.03.2025 (सुबह 11:00 बजे से अर्पा 05:00 बजे तक** प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि **25.03.2025**
3) नीलामी आरक्षित मूल्य + पहले बोलीवृद्धि मूल्य जैसा कि बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित है, पर शुरू होगी। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए बोलीदाता बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएँगे। संपत्तियों को आरक्षित मूल्य और प्रथम बोलीवृद्धि मूल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा।
4) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://www.baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration** पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। खरीदार अपने केवाईसी दस्तावेज, फोन नंबर और ईमेल आईडी वेबसाइट पर जमा करें।
5) संपत्ति को सभी मौजूदा या भविष्य के भारों के साथ बेचा जाएगा (यदि कोई)। प्राधिकृत अधिकारी संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों / दावों या बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6) प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार / संपत्तियों के शीर्षक, सांविधिक दायित्व / कर देयता / संपत्ति कर के बकाया आदि के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। वेबसाइट **www.baanknet.com** पर लॉग इन करके संपत्तियों को देखा जा सकता है। संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से कार्य समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।
7) सफल बोलीदाता / क्रेता संपत्ति की खरीद पर देय बिक्री मूल्य के 1% की दर से टीडीएस सहित सभी करों को वहन करेगा (यदि बिक्री मूल्य रु. 50 लाख / – और अधिक है) और ऑनलाइन बिक्री करने के लिए सेवा प्रदाता को देय कर। साथ ही बिक्री प्रमाण पत्र के निष्पादन के लिए देय शुल्क जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आदि सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
8) असफल बोलीदाता ईएमडी की वापसी के लिए स्वयं BAANKNET से संपर्क करेगा। ईएमडी की वापसी के लिए अधिकृत अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।
9) प्राधिकृत अधिकारी / बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई–नीलामी को स्थगित / /रद्द करने या किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए नीलामी कार्यवाही से किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
10) बिक्री प्रमाण पत्र केवल क्रेता / आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
11) सफल बोलीदाता की बयाना राशि (ईएमडी) को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाताओं को पहले से भुगतान की गई EMD सहित बिक्री मूल्य का 25%, अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद / अगले कार्य दिवसों की समाप्ति से पहले और बिक्री मूल्य का शेष बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलाम किया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाताओं का संपत्ति / राशि के संबंध में कोई दावा / अधिकार नहीं होगा।

इच्छुक बोलीदाता जो वेबसाइट के साथ पंजीकृत होना चाहते हैं और ईएमडी जमा करना चाहते हैं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता हेतु ग्राहक सेवा से 8291220220 या **support.baanknet@psballiance.com** पर संपर्क कर सकते हैं और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए प्राधिकृत अधिकारियों से उनके संबंधित फोन नंबरों पर या गाजियाबाद अंचल कार्यालय में 0120-2404135 पर संपर्क कर सकते हैं। बिक्री अधिकृत अधिकारियों द्वारा वेबसाइट **www.baanknet.com** पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

नोटः सभी इच्छुक बोलीदाता 19.03.2025 से 21.03.2025 तक केवल कार्य घंटों के दौरान एओ /शाखा से संपर्क करने के बाद संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं / साइट पर जा सकते हैं और इसके बाद या उल्लिखित किसी भी पूर्व तिथि पर साइट विजिट के लिए कोई अनुरोध का स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक **https://www.bankofindia.co.in** देखें।

दिनांक 07.03.2025, स्थान : गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया

वैश्विक परामर्श संस्था की सलाह

भारत को अमेरिका के साथ वार्ताओं से हट जाना चाहिए

गलत आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहा अमेरिका

जीटीआरआइ ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके अधिकारियों ने ज्यादातर गलत आंकड़ों का इस्तेमाल करके भारत की आलोचना की है। श्रीवास्तव ने कहा, 'ट्रंप गलत आंकड़ों का इस्तेमाल करके सार्वजनिक रूप से भारत का अपमान कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में कोई संतुलित परिणाम संभव नहीं है। भारत को सभी वार्ताओं से हट जाना चाहिए और अन्य देशों की तरह उनके साथ निपटने की तैयारी करनी चाहिए।' अमेरिकी शुल्क के खिलाफ चीन और कनाडा ने जवाबी उपायों की घोषणा की है।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

वैश्विक परामर्श संस्था एवं आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआइ ने शनिवार को कहा कि भारत को अमेरिका के साथ सभी वार्ताओं से हट जाना चाहिए और ट्रंप प्रशासन के साथ उसी तरह से बातचीत की तैयारी करनी चाहिए, जैसे चीन और कनाडा जैसे देश कर रहे हैं।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआइ) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि अमेरिका भारत पर उन व्यापार मांगों को स्वीकार करने के लिए भारी दबाव डाल रहा है, जो मोटे तौर पर अमेरिकी हितों के अनुकूल हैं। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अपने यहां आयात होने वाले अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम करने के लिए राजी हो गया है। जबकि भारत सरकार की तरफ से अब तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ट्रंप ने यह आरोप भी लगाया कि भारत आयात होने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाता है। वहां कुछ भी बेचना बेहद मुश्किल है। श्रीवास्तव ने कहा, 'भारत की चुप्पी हैरान करने वाली है और भारत को तथ्यों के साथ जवाब देने की जरूरत है। पूरी दुनिया देख रही है कि ट्रंप और उनके अधिकारी हर दिन भारत को नीचा दिखा रहे हैं।' अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने भी कहा है कि भारत को अपना कृषि बाजार खोलने की जरूरत है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा

जीएसटी दरें और कम होंगी

मुंबई, 8 मार्च (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि जीएसटी दरें और कम होंगी। उन्होंने कहा कि कर दरों और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है।

उन्होंने कहा कि राजस्व तटस्थ दर (आरएनआर) एक जुलाई, 2017 को जीएसटी की शुरुआत के समय 15.8 फीसद से घटकर 2023 में 11.4 फीसद हो गई है। मंत्री ने कहा, यह और भी कम होगी। सीतारमण की अध्यक्षता में उनके राज्य समकक्षों की जीएसटी परिषद ने सितंबर 2021 में दरों को युक्तिसंगत बनाने और स्लैब में बदलाव का सुझाव देने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया था। सीतारमण ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा,जीएसटी दरों और स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। उन्होंने कहा, समूहों (जीओएम) ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन अब इस चरण में मैंने एक बार फिर से प्रत्येक समूह के काम की पूरी तरह से समीक्षा करने का बीड़ा उठाया है, और फिर शायद मैं इसे परिषद के पास ले जाऊंगी। तब विचार किया जाएगा कि हम इस बारे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं या नहीं।

सीतारमण ने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने पर कुछ और काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हम इसे अगली परिषद (बैठक) में ले जाएंगे। हम कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दों, जैसे दरों में कटौती, तर्कसंगत बनाने, स्लैब की संख्या पर विचार करने आदि पर अंतिम निर्णय लेने के बहुत करीब हैं। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बारे में पूछने पर सीतारमण ने कहा, 'इस बारे में पूछना ऐसा ही है, जैसे क्या दुनिया शांत होगी, क्या युद्ध समाप्त हो जाएंगे, क्या लाल सागर सुरक्षित होगा, क्या कोई समुद्री डाकू नहीं होगा। क्या मैं इस पर टिप्पणी कर सकती हूं या आप में कोई भी टिप्पणी कर सकता है।

खबर कोना

जम्मू-कश्मीर में दो वर्षों में मानव-वन्यजीव संघर्ष में 32 की मौत : सरकार

जम्मू, 8 मार्च (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को बताया कि पिछले दो वर्षों में मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण 32 लोगों की मौत हुई जबकि 269 लोग घायल हुए हैं। विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वन मंत्री जावेद अहमद राणा ने बताया कि 2023-24 और 2024-25 में मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण 16-16 लोगों की मौत हुई। उन्होंने नेशनल कान्फ्रेंस के सदस्य मीर सैफुल्लाह के सवाल के जवाब में कहा कि 2023-24 में 124 लोग घायल हुए जबकि 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 145 हो गई।

तैंतीस करोड़ के मादक पदार्थ जब्त किए गए

चेन्नई, 8 मार्च (भाषा)।

भारतीय तटरक्षक बल और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआइ) ने हाल ही में एक बड़े मादक पदार्थ निरोधक अभियान के दौरान मालदीव जाने वाले एक जहाज से 33 करोड़ रुपए का हशीश तेल जब्त किया। शनिवार को जारी बयान के मुताबिक, तटरक्षक बल और डीआरआइ ने भारतीय जलक्षेत्र में मादक पदार्थों से लदे एक जहाज को सफलतापूर्वक रोका। इस जहाज के जरिए मालदीव में मादक पदार्थों की तस्करी को रोका जा सका। बयान में कहा गया है कि डीआरआइ ने पांच मार्च को तमिलनाडु के तूतीकोरिन से माले के रास्ते में एक जहाज पर संभावित मादक पदार्थों की खेप के बारे में खुफिया जानकारी साझा की।

केरल : मां पर हमला करने के आरोपी को जमानत

कोच्चि, 8 मार्च (भाषा)।

केरल उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने के लिए रुपए देने से इनकार करने के लिए मां पर कई बार चाकू से हमला करने वाले आरोपी बेटे को जमानत दे दी। महिला ने अदालत से कहा था कि वह अपने बेटे को जेल में सड़ते हुए नहीं देख सकती है। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि वह मां की किस्मत और दर्द को देखते हुए जमानत देने के लिए मजबूर है। इसके साथ ही अदालत ने कहा, हमारे देश के युवाओं की मानसिक स्थिति आश्चर्यजनक और परेशान करने वाली है। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, पैसे न देने पर याचिकाकर्ता (बेटे) ने अपनी ही मां पर हमला कर उसे गंभीर चोट पहुंचाई। अब मां ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि उसे जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

नगालैंड विधानसभा ने 24,699 करोड़ का बजट पारित किया

कोहिमा, 8 मार्च (भाषा)।

नगालैंड विधानसभा ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24,699.83 करोड़ रुपए का बजट ध्वनि मत से पारित किया। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने गुरुवार को बजट पेश किया था। उनके पास वित्त विभाग भी है। विधानसभा सदस्यों ने अगले वित्त वर्ष के लिए 82 विभागों की अनुदान मांगों को मंजूरी देने के बाद बजट को पारित किया। सदन ने अनुदानों की मांगों से संबंधित नगालैंड विनियोग (सं. 3) विधेयक 2025 को भी पारित किया। बजट में उभरते उद्योगों पर विशेष ध्यान देते हुए 5,000 युवाओं को स्वरोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार में प्रशिक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

पुलिस से बचने के लिए मादक पदार्थ निगला, मौत

कोझिकोड, 8 मार्च (भाषा)।

केरल में पुलिस को देखकर मादक पदार्थ एमडीएम की दो पुड़ियों को निगलने वाले एक व्यक्ति की शनिवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान कोझिकोड के समीप मायकावु निवासी शनिद (28) के रूप में हुई है। पुलिस सूत्र ने बताया कि शुक्रवार को उसने पुलिस को देखकर एमडीएमए की दो पुड़िया निगल ली और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद उसे कोझिकोड राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी 'एंडोस्कोपी' की गई, जिसमें उसके पेट में सफेद दानों वाली दो पुड़िया पाई गई।

राजस्थान : कोचिंग संस्थानों को कानूनी दायरे में लाने वाले विधेयक को मंजूरी

जयपुर, आठ मार्च (भाषा)।

राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के विनियमित करने और विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं उनके अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि 'राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2025' का मसविदा केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया। राज्य में 50 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग संस्थान कानूनी जांच के दायरे में आएंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल स्थापित किया जाएगा और विद्यार्थियों की 'काउंसलिंग' के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और राजस्थान कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।

राज्य में 50 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग संस्थान कानूनी जांच के दायरे में आएंगे।

मंत्रिमंडल ने राज्य की कौशल विकास नीति को भी मंजूरी दी जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए युवाओं को विशेष कौशल में प्रशिक्षित करना है। यह नीति राज्य के औद्योगिक विकास में मदद करेगी और युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और उन्हें नवीनतम उद्योग आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाएगा।

स्पाइसजेट की मुश्किलें बढ़ीं

तीन पट्टेदारों, पूर्व पायलट ने दायर की दिवाला याचिका

नई दिल्ली, 8 मार्च (भाषा)।

एअरलाइन स्पाइसजेट को नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आयरलैंड के तीन विमान पट्टेदारों और एक पूर्व पायलट ने उसके खिलाफ एनसीएलटी में दिवाला याचिका दायर की है, जिसमें चूक का दावा किया गया है। तीन विमान पट्टा कंपनियों -एनजीएफ अल्फा, एनजीएफ जेनेसिस और एनजीएफ चार्ली ने आइबीसी की धारा 9 के तहत याचिका दायर की है, जिसमें स्पाइसजेट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।

याचिका में कुल 1.26 करोड़ डालर (लगभग 110 करोड़ रुपए) का बकाया होने का दावा किया गया है। स्पाइसजेट ने इसी सप्ताह राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण

फाइल फोटो

(एनसीएलटी) की कार्यवाही के दौरान मामले को सुलझाने के लिए कुछ समय मांगा था, क्योंकि निपटान वार्ता चल रही थी। एनसीएलटी ने एक आदेश में कहा, परिचालन ऋणदाता (स्पाइसजेट) की ओर से वकील मौजूद हैं और मामले में भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है। न्यायाधिकरण ने तीनों याचिकाओं को अगली सुनवाई के लिए सात अप्रैल, 2025 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। पट्टेदारों ने पहले स्पाइसजेट को पांच बोइंग 737 पट्टे पर दिए थे। उन्होंने स्पाइसजेट को कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उन्होंने इंजन सहित विमान के कुछ हिस्सों की चोरी और उन्हें दूसरे विमानों में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।

इसके अलावा, पायलट द्वारा दायर याचिका के संबंध में, दो सदस्यीय एनसीएलटी पीठ ने पूछा कि क्या दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आइबीसी) की धारा 10ए के तहत पायलट के दावों पर रोक है। एनसीएलटी ने कहा, परिचालन ऋणदाता की ओर से वकील मौजूद हैं और उन्होंने विशेष रूप से कुछ दावा राशि के संबंध में धारा 10ए की प्रयोज्यता और सीमा के मुद्दे के संबंध में मुद्दे की जांच करने के लिए समय मांगा है।

मिसाल

नागपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को काम करतीं महिला कुली।

मध्यप्रदेश : छिपे खजाने की तलाश में लोगों ने की खुदाई

भोपाल, 8 मार्च (भाषा)।

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में प्रशासन ने 'छिपे खजाने' की तलाश में कुछ लोगों द्वारा असीरगढ़ किले के आसपास की जमीन खोदने के मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार अभिनेता विक्की कौशल अभिनीत फिल्म 'छावा' में असीरगढ़ किले के चित्रण से छिपे खजाने की अफवाहों के बाद, पिछले कुछ दिनों में जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर 15वीं सदी के इस किले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। बुरहानपुर के जिलाधिकारी हर्ष सिंह ने कहा, 'मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोगों ने सोने के सिक्कों की तलाश में किले के आसपास के खेतों में खुदाई की है। मैंने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को मौके पर जाने के लिए कहा है।'

फिल्म 'छावा' में असीरगढ़ किले के चित्रण से छिपे खजाने की अफवाहों के बाद इस किले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं।

उन्होंने कहा कि अगर लोगों को कुछ सिक्के मिलते भी हैं, तो वे पुरातात्विक महत्व के होंगे। जिलाधिकारी ने कहा, 'मैंने एसडीएम से जांच करने और खुदाई की गतिविधि को रोकने के लिए कहा है। अगर प्रशासन को लोगों के पास सिक्के मिलते हैं और यह साबित हो जाता है कि वे किले के पास पाए गए थे, तो उन्हें सरकारी संपत्ति माना जाएगा।'

महिला किसानों ने उठाया एमएसपी की कानूनी गारंटी का मुद्दा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर शनिवार को खनौरी और शंभू किसान मोर्चे पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी को लेकर शनिवार को महिला महापंचायत का आयोजन किया गया।

इस मौके पर महिलाओं ने किसानों की मांगों को दोहराते हुए अपना समर्थन व्यक्त किया। महापंचायत में किसान नेताओं ने कहा कि समाज में महिलाओं की आधी आबादी है और जिस आंदोलन में भी महिलाएं शामिल होती हैं, जीत तय है। लंबे समय से संघर्षरत किसानों की मांगों को दोहराते हुए महिला वक्ताओं ने कहा कि किसानों की कोई नई मांग शामिल नहीं की गई है, बल्कि अलग-अलग सरकारों द्वारा पहले किए गए वादे हैं। उन्होंने कहा कि फसलों की उचित कीमत न मिलने के कारण किसान कर्जदार होते हैं और कई बार आत्महत्या के लिए भी विवश हो जाते हैं। वक्ताओं ने कहा कि अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए 103 दिनों से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं।

महापंचायत में किसान नेताओं ने कहा कि समाज में महिलाओं की आधी आबादी है और जिस आंदोलन में भी महिलाएं शामिल होती हैं, जीत तय है।

कर्नाटक सरकार में मंत्री राजन्ना ने कहा

मुख्यमंत्री बने रहेंगे सिद्धरमैया, अगला बजट पेश करेंगे

हावेरी, 8 मार्च (भाषा)।

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच राज्य सरकार में सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने शनिवार को कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपने पद पर बने रहेंगे और अगले वर्ष भी राज्य का बजट पेश करेंगे। सिद्धरमैया के पास वित्त विभाग भी है।

राजन्ना ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन के बारे में अंतिम निर्णय कांग्रेस आलाकमान पर निर्भर है। सिद्धरमैया ने शुक्रवार को अपना रिकार्ड 16वां बजट पेश किया। सिद्धरमैया के करीबी माने जाने वाले राजन्ना ने कहा, वह (सिद्धरमैया) अगला बजट (2026-27) और उसके बाद का बजट (2027-28) पेश करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई संदेह या बदलाव है, तो वह आलाकमान के फैसले के अनुसार होगा। उन्होंने कहा, हम सभी ने उम्मीद जताई है कि उन्हें (सिद्धरमैया) मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना चाहिए, लेकिन आखिरकार फैसला आलाकमान करेगा।

कर्नाटक के राजनीतिक हलकों में, खासकर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर, इस वर्ष के अंत में बारी-बारी से मुख्यमंत्री या सत्ता-साझेदारी फामूले के तहत नेतृत्व परिवर्तन के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं।

कर्नाटक के राजनीतिक हलकों में, खासकर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर, इस वर्ष के अंत में बारी-बारी से मुख्यमंत्री या सत्ता-साझेदारी फामूले के तहत नेतृत्व परिवर्तन के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की राज्य का नेतृत्व करने की महत्त्वाकांक्षा जगजाहिर है।

शिवकुमार से जब कलबुर्गी में पत्रकारों ने पूछा कि अगला बजट कौन पेश करेगा, तो उन्होंने बस इतना ही जवाब दिया, सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग शिवकुमार को जल्द ही मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने की वकालत कर रहा है, जबकि सिद्धरमैया के कई करीबी मंत्री और नेता नेतृत्व परिवर्तन की किसी भी संभावना को लगातार खारिज करते आ रहे हैं। सिद्धरमैया के करीबी नेताओं का कहना है कि मौजूदा मुख्यमंत्री अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।

ईडी ने धनशोधन मामले में वाणिज्यिक विमान जब्त किया

हैदराबाद, 8 मार्च (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद की एक कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धनशोधन जांच के तहत लगभग 14 करोड़ रुपए मूल्य का एक निजी विमान (जेट) जब्त किया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

इन प्रवर्तकों पर पोंजी 'घोटाला' करने और कई निवेशकों से कथित तौर पर करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। सूत्रों ने बताया कि धनशोधन का यह मामला फाल्कन ग्रुप (कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड), इसके मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अमर दीप कुमार और कुछ अन्य के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी से सामने आया है। उक्त विमान का उपयोग करके कुमार देश से फरार हो गया था। आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए, उनसे या उनकी कंपनी से तत्काल संपर्क नहीं किया जा सका।

तेलंगाना के सिंचाई मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश | सुरंग हादसा | चार करोड़ रुपए का आएगा खर्च

बचाव अभियान में रोबोट की मदद लें

मुख्यमंत्री घटनास्थल का फिर करेंगे दौरा

मुख्य सचिव (आपदा प्रबंधन) अरविंद कुमार और अन्य अधिकारियों ने मंत्री को अभियान की प्रगति के बारे में जानकारी दी। मंत्री ने अभियान में आ रही बाधाओं, वांछित गति से काम नहीं हो पाने के कारणों और चुनौतियों को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआइ) के अधिकारियों, रैट होल खनिकों, रोबोट विशेषज्ञों और अन्य के साथ चर्चा की। मंत्री ने कड़ी मेहनत कर रहे अधिकारियों, विशेषज्ञों और कर्मियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह 11 मार्च को फिर से सुरंग स्थल का दौरा करेंगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी या तो स्थल का दौरा करेंगे या हैदराबाद में बचाव अभियान की समीक्षा करेंगे।

नगरकुरनूल, 8 मार्च (भाषा)।

तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने अधिकारियों को आंशिक रूप से ढही श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एसएलबीसी) सुरंग के अंदर बचाव कार्य में रोबोट की मदद लेने के लिए तत्काल कदम उठाने का शनिवार को निर्देश दिया। दरअसल क्षतिग्रस्त टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) के टुकड़े बचाव कर्मियों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं जिसके कारण सिंचाई मंत्री ने ये निर्देश दिए।

सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद 22 फरवरी से आठ लोग इसमें फंसे हुए हैं। रेड्डी ने सुरंग स्थल का दौरा किया और जारी बचाव अभियान की विभिन्न संगठनों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार (हैदराबाद स्थित एक निजी कंपनी के) रोबोट विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करके बचाव कार्य में चार करोड़ रुपए खर्च करेगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उनके हवाले से कहा गया है कि चूंकि विशाल टीबीएम के टुकड़े सुरंग के अंदर पानी, मिट्टी और पत्थरों में मिल गए हैं इसलिए ये बचाव दल के लिए खतरा बन गए हैं। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने दो मार्च को सुरंग का दौरा किया था। उन्होंने बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों को सुझाव दिया था कि यदि आवश्यक हो तो सुरंग के अंदर रोबोट का उपयोग किया जाए ताकि बचाव कर्मियों को कोई खतरा नहीं हो।

सिंचाई मंत्री ने सुरंग ढहने की घटना को राष्ट्रीय आपदा बताते हुए कहा कि सरकार बचाव अभियान जारी रखने के लिए कृतसंकल्प है, हालांकि सुरंग के अंदर आक्सीजन का निम्न स्तर, पानी का अधिक रिसाव तथा टीबीएम के बड़े हिस्से पानी एवं मिट्टी में मिल जाने जैसी स्थितियों के कारण बचाव अभियान में चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। सुरंग के अंदर टीबीएम क्षतिग्रस्त हो गई थी और बचाव दल फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए उसके हिस्सों को काट रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार बचाव कार्य में शामिल श्रमिकों और अधिकारियों के साथ पूरी तरह खड़ी रहेगी।

खबर कोना

पचास हजार अमेरिकी डालर से अधिक के व्यय मदों के लिए लेनी होगी अनुमति

वाशिंगटन, 8 मार्च (एपी)।

पर्यावरण संरक्षण एजंसी ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि 50,000 अमेरिकी डालर से अधिक की व्यय मदों के लिए अब एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। इस सप्ताह जारी किए गए दिशानिर्देशों में ईपीए परिचालन में नए दक्षता समूह, जिसे 'डीओजीई' के नाम से जाना जाता है की भूमिका को बढ़ाया गया है। 'एसोसिएटेड प्रेस' द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, इन निर्देशों में कहा गया है कि 50,000 अमेरिकी डालर या उससे अधिक मूल्य के किसी भी सहायता समझौते, अनुबंध या अंतर-एजंसी समझौते को ईपीए डीओजीई टीम के सदस्य से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

आयरलैंड के बेलफास्ट में क्वीन्स यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत करते विदेश मंत्री एस जयशंकर।

दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह ने शुरू किया काम

नई दिल्ली, 8 मार्च (भाषा)।

दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह ने शनिवार को काम शुरू कर दिया। बंगलुरु स्थित स्टार्टअप दिगंतरा का यह उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पांच सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं की निगरानी कर सकता है। दिगंतरा ने बताया कि इस निगरानी उपग्रह ने शनिवार को दक्षिण अमेरिका की तस्वीरें लीं। स्टार्टअप ने 14 जनवरी को स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर-12 राकेट पर अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह एससीओटी प्रक्षेपित किया था। उपग्रह ने शनिवार को परिचालन शुरू किया। दिगंतरा ने पोस्ट किया, 'अंतरिक्ष में छिपने के लिए जगह खत्म हो गई है।' कंपनी ने एक बयान में कहा कि एससीओटी उपग्रह ने शनिवार को दक्षिण अमेरिका के ऊपर से गुजरते हुए अपनी पहली तस्वीर भेजी। दिगंतरा के सीईओ अनिरुद्ध शर्मा ने कहा कि एससीओटी की पहली तस्वीर तकनीकी रूप से एक बड़ी उपलब्धि है और यह कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

काठमांडो हवाई अड्डे पर मादक पदार्थ जब्त, दो भारतीय गिरफ्तार

काठमांडो, 8 मार्च (भाषा)।

काठमांडो के एक हवाई अड्डे पर मादक पदार्थ जब्त करने के बाद दो भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। नेपाल पुलिस ने शनिवार को समाचार बुलेटिन में बताया कि पुलिस ने शुक्रवार शाम को 30 वर्षीय अजीत कुन्नुमपुरथु वर्की और 24 वर्षीय एन डेनसिल के पास से सात किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बैंकाक से नेपाल पहुंचने के बाद काठमांडो हवाई अड्डे पर उतरे दोनों लोगों को सुरक्षा जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के लिए दोनों को नेपाल पुलिस के मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो को सौंप दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी 11 मार्च को जाएंगे मारीशस

दो दिवसीय यात्रा पर करेंगे कई समझौतों पर हस्ताक्षर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलवार से शुरू हो रही दो दिवसीय मारीशस यात्रा के दौरान भारत और मारीशस क्षमता निर्माण, व्यापार और सीमा पार वित्तीय अपराधों से निपटने के क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।

मोदी 11 मार्च से मारीशस की दो दिवसीय यात्रा करेंगे और इस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने शनिवार को प्रेसवार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्ष क्षमता निर्माण, द्विपक्षीय व्यापार, सीमा पार वित्तीय अपराधों से निपटने और लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।

राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करने तथा आगामी महीनों और वर्षों में सहयोग के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। मारीशस को अपना करीबी समुद्री पड़ोसी बताते हुए मिसरी ने कहा कि भारत को इस द्वीपीय देश का पसंदीदा विकास साझेदार बनने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में यह रिश्ता काफी गहरा हुआ है।

सीरिया में हिंसा भड़की, 600 से अधिक लोगों की मौत

बेरूत, 8 मार्च (एपी)।

सरकारी बलों और असद समर्थकों के बीच संघर्ष जारी

मार्च 2011 से सीरिया में जारी गृहयुद्ध में पांच लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। सीरिया के अधिकारियों ने हमले की बात को स्वीकार किया है लेकिन मृतकों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

सीरिया की नई सरकार समर्थित लड़ाकों ने गुरुवार और शुक्रवार को कई गांवों पर हमला किया जिसमें 600 से ज्यादा लोग मारे गए।

ब्रिटेन के मानवाधिकार संगठन 'सीरियन आब्जर्वेटरी फार ह्यूमन राइट्स' ने यह जानकारी दी। मानवाधिकार संगठन के अनुसार ये हमले अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद के समर्थकों द्वारा सरकारी सुरक्षा बलों पर किए गए हमलों के जवाब में किए गए। गांवों पर हमले गुरुवार को शुरू हुए और शुक्रवार को भी जारी रहे। मानवाधिकार समूह के अनुसार हालिया झड़पें तब शुरू हुईं जब सरकारी बलों ने गुरुवार को तटीय शहर जबलेह के पास एक वांछित व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश की। इस दौरान असद के वफादारों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। 'सीरियन आब्जर्वेटरी फार ह्यूमन राइट्स' के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को नई सरकार समर्थित लड़ाकों ने शीर, मुख्तारियेह और हफ़्फ़ा गांवों पर हमला किया जिसमें 69 पुरुषों की मौत हो गई, किसी महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

संगठन के प्रमुख रामी अब्दुर्रहमान ने कहा कि उन्होंने सामने दिखाई देने वाले हर आदमी की हत्या कर दी। बेरूत के 'अल-मायदीन' टीवी ने भी अपनी एक खबर में तीन गांवों पर हमलों की जानकारी दी और कहा कि सिर्फ मुख्तारियेह गांव में हमले में 30 से अधिक पुरुष मारे गए। मानवाधिकार संगठन के अनुसार दो दिन में झड़पों में 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। गांवों में बदले की भावना से किए गए हमलों में मारे गए लगभग 140 लोगों के अलावा, मृतकों में सीरिया के सरकारी बलों के कम से कम 50 सदस्य और असद के प्रति वफादार 45 लड़ाके शामिल हैं। मार्च 2011 से सीरिया में जारी गृहयुद्ध में पांच लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं।

महाभियोग का सामना कर रहे

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जेल से रिहा

सोल, 8 मार्च (एपी)।

दक्षिण कोरिया में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक येओल को शनिवार को जेल से रिहा कर दिया गया। इससे एक दिन पहले, देश की एक अदालत ने राष्ट्रपति येओल की गिरफ्तारी को रद्द करते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया था ताकि वह जेल से बाहर होकर मुकदमें का सामना करें।

टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही वीडियो में राष्ट्रपति जेल से बाहर आने के बाद अपने समर्थकों के सामने हाथ हिलाकर और अपना सिर झुकाकर उनका अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। येओल के समर्थक उनका नाम ले रहे हैं और दक्षिण कोरिया तथा अमेरिका का राष्ट्रीय झंडा लहरा रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि मैं 'सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट' द्वारा अवैध को सही करने के साहस के निर्णय की सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि वह अपने समर्थकों का धन्यवाद करते हैं तथा उन लोगों से आग्राह करते हैं कि वह अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें। राष्ट्रपति येओल के खिलाफ महाभियोग चलने के बाद उनके कुछ समर्थक भूख हड़ताल कर रहे हैं। यून को तीन दिसंबर को 'मार्शल ला' लगाने के अपने आदेश के सिलसिले में, विद्रोह भड़काने के आरोप में जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद देश में उथल-पुथल मच गई थी।

मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने यून के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया था। यून के राष्ट्रपति पद को औपचारिक रूप से समाप्त किया जाए या उसे बहाल किया जाए, इसका फैसला संवैधानिक न्यायालय करेगा। अगर संवैधानिक न्यायालय यून के महाभियोग को बरकरार रखता है, तो उन्हें आधिकारिक रूप से पद से हटा दिया जाएगा और दो महीने के भीतर उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किए जाएंगे।

नेपाल में तीन जगह भूकम्प आया, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

काठमांडो, 8 मार्च (भाषा)।

नेपाल में शनिवार को तीन जगह भूकम्प का झटका महसूस किया गया। हालांकि, इसमें किसी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। नेपाल के राष्ट्रीय भूकम्प निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र (एनईएमआरसी) के अनुसार, स्थानीय समयानुसार अपराह्न 2:35 बजे 5.9 तीव्रता का भूकम्प दर्ज किया गया, जिसका केंद्र पूर्वी नेपाल के तापलेजंग जिले से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर में तिब्बत की डिंगे काउंटी में था। एनईएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि भूकम्प के झटके काठमांडो और पूर्वी नेपाल के कुछ अन्य जिलों में भी महसूस किए गए। इससे पहले दिन में पश्चिमी नेपाल के बागलुंग और म्याग्दी जिलों में क्रमशः दो भूकम्प आने की खबर मिली।

एनईएमआरसी के अनुसार, काठमांडो से करीब 300 किलोमीटर दूर बागलुंग जिले में सुबह छह बजकर 20 मिनट पर भूकम्प आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.1 थी और इसका केंद्र जिले का खुखानी इलाका था। इसने बताया कि इससे पहले तड़के 3.14 बजे बागलुंग से करीब 40 किलोमीटर दूर म्याग्दी जिले में भूकम्प के झटके महसूस किए गए।

संघर्ष — यूक्रेन के दोनत्स्क क्षेत्र में शनिवार को रूसी राकेट के हमले के बाद इमारत में लगी आग बुझाते अग्निशमन दल के कर्मचारी।

टोरंटो के एक पब में गोलीबारी, 12 लोग घायल : पुलिस

टोरंटो, 8 मार्च (एपी)।

कनाडा में पूर्वी टोरंटो के एक पब में गोलीबारी में 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि तीन लोग बार के अंदर घुस गए और बिना किसी चेतावनी के उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की।

टोरंटो पुलिस सेवा के अधीक्षक पाल मैकइंटायर ने बताया कि पुलिस के पास शुक्रवार रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर 'पाइपर आर्म्स' पब में गोलीबारी होने संबंधी कई आपातकालीन 'काल' आईं। मैकइंटायर ने घटनास्थल पर प्रेसवार्ता में बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि तीन लोग पब में घुसे और ग्राहकों पर गोली चलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि तत्काल कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के पास राइफल जैसा कोई हथियार था तथा दो अन्य हमलावरों के पास 'हैंडगन' थी। तीनों बार में घुसे और वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। उन्होंने कहा कि गोलीबारी में किसी की जान नहीं गयी।

अधीक्षक के अनुसार पुलिस मौके पर पहुंची और उसे वहां 12 लोग गंभीर रूप से घायल मिले। मैकइंटायर ने बताया कि घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जिनमें छह को गोली लगी है तथा छह अन्य शीशा टूटने से घायल हुए। उन्होंने कहा कि किसी की जान खतरे में नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस गोलीबारी के पीछे की मंशा तत्काल स्पष्ट नहीं हो पायी है। गोलीबारी के तुरंत बाद पुलिस ने बताया कि काले रंग का बालाक्लावा (मास्क) पहने एक संदिग्ध को घटना के बाद कार से फरार होते हुए देखा गया।

अफगान महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर तालिबान ने जोर दिया

काबुल, 8 मार्च (एपी)।

तालिबान ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक संदेश जारी कर कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाएं सुरक्षा के साथ रह रहीं हैं और उनके अधिकार सुरक्षित हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने यहां महिलाओं के लिए रोजगार एवं शिक्षा पर लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की है।

अफगानिस्तान पर 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद से, उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के छठी कक्षा से आगे की पढाई करने, नौकरी करने और सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर रोक लगा दी थी। पिछले अगस्त में, गुण एवं दोष मंत्रालय ने ऐसे कानून बनाये, जो घर के बाहर महिलाओं की आवाज और उनके खुले चेहरे पर प्रतिबंध लगाता है। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर एक बयान जारी किया, जिसमें विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का उल्लेख नहीं किया गया, जो आठ मार्च को मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा, सम्मान और कानूनी अधिकार इस्लामिक अमीरात के लिए प्राथमिकता हैं,

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक संदेश जारी।

तालिबान द्वारा अपनी सरकार का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द। उन्होंने कहा कि अफगान महिलाएं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सुरक्षित हैं। मुजाहिद ने कहा कि इस्लामिक कानून एवं अफगान समाज की संस्कृति और परंपराओं के अनुसार, अफगान महिलाओं के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है।

हालांकि, यह नहीं भूलना चाहिए कि अफगान महिलाओं के अधिकारों पर इस्लामी और अफगान समाज के भीतर चर्चा की जा रही है, जो पश्चिमी समाजों और उनकी संस्कृति से स्पष्ट रूप से भिन्न है।

सेना प्रमुख ने कहा

पाक व चीन में उच्च स्तर का गठजोड़

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

सेना प्रमुख ने भविष्य के लिए सेना की तैयारियों, जारी संघर्षों से सबक, बांग्लादेश, नियंत्रण रेखा (एलओसी) और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति से जुड़े कई सवालों पर अपने विचार रखे।

चीन और पाकिस्तान का परोक्ष संदर्भ देते हुए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को कहा कि 'उच्च स्तर का गठजोड़' है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। 'इंडिया टुडे कान्क्लेव' में एक परिचर्चा सत्र के दौरान चीन और पाकिस्तान के बीच निकटता पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या है, जहां तक मेरा संबंध है, दो-मोर्चों पर खतरा एक वास्तविकता है।

सत्र के दौरान, सेना प्रमुख ने भविष्य के लिए सेना की तैयारियों, जारी संघर्षों से सबक, बांग्लादेश, नियंत्रण रेखा (एलओसी) और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति से जुड़े कई सवालों पर अपने विचार रखे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती करीबी से जुड़े सवाल पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अब, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, वह है हमारे पश्चिमी पड़ोसी और बांग्लादेश के बीच संबंध या सहयोग है। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरा सवाल है, क्योंकि मैंने कहा है कि आतंकवाद का केंद्र एक विशेष देश में है, उनके मेरे किसी पड़ोसी देश से संबंध है, मुझे चिंतित होना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के लिए उस देश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आज मेरी प्रमुख चिंता है। जनरल ने कहा कि बांग्लादेश की भूमिका पर सवाल उठाना 'बहुत जल्दी' होगा, जहां सरकार परिवर्तन से इसके और भारत के बीच संबंधों में बदलाव आ सकता है।

उन्होंने कहा कि क्योंकि जहां तक मेरा सवाल है, मैं बहुत स्पष्ट हूं, वर्तमान में (दोनों देशों के बीच) सैन्य संबंध बहुत मजबूत हैं। हम किसी भी तरह की गलत सूचना से बचने के लिए नियमित रूप से संचार का आदान-प्रदान करते हैं। उनसे यह भी पूछा गया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान-चीन समीकरण को कैसे देखा। सेना प्रमुख ने कहा कि हमें यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि उच्च स्तर का गठजोड़ है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। आभासी क्षेत्र के संदर्भ में, यह लगभग 100 फीसद है जबकि भौतिक संदर्भ में, मैं कहूंगा कि अधिकांश उपकरण चीन निर्मित हैं।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने विधानसभा में बताया | जानकारी | 371 अन्य पुलों में मरम्मत की आवश्यकता पाई गई

जम्मू-कश्मीर में 765 स्कूल भवन, 11 पुल असुरक्षित

जम्मू, 8 मार्च (भाषा)।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने शनिवार को विधानसभा में बताया कि 765 स्कूल भवनों और 11 पुलों को असुरक्षित घोषित किया गया है, जबकि 371 अन्य पुलों में मरम्मत की आवश्यकता पाई गई।

लोक निर्माण (सड़क एवं भवन विभाग) के प्रभारी मंत्री चौधरी ने विधानसभा में नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के विधायक शमीम फिरदौस के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'लोक निर्माण (सड़क एवं भवन विभाग) ने 20 साल पहले बने 382 पुलों का सुरक्षा आडिट पूरा कर लिया है। इस आडिट के दौरान 11 पुल असुरक्षित पाए गए, जबकि 250 पुलों को ज्यादा मरम्मत की जरूरत है और 121 पुलों को मामूली मरम्मत की आवश्यकता है।' उन्होंने कहा कि असुरक्षित पुलों को बंद कर दिया गया है और उनका पुनर्निर्माण कार्य जारी है, जबकि अन्य पुलों की मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

चौधरी ने बताया कि विभाग ने 10 वर्ष पहले निर्मित सभी पुलों का सुरक्षा आडिट भी शुरू कर दिया है, जो प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हर साल स्कूल भवनों का सुरक्षा आडिट कराया जाता है और यह एक नियमित प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने 765 असुरक्षित भवनों की पहचान की है, जिनका उपयोग किसी भी शिक्षण उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है और उचित औपचारिकताओं का पालन करने के बाद बड़ी संख्या में ऐसे भवनों को ध्वस्त किया जा रहा है।

विधानसभा में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने विधानसभा में नेशनल कांफ्रेंस के विधायक शमीम फिरदौस के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण (सड़क एवं भवन विभाग) ने 20 साल पहले बने 382 पुलों का सुरक्षा आडिट पूरा कर लिया है। इस आडिट के दौरान 11 पुल असुरक्षित पाए गए, जबकि 250 पुलों को ज्यादा मरम्मत की जरूरत है और 121 पुलों को मामूली मरम्मत की आवश्यकता है।

कोच्चि में डीआइजी कार्यालय पर पथराव करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

कोच्चि, 8 मार्च (भाषा)।

केरल में कोच्चि के निकट कलमस्सेरी में उपमहानिरीक्षक (डीआइजी) कार्यालय पर पथराव करने के आरोप में एक युवक को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान कोझिकोड जिले के मुक्कोम निवासी विष्णु के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि घटना के समय आरोपी कथित तौर पर नशे की हालत में था।

अधिकारियों के अनुसार, विष्णु अपने मोबाइल फोन के गुम होने की शिकायत दर्ज कराने के लिए शनिवार सुबह डीआइजी कार्यालय पहुंचा था। हालांकि, उसे स्थानीय पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने का निर्देश देकर उसे वापस भेज दिया गया। इससे निराश होकर वह बाद में वापस लौटा और कार्यालय पर पथराव किया।

महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता : मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने नारी सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधान मजबूत किए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने के लिए कानूनों में संशोधन किया है।

उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानून (भारतीय दंड संहिता) का स्थान लेने वाली भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) ने महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों को मजबूत किया है तथा इससे शिकायत दर्ज कराने में आसानी और न्याय प्रदान करने में तेजी आई है। मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नवसारी जिले के वांसी बोरसी गांव में एक जनसभा में कहा कि भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, 'जब कोई लड़की देर से घर लौटती है, तो उसके माता-पिता सवाल पूछते हैं, लेकिन जब कोई लड़का देर से आता है, तो वे ऐसा नहीं करते...उन्हें ऐसा करना चाहिए। पिछले दशक में, हमने महिलाओं की सुरक्षा को

गुजरात के नवसारी में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करतीं महिलाएं।

सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए हमने सख्त नियम और कानून बनाए हैं।' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'मेरी सरकार ने बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने के लिए कानून में बदलाव किया।' उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित की हैं। मोदी ने कहा कि देश भर में लगभग 800 अदालत स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से अधिकतर अब कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान और सुविधा को सर्वोच्च महत्व देती है।' उन्होंने कहा, 'नई लागू की गई भारतीय न्याय संहिता ने औपनिवेशिक कानून को खत्म कर दिया है तथा महिला सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को और मजबूत किया है। नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए इसमें एक अलग अध्याय जोड़ा गया है।'

मोदी ने कहा कि पीड़ितों को पहले न्याय में देरी की शिकायत होती थी, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए नए कानून में बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के मामलों में 60 दिन के भीतर आरोप तय करने और 45 दिन के भीतर फैसला सुनाए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कानून में कहीं से भी ई-प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी गई है, जिससे पुलिस के लिए तत्काल कार्रवाई करना आसान हो गया है। मोदी ने कहा कि 'जीरो' प्राथमिकी के प्रावधान के तहत कोई भी महिला अत्याचार का सामना करने पर किसी भी थाने में मामला दर्ज करा सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस अब बलात्कार पीड़िताओं के बयान आडियो-वीडियो माध्यम से दर्ज कर सकती है, जिसे कानूनी मान्यता मिल गई है।

खरगे ने कहा, केंद्र सरकार ने 11 साल में बोले 11 बड़े झूठ

कलबुर्गी (कर्नाटक), 8 मार्च (भाषा)।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश से झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने ने 11 साल के अपने कार्यकाल के दौरान 11 बड़े झूठ बोले हैं।

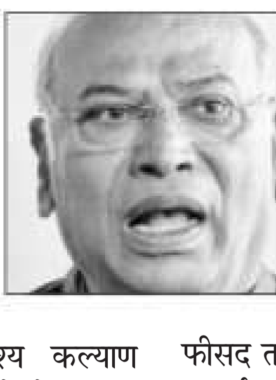

जेवरगी में कल्याण पथ परियोजना की शुरूआत के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खरगे ने मोदी पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। इस परियोजना का उद्देश्य कल्याण कर्नाटक के 38 ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में 1,166 किलोमीटर सड़क बनाना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुरूप तैयार की गई इस परियोजना पर 1,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, ह्यग्यारह साल में मोदी ने छोटे नहीं, 11 बड़े झूठ बोले हैं। पहला झूठ विदेश से काला धन लाना और लोगों के बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए डालना है। दूसरा झूठ हर साल दो करोड़ नौकरियां पैदा करना है। लेकिन मुझे अब भी नहीं पता कि हमारे युवा उनका समर्थन क्यों करते हैं? क्या वे जाति, धर्म या आचरण के आधार पर ऐसा करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं का समर्थन क्यों नहीं करते, जिसके नेताओं ने अपना जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी और देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। खरगे ने आरोप लगाया, ह्यतीसरा झूठ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का वादा, जो वास्तव में 40-50 फीसद तक बढ़ गई हैं; चौथा, 2022 तक गंगा की सफाई का दावा; पांचवां, ह्यमेक इन इंडियाह्व पहल के तहत विनिर्माण क्षेत्र में लाखों नौकरियां पैदा करना; छठा, 2022 तक सभी भारतीयों के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराना; और सातवां, किसानों की आय दोगुनी करना। उन्होंने कहा, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर आप झूठ बोलेंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। राज्यसभा के पिछले चुनाव समेत 12 चुनावों में मैंने कभी झूठे वादे नहीं किए, मैंने हमेशा कहा है कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, विधानसभाओं व संसद में नियोजित गतिरोध उचित

असहमति लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत : बिरला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सहमति और असहमति को लोकतंत्र की ताकत बताते हुए शनिवार को कहा कि विधानसभाओं और संसद में नियोजित गतिरोध लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उचित नहीं है।

बिरला ने जयपुर में ह्यकान्स्टीट्यूशन क्लब आफ राजस्थान' के शुरुआती कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सहमति और असहमति लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन विधानसभाओं और संसद में सुनियोजित गतिरोध लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए ठीक नहीं, जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित

करने के लिए विधायी संस्थानों को चर्चा और संवाद का केंद्र बनना होगा। बिरला ने कहा कि भारत का संविधान केवल कानूनों का संकलन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है। पिछले 75 वर्षों में संविधान के मार्गदर्शन में हमने कई परिवर्तन देखे हैं। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में सार्थक संवाद और स्वस्थ बहस होनी चाहिए, व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप और जानबूझकर पैदा किए गए गतिरोध लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि यह संविधान क्लब पक्ष-विपक्ष के बीच सार्थक विमर्श और सहमति का मंच बनेगा। बिरला ने कहा कि यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श, विचारशीलता और नीति-निर्माण को दिशा देने वाला मंच है। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं होता, बल्कि सतत संवाद और सहमति से आगे बढ़ता है। यह क्लब नीति-निर्माण और सुशासन को नयी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान विधानसभा हमेशा मार्गदर्शक रही है, यहां पारित कई विधेयक पूरे देश के लिए उदाहरण बने हैं।

उत्साह

चेन्नई स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में पासिंग आउट परेड के दौरान कैडेट जश्न मनाते हुए।

चेन्नई के संस्थान से 100 से अधिक कैडेट सेना में शामिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

चेन्नई के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में आयोजित 'पासिंग आउट परेड (पीओपी)' के बाद शनिवार को महिलाओं सहित 100 से अधिक अधिकारी कैडेट को भारतीय सेना में शामिल किया गया।

> कुल 133 अधिकारी कैडेट और 24 अधिकारी कैडेट (महिलाओं) को भारतीय सेना की विभिन्न शाखाओं और सेवाओं में शामिल किया गया।

सैन्य प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि ओटीए के 'परमेश्वरन ड्रिल स्क्वायर' में शानदार सैन्य परेड के साथ 'शार्ट सर्विस कमीशन' और समकक्ष पाठ्यक्रमों के अधिकारियों का 'पासिंग आउट' समारोह आयोजित किया गया। बयान में कहा गया, 'कुल 133 अधिकारी कैडेट और 24 अधिकारी कैडेट (महिलाओं) को भारतीय सेना की विभिन्न शाखाओं और सेवाओं में शामिल किया गया। इसके अलावा पांच मित्र देशों के पांच विदेशी अधिकारी कैडेट और सात विदेशी अधिकारी कैडेट (महिलाओं) ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया, जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार सौहार्द और सहयोग के बंधन को बढ़ावा मिलेगा।'

'पासिंग आउट परेड' का अवलोकन नई दिल्ली के इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू ने किया, जिन्होंने विभिन्न कैडेट को तलवार, ओटीए गोल्ड मेडल और अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए।

'महिलाओं को एक हत्या करने से छूट दी जाए'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा)-शरदचंद्र पवार की महिला शाखा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अजीबो-गरीब मांग कर दी है। महिला शाखा ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मद्देनजर एक हत्या के लिए सजा से छूट देने का आग्रह किया है। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी की महिला शाखा की अध्यक्ष रोहिणी खडसे ने महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा कि महिलाएं दमनकारी मानसिकता, बलात्कार वाली मानसिकता और निष्क्रिय कानून-व्यवस्था की प्रवृत्ति को खत्म करना चाहती हैं। खडसे ने हाल ही में मुंबई में 12 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार की घटना का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। खडसे ने पत्र में कहा कि हम सभी महिलाओं की ओर से एक हत्या करने पर सजा में छूट की मांग कर रहे हैं। इस पत्र का उद्देश्य राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधना है। उन्होंने एक रपट का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है क्योंकि उनके खिलाफ घरेलू हिंसा सहित कई अपराध हो रहे हैं।

> राकांपा (शरदचंद्र पवार) की महिला नेता ने राष्ट्रपति से की अजीबो-गरीब मांग।

भर्ती परीक्षा कदाचार मामले में दो आरोपियों की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

ऐसे कृत्य कार्यपालिका पर जनविश्वास की कमी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने एक सार्वजनिक भर्ती परीक्षा की शुचिता से समझौता करने के आरोपी दो व्यक्तियों को जमानत देने के एक आदेश को रद्द करते हुए कहा कि इससे संभवतः कई अन्य लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने नौकरी पाने की उम्मीद में ईमानदारी से प्रयास किया था।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि इस तरह के कृत्य लोक प्रशासन और कार्यपालिका पर जनविश्वास में संभावित कमी के द्योतक हैं। पीठ ने कहा कि भारत में, वास्तविकता यह है कि सरकारी नौकरियों के इच्छुक लोगों की संख्या उपलब्ध

नौकरियों से कहीं ज्यादा है। जैसा कि हो सकता है, प्रत्येक नौकरी में प्रवेश की एक स्पष्ट प्रक्रिया होती है, जिसमें निर्धारित परीक्षा और साक्षात्कार से गुजरना होता है, उसे केवल उसी के अनुसार भरा जाना होता है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण ईमानदारी से जनता में इस बात का विश्वास पैदा होता है कि जो लोग इन पदों के वास्तविक हकदार हैं, उन्हें ही इन पदों पर नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के पिछले वर्ष मई के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार द्वारा दायर की गयी अपील पर अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2022 के प्रावधानों के तहत कथित अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी के संबंध में दोनों आरोपियों को जमानत दी थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने सहायक अभियंता सिविल (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 की शुचिता से समझौता किया है।

पेज 1 का बाकी

भाजपा के लिए काम कर रहे कांग्रेसियों को छांटना होगा

कांग्रेस में नेतृत्व और कार्यकर्ता स्तर पर दो तरह के लोग हैं। एक वो जो लोगों के प्रति ईमानदार हैं, वे उनके लिए लड़ते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। और दूसरे वो हैं, जो लोगों से कटे हुए हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं और उनमें से आधे भाजपा के साथ हैं।लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी का पहला काम इन दोनों समूहों का पता लगाना है, भले ही इसके लिए लोगों को हटाने की सख्त कार्रवाई करनी पड़े। जब तक दोनों समूहों को अलग नहीं किया जाता, तब तक गुजरात के लोग पार्टी पर विश्वास नहीं करेंगे। हमारे जिला, ब्लाक अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के दिलों में पार्टी के लिए जगह होनी चाहिए।

उन्हें अपनी रगों में कांग्रेस को लेकर चलना चाहिए। चुनाव जीतने और हारने के मुद्दे को एक तरफ रख दें। जैसे ही हम ऐसा करेंगे, गुजरात के लोग हमारे संगठन से जुड़ना चाहेंगे और हम उनके लिए दरवाजे खोल देंगे।' उन्होंने दावा किया कि राज्य के लोग फंस गए हैं और हीरा, कपड़ा और सिरेमिक उद्योग खस्ताहाल है। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात के किसानों को देखिए। वे एक नए दृष्टिकोण का आ''ान कर रहे हैं। पिछले 20-25 वर्षों का दृष्टिकोण विफल हो गया है और कांग्रेस आसानी से यह दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है। लेकिन यह तब तक संभव नहीं है, जब तक कि इन दो प्रकार के लोगों को अलग नहीं किया जाता। गुजरात आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है और कांग्रेस उसे रास्ता दिखाने में असमर्थ है। मैं शर्म या डर से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि हम गुजरात को रास्ता दिखाने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तीन दशक से गुजरात में सत्ता से बाहर है और जब भी वह राज्य का दौरा करते हैं, तो चर्चा चुनावों के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन सवाल चुनावों का नहीं है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, गुजरात के लोग हमें चुनाव नहीं जिताएंगे। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, तब तक हमें लोगों से सत्ता सौंपने के लिए नहीं कहना चाहिए। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं कि गुजरात के सभी लोग हमारा समर्थन करेंगे। पिछले 30 वर्षों से गुजरात के कांग्रेस नेताओं से जो उम्मीदें थीं, वो पार्टी पूरी नहीं कर सकी है।

गुजरात ने कांग्रेस को महात्मा गांधी के रूप में उसका मूल नेतृत्व, सोच, संघर्ष और जीने का तरीका दिया। राहुल ने कहा कि गांधी के बिना कांग्रेस देश को आजादी नहीं दिला पाती। कांग्रेस के पांच महानतम नेताओं में से एक सरदार पटेल भी गुजरात से थे। कांग्रेस में जिला, ब्लाक और उच्च स्तर पर नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन वे जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हमारे नेताओं को, जिनमें मैं भी शामिल हूं, गुजरात के लोगों के बीच जाना होगा, उनकी आवाज सुननी होगी, उन्हें मुझसे क्या उम्मीदें हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं – उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए। हम आपकी बात सुनने के लिए यहां हैं।

उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर पार्टी अपने वोट फीसद में पांच फीसद की बढ़ोतरी करने में सफल होती है, तो वह गुजरात में सत्ता में आ सकती है। तेलंगाना में पार्टी वोट फीसद में 22 फीसद की बढ़ोतरी करने में सफल रही। राहुल ने अपने दौरे के पहले दिन पार्टी नेताओं और जिला और ब्लाक स्तर के अध्यक्षों के साथ बैठकें की थीं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आगामी सत्र 8-9 अप्रैल को अहमदाबाद में होगा। यह राज्य में 64 साल बाद आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य की 182 सीट में से केवल 17 सीट जीतीं। हालांकि, पांच विधायकों के इस्तीफे के बाद सदन में पार्टी का संख्या बल घटकर 12 रह गया।

शुल्क पर भारत की सहमति के ट्रंप के बयान पर सरकार खामोश

कहा, 'वैसे, वे इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अब वे अपने शुल्क में कटौती करना चाहते हैं, क्योंकि अब कोई तो उनके किए की पोल खोल रहा है।' उन्होंने कहा, 'चीन के साथ भी यही बात है। अन्य कई देशों के साथ भी यही बात है, तथा यूरोपीय संघ इस देश का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है।' ट्रंप की यह टिप्पणी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की उनके अमेरिकी समकक्ष हावर्ड लुटनिक के साथ व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका यात्रा के बाद आई है।

ट्रंप ने इस सप्ताह तीसरी बार भारत द्वारा लगाए गए उच्च शुल्क की आलोचना की है। इससे पहले गुरुवार को ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत उच्च शुल्क वाला देश है और उन्होंने दोहराया कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर जवाबी शुल्क दो अप्रैल से लागू होंगे। मंगलवार को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने भारत और अन्य देशों द्वारा लगाए गए उच्च शुल्क की आलोचना की और उन्हें 'बहुत अनुचित' करार दिया। पिछले महीने, वाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा था कि भारत 'शुल्क के मामले में बहुत मजबूत रहा है।' उन्होंने कहा, 'मैं उन्हें दोष नहीं देता, लेकिन यह व्यापार करने का एक अलग तरीका है। भारत में उत्पाद बेचना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके पास व्यापार संबंधी बाधाएं हैं, बहुत मजबूत शुल्क हैं।' कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा बयान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यदि 'टैरिफ' (शुल्क) के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप की बात सही है तो यह सरकार का आत्मसमर्पण है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को 10 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद को विश्वास में लेना चाहिए। रमेश ने ट्रंप के ताजा बयान का हवाला देते हुए 'एक्स' पर पोस्ट किया कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के लिए वाशिंगटन डीसी में हैं। इसी बीच, राष्ट्रपति ट्रंप यह बयान देते हैं। भारत ने आखिर क्या सहमति दी है? क्या भारतीय किसानों और विनिर्माण क्षेत्र के हितों से समझौता किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि जब संसद 10 मार्च को फिर से शुरू होगी, तब प्रधानमंत्री को इस पर संसद को विश्वास में लेना चाहिए। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय नागरिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के माध्यम से अपनी सरकार की व्यापार नीति को जान रहे हैं। क्या भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के करीबी मित्र डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में शुल्क में कटौती का फैसला लिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दबाव में झुक गए हैं और 'हाउडी मोदी के करीबी दोस्त नमस्ते ट्रंप' द्वारा निर्देशित मानदंड पर हस्ताक्षर कर दिए हैं?।

भारत और न्यूजीलैंड में आज खिताबी भिड़ंत

का यह आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है। भारत के लिए यह चुनौती सिर्फ न्यूजीलैंड से ही नहीं, बल्कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी निर्भर है। यह संभवतः दोनों खिलाड़ियों के करिअर का आखिरी बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है और दोनों खिताब के साथ विदाई लेना चाहेंगे।

न्यूजीलैंड हमेशा भारत के लिए मैच में एक कठिन चुनौती साबित हुआ है और आइसीसी टूर्नामेंटों में उसका रेकार्ड भारत के खिलाफ 10-6 का रहा है। न्यूजीलैंड ने आइसीसी नाकआउट चरण में भारत के खिलाफ चार में से तीन मुकाबले जीते हैं। हालांकि, अब यह तर्क कमजोर लगता है क्योंकि न्यूजीलैंड भी दुबई के मैदान पर खेल चुका है। भारतीय टीम का आत्मविश्वास इस कारण भी बढ़ा है कि उनकी स्पिन चौकड़ी दुबई की सपाट पिच पर अब तक प्रभावी रही है। वहीं, न्यूजीलैंड को लीग चरण में भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम चार स्पिनरों और दो तेज गेंदबाजों के संयोजन के साथ मैदान में उतर सकती है। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव जैसे स्पिनरों ने पूरे टूर्नामेंट में विरोधी बल्लेबाजों को परेशान किया है। वहीं, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती दी है। अगर फाइनल उसी पिच पर खेला जाता है, जहां भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो यह स्पिन चौकड़ी न्यूजीलैंड को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। भारतीय टीम को जीतने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा से बड़ी भूमिका की उम्मीद होगी। हाल के मैचों में रोहित शर्मा ने 20-30 रन तो बनाए हैं, लेकिन अब उन्हें बड़ी पारी खेलने की जरूरत होगी। वहीं, विराट पिछले कुछ मैचों में शानदार लय में नजर आए हैं और उनका प्रदर्शन भारत के लिए अहम साबित हो सकता है।

लड़कियों के धर्म परिवर्तन के लिए मौत की सजा का प्रावधान करेंगे : मोहन यादव

प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम में धर्म परिवर्तन के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान किया जाएगा। राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण के पीछे शामिल लोगों को नहीं बख्शेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया है कि वह ऐसी कुप्रथाओं और गलत कामों से सख्ती से निपटेगी।बाद में यादव ने एक्स पर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बेटियों की सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि बेटियों से बलात्कार करने वालों के लिए मौत की सजा के प्रावधान के बाद अब मध्य प्रदेश में बेटियों का धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए भी मृत्युदंड का प्रावधान किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आठ मार्च, 2021 को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, जिसमें भाजपा ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अपना रुख सख्त कर दिया था, जिसे वह 'लव जिहाद' कहती है। महिला दिवस के अवसर पर मोहन यादव ने भोपाल में अपने कार्यालय का कार्यभार महिलाओं को सौंप दिया। उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी महिला पुलिस अधिकारियों ने संभाली। उनकी कार भी महिला चालक चला रही थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मेरे कार्यालय की सारी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंप दी गई है। राज्य सरकार भी कई योजनाएं चला रही है, जिससे हमारी बहनों का जीवन बेहतर होगा और महिला सशक्तिकरण का आदर्श उदाहरण बनेगा। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना 'लाडली बहना योजना' के 1.27 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1,552.73 करोड़ रुपए का डिजिटल हस्तांतरण भी किया।

हंपी : इजराइली पर्यटक समेत दो महिलाओं से सामूहिक बलात्कार

आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो आरोपियों ने 100 रुपए मांगे।शिकायतकर्ता ने प्राथमिकी में कहा कि मैं उन्हें नहीं जानती थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मेरे पास रुपए नहीं हैं।

जब पुरुषों ने बार-बार जोर दिया, तो ओड़ीशा के पुरुष पर्यटकों में से एक ने उन्हें 20 रुपए दिए। इसके बाद, तीनों पुरुषों ने कथित तौर पर बहस करना शुरू कर दिया और पत्थरों से उनके सिर पर वार करने की धमकी दी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जब महिला ने और पर्यटकों ने उन्हें रुपए देने से इनकार कर दिया, तो कन्नड़ और तेलगु बोलने वाले आरोपियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने तीनों पुरुष पर्यटकों को नहर में धक्का दे दिया और महिला तथा इजराइल की पर्यटक के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने होमस्टे संचालक की पिटाई भी की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसका बैग भी छीन लिया तथा दो मोबाइल फोन और 9,500 रुपए नकद छीन लिए। तीन पुरुष पर्यटकों में से दो घायल हो गए, जबकि एक अन्य लापता हो गया, जिसका शव शनिवार रात बरामद किया गया।

‘भारत को नई प्रौद्योगिकी विकसित करने वाला देश बनाना होगा’

नई दिल्ली, 8 मार्च (एजंसी)।

> **वायु** सेना प्रमुख ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मौजूदा संघर्षों से एक सबक यह मिलता है कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए।

वायुसेना प्रमुख ‘एयर चीफ मार्शल’ एपी सिंह ने शनिवार को कहा कि भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र को उस स्तर पर पहुंचने की जरूरत है जहां नई प्रौद्योगिकी का विकास भारत में हो और अन्य देश इसका अनुसरण करें।

वायु सेना प्रमुख ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मौजूदा संघर्षों से एक सबक यह मिलता है कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। वायुसेना प्रमुख ने कहा, इसलिए अपनी अन्य क्षमताओं के साथ हमें लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में टिके रहने की क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पहले का यह विचार अब बदल गया है कि युद्ध ‘छोटे और त्वरित’ होंगे। उन्होंने कहा, और हमें उद्योग के समर्थन की आवश्यकता है ताकि हम अपने घाटे को पूरा कर सकें। दूसरा, हवाई क्षेत्र में नियंत्रण की प्रधानता स्पष्ट रूप से सामने आई है। एयर चीफ मार्शल सिंह से जब दुनिया में जारी संघर्षों से मिले सबक के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि संघर्ष से प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से मानव रहित वाहनों की भूमिका सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। उनसे उन खबरों के बारे में भी सवाल किया गया कि पाकिस्तान एक पड़ोसी देश से पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान लेने वाला है। उन्होंने कहा कि यह सार्वजनिक स्रोत से मिली सूचना है, पाकिस्तान को पांचवीं पीढ़ी के विमान दिए जाने की बातचीत जारी है। हालांकि, वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अगर दुश्मन का विमान प्रौद्योगिकी के रूप से उन्नत है, तो रणनीति अपनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह ‘बिल्ली और चूहे का खेल’ है जो चलता रहेगा।

उन्होंने कहा, हमें उनके (प्रतिद्वंद्वी के) कदम उठाने पहले ही अनुमान लगाना होगा और प्रौद्योगिकी में उनसे आगे निकलना होगा। एयर चीफ मार्शल सिंह ने इस बात पर अफसोस जताया कि हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसे चरण तक पहुंचने की जरूरत है जहां नई प्रौद्योगिकी भारत से निकले और दूसरे उसका अनुसरण करें।

जम्मू-कश्मीर पर 1.25 लाख करोड़ का कर्ज : सरकार

जम्मू, 8 मार्च (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को कहा कि उसका कुल कर्ज 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) में 27,900 करोड़ रुपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा सदस्य सज्जाद गनी लोन को एक लिखित जवाब में कहा कि 31 मार्च, 2024 तक जम्मू-कश्मीर का कुल कर्ज 1,25,205 करोड़ रुपए है। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं।

उन्होंने कहा, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) और राज्य विकास से 69,894 करोड़ रुपए के ऋण, जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) में 27,901 करोड़ रुपए, रिजर्व में 14,294 करोड़ रुपए, बकाया राष्ट्रीय लघु बचत निधि में 5,758 करोड़ रुपए, समझौता ऋण में 4,032 करोड़ रुपए, उदय बिजली ऋण में 2,616 करोड़ रुपए और भारत सरकार के अग्रिम में 710 करोड़ शामिल हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि 27 फरवरी, 2025 तक विभिन्न खाता शीर्षों के तहत कोषागारों में कुल बकाया देयता 5,429.49 करोड़ रुपए है।

राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति रूपरेखा के मुद्दे पर राज्यों से समर्थन मांगेगा एसकेएम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 मार्च।

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने एक बार फिर राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति रूपरेखा (एनपीएफएएम) के मुद्दे को उठाया है। तमिलनाडु के बाद दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी एसकेएम ज्ञापन सौंपकर इस रूपरेखा के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह करेगा। एसकेएम के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए एनपीएफएएम को जनविरोधी और कारपोरेट समर्थक करार दिया।

मोर्चा ने निशाना साधते हुए प्रस्तावित नीति को केंद्र सरकार के हाथों सत्ता का केंद्रीकरण करार दिया। इसे प्रदेश सरकारों के संघीय अधिकारों को छीनने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे कृषि को विकसित करने में मुश्किलें और बढ़ेगी।

नवयुग कन्या महाविद्यालय
राजेन्द्र नगर, लखनऊ

एम.ए.अर्थशास्त्र (स्ववित्तपोषित संकाय) में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या-02 (01 पद पर Econometrics Specialisation अभ्यर्थी को वरीयता) शैक्षिक योग्यता यू.जी.सी. एवं लखनऊ विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली अनुसार वेतन रू. 20,000/- प्रतिमाह आवेदन की अन्तिम तिथि-20.03.2025 इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र कार्यालय से रू. 700.00 भुगतान कर प्रातः 10:00 से 4:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।
(विजय दयाल) प्रबन्धक

JM FINANCIAL
जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएनः U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालयः 7वीं मंजिल, सीएनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
वेबसाइटः www.jmfinancialarc.com
संपर्क व्यक्तिः
(1). पंकज कश्यप – 9136178689,
(2). रोहन सावंत –9833143013,
(3). प्रशांत मोंडे – 022–6224 1676

शुद्धिपत्र

आम जनता को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी बिक्री नोटिस नवीन बिक्री विज्ञापन **बुधवार, 05 फरवरी, 2025** को फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) समाचार पत्र में **दिल्ली संस्करण** में प्रकाशित हुआ।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व प्रकाशन दिनांक 05-02-2025 में नीलामी की तिथि अनजाने में 14-03-2025 अंकित हो गई थी, जिसे सर्वसाधारण को 11-03-2025 पढ़ने की सलाह दी जाती है। तिथि को छोड़कर अन्य सभी विवरण/नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।
दिनांकः 09.03.2025, स्थानः दिल्ली
हस्ता./–, (प्राधिकृत अधिकारी), (अरण्य–ट्रस्ट)

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी-बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो बिजनेस पार्क, लोहेगांव, पुणे -411014. शाखा इकाईः प्रथम तल, सत्या बिजनेस पार्क, 1, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ, पिन- 226001

ई-नीलामी-बिक्री सूचना
सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत अचल परिसम्पत्ति की बिक्री

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (‘अधिनियम’) के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि **गृहम हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड** जो कि 17 नवम्बर, 2023 से पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड से बदलकर **गृहम हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड हो गया) (पूर्व का मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (अधिनियम के अनुसार इसके पश्चात ‘प्रतिभूत लेनदार’ संदर्भित)** के पास गिरवी नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत कम्पनी के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया था।
प्रतिभूत आस्ति की बिक्री कॉलम (जे) में उल्लिखित के अनुसार ई-नीलामी के माध्यम से **‘जैसा है जहां है’, ‘जो है यही है’ तथा ‘जो कुछ भी है वहीं है’** आधार पर की जायेगी। एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.grihumhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

क्र. सं.	प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (A)	मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि (B)	कब्जे की प्रकृति (C)	सम्पत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (E)	ईएमडी (आरपी का 10%) (F)	ईएमडी जमा करने की तिथि (G)	संविदा वृद्धि (H)	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय (I)	नीलामी की तिथि एवं समय (J)	ज्ञात ऋण भार/कोर्ट के मामले, यदि कोई हो, (K)
1.	ऋण संख्या **HF0055H21100665** विनोद कुमार बिश्वकर्मा, माधुरी देवी	**नोटिस दिनांकः** 09/07/2024 **कुल बकायाः** रू.1066519/- (रुपये दस लाख छियासठ हजार पांच सौ उन्नीस मात्र) 09/07/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 16.25% प्रति वर्ष ब्याज।	भौतिक	पुरानी आराजी संख्या 439 आराजी संख्या 333 का समस्त भाग क्षेत्रफल 917 वर्ग फीट यानि 85.22 वर्ग मीटर मौजा बबुरी परगना मझवार तहसील चंदौली जिला चंदौली में स्थित है। और प्लॉट की **सीमाएं पूर्वः** रेखा पांडे की जमीन **पश्चिमः** रेखा पांडे की जमीन **उत्तरः** कच्चा रास्ता 15 फीट चौड़ा **दक्षिणः** विद्यावती देवी की जमीन।	रू. 6,01,782/- (रुपये छह लाख एक हजार सात सौ बयासी मात्र)	रू. 60,178.2/- (रुपये साठ हजार एक सौ अठहत्तर और बीस पैसे मात्र)	24/03/2025 5 बजे अप. तक	10,000/-	18/03/2025 (11 बजे पूर्वा. - 4 बजे अप.)	25/03/2025 (11 बजे पूर्वा. - 2 बजे अप.)	निल
2.	ऋण संख्या **HF0055H21100672** संतोष कुमार गुप्ता, निर्मला गुप्ता	**नोटिस दिनांकः** 07/08/2024 **कुल बकायाः** रू.1073379/- (रुपये दस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ उन्यासी मात्र) 07/08/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 16.25% प्रति वर्ष ब्याज।	भौतिक	पुरानी आराजी संख्या 439 आराजी संख्या 333 का समस्त भाग क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट यानि 55.76 वर्ग मीटर मौजा बबुरी परगना मझवार तहसील चंदौली जिला चंदौली में स्थित है। निष्पादित बिक्री विलेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्लॉट की सीमाएँ **पूर्वः**- रेखा पांडे की भूमि **पश्चिमः**- विशाल की भूमि, **उत्तरः**- कच्चा रास्ता 15 फीट चौड़ा, **दक्षिणः**- विद्यावती देवी की भूमि	रू. 5,77,500/- (रुपये पांच लाख सतहत्तर हजार पांच सौ मात्र)	रू. 57,750/- (रुपये सत्तावन हजार सात सौ पचास मात्र)	24/03/2025 5 बजे अप. तक	10,000/-	18/03/2025 (11 बजे पूर्वा. - 4 बजे अप.)	25/03/2025 (11 बजे पूर्वा. - 2 बजे अप.)	निल
3.	ऋण संख्या **HL00603100000005021424** दुर्गेश कुमार, विमला देवी	**नोटिस दिनांकः** 09/12/2024 **कुल बकायाः** रू. 1451858/- (रुपये चौदह लाख इक्यावन हजार आठ सौ अट्ठावन मात्र) 09/12/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 15.25% प्रति वर्ष ब्याज	भौतिक	गाटा संख्या-370 का समस्त भाग क्षेत्रफल 74.34 वर्ग मीटर (800 वर्ग फीट) कौड़ियावां परगना बरौसा तहसील सदर जिला-सुल्तानपुर में स्थित है। निष्पादित बिक्री विलेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। संपत्ति की **सीमाएँ- पूर्वः**- 16 फिट रोड, **पश्चिमः**- प्लॉट जुदाई वा श्रीराम वा जग प्रसाद, **उत्तरः**- विक्रेता का प्लॉट जो रवि गुप्ता को बेच रहा है, **दक्षिणः**- विक्रेता का प्लॉट	रू. 13,10,750/- (रुपये तेरह लाख दस हजार सात सौ पचास मात्र)	रू. 1,31,075/- (रुपये एक लाख इकतीस हजार पचहत्तर मात्र)	29/03/2025 5 बजे अप. तक	10,000/-	25/03/2025 (11 बजे पूर्वा. - 4 बजे अप.)	09/04/2025 (11 बजे पूर्वा. - 2 बजे अप.)	निल
4.	ऋण संख्या **HL00603100000005021761** प्रदीप कुमार अग्रहरि, शिवानी	**नोटिस तिथिः** 09/12/2024 **कुल बकायाः** 1460709/- (रुपये चौदह लाख साठ हजार सात सौ नौ मात्र) 09/12/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 15.25% प्रति वर्ष ब्याज	भौतिक	गाटा संख्या-370 का समस्त भाग क्षेत्रफल 74.34 वर्ग मीटर (800 वर्ग फीट) कौड़ियावां परगना बरौसा तहसील सदर जिला-सुल्तानपुर में स्थित है। बिक्री विलेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। संपत्ति की सीमा (समझौते के अनुसार) **पूर्वः**- 16 फिट रोड, **पश्चिमः**- प्लॉट जुदाई वा श्रीराम वा जग प्रसाद, **उत्तरः**- विक्रेता प्लॉट, **दक्षिणः**- प्लॉट रवि गुप्ता	रू. 13,10,750/- (रुपये तेरह लाख दस हजार सात सौ पचास मात्र)	रू. 1,31,075/- (रुपये एक लाख इकतीस हजार पचहत्तर मात्र)	29/03/2025 5 बजे अप. तक	10,000/-	25/03/2025 (11 बजे पूर्वा. - 4 बजे अप.)	09/04/2025 (11 बजे पूर्वा. - 2 बजे अप.)	निल
5.	ऋण संख्या **HL00664000000005008365** धर्मेंद्र, सरोजनी	**नोटिस तिथिः** 07/08/2024 **कुल बकायाः** 637107/- (रुपये छह लाख सैंतीस हजार एक सौ सात मात्र) 07/08/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 15.25% प्रति वर्ष ब्याज	भौतिक	खसरा संख्या 527/2 का प्लॉट का पूरा हिस्सा क्षेत्रफल 54.36 वर्ग मीटर मोहल्ला मिश्रीपुर परगना सदर तहसील सदर जिला- शाहजहांपुर। बिक्री विलेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सीमा (बिक्री विलेख के अनुसार) **पूर्वः**- आराजी वीना बाजपेयी **पश्चिमः**- रास्ता कच्चा **उत्तरः**- असराज प्रेमलता आयदत **दक्षिणः**- आराजी मुन्नी देवी।	रू. 12,58,032/- (रुपये बारह लाख अट्ठावन हजार बत्तीस मात्र)	रू. 1,25,803.2/- (रुपये एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ तीन और बीस पैसे मात्र)	29/03/2025 5 बजे अप. तक	10,000/-	25/03/2025 (11 बजे पूर्वा. - 4 बजे अप.)	09/04/2025 (11 बजे पूर्वा. - 2 बजे अप.)	निल
6.	ऋण संख्या **HL00044100000005010817** इरशाद अली, नगीना	**नोटिस दिनांकः** 09/12/2024 **कुल बकायाः** रू. 1586379/- (रुपये पंद्रह लाख छियासी हजार तीन सौ उन्यासी मात्र) 09/12/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 14.75% प्रति वर्ष ब्याज	भौतिक	आराजी संख्या 47/1 मिन का पूरा हिस्सा, मौजा-चकराना तिवारी, परगना-अरैल, तहसील- करछना, प्रयागराज, क्षेत्रफल 1076.0 वर्ग मीटर। फिट या 100.43 वर्ग मीटर। निष्पादित बिक्री विलेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सीमाएं निम्नानुसार हैंः- **पूर्वः**- अन्य का प्लॉट, **पश्चिमः**- नवीन का प्लॉट **उत्तरः**- 15 फिट रोड **दक्षिणः**- अन्य का प्लॉट।	रू. 15,06,400/- (रुपये पंद्रह लाख छह हजार चार सौ मात्र)	रू. 1,50,640/- (रुपये एक लाख पचास हजार छह सौ चालीस मात्र)	29/03/2025 5 बजे अप. तक	10,000/-	25/03/2025 (11 बजे पूर्वा. - 4 बजे अप.)	09/04/2025 (11 बजे पूर्वा. - 2 बजे अप.)	निल
7.	ऋण सं. **HL00603000000005027330** श्री चंद्र वर्मा, सीता पति	**नोटिस दिनांकः** 09/12/2024 **कुल बकायाः** रू. 1453901/- (रुपये चौदह लाख तिरपन हजार नौ सौ एक मात्र) 09/12/2024 को देय, साथ ही वसूली तक 15.25% प्रति वर्ष ब्याज	भौतिक	गाटा संख्या-72,73,74,75, और 76 क्षेत्रफल (190.8 वर्ग मीटर/2053 वर्ग फीट) का संपूर्ण भाग मौजा श्रृंगीनारी टप्पा बनगवा तहसील हरैया जिलाः बस्ती में स्थित है। गिफ्ट डीड के अनुसार सीमाएं। **पूर्वः** स्कूल की बाउंड्री। **पश्चिमः** चक मार्ग 2 से 5 मीटर। **उत्तरः** पांडे की जमीन। **दक्षिणः** खेत शिव प्रसाद यदा हनुमान का खेत	रू. 30,12,297/- (रुपये तीस लाख बारह हजार दो सौ सत्तानवे मात्र)	रू. 3,01,229.7/- (रुपये तीन लाख एक हजार दो सौ उनतीस और सत्तर पैसे मात्र)	29/03/2025 5 बजे अप. तक	10,000/-	25/03/2025 (11 बजे पूर्वा. - 4 बजे अप.)	09/04/2025 (11 बजे पूर्वा. - 2 बजे अप.)	निल

इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी के बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो, का भुगतान सफल बोलीदाता को ही करना होगा।

इच्छुक बोलीदाताओं को अग्रिम में पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा तथा लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जिसे नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पता : प्लॉट नं. 68, तीसरी मंजिल, गुरुग्राम, हरियाणा-122003, हेल्पलाइन नम्बर : 7291981124, 25, 26, सपोर्ट ई-मेल आईडी : **Support@bankeauctions.com** सम्पर्क व्यक्ति : विनोद चौहान, ई-मेल आईडी : **delhi@c1india.com** संपर्क नं. 9948182222 से अनिवार्य है। कृपया ध्यान रहे कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ही ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को 17.02.2025 को या इससे पूर्व ‘‘गृहम हाउसिंग फाइनांस लि.’’, बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता नं. 000651000460 तथा आईएफएससी कोडः कढ़क0000006, 20, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 की खाता में किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से आहरित एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि कॉलम (जी) में उल्लिखित के अनुसार तक जमा करनी होगी तथा **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निशुल्क यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों प्रतियों को अपलोड, ईमेल करना होगा तथा स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी पताः प्रथम तल, सत्या बिजिनेस पार्क, 1, **नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ, पिन-226001, मोबाइल नं.** +919657443073 **ई-मेल आईडी : rohan.savala@grihumhousing.com** पर भेजना होगा।

ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया **https://www.bankeauctions.com** तथा **www.grihumhousing.com** पर जाएं।

इस नोटिस को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के तहत कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को 15/30 दिनों का नोटिस माना जाए।

दिनांकः 09/03/2025, स्थानः उत्तर प्रदेश — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
IS 15700:2018
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-13
आफिस काम्प्लेक्स, (द्वितीय तल) सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ
E-Mail Id :- cd13lucknow@gmail.com

पत्र सं0-273/AC-5/10 दिनांक 07.03.2025

ई-निविदा सूचना

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोहनलालगंज, लखनऊ में वाटर टैंक आर०सी०सी०, इण्टर लॉकिंग पाथवे, बाउण्ड्रीवाल, साईकिल स्टैण्ड इत्यादि का निर्माण कार्य, परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदा कार्यालय के पत्र संख्या-271/ए0सी0-5/9 दिनांक 07.03.2025 द्वारा टू-बिड पद्धति में दिनांक-03.04.2025 तक निविदायें आमंत्रित की जाती है। उक्त हेतु विस्तृत विवरण नियम व शर्ते परिषद की वेबसाइट www.upavp.in के ई-निविदा की वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते हैं।

अधिशासी अभियन्ता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
(’’सेबी’’) परिपत्र संख्या SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110
दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 के अनुसार एग्जिट ऑफर की सार्वजनिक घोषणा
(’’एग्जिट सर्कुलर’’) मेसर्स स्पार्टन कॉमर्स लिमिटेड के सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ
सीआईएनः U51909PB1984PLC005969
पंजीकृत कार्यालयः होटल प्रेम पैलेस, क्लॉक टॉवर, लुधियाना पंजाब, भारत, 141008
फोन. नं. 9163514355, ईमेलः spartoncommerce@gmail.com

यह एग्जिट ऑफर सार्वजनिक घोषणा (’’एग्जिट ऑफर पीए’’) **मेसर्स शिवलक्ष्मी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (’’ऑफरिंग शेयरहोल्डर’’)** द्वारा जारी की जा रही है, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ3/313 और 314, श्रीमा कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल बज बज, ट्रंक रोड, जलकल, महेशतला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700141 में है, जो **मेसर्स स्पार्टन कॉमर्स लिमिटेड (’’ईएलसी’’ या ’’कंपनी’’)** के शेयरधारकों में से एक है, ताकि एग्जिट सर्कुलर के संदर्भ में कंपनी के अन्य सार्वजनिक शेयरधारकों को एक एग्जिट अवसर प्रदान किया जा सके।

ईएलसी को उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ("यूपीएसई") में सूचीबद्ध किया गया था। सेबी द्वारा यूपीएसई की मान्यता रद्द करने/बाहर निकलने के बाद, ईएलसी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (’’एनएसई’’) के प्रसार बोर्ड (’’डीबी’’) में स्थानांतरित कर दिया गया था। सेबी ने एग्जिट सर्कुलर के जरिए डीबी से एक्सक्लूसिवली लिस्टेड कंपनियों (’’ईएलसी’’) के बाहर निकलने की प्रक्रिया निर्धारित की थी। एग्जिट सर्कुलर के अनुलग्नक ए के खंड (i) के अनुसार, ऑफरिंग शेयरहोल्डर ने ईएलसी के इक्विटी शेयरों और संबंधित सेवाओं के मूल्यांकन के लिए सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी-I मर्चेंट बैंकर और एनएसई और बीएसई के पैनल पर विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता के रूप में सूचीबद्ध मेसर्स टर्नअराउंड कॉरपोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (’’स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता’’) को नियुक्त किया है। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता ने लागू मूल्यांकन पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए 28 फरवरी, 2025 को अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की और ईएलसी के 1 (एक) इक्विटी शेयर का उचित मूल्य 10/- रुपये (केवल दस रुपये) निर्धारित किया।

इसके अलावा, सेबी ने 25 जुलाई, 2017 को अपने पत्र MRD/OW/DSA//2017/17463/1 के माध्यम से बीएसई और एनएसई ("सेबी पत्र") को सूचित किया, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुमति दी कि, सार्वजनिक शेयरधारक/निवेशक जो कंपनी के शेयरधारक के रूप में बने रहना चाहते हैं और बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है और नामित स्टॉक एक्सचेंज (वर्तमान मामले में एनएसई) उन निवेशकों से एक वचन प्राप्त कर सकता है जो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। परिणामस्वरूप, पेशकश करने वाले शेयरधारक का बाहर निकलने का दायित्व तदनुसार कम हो जाएगा। उपर्युक्त सेबी पत्र के अनुसार, सार्वजनिक शेयरधारक जो ईएलसी के शेयरधारक के रूप में बने रहना चाहते हैं और बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, उन्हें स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की वेबसाइट www.tcagroup.in पर उपलब्ध प्रारूप में इस आशय का एक वचन पत्र लिंक https://tcagroup.in/offer-documents/dissemination-board@ के अंतर्गत, अपने स्वयं के जोखिम पर या होटल प्रेम पैलेस क्लॉक टॉवर लुधियाना, पंजाब, भारत, 141008 में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में हाथ से वितरण के माध्यम से, इस निकास प्रस्ताव सार्वजनिक घोषणा (’’पीए’’) के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर यानी 24 मार्च, 2025 को कारोबारी समय के बंद होने से पहले भेजना होगा।

उपर्युक्त 15 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, पेशकश करने वाला शेयरधारक उन सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए एग्जिट ऑफर की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिन्होंने ईएलसी (’’शेष सार्वजनिक शेयरधारक’’) के शेयरधारक के रूप में बने रहने का विकल्प नहीं चुना है। पेशकश करने वाला शेयरधारक यह वचन देता है कि एग्जिट ऑफर से संबंधित प्रासंगिक विवरण जिसमें एग्जिट ऑफर के खुलने और बंद होने की तिथियां, ऑफर मूल्य, एग्जिट ऑफर में भाग लेने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज शामिल हैं, एग्जिट ऑफर में भाग लेने के लिए शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को भेजे जाएंगे।

एनएसई (’’एनएसई दिशानिर्देश’’) द्वारा जारी परिपत्रों/नोटिस के साथ पठित निकास परिपत्र के अनुसार, पेशकश करने वाले शेयरधारक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक एस्क्रो खाता खोलेंगे और निकास प्रस्ताव पत्र के प्रेषण से कम से कम एक दिन पहले निकास प्रस्ताव के तहत देय कुल प्रतिफल (प्रस्ताव मूल्य’ शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर) के 100% के बराबर/उससे अधिक राशि जमा करेंगे।

शेयरधारिता विवरणः इस पीए की तिथि के अनुसार, कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 1,00,00,000/- रुपये (केवल एक करोड़ रुपये) है, जिसमें 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिनका मूल्य 10/- रुपये (केवल दस रुपये) है। संपूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ईएलसी के सार्वजनिक शेयरधारकों के पास है। इनमें से, पेशकश करने वाले शेयरधारक के पास 49,500 (उनचालीस हजार पांच सौ) इक्विटी शेयर हैं, जो चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 4.95% (चार दशमलव नौ पांच प्रतिशत) का प्रतिनिधित्व करते हैं और शेष 9,50,500 (नौ लाख पचास हजार पांच सौ) इक्विटी शेयर हैं, जो चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 95.05% (पचास दशमलव शून्य पांच प्रतिशत) का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ईएलसी के अन्य सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं। यह पीए एनएसई की वेबसाइट **www.nseindia.com** और स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की वेबसाइट **www.tcagroup.in** पर उपलब्ध होने की उम्मीद है।

स्पार्टन कॉमर्स लिमिटेड के ऑफरिंग शेयरधारक की ओर से
शिवलक्ष्मी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
(सुरोजित मोंडल)
प्रबंध निदेशक
डीनः 09737859

स्थानः 08 मार्च, 2025
दिनांकः नई दिल्ली

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

पंजीकृत कार्यालयः ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तीसरा ए क्रॉस, 18वां मेन, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु -560095
क्षेत्रीय कार्यालय : जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट नंबर डी-7, सेक्टर-3 नोएडा (उ.प्र.)- 201301
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाएँ बूंदी, पाली, जोधपुर में हैं

सार्वजनिक नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के परंतुक नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के तहत बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना।
उज्जीवन के अधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार और बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिए गए खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी ‘‘जैसा है जहां है’’ और ‘‘जैसा है यही है’’ के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि पर आयोजित की जाएगी।

क्र सं	ऋण खाता संख्या	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर के नाम	13-2 मांग सूचना तिथि तथा मांग राशि	कब्जे की तिथि	वर्तमान बकाया राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रुपए में	बयाना राशि (ईएमडी) आईएनआर में (आरक्षित मूल्य का 10%)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	ईएमडी जमा करने के लिए खाता विवरण	संपर्क व्यक्ति
1.	2225210040000003	1. श्री राकेश कुमार पुत्र लटूर लाल 2. श्री लटूर लाल पुत्र डुगा लाल 3. सुश्री बसंती बाई पत्नी लटूर लाल	तिथि 20.09.2021 रु. 3,46,035/-	19.09.2024	रु. 5,98,339.92 (24-02-2025 तक)	27 मार्च, 2025 को पूर्वा. 11 बजे	6.02 लाख रुपए	60200/- रुपए	29 मार्च, 2025 पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वा. 11.00 तक	28 मार्च, 2025 अप. 4:00 तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में बूंदी शाखाः प्लॉट नं.-1, न्यू कॉलोनी, सर्किट हाउस के सामने, बूंदी, राजस्थान -323001 में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।	9056994075, 9983365566
	संपत्तिः 517 वर्ग फीट भूमि और भवन, पट्टा संख्या 120(1507), तहसील केशोरायपाटन और जिलाः बूंदी, राजस्थान में स्थित के सभी अनिवार्य अंग, साथ में भवन, संरचनाएं और सभी सुधार, जो निम्नानुसार हैः सीमाएंः उत्तरः रामलालजीप्रजापत का मकान, पूर्वः बद्रीलाल शर्मा का मकान, दक्षिणः रामनारायण जी का मकान, पश्चिमः रामनारायण जी प्रजापत का मकान और रास्ता।											
2.	222579500000004	1. श्री रामहेत पुत्र हरचन्द्र 2. श्रीमती काली बाई पत्नी रामहेत	तिथि 23.09.2022 रु. 1,81,029.31/-	25.09.2024	रु. 3,04,755.58 (24-02-2025 तक)	27 मार्च, 2025 को पूर्वा. 11.30 बजे	2.39 लाख रुपए	23,900/- रुपए	29 मार्च, 2025 पूर्वाह्न 11.15 बजे से पूर्वा. 11.45 तक	28 मार्च, 2025 अप. 4:00 तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में बूंदी शाखाः प्लॉट नं.-1, न्यू कॉलोनी, सर्किट हाउस के सामने, बूंदी, राजस्थान -323001 में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।	9056994075, 9983365566
	संपत्तिः आवासीय संपत्ति, क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट, गांव आमली, तहसील और जिला बूंदी, राजस्थान में स्थित के सभी अनिवार्य अंग, सीमाएं इस प्रकार हैंः उत्तरः- जमना शंकर का मकान, दक्षिणः- देवीलाल का मकान, पूर्वः- आम रास्ता, पश्चिमः- आकाश का मकान											
3.	2225210040000010	1. श्री मुकेश पुत्र दुर्गा लाल उर्फ दुर्गा 2. श्रीमती हीरा बाई उर्फ हीरा पत्नी दुर्गा लाल उर्फ दुर्गा	तिथि 23.11.2023 रु. 3,37,307/-	25.09.2024	रु. 5,93,117.54 (24-02-2025 तक)	27 मार्च, 2025 को अप. 12.00 बजे	3.52 लाख रुपए	35,200/- रुपए	29 मार्च, 2025 अप. 12.00 बजे से अप. 12.30 तक	28 मार्च, 2025 अप. 4:00 तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में बूंदी शाखाः प्लॉट नं.-1, न्यू कॉलोनी, सर्किट हाउस के सामने, बूंदी, राजस्थान -323001 में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।	9056994075, 9983365566
	संपत्तिः पट्टा संख्या 49 क्षेत्रफल वाली 375 वर्ग फीट की आवासीय संपत्ति खसरा संख्या 54 के भाग, गांव कुम्हारिया, तहसील और जिला बूंदी, राजस्थान में स्थित संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग, जो इस प्रकार से घिरी हुई हैः सीमाएंः उत्तरः- रामपाल का मकान, दक्षिणः- रामप्रसाद का मकान, पूर्वः- भंवर लाल का मकान, पश्चिमः- सड़क।											
4.	2232210130000010	1. श्री गोविंद राम पुत्र देवीलाल 2. श्रीमती गोगा देवी पत्नी देवीलाल	तिथि 20.07.2021 रु. 12,25,321/-	21.11.2023	रु. 17,16,818.46 (24-02-2025 तक)	27 मार्च, 2025 को अप. 12.30 बजे	7.51 लाख रुपए	75,100/- रुपए	29 मार्च, 2025 अप. 02.00 बजे से अप. 02.30 तक	28 मार्च, 2025 अप. 4:00 तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में जोधपुर शाखाः प्लॉट 47, महादेव टावर, उमराव खान पेट्रोल पंप, स्कीम एलआईजी-3, न्यू कोहिनूर सिनेमा, चौपसानी रोड, बलदेव नगर, जोधपुर - 342003 में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।	9950437507, 9950157892, 9983365566
	संपत्तिः फ्लैट संख्या 32-सी-2, प्लॉट संख्या 32, खसरा संख्या 45, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, राज श्री नगर योजना, बोरनाडा, लूणी, जिला जोधपुर- राजस्थान में स्थित संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग, जिसकी सीमा इस प्रकार हैः सीमाएंः उत्तरः फ्लैट संख्या 32-सी1, दक्षिणः फ्लैट संख्या 31-सी, पूर्वः फ्लैट संख्या 52-सी-1, पश्चिमः सड़क 40 फीट चौड़ी											
5.	2235210120000005	1. श्री फारूख पुत्र बाबू खान 2. श्रीमती हिना बानो पत्नी फारूख खान	तिथि 18.09.2021 रु. 11,27,170/-	19.12.2023	रु. 19,96,547.24 (14-02-2025 तक)	27 मार्च, 2025 को अप. 1.00 बजे	8.25 लाख रुपए	82,500/- रुपए	29 मार्च, 2025 अप. 03.00 बजे से अप. 03.30 तक	28 मार्च, 2025 अप. 4:00 तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में पाली शाखाः हाउस नं. 151, बापू नगर एक्सटेंशन, कॉलेज रोड, पाली सेंट्रल को-ऑप बैंक के सामने, पाली, बापू नगर एक्सटेंशन, पाली- 306401 में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।	9950437507, 9950157892, 9983365566
	संपत्तिः भूमि और भवन संपत्ति, क्षेत्रफल 55.55 वर्ग गज, प्लॉट संख्या 816, खसरा संख्या 661, न्यू शक्ति नगर, पाली, राजस्थान पर स्थित संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग और जो निम्नानुसार घिरा हुआ हैः सीमाएंः उत्तरः - प्लॉट संख्या 817, दक्षिणः - इस प्लॉट का शेष भाग, पूर्वः - प्लॉट संख्या 827, पश्चिमः - रास्ता 20'-0'' चौड़ा।											
6.	223579700000135	1. श्री सिकन्दर खान पुत्र इन्दु खान 2. श्रीमती हसीना बानो पत्नी सिकंदर	तिथि 27.12.2018 रु. 6,37,562/-	22.03.2022	रु. 17,45,164.19 (14-02-2025 तक)	27 मार्च, 2025 को अप. 1.30 बजे	3.60 लाख रुपए	36,000/- रुपए	29 मार्च, 2025 अप. 04.00 बजे से अप. 04.30 तक	28 मार्च, 2025 अप. 4:00 तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में पाली शाखाः हाउस नं. 151, बापू नगर एक्सटेंशन, कॉलेज रोड, पाली सेंट्रल को-ऑप बैंक के सामने, पाली, बापू नगर एक्सटेंशन, पाली- 306401 में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।	9950437507, 9950157892, 9983365566
	संपत्तिः आवासीय संपत्ति जिसका प्लॉट नंबर 387 (पश्चिमी भाग) है, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है, जो खसरा नंबर 604/2, चक नंबर 02, अमृत नगर, पाली, 306401 के हिस्से में स्थित संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग। सीमाएंः उत्तरः- प्लॉट नंबर 376, दक्षिणः- रोड 20', पूर्वः- प्लॉट का शेष भाग, पश्चिमः- प्लॉट नंबर 386।											
7.	223576100000002	1. श्री शोभा राम पुत्र आशु राम 2. श्रीमती ममता पत्नी शोभा राम	तिथि 15.07.2021 रु. 4,45,707/-	26.06.2024	रु. 9,35,351.74 (14-02-2025 तक)	27 मार्च, 2025 को अप. 2.00 बजे	1.62 लाख रुपए	16,200/- रुपए	29 मार्च, 2025 अप. 05.00 बजे से अप. 05.30 तक	28 मार्च, 2025 अप. 4:00 तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में पाली शाखाः हाउस नं. 151, बापू नगर एक्सटेंशन, कॉलेज रोड, पाली सेंट्रल को-ऑप बैंक के सामने, पाली, बापू नगर एक्सटेंशन, पाली- 306401 में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।	9950437507, 9950157892, 9983365566
	संपत्तिः संपत्ति की भूमि और भवन, क्षेत्रफल 1701 वर्ग फीट, पट्टा संख्या 03, ग्राम पडासला कलां, तहसील और जिला पाली राजस्थान में स्थित संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग। सीमाएंः उत्तरः- सड़क और गेट, दक्षिणः- दुर्गा राम/श्री आशु का मकान, पूर्वः- छोगाराम/श्री नैना का मकान, पश्चिमः- सड़क।											
8.	223579700000134	1. श्री कालू खान पुत्र मंगू खान 2. सुश्री समीम बानो पत्नी कालू खान	तिथि 27.12.2018 रु. 5,79,336/-	22.03.2022	रु. 15,83,910.81 (14-02-2025 तक)	27 मार्च, 2025 को अप. 2.30 बजे	3.12 लाख रुपए	31,200/- रुपए	29 मार्च, 2025 अप. 06.00 बजे से अप. 06.30 तक	28 मार्च, 2025 अप. 4:00 तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में पाली शाखाः हाउस नं. 151, बापू नगर एक्सटेंशन, कॉलेज रोड, पाली सेंट्रल को-ऑप बैंक के सामने, पाली, बापू नगर एक्सटेंशन, पाली- 306401 में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।	9950437507, 9950157892, 9983365566
	संपत्तिः भूमि और भवन, जिसका विस्तार 55.55 वर्ग गज है, प्लॉट संख्या 387, खसरा संख्या 604/2, चक संख्या 2, अमरत नगर, पाली, राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग, साथ में भवन, संरचनाएं और उन पर सभी सुधार सीमाएंः उत्तरः- प्लॉट संख्या-376, दक्षिणः- रोड 20', पूर्वः- प्लॉट संख्या 388, पश्चिमः- प्लॉट का शेष भाग।											
9.	223576300000002	1. श्री हेमा राम पुत्र पुना राम 2. सुश्री दाखू देवी पत्नी पुना राम	तिथि 05.12.2023 रु. 5,37,750/-	24.09.2024	रु. 7,29,744.37 (24-02-2025 तक)	27 मार्च, 2025 को अप. 3.00 बजे	4.30 लाख रुपए	43,000/- रुपए	29 मार्च, 2025 अप. 02.00 बजे से अप. 02.30 तक	28 मार्च, 2025 अप. 4:00 तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में पाली शाखाः हाउस नं. 151, बापू नगर एक्सटेंशन, कॉलेज रोड, पाली सेंट्रल को-ऑप बैंक के सामने, पाली, बापू नगर एक्सटेंशन, पाली- 306401 में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।	9950437507, 9950157892, 9983365566
	संपत्तिः अपार्टमेंट नंबर ई09/14, तीसरी मंजिल, खसरा नंबर 1164, (एकल भूखंड, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत), पाली चक प्रथम, पाली राजस्थान में 29.56 वर्ग मीटर में स्थित संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग, जो इस प्रकार हैः पूर्वः ब्लॉक नंबर ई08, पश्चिमः फ्लैट नंबर 15, उत्तरः फ्लैट नंबर 13, दक्षिणः पार्किंग।											

नियम एवं शर्तें :
ई-नीलामी ‘‘जहां है जैसे है’’, "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है यहीं है" आधार पर आयोजित की जायेगी।
1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, ऋणभार, नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देवताओं के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन से बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं बनता है और न ही यह माना जाएगा। संपत्ति की बैंक की जात या अज्ञात सभी मौजूदा और भावी ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। अधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड क्रेडिटर किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों देयताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विशिष्टताओं के बारे में निरीक्षण और स्वयं को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लेखित साइटों पर करने की अनुमति दी जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं की अपनी बोली ऊपर उल्लिखित नीलामी की तारीख से पहले अधोहस्ताक्षरित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
4. ई-नीलामी उज्जीचन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संपर्क व्यक्ति प्रबाकरन (मो. संख्या 7418281709) (इच्छुक बोलीदाताओं को संपत्ति के विवरण के लिए **https://www.bankeauctions.com या https://www.ujjivansfb.in/e-auctions** पर जाने की सलाह दी जाती है। और बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम दर्ज कराना होगा और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा। भावी बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर- 7291918824, 25, 26, सपोर्ट ईमेल आईडीः **support@bankeauctions.com**, नीलामी पोटल- **https://www.bankeauctions.com** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति उच्चतम बोलीदाता/प्रस्तावित को बेची जाएगी, जो प्रतिभूत लेनदार, पानी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली की स्वीकृति के अधीन होगी। हालांकि, अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण विवेक है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो इंटर-से बोली लगाने की अनुमति दी जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव/निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
6. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के भीतर, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा और बिक्री के 15 वें दिन या उससे पहले विक्री मूल्य का शेष 75% या किसी भी मामले में लिखित रूप में और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर अधिकतम 3 महीने की विस्तारित अवधि के भीतर सहमति के अनुसार जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और डिफॉल्ट खरीदार का संपत्ति राशि के संबंध में कोई दावा अधिकार नहीं होगा।
7. यह प्रकाशन प्रभावी मुख्य खंड के अधीन है।
8. बोलीदाताओं के अपने हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होंगे, ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों की घटनाओं से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे कि बिजली आपूर्ति बैंक-अप आदि की व्यवस्था करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें।
यह बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है।

तिथिः 09.03.2025 स्थानः नोएडा प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीचन स्मॉल फाइनेंस बैंक

इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय: 6वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 44, गुरुग्राम-122003

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के नियम 9(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री नोटिस।

एतद्द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह-कर्जदारों और जमानतदारों या उनके कानूनी उत्तराधिकारी(यों) या प्रतिनिधि को सूचना दी जाती है कि **इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (जिसे इसके बाद प्रतिभूत लेनदार कहा जाएगा), **पंजीकृत कार्यालय**- छठी मंजिल, प्लॉट नंबर 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 4 गुरुग्राम हरियाणा -122002, **शाखा:** दुकान नं. 67/बी तथा 68, दूसरी मंजिल, पी. नं. 277 (पूर्व), टैगोर नगर, डीसीएम के पास, अजमेर रोड, जयपुर-302001, **शाखा कार्यालय:** ग्राउंड फ्लोर, गिल भवन, रोड नंबर 3, स्काईलाइन अस्पताल के सामने, रेलवे क्वार्टर, झुंझुनू, राजस्थान 333001. **शाखा कार्यालय:** नंबर 1, प्रथम तल, ब्लॉक जी, गुरुद्वारा रोड, नानक दरबार के पास, जी ब्लॉक, श्री गंगानगर, 6 जेड, राजस्थान 335001 के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ले लिया गया है, कर्जदारों, सह कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभूत ऋणदाता को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर **"जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री नीचे उल्लिखित स्थान पर अधिकृत प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.indiashelter.in देखें या अधिकृत प्राधिकारी श्री देवेंद्र सिंह राठौर मोबाइल नंबर 8560017658 से संपर्क करें।

ऋण खाता संख्या/एपी संख्या तथा कर्जदारों/ सह-कर्जदारों/गारंटरों के नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का विवरण	कब्जे की तिथि तथा प्रकार	आरक्षित मूल्य	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि तथा समय
HL11CHLONS000005034045/AP-10067389 श्री/श्रीमती मन देवी (कर्जदार)/ श्री/श्रीमती राजकुमार (सह-कर्जदार)	दिनांक: 13-दिसंबर-2022 रु.1439402/- (रुपये चौदह लाख उनतालीस हजार चार सौ दो मात्र) **बोली वृद्धि राशि:** 10,000/-	खसरा सं. 463 प्लॉट सं. 07, गांव- बढबौसिंह, तहसील बानसूर, जिला- अलवर, राजस्थान का समस्त भाग, माप 173.06 वर्ग फीट, सीमा:- पूर्वः रास्ता, पश्चिमः खुली भूमि, उत्तरः प्लॉट सं. 06, दक्षिणः प्लॉट सं. 08	17-जुलाई-2024 **सांकेतिक** आज तक कुल बकाया रु. 18,15,289/- (रुपये अठारह लाख पंद्रह हजार दो सौ नवासी मात्र) **08.03.2025 तक**	रु.09,85,700/- (रुपये नौ लाख पिचासी हजार सात सौ मात्र) **जमा धरोहर राशि (ईएमडी):** रु. 98,570/-	22-03-2025 (10:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.) **ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि:** 24-03-2025 **नीलामी की तिथि एवं समय** 25.03.2025 को 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अप.
AP-10029481/ HL30MILONS00000513968 श्री/श्रीमती काजोल जैन (कर्जदार)	दिनांक: 26-दिसंबर-2024 रु.21,56,267/- **बोली वृद्धि राशि:** 10,000/-	संपत्ति का समस्त भाग ऑरिक प्राइम सूट्स फ्लैट्स सं. 604, छठी मंजिल, लॉक-ए, क्षेत्रफल 1224 वर्ग फीट, खसरा सं. 994/1, 1001/1, 1002, गांव जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 1440.45 वर्ग मीटर में स्थित है। सीमा:- पूर्व- अन्य और, पश्चिम- अन्य भूमि, उत्तर-भार 100 फीट, दक्षिण- अन्य भूमि,	29.02.2024 **सांकेतिक** आज तक कुल बकाया रु. 27,37,160/- (रुपये सत्ताईस लाख सैंतीस हजार एक सौ साठ मात्र) **07-मार्च-2025 तक**	रु. 11,39,000/- (रुपये ग्यारह लाख उनतालीस हजार मात्र) **जमा धरोहर राशि (ईएमडी):** रु.1,13,900/- (रुपये एक लाख तेरह हजार नौ सौ मात्र)	22-03-2025 (10:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.) **ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि:** 24-03-2025 **नीलामी की तिथि एवं समय** 25.03.2025 को 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अप.
LAP500000585 श्री/श्रीमती संगीता देवी श्री/सुश्री धर्मवीर श्री/श्रीमती बिहारी लाल श्री/श्रीमती सुरेंद्र	दिनांक: 12 जून, 2021 रु. 492759 **बोली वृद्धि राशि:** 10,000/-	पट्टा संख्या 75 का समस्त भाग, गांव- खुडाना तहसील चिरावा जिला झुंझुनू (राजस्थान) में स्थित माप 203.67 वर्ग गज। सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तर- आम रास्ता और चौक, दक्षिण-संत कुमार का घर, पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-आम रास्ता और चौक	22-जून 2023 **भौतिक** आज तक कुल बकाया रु. 10,47,990/- (रुपये दस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ नब्बे मात्र) **07-मार्च-2025 तक**	रु. 7,19,000/- (रुपये सात लाख उन्नीस हजार मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 71,900/- (रुपये इकहत्तर हजार नौ सौ मात्र)	22-03-2025 (10:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.) **ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि:** 24-03-2025 **नीलामी की तिथि एवं समय** 25.03.2025 को 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अप.
AP-10029847/ HL30CHLONS000005011640 श्रीमती विमला कंवर (कर्जदार) श्री शिवदीप सिंह मोकावत (सह-कर्जदार)	दिनांक: 18-जनवरी-2022 रु. 12,20,134/-	संपत्ति का समस्त भाग, नंबर एफ नंबर 606, छठी मंजिल, ब्लॉक-ए, ऑरिक प्राइम सूट जयसिंहपुरा, भांकरोटा जयपुर राजस्थान 302012 है। सीमा:- पूर्व- अन्य भूमि, पश्चिम- अन्य भूमि, उत्तर-रोड 100 फीट, दक्षिण- अन्य भूमि,	15.02.2023 **भौतिक** आज तक कुल बकाया रु. 21,44,418/- (रुपये इक्कीस लाख चौवालीस हजार चार सौ अठारह मात्र) **07-मार्च-2025 तक**	रु. 5,73,000/- (रुपये पांच लाख तिहत्तर हजार मात्र) **जमा धरोहर राशि (ईएमडी):** रु. 57,300/- (रुपये सत्तावन हजार तीन सौ मात्र)	22-03-2025 (10:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.) **ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि:** 24-03-2025 **नीलामी की तिथि एवं समय** 25.03.2025 को 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अप.
LASRCLLONS000005036869/ AP- 10076354 श्रीमती जसविंदर कौर एवं श्री करनैल सिंह	13-दिसंबर-2023 और रु. 683895/- (रुपये छह लाख तिरासी हजार आठ सौ पंचानबे मात्र) **बोली वृद्धि राशि:** 10000/-	संपत्ति का समस्त भाग, पट्टा संख्या 95 बुक नंबर 451 वार्ड नंबर 12 मटीली राठान 15 एफ श्री गंगानगर राजस्थान बीकानेर क्षेत्र 3970 वर्ग फीट में स्थित है। सीमाः- पूर्वः सुल्तान राम पश्चिमः रास्ता उत्तरः मालक सिंह दक्षिणः खाली प्लॉट, गेट	28-10-2024 **भौतिक** आज तक कुल बकाया रु. 1096782/- (रुपये दस लाख छियानवे हजार सात सौ बयासी मात्र) **5-मार्च-2025 तक**	रु. 5,62,000/- (रुपये पांच लाख बासठ हजार मात्र) **जमा धरोहर राशि (ईएमडी)** रु. 56200/-	22-03-2025 (10:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.) **ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि:** 24-03-2025 **नीलामी की तिथि एवं समय** 25.03.2025 को 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अप.
HL30CHLONS000005013878// AP-10029483 श्री/श्रीमती रोहिणी शर्मा श्री/श्रीमती रोहिणी शर्मा श्री/श्रीमती रोहिणी अंकुश जोशी श्री/श्रीमती अंकुश जोशी	दिनांक: 10 जनवरी, 2024 रु. 2063064 **बोली वृद्धि राशि:** 10,000/-	संपत्ति का समस्त भाग, नंबर फ्लैट नंबर 804, आठवीं मंजिल, ब्लॉक-ए, क्षेत्र 1224 वर्ग फीट फीट, खसरा नं. 994/1, 1001/1, 1002, ऑरिक प्राइम सूट्स गांव जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 1440.45 वर्ग मीटर, सीमाएं: पूर्वः अन्य भूमि, उत्तरः सड़क, पश्चिम-अन्य भूमि,: दक्षिणः सड़क	24-जून 2024 **भौतिक** आज तक कुल बकाया रु. 26,07,537/- **07-मार्च-2025 तक**	रु. 14,05,000/- (रुपये चौदह लाख पांच हजार मात्र) रु. 1,40,500/-	22-03-2025 (10:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.) **ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि:** 24-03- 2025 **नीलामी की तिथि एवं समय** 25.03.2025 को 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अप.
HLSRCHLONSOOOOOSO3S3TO/ AP- LOOT2427 श्रीमती बंतो बाई और श्री बलवंत सिंह	दिनांक: 14-अक्टूबर-2023 और रु. 626327/- (रुपये छह लाख छब्बीस हजार तीन सौ सत्ताईस मात्र) **बोली वृद्धि राशि:** 10000/-	संपत्ति का पूरा हिस्सा पट्टा नं. 21 बुक नं. 433 वार्ड नं. 10 आईसी बाड़ी जीपी ओरकी श्री गंगानगर राजस्थान 335901 पर स्थित है। सीमाएं:- पूर्वः लखमीर सिंह/जगतार सिंह, पश्चिमः राम सिंह/मुख्तार सिंह, उत्तरः गली (आम रास्ता), दक्षिणः गली (आम रास्ता)	26-10-2024 **भौतिक** आज तक कुल बकाया रु. 1136482/- (रुपये ग्यारह लाख छत्तीस हजार चार सौ बयासी मात्र) **5-मार्च-2025 तक**	रु. 379100/- (रुपये तीन लाख उन्यासी हजार एक सौ मात्र) **जमा धरोहर राशि (ईएमडी)** रु. 37,910/-	22-03-2025 (10:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.) **ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि:** 24-03-2025 **नीलामी की तिथि एवं समय** 25.03.2025 को 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अप.
HL30CHLONS000005012536/ AP- 10030619 श्री/श्रीमती सुनीता कंवर राठौड़ एवं श्री/श्रीमती राजपाल सिंह नरूका	दिनांक: 17-नवंबर-2023 रु. 2565497/- **बोली वृद्धि राशि:** 10,000/-	संपत्ति का पूरा हिस्सा ऑरिक प्राइम सूट्स फ्लैट नं. 104, पहली मंजिल, ब्लॉक-ए, क्षेत्रफल 1224 वर्ग फुट खसरा नं. 994/1,1001/1,1002, गांव जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 1440.45 वर्ग मीटर सीमा पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः अन्य भूमि, उत्तरः सड़क 100 फीट, दक्षिणः अन्य भूमि	29-02-2024 भौतिक कुल बकाया रु. 3202236/- **07-मार्च-2025 तक**	रु. 11,39,000/- जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 1,13,900/-	22-03-2025 (10:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप.) **ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि:** 24-03-2025 **नीलामी की तिथि एवं समय** 25.03.2025 को 10:00 बजे पूर्वा. से 5:00 बजे अप.

ईएमडी जमा करने का स्थान और नीलामी का स्थान:- शाखा कार्यालयः दुकान नंबर 67बी और 68, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 277 (पूर्व), टैगोर नगर, डेम के बगल में, अजमेर रोड, जयपुर- 302021, **शाखा कार्यालयः** भूतल, गिल भवन, रोड नंबर 3, स्काईलाइन अस्पताल के सामने, रेलवे क्वार्टर, झुंझुनू, राजस्थान 333001, **शाखा कार्यालयः** नंबर 1, प्रथम तल, ब्लॉक जी, गुरुद्वारा रोड, नानक दरबार के पास, जी ब्लॉक, श्री गंगानगर, 6 जेड, राजस्थान 335001 **भुगतान का तरीका:-** सभी भुगतान इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किया जाएगा।

बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट www.indiashelter.in देखें अथवा प्राधिकृत अधिकारी देवेन्द्रसिंह राठौर मोबाइल नं. 8560017658 से संपर्क करें।

SBI भारतीय स्टेट बैंक

होम लोन सेंटर-1, गुड़गाँव (एनसीआर-हरियाणा), भूतल, एसबीआईसीआरएम, कैम्पस-II प्लॉट नं.79, सेक्टर-18, (इफको चौक के पास, एलआईसी ट्रेनिंग सेंटर) गुरुग्राम, हरियाणा-122015

12.03.2025 को चल सम्पत्ति की बिक्री के लिए भौतिक नीलाम सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चल परिसंपत्तियों की बिक्री (नीलामी) के लिए बिक्री नोटिस।

एतद्द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित की गई है, जिसका भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है, उसे "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक **12.03.2025** को **श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश (कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से)** कार **ऋण खाता संख्या 37589243224** से सुरक्षित लेनदार को बैंक बकाया की वसूली के लिए बेचा जाएगा। बैंक इस नोटिस की समाप्ति के 7 दिनों की समाप्ति पर तुरंत बैंक को स्वीकार्य मूल्य पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से वाहन बेचेगा। आरक्षित मूल्य **रु.3,40,000/- (तीन लाख चालीस हजार रुपए मात्र)** और बयाना **राशि रु.34,000/- (चौंतीस हजार रुपए मात्र)** का डिमांड ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में होगा।

वाहन विवरण

निर्माता और मॉडलः मारुति विटारा ब्रीजा वीडीआई (0)
पंजीकरण संख्याः एचआर 72 डी 6672 **इंजन संख्याः** डी 13ए5607372
चेसिस संख्याः MA3NYFB1SJC356288

वाहन नीलामी स्थानः
एफ -1, एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, ईस्ट किदवई नगर, दिल्ली-110023

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया संपर्क करेंः डीएसए एसोसिएट्स मोबाइलरू 9210452122- (मुकुल) (समाधान एजेंट)

तिथिः 08.03.2025
स्थानः नई दिल्ली
मुख्य प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एचएलसी-1, गुड़गाँव

SBI भारतीय स्टेट बैंक

होम लोन सेंटर-सह-एसएआरसी II, कोरेन्थम बिल्डिंग, भूतल, सेक्टर-62, नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0-201301

12.03.2025 को चल सम्पत्ति की बिक्री के लिए भौतिक नीलाम सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चल परिसंपत्तियों की बिक्री (नीलामी) के लिए बिक्री नोटिस।

एतद्द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को बंधक/प्रभारित की गई है, जिसका भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक, सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है, उसे **"जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" और जो कुछ भी है"** के आधार पर दिनांक 12.03.2025 को श्रीमती शर्मिला पुंडीर पत्नी श्री अनिल कुमार (कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से) कार ऋण खाता संख्या 386409489328 से सुरक्षित लेनदार को बैंक बकाया की वसूली के लिए बेचा जाएगा। बैंक इस नोटिस की समाप्ति के 7 दिनों की समाप्ति पर तुरंत बैंक को स्वीकार्य मूल्य पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से वाहन बेचेगा। आरक्षित मूल्य रु.500,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) होगा और बयाना राशि रु 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में होगा।

वाहन विवरण

निर्माता और मॉडलः हेक्टर डीजल 2.0 MT शार्प BS IV कार ,
रजिस्ट्रेशन नंबरः UP-16/CJ-5447
इंजन नंबरः 4037807
चेसिस नंबरः MZ7AD1DDD2H000345

वाहन नीलामी स्थानः
एफ -1, एनबीसीसी कॉम्प्लेक्स, ईस्ट किदवई नगर, दिल्ली-110023

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया संपर्क करेंः डीएसए एसोसिएट्स मोबाइलः 9795324241 - (अरुण मिश्रा) (समाधान एजेंट)

तिथिः 08.03.2025
स्थानः नई दिल्ली
मुख्य प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, होम लोन सेंटर, सेक्टर-62, नोएडा

SBI

ऋणग्रस्त परिसंपत्तियां वसूली शाखा-II स्टेट बैंक भवन, (शाखा कोड 51521) तृतीय एवं चतुर्थ तल, 18/4 आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005 दूरभाष : 011-28752163, फैक्स : 28755674, ई-मेल : sbi.51521@sbi.co.in

परिशिष्ट-IV [नियम - 8(1)] अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित **24-12-2024** निर्गत की थी, जिसमें ऋणधारक मैसर्स स्नैक्स नेशन **(श्री गौरव चोपड़ा पार्टनर, श्री गौरव धमीजा पार्टनर और गारंटर श्रीमती मीना चड्ढा पत्नी श्री दीपक चड्ढा)** को सूचना में अंकित **राशि, 24-12-2024 के अनुसार, रु. 1,01,56,339.96/- (रुपये एक करोड़ एक लाख छप्पन हजार तीन सौ उनतालिस और छियानबे पैसे मात्र)** का 24-12-2024 से प्रभावी भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणधारक निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणधारक तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **5 मार्च 2025** को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणधारक को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, **रु. 1,01,56,339.96/- (रुपये एक करोड़ एक लाख छप्पन हजार तीन सौ उनतालिस और छियानबे पैसे मात्र)** का **24-12-2024** से प्रभावी भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि हेतु भारतीय स्टेट बैंक के प्रभाराधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण :-

मकान नं. डब्ल्यूजेड-92ए से समाविष्ट संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जिसमें प्लॉट नं.-7, ब्लॉक सी है, जो तृतीय तल पर छताधिकार के साथ, खसरा सं. 1515 एवं 3002 पर, राम गढ़ कॉलोनी, ग्राम बसई दारापुर दिल्ली में स्थित है, जिसकी माप 115.50 वर्ग गज है जो श्रीमती मीना चड्ढा पत्नी श्री दीपक चड्ढा के नाम पर पंजी. सं. 16570 दिनांक 21-08-2006 द्वारा पंजीकृत है।

दिनाँक : 05-03-2025, स्थान : दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक**

SBI

ऋणग्रस्त परिसंपत्तियां वसूली शाखा-II स्टेट बैंक भवन, (शाखा कोड 51521) तृतीय एवं चतुर्थ तल, 18/4 आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005 दूरभाष : 011-28752163, फैक्स : 28755674, ई-मेल : sbi.51521@sbi.co.in

परिशिष्ट-IV [नियम - 8(1)] अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **भारतीय स्टेट बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित **21-12-2024** निर्गत की थी, जिसमें ऋणधारक **श्री रोहताश सिंह पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा एवं श्रीमती विमलेश पत्नी श्री रोहताश सिंह को सूचना में अंकित राशि, 21-12-2024 के अनुसार, रु. 22,89,975.00/- (रुपये बाईस लाख नवासी हजार नौ सौ पिचहत्तर मात्र) का 21-12-2024** से प्रभावी भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि ऋणधारक निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणधारक तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **5 मार्च 2025** को, अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणधारक को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, **रु. 22,89,975.00/- (रुपये बाईस लाख नवासी हजार नौ सौ पिचहत्तर मात्र)** का **21-12-2024** से प्रभावी भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों, इत्यादि हेतु भारतीय स्टेट बैंक के प्रभाराधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण :-

संपत्ति के समस्त उन भागों एवं अंशों में निम्न पता समाविष्ट है : संपत्ति का स्वामित्व इनके पास है : श्रीमती विमलेश पत्नी श्री रोहताश सिंह एलआईजी फ्लैट संख्या 271, भूतल, ब्लॉक-ए, कोंडली मयूर विहार दिल्ली- 110096,
माप 28 वर्ग मीटर, पंजीकरण संख्या- 1088, बही-01, खंड संख्या 9748, दिनाँक 10-02-2021

दिनाँक : 05-03-2025, स्थान : दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक**

कब्जा सूचना

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएनः U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेंट्रल एवं रजि. कार्यालयः एडलवाइस हाउस, ऑफसी एसटी रोड, कलिना, मुंबई 400098

जबकि, यहां उल्लिखित सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित (नियम 3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता(ओं) को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है।

नीचे उल्लिखित असाइनर ने वित्तीय परिसंपत्तियों को **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को सौंपा है, जो नीचे उल्लिखित विभिन्न ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है (जिसे बाद में ''ईएआरसी'' के रूप में संदर्भित किया गया है)। सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अनुसार असाइनमेंट के अनुसार, ईएआरसी असाइनर के स्थान पर आ गया है और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के संबंध में असाइनर के सभी अधिकार, शीर्षक और हित अंतर्निहित सुरक्षा हितों, गारंटी, प्रतिज्ञाओं के साथ ईएआरसी के पास निहित हैं और ईएआरसी सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार है।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने ईएआरसी के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रत्येक ऋण खाते/बंधक संपत्ति के सामने उल्लिखित संबंधित तारीख को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संबंधित बंधक संपत्ति का आंशिक कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के अधीन होगा, जो नीचे उल्लिखित राशि के साथ-साथ उस पर ब्याज भी लगाएगा।

क्रं. स.	समनुदेशक का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम और सह-उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की राशि और तारीख	कब्जा की तिथि	कब्जे की स्थिति
1.	पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	EARC Trust SC 425	HM/0245/H/16 /100052	1) श्री विकास कुमार (उधारकर्ता) एवं 2) श्रीमती कुसुम (सह-उधारकर्ता)	Rs. 56,93,544.27/- & 10.03.2023	05-03-2025	भौतिक कब्जा

अचल संपत्ति का विवरण- संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल मकान नंबर ए-205, क्षेत्रफल 137.96 वर्ग मीटर (अर्थात 165 वर्ग गज), खसरा संख्या 741/1 मिनट में समाहित, आवासीय कॉलोनी गगन विहार, हदबस्त गांव ब्रह्मपुरा भोपुरा, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित है और संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई हैः **पूर्वः** 25 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिमः** अन्य की संपत्ति, **उत्तरः** मकान नंबर ए-206, **दक्षिणः** मकान नंबर ए-204।

दिनांकः 09/03/2025 स्थानः गाजियाबाद **हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**

Edelweiss

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Piramal Finance

(पूर्व की देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
सीआईएन : L65910MH1984PLC032639

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 601, 6ठी मंजिल, पीरामल अमिती बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉरपोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम) मुंबई-400070, **दूरभाष :** +91 22 3802 4000 **शाखा कार्यालयः** कार्यालय सं. 211 एवं 212, दूसरी मंजिल, **'टाइटेनियम'** शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, प्लॉट नं. टीसी/जी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8-(1) तथा परिशिष्ट IV के अनुसार अचल सम्पत्ति हेतु

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्व का देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी की मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारक (कों)/ गारन्टर (रों) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर ब्याज के साथ नीचे वर्णित राशि के लिए **पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्व का देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के चार्ज के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	कब्जा करने की तिथि
1	**(ऋण कोड संख्या-M0152375),** (मुरादाबाद - शाखा), जहाँ आरा (कर्जदार) / तौहीद (सह-कर्जदार)	**संपत्ति का समस्त भाग** - खसरा संख्या 370/2, गांव भदौरा, तहसील और जिला मुरादाबाद 244001	17.08.2023 रु. 706800 (रुपए सात लाख छह हजार आठ सौ मात्र)	05.03.2025 /भौतिक
2	**(ऋण कोड संख्या-06000001446),** (लखनऊ- एमएमएम मार्ग - शाखा), अवनीश पाठक (कर्जदार)/उपमा पाठक (सह-कर्जदार)	**संपत्ति का समस्त भाग** - प्लॉट संख्या 35 और 36 और खसरा संख्या 278 तकरोही वार्ड शहीद भगत सिंह तहसील एवं जिला लखनऊ तकरोही वार्ड शहीद भगत सिंह का हिस्सा आकाश द्वारा 27 02 2014 लखनऊ उत्तर प्रदेश 226010	31.07.2023 रु. 620991 (रुपए छह लाख बीस हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र)	06.03.2025 /सांकेतिक
3	**(ऋण कोड संख्या-24000003235),** (कानपुर - शाखा), सौरभ शुक्ला (कर्जदार)/प्रियंका शुक्ला (सह-कर्जदार)	**संपत्ति का समस्त भाग** - प्लॉट संख्या 7 एनए आराजी संख्या 1826 आराजी संख्या 1826 भूपधपुर मछरिया कानपुर नगर उत्तर प्रदेश भारत 208001	27.10.2023 रु. 727260 (रुपए सात लाख सत्ताईस हजार दो सौ साठ मात्र)	05.03.2025 /भौतिक
4	**(ऋण कोड संख्या-HLSA0000505C),** (मुरादाबाद - शाखा), मोहम्मद रईस (कर्जदार)/आसमाबी (सह-कर्जदार)	**संपत्ति का समस्त भाग** - खसरा संख्या 161 का हिस्सा, सलीम सीमेंट स्टोर लगभग 100.मीटर, गांव रसूलपुर नगला खेम, मुरादाबाद-244001, उत्तर प्रदेश	18.11.2024 रु. 2576650.48 (रुपए पच्चीस लाख छिहत्तर हजार छह सौ पचास तथा अड़तालीस पैसे मात्र)	04.03.2025 /सांकेतिक
5	**(ऋण कोड संख्या-HLSA00009951),** (कानपुर- शाखा), रवि तिवारी (कर्जदार)/हितेश तिवारी (सह-कर्जदार)	**संपत्ति का समस्त भाग** - मकान नंबर 132/689 (दक्षिण की ओर), मुंशीपुरवा, रामलीला मैदान के सामने, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश 208013	16.09.2024 रु. 1342748 (रुपए तेरह लाख बयालीस हजार सात सौ अड़तालीस मात्र)	05.03.2025 /सांकेतिक
6	**(ऋण कोड संख्या-M0235321).** (मुरादाबाद - शाखा), अनिल कुमार (कर्जदार)/ ओमवती (सह-कर्जदार)	**संपत्ति का समस्त भाग** - गाटा संख्या 77 का भाग, न्यू जनरेशन फ्यूचर एकेडमी, मुरादाबाद-244001, उत्तर प्रदेश	18.11.2024 रु. 1332367 (रुपए तेरह लाख बत्तीस हजार तीन सौ सड़सठ मात्र)	04.03.2025 /सांकेतिक
7	**(ऋण कोड संख्या-M0118505),** (मुरादाबाद - शाखा), ब्रिज किशोर (कर्जदार)/ विजय लक्ष्मी (सह-कर्जदार)	**संपत्ति का समस्त भाग**- खसरा संख्या 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 211.212, 213 और 214 का भाग, राजीव मेडिकल तहसील के पास और जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 244001	16.09.2024 रु. 1014748 (रुपए दस लाख चौदह हजार सात सौ अड़तालीस मात्र)	05.03.2025 /सांकेतिक
8	**(ऋण कोड संख्या-HLSA000044EB).** (अमेठी - शाखा), मंजू (कर्जदार)/ राम शंकर (सह-कर्जदार)	**संपत्ति का समस्त भाग**- गाटा संख्या 34 और 36 ग्राम- हरिहरिशापुर में स्थित, जीडी गोयनका स्कूल हरिहरिशापुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश 228001	16.09.2024 रु. 517173 (रुपए पांच लाख सत्रह हजार एक सौ तिहत्तर मात्र)	07.03.2025 /सांकेतिक

स्थानः उ.प्र./उत्तराखण्ड तिथिः 09.03.2025 **(अधिकृत प्राधिकारी) पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

फॉर्म ए

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिशोधन प्रक्रिया) विनियमों, 2017 का विनियम 14 के तहत)

कंसल वूलन एंड होजरी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	कंसल वूलन एंड होजरी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के समावेश की तिथि	22 दिसंबर, 1976
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति समावेश/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान नंबर/ कॉर्पोरेट व्यक्ति का सीमित देयता पहचान नंबर	CIN: U74899DL1976PTC013412
5.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय का पता तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है)	**पंजीकृत कार्यालयः** 203, अमृत चैंबर, द्वितीय तल, 78-79, सिंधिया हाउस, जनपथ, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत-110001
6.	कॉर्पोरेट व्यक्ति के परिशोधन की शुरुआती तिथि	5 मार्च, 2025
7.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और पंजीकरण नंबर	भूपेश गुप्ता, परिसमापक पताः #2181, सेक्टर 38-सी, चंडीगढ़ (यूटी)- 160036 ईमेलः vol.liq.kansal@gmail.com फोन नंबरः 98156-05702, 97800-16905 पंजीकरण नं. IBBI/IPA-002/ IP-N00030/2016-2017/10067 **एएफए संख्या एए2/10067/02/311225/ 203783 31.12.2025 तक वैध**
8.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	4 अप्रैल, 2025 (परिसमापन प्रारंभ तिथि से 30 दिन)

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंसल वूलन एंड होजरी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्वैच्छिक परिशोधन 05 मार्च, 2025 को शुरू किया है।

कंसल वूलन एंड होजरी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को मद 7 के अंतर्गत वर्णित पत्राचार पतों पर परिसमापक को 04 अप्रैल, 2025 को या उस से पूर्व अपने दावों के प्रमाण को प्रस्तुत करने के लिए एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय लेनदारों को केवल इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी हितधारक दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

गलत या भ्रामक प्रमाणों को प्रस्तुत करना जुर्माने का हकदार होगा।

भूपेश गुप्ता, परिसमापक
दिनांक : 05 मार्च, 2025 **कंसल वूलन एंड होजरी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड**
स्थान : चंडीगढ़ **(स्वैच्छिक परिसमापन के तहत)**

साँकेतिक अधिग्रहण सूचना

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051
निगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई- 400059
शाखा कार्यालय : 307/1, प्रथम तल, बिश्नोई टॉवर, मंगल पांडे नगर, एपेक्स टॉवर के सामने, मेरठ- 240002
शाखा कार्यालय : 307/1, प्रथम तल, बिश्नोई टॉवर, मंगल पांडे नगर, एपेक्स टॉवर के सामने, मेरठ- 250004

जबकि,
अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न संवर्णित ऋणकर्ताओं को माँग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें सूचनाओं में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
चूँकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नांकित तिथियों पर अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।
ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता के नाम / ऋण खाता संख्या कौशल	संपत्ति का विवरण / अधिग्रहण की तिथि	माँग सूचना की तिथि / माँग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	सनी कुमार (ऋणकर्ता), (सह-ऋणकर्ता), LHMRT00001313980	खसरा नंबर 4/1 शिव एन्क्लेव पिलसोफीपुर परगापार्ट ऑफ प्लॉट नंबर 168 मेरठ (रेफ. लैन नंबर LHMRT00001313980)। सीमा- उत्तरः प्लॉट नंबर 167, दक्षिणः रोड 20 फीट, पूर्वः प्लॉट परवीन, पश्चिमः अन्य संपत्ति।/ **अधिग्रहण की तिथि- 06-मार्च-25**	18-02-2022 रु. 7,23,950/-	मेरठ-बी
2.	सुरेश (ऋणकर्ता), सौरभ (सह-ऋणकर्ता), सुभाष शर्मा (सह-ऋणकर्ता), LHMRT00001327866	रो हाउस जिसका नंबर नहीं है, जो गांव दतावली घेसूपुर मेरठ-250002 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है, सीमा- उत्तर : आनंदपाल और ब्रह्मपाल की संपत्ति, दक्षिणः शेर सिंह का प्लॉट, पूर्व : अल्लाह महार की संपत्ति, पश्चिम : रास्ता 12 फीट / **अधिग्रहण की तिथि : 06-मार्च-25**	08-07-2022 रु. 6,15,030/-	मेरठ-बी
3.	मोह. अरशद (ऋणकर्ता), जोया (सह-ऋणकर्ता), LHMRT00001451245	0 खसरा नंबर 93 गांव बुढेरा जाहिदपुर मोहल्ला जमना नगर हापुड़ रोड 0 मेरठ उत्तर प्रदेश-250002, सीमा- उत्तरः 26 फीट प्लॉट अबिन अहमद, दक्षिणः 27 फीट रोड 20 फीट चौड़ा, पूर्वः 72 फीट रियाजुद्दीन अंसारी, पश्चिमः 64 फीट प्लॉट हुसैन अहमद / **अधिग्रहण की तिथि- 06-मार्च-25**	12-11-2024 रु. 15,90,242.88/-	मेरठ
4.	मोह. अरशद (ऋणकर्ता), जोया (सह-ऋणकर्ता), LHMRT00001451247	0 खसरा नंबर 93 गांव बुढेरा जाहिदपुर मोहल्ला जमना नगर हापुड़ रोड 0 मेरठ उत्तर प्रदेश-250002, सीमा- उत्तरः 26 फीट प्लॉट अबिन अहमद, दक्षिणः 27 फीट रोड 20 फीट चौड़ा, पूर्वः 72 फीट रियाजुद्दीन अंसारी, पश्चिमः 64 फीट प्लॉट हुसैन अहमद / **अधिग्रहण की तिथि- 06-मार्च-25**	12-11-2024 रु. 62,521.18/-	मेरठ

ऊपर-वर्णित ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को एतद्द्वारा निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने के लिए एक 30 दिवसीय सूचना दी जाती है, अन्यथा बंधककृत संपत्तियों का, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के समापन पर, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, विक्रय कर दिया जायेगा।
दिनाँक : 09 मार्च, 2025 **प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान : मेरठ **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Home Finance

पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400051
कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी कुर्ला रोड जेबी नगर, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400059
शाखा कार्यालयः नं. 460, 460/1, 460/2, वार्ड नं. 24, प्लॉट नं. 255एम, प्रथम तल, मधुर कॉम्प्लेक्स, कैनाल रोड, रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229001,
शाखा कार्यालयः दुकान नं. 9, भूतल, जीकेएस पैलेस, अयूब खां-चौपला रोड 63-64, सिविल लाइंस, बरेली-243001, **शाखा कार्यालयः** प्रथम तल, मेडिकल कॉलेज रोड, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, बसारतपुर, गोरखपुर-273004

जबकि
अधोहस्ताक्षरी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी किया।
चूंकि उधारकर्ता उक्त राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर निम्नलिखित तिथियों को अधिकार कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती हैकि वे निम्न संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता हैं ।

क्र. सं.	ऋणीध्सह-ऋणी का नाम /ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तारीख	मांग नोटिस की तिथि/मांग नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	सुचिता मिश्रा (उधारकर्ता), अरविंद कुमार मिश्रा (सह-उधारकर्ता), LHRBA00001594414	'ना गां 925 का ग्राम- समसपुर हलोर परगना- सेमरौता, तहसील- महाराज गंज गाटा संख्या-925 का रायबरेली उत्तर प्रदेश 229135 में स्थित है। परिबद्धः उत्तरः सत्य नारायण साहू का प्लॉट, दक्षिणः विक्रेता का खेत, पूर्वः रायबरेली हैदर गढ़ रोड, पश्चिमः विक्रेता का खेत।' कब्जे की तिथिः 04-मार्च-25	11-12-2024 रु. 473167.8/-	रायबरेली
2.	सुचिता मिश्रा (उधारकर्ता), अरविंद कुमार मिश्रा (सह-उधारकर्ता), LHRBA00001594418.	'ना ग्राम- समसपुर हलोर, परगना- सेमरौता, तहसील- महाराज गंज रायबरेली ना रायबरेली उत्तर प्रदेश 229103 में स्थित है। परिबद्धः उत्तरः सत्य नारायण साहू का प्लॉट, दक्षिणः विक्रेता का प्लॉट, पूर्वः क्रेता का मकान और दुकान, पश्चिमः 10 फीट चौड़ी सड़क।' कब्जे की तिथिः 04-मार्च-25	11-12-2024 रु. 1505632.36/-	रायबरेली
3.	सुचिता मिश्रा (उधारकर्ता), अरविंद कुमार मिश्रा (सह-उधारकर्ता), LHRBA00001600519	'ना गां 925 का ग्राम- समसपुर हलोर परगना- सेमरौता, तहसील- महाराज गंज गाटा संख्या-925 का रायबरेली उत्तर प्रदेश 229135 में स्थित है।परिबद्धः उत्तरः सत्य नारायण साहू का प्लॉट, दक्षिणः विक्रेता का खेत, पूर्वः रायबरेली हैदर गढ़ रोड, पश्चिमः विक्रेता का खेत।' **कब्जे की तिथिः 04-मार्च-25**	11-12-2024 रु. 1496470.24/-	रायबरेली
4.	सुचिता मिश्रा (उधारकर्ता), अरविंद कुमार मिश्रा (सह-उधारकर्ता), LHRBA00001594415.	'ना ग्राम-समसपुर हलोर, परगना- सेमरौता, तहसील- महाराज गंज रायबरेली ना रायबरेली उत्तर प्रदेश 229103 में स्थित है। परिबद्धः उत्तरः सत्य नारायण साहू का प्लॉट, दक्षिणः विक्रेता का प्लॉट, पूर्वः क्रेता का मकान और दुकान, पश्चिमः 10 फीट चौड़ी सड़क।' **कब्जे की तिथिः 04-मार्च-25**	11-12-2024 रु. 93277.72/-	रायबरेली
5.	परशुराम दत्त पांडे (उधारकर्ता),अभिषेक पांडे (सह-उधारकर्ता), LHGOR00001530110	मौजा बड़गो तहसील सदर गोरखपुर मध्यम वर्ग आराजी नंबर 55 गोरखपुर उत्तर प्रदेश 273001 में स्थित फ्रीहोल्ड है। परिबद्धः उत्तरः अमित गुप्ता का घर/श्रीमती प्रीति पांडे का घर, दक्षिणः 3 मीटर चौड़ी आरसीसी रोड/रोड खड़ंजा 10 फीट चौड़ा, पूर्वः दुबे जी की जमीन/दखालू की जमीन, पश्चिमः क्रेता की जमीन/अर्चना पांडे की खुली जमीन।' **कब्जे की तिथिः 05-मार्च-25**	11-12-2024 रु. 2803205.52/-	गोरखपुर
6.	संजय चौरसिया (उधारकर्ता), पुष्पा देवी (सह-उधारकर्ता), LHGOR00001534098	आराजी नंबर 477 के हिस्से में ना प्लॉट मौजा मुंडाडीह टप्पा देवरिया परगना सलेमपुर मझोली तहसील और जिला देवरिया 274001 मध्यम वर्ग आराजी नंबर 477 देवरिया उत्तर प्रदेश 274001 में स्थित है। परिबद्धःउत्तरः रवि प्रताप और सुनील का खेत, दक्षिणः गायत्री देवी का घर, पूर्वः प्रस्तावित रोड, पश्चिमः रविदर और वीरेंद्र का खेत।' **कब्जे की तिथिः 05-मार्च-25**	11-12-2024 रु. 1026151.28/-	गोरखपुर

उपर्युक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों को एतद्द्वारा राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार, गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेचा जाएगा।

तिथिः 09.03.2025 स्थानः गोरखपुर, देवरिया, रायबरेली **प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

बिक्री सूचना

कार्पोरेट कार्यालय :- महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, साधना हाउस, द्वितीय तल, 570 पी.बी. मार्ग, वर्ली, मुम्बई-400018, भारत, फोन : +91 22 66523500 फैक्स : + 91 22 24972741

आंचलिक कार्यालय : द्वितीय तल, अशोक राज टावर, प्लॉट नंबर सीपी-162, सेक्टर डी-1, एलडीए कालोनी, निकट पावर हाउस चौराहा, आशियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226012, शाखा कार्यालय : पता : 74 श्रीराम आर्केड, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248009

अचल सम्पत्तियों की नीलामी-सह-बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूत लेनदार मैसर्स **महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड** (इसमें आगे "एमआरएचएफएल" कही गई है) के प्राधिकृत अधिकारी ने, प्रतिभूत ऋणों की वसूली के प्रयोजनार्थ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "सरफासी ऐक्ट" कहा गया है) की धारा 13(4) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (इसमें आगे "नियमावली" कही गई है) के नियम 8 और 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) बेचने का निर्णय किया है। प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त सम्पत्ति का कब्जा सरफासी ऐक्ट की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, जो **"जैसी है जहां है आधार" तथा "जो है जैसी है आधार"** पर बेची जाएगी तथा सर्वसाधारण और सभी संबंधित जन जिसमें संबंधित कर्जदार/बंधकदाता, उनके प्रतिनिधिगण, यथास्थिति, शामिल हैं, को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध प्रतिभूत आस्तियां बेची जाएंगी, जिनका विवरण यहां नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	कर्जदारों/सह-कर्जदारों/ गारंटरों/ बंधकदाताओं का नाम	13(2) मांग सूचना की तिथि एवं राशि	कब्जा की तिथि	सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय
1.	**शाखा :** देहरादून **कर्जदार :** रामपाल सिंह **पता 1:** खेडा मंदिर, गोरकपुर, प्रेम नगर, देहरादून, उत्तराखंड- 248007 **सह-कर्जदार :** लक्ष्मी देवी खेडा मंदिर, गोरकपुर, प्रेम नगर, देहरादून, उत्तराखंड-248007 **एलएएन : 1407838/XSEMDDN01077016**	11-05-2024 रू. 18,46,637.81/-	11-10-2024 भौतिक कब्जा	खेत नंबर 1613, खसरा नंबर 1694/4 मिन, स्थित : मौजा आर्केडिया ग्रांट, परगना- पचवादून, देहरादून, उत्तराखंड-248007, **पूरब :** 12 फीट चौड़ी रोड, **पश्चिम :** जंगल, **उत्तर :** अन्य का प्लॉट, **दक्षिण :** अन्य का प्लॉट	रू. 18,00,000/- रू. 1,80.000/- रू. 10,000/-	22-03-2025 समय पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक	25-03-2025 समय पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 03.00 बजे तक

1. एमआरएचएफएल को अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से कार्यवाही करते हुए अब उसके लिए ऑफर प्राप्त हुई है (ऑफर राशि ऊपर तालिका में दी गई है) और हम, अन्य के साथ इस तथ्य पर विचार करते हुए इसको स्वीकार करने के इच्छुक हैं कि पिछली सार्वजनिक नीलामी असफल हो चुकी है।
2. इच्छुक बिडर्स को नीलामी में भाग लेने हेतु सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।
3. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में समाविष्ट की गई हैं। निविदा प्रपत्र www.mahindrahomefinance.com पर और शाखा कार्यालय में उपलब्ध हैं। बिक्री, नीलामी प्रपत्र में वर्णित नियम एवं शर्तों के तहत होगी।
4. अतिरिक्त विवरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी, पवन चौधरी (मोबाइल नंबर 7830777787) से सम्पर्क करें। निर्धारित निविदा प्रपत्र में सीलबंद ऑफर्स ईएमडी के साथ उपरिवर्णित पते पर स्थित शाखा कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 24-03-2025 समय पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक है। समुचित रूप से नहीं भरी गई निविदाएं अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाएं अवैध मानी जाएंगी और तदनुसार अस्वीकृत होंगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
5. उपरिवर्णित पते पर स्थित शाखा कार्यालय में सम्पत्ति हेतु ऑफर्स खोलने की तिथि 25-03-2025 समय पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक है। निविदा प्राधिकृत अधिकारी की मौजूदगी में खोली जाएगी।
6. अचल सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि 22-03-2025 समय पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 3.00 बजे तक तक है।
7. कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को एतद्द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के तहत बिक्री हेतु 15 दिन का नोटिस दिया जाता है कि वे उपरिवर्णित बकाया राशि नीलामी की तिथि से पहले जमा कर दें जिसमें असफल रहने पर प्राप्त की गई ऑफर स्वीकार कर ली जाएगी तथा अचल सम्पत्ति नीलाम कर दी जाएगी तथा शेष राशि, यदि कोई, ब्याज और लागतों सहित वसूल की जाएगी। यदि कर्जदार **महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड** की पूरी बकाया राशि बिक्री की तिथि से पहले चुका देता है तो नीलामी रोक दी जाएगी।
8. अचल सम्पत्ति उच्चतम बोलीदाता को बेची जाएगी। तथापि, अधोहस्ताक्षरी का एकमात्र अपने विवेक के अनुसार परस्पर बोलीदान की अनुमति देने का अधिकार सुरक्षित है, यदि ऐसा आवश्यक समझा जाता है।

स्थान : देहरादून तिथि : 09-03-2025 **हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी, महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड**

दक्षिण मध्य रेलवे
हमें X@SCRRailwayindia पर फॉलो करें
दक्षिण मध्य रेलवे के निविदा सूचनाओं के विवरणों को हमारी वेबसाइट www.scr.indianrailways.gov.in पर देख सकते है।
PUB/0243/25

मार्च-2025 माह के लिए विशेष ई-नीलामी कार्यक्रम

विशेष ई-नीलामी	
दिनांक	मंडल
24.03.2025	सिकंदराबाद

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक/ सिकंदराबाद

A0308

विस्तृत निविदा शर्तों/ विवरणों तथा निविदा दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए, कृपया वेबसाइट https://www.ireps.gov.in या www.scr.indianrailways.gov.in पर जाएँ।

JM FINANCIAL

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएनः U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालयः 7वीं मंजिल, क्रेस्ट, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
वेबसाइटः www.jmfinancialarc.com

संपर्क व्यक्तिः
(1). वैभव दाग - 9837536789,
(2). रोहन सावंत - 9833143013,
(3). प्रशांत मोडे - 022-6224 1676

शुद्धिपत्र

आम जनता को सूचित किया जाता है कि ई-नीलामी बिक्री नोटिस तथा विज्ञापन गुरुवार, 06 फरवरी, 2025 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) समाचार पत्र में यूपी/यूके में प्रकाशित हुआ। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व प्रकाशन दिनांक 06-02-2025 में नीलामी की तिथि अनजाने में 14-03-2025 अंकित हो गई थी, जिसे 11-03-2025 पढ़ा जाए। तिथि को छोड़कर अन्य सभी विवरण/नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

दिनांकः 09.03.2025, स्थानः यू.पी./यू.के.
हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी), (अरण्य-द्वितीय)

Bank of India
Relationship beyond banking

सम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना : 09.04.2025

गाजियाबाद ज़ोन, बी–32, सैक्टर–62, नोएडा–201307

फोनः 0120-2404135

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

परिशिष्ट - IV-A नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

आम जनता को और विशेष रुप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का रचनात्मक /भौतिक कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक **09.04.2025** को (पूर्वा. 10.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे) को बेचा जाएगा।

ईएमडी/दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि **08.04.2025** है। इच्छुक खरीदार अपने नाम पोर्टल **https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration** पर पंजीकृत करवाएंगे। और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी ऑनलाइन जमा करें।

बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।

क्र. सं.	शाखा का नाम और खाता / कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण और मालिक	बकाया राशि (प्रतिभूत ऋण) कब्जे की स्थिति और तिथि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मोबाइल नं./जिससे बोलीदाता शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकता है
1	**बैंक ऑफ इंडियाः वजीराबाद रोड शाखा खाताः श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्वर्गीय महेश (उधारकर्ता)**	रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट तीसरी मंजिल पर, छत के अधिकार सहित, कैपिटल कंपाउंड, प्लॉट नंबर 4, खसरा नंबर 27/2 में से, गांव– चिकमबरपुर, परगना– लोनी, गाजियाबाद यूपी क्षेत्रफल 28.009 वर्ग मीटर श्रीमती राजेश्वरी पत्नी स्वर्गीय महेश के नाम पर है। चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 3, दक्षिणः प्लॉट नं. 5, पूरबः अन्य संपत्ति, पश्चिमः रास्ता 14 फीट	रु. **4,31,811.26** + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. **10.74** लाख रु. **1.08** लाख रु. **0.11** लाख	**09.04.2025** को पूर्वा. 10.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	देवेन्द्र कुमार सागर **7505276325**
2	**बैंक ऑफ इंडिया–सिकंदराबाद शाखा खाता – मैसर्स रियांश एसोसिएट्स प्रोप. मिथुन कुमार पुत्र भवर सिंह (उधारकर्ता)**	फ्री होल्ड रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि खेत संख्या 557 का हिस्सा, ग्राम–सिकंदराबाद देहात, नगर पालिका क्षेत्र के बाहर, तहसील–सिकंदराबाद, जिला–बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 117.05 वर्ग मी. या 140 वर्ग गज, यह सम्पत्ति मिथुन कुमार पुत्र भंवर सिंह के नाम पर है। चौहद्दीः उत्तरः सड़क 9 फीट, दक्षिणः राजपाल का प्लॉट, पूरबः सुदेश के साले का प्लॉट, पश्चिमः बबली के बेटे का प्लॉट	रु. **33,27,843.23** + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. **18.20** लाख रु. **1.83** लाख रु. **0.19** लाख	**09.04.2025** को पूर्वा. 10.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	राजेश कुमार सिंह **8368040874**

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री / बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया **https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration** वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) नीलामी की तिथि और समय : **09.04.2025 (सुबह 11:00 बजे से अर्पा 05:00 बजे तक** प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि **08.04.2025**
3) नीलामी आरक्षित मूल्य + पहले बोलीवृद्धि मूल्य जैसा कि बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित है, पर शुरु होगी। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए बोलीदाता बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित गुणकों मे अपनी बोली बढ़ाएँगे। संपत्तियों को आरक्षित मूल्य और प्रथम बोलीवृद्धि मूल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा।
4) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://www.baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration** पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। खरीदार अपने केवाईसी दस्तावेज, फोन नंबर और ईमेल आईडी वेबसाइट पर जमा करें।
5) संपत्ति को सभी मौजूदा या भविष्य के भारों के साथ बेचा जाएगा (यदि कोई)। प्राधिकृत अधिकारी संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों / दावों या बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6) प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार/संपत्तियों के शीर्षक, सांविधिक दायित्व/कर देयता/संपत्ति कर के बकाया आदि के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। वेबसाइट **www.baanknet.com** पर लॉग इन करके संपत्तियों को देखा जा सकता है। संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से कार्य समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।
7) सफल बोलीदाता/क्रेता संपत्ति की खरीद पर देय बिक्री मूल्य के 1% की दर से टीडीएस सहित सभी करों को वहन करेगा (यदि बिक्री मूल्य रु. 50 लाख/– और अधिक है) और ऑनलाइन बिक्री करने के लिए सेवा प्रदाता को देय कर। साथ ही बिक्री प्रमाण पत्र के निष्पादन के लिए देय शुल्क जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क; आदि सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
8) असफल बोलीदाता ईएमडी की वापसी के लिए स्वयं BAANKNET से संपर्क करेगा। ईएमडी की वापसी के लिए अधिकृत अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।
9) प्राधिकृत अधिकारी/बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई–नीलामी को स्थगित/ /रद्द करने या किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए नीलामी कार्यवाही से किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
10) बिक्री प्रमाण पत्र केवल क्रेता/आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
11) सफल बोलीदाता की बयाना राशि (ईएमडी) को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाताओं को पहले से भुगतान की गई EMD सहित बिक्री मूल्य का 25%, अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद/अगले कार्य दिवसों की समाप्ति से पहले और बिक्री मूल्य का शेष बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलाम किया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाताओं का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
इच्छुक बोलीदाता जो वेबसाइट के साथ पंजीकृत होना चाहते हैं और ईएमडी जमा करना चाहते हैं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता हेतु ग्राहक सेवा से 8291220220 या **support.baanknet@psballiance.com** पर संपर्क कर सकते हैं और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए प्राधिकृत अधिकारियों से उनके संबंधित फोन नंबरों पर या गाजियाबाद अंचल कार्यालय में 0120-2404135 पर संपर्क कर सकते हैं। बिक्री अधिकृत अधिकारियों द्वारा वेबसाइट **www.baanknet.com** पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
नोटः सभी इच्छुक बोलीदाता 19.03.2025 से 21.03.2025 तक केवल कार्य घंटों के दौरान एओ /शाखा से संपर्क करने के बाद संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं / साइट पर जा सकते हैं और इसके बाद या उल्लिखित किसी भी पूर्व तिथि पर साइट विजिट के लिए कोई अनुरोध का स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक **https://www.bankofindia.co.in** देखें।

दिनांक 08.03.2025, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया

Unity Small Finance Bank Limited

कॉर्पोरेट कार्यालय : सेंट्रम हाउस, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रुज (पूर्व) मुंबई- 400 098

कब्जे की सूचना (अचल संपत्तियों के लिए) नियम 8(1) देखें

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित दिनांक को मांग सूचना जारी की है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है। निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ दिनांक **03/03/2025** को नीचे वर्णित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए **यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा–13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

उधारकर्ता / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों का नाम और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि
शिव शक्ति सैनिटेशन (उधारकर्ता), 2. धर्म प्रकाश (सह–उधारकर्ता और बंधककर्ता), 3. सरला देवी (सह–उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या :– USFBDELLOAN000005007130 भौतिक अधिग्रहण की तिथि : 03/03/2025	मांग सूचना तिथि 24.05.2023 हेतु राशि रु. 1,81,30,481.45/– (रुपये एक करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार चार सौ इक्यासी और पैंतालीस पैसे मात्र) 15/04/2024 के अनुसार लागू ब्याज और अन्य शुल्कों सहित।

बंधककृत / प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का विवरण : निर्मित ऊपरी भूतल और प्रथम तल के समस्त वह भाग तथा अंश जो छत एवं छज्जा अधिकारों के बिना है, जिसका क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर अर्थात् 200 वर्ग गज है, जो संपत्ति संत्र 1/10372–बी धारक, खसरा सं. 359 के भाग के संरचनाधारण करते हुए, साथ में छत के स्तर तक अधिकारों के साथ निर्मित निर्माण, सामान्य प्रवेश द्वार, सीढ़ियां, लिफ्ट (एलेवेटर) और भूतल से मार्ग के अधिकारों, पानी की टंकी, डिश टीवी, आदि के रखरखाव के लिए शीर्ष मंजिल पर जाने के लिए सामान्य अधिकारों के साथ, स्टिल्ट फ्लोर पर सामान्य पार्किंग के साथ, संपत्ति के तहत भूमि के 1/4 वें अविभाजित आनुपातिक स्वामित्व अधिकारों के साथ, गली नंबर 1 के रूप में जानी जाने वाली आबादी पश्चिम गोरख पार्क, गांव बाबरपुर, इलाका शाहदरा दिल्ली 110032 के क्षेत्र में स्थित और निम्नानुसार परिसीमित है :– सीमाएं (बंधक विलेख के अनुसार) उत्तर : दूसरों की संपत्ति, दक्षिण : गली 15 फीट चौड़ी, पूर्व : दूसरों की संपत्ति, पश्चिम : गली 15 फीट चौड़ी।

दिनाँक : 09/03/2025, स्थान : दिल्ली — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी– यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

केन फिन होम्स लि.

CIN - L85110KA1987PLC008699 1652/57/1, पहला तल, मेन पोस्ट ऑफिस के पास, सरकूलर रोड, रेवारी–123401 ई–मेल : rewari@canfinhomes.com मो. : 7625079233

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफासी ऐक्ट) की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 3(1) के अधीन

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने, केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, सरफासी ऐक्ट के अधीन और उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना जारी की थी, जिसमें यहां नीचे सूचीबद्ध कर्जदारों/गारंटरों (इसमें आगे उक्त कर्जदार कहे गए हैं) से, सूचना में वर्णित राशियां, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।
उक्त सूचनाएं डाक अधिकारियों द्वारा अवितरित के रूप में लौटा दी गई हैं/कर्जदारों द्वारा सम्यक प्राप्त नहीं की गई हैं। अतएव कम्पनी पूर्ण सावधानी के साथ यह मांग सूचना प्रकाशित करवा रही है (नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार)। अधोहस्ताक्षरी द्वारा, अतएव, ये सूचनाएं, उक्त अधिनियम के अनुसार, उक्त कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पतों के परिसर पर चस्पा करवा दी गई हैं।
संबंधित पार्टियों द्वारा ऋण की सम्यक वापसी के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित आस्तियां कम्पनी के पास बंधक रखी गई हैं।

क्र. सं.	कर्जदारों/गारंटरों का नाम एवं पता	एनपीए की तिथि	मांग सूचना के अनुसार दावित राशि*	प्रतिभूति आस्ति का वर्णन
1.	1. श्रीमती. रेशमा पत्नी श्री. राजेश (कर्जदार) पता– वार्ड नंबर –04, मोहल्ला माता गेट, झज्जर, हरियाणा–124103 2. श्री. राजेश कुमार पुत्र श्री धर्म सिंह (सह–कर्जदार) पता– सापला रोड, एन.आर. गैलेक्सी होटल, छारा चुंगी, झज्जर, हरियाणा–124103 3. श्री. राजेश कुमार पुत्र श्री धर्म सिंह (सह–कर्जदार) पता– एच.नं. 223, वार्ड क्रमांक 4, नं. गैलेक्सी होटल, झज्जर, हरियाणा–124103 4. भूपेन्द्र पुत्र श्री राजेश, (सह–कर्जदार) पता– 206/4, बस्ती राम कॉलोनी, झज्जर, एमडीजी झज्जर, हरियाणा–124103	28-02-2025	रु. 19,99,447/– (रुपये उन्नीस लाख निन्यानवें हजार चार सौ सैंतालीस मात्र) मांग सूचना की तिथि 03-03-2025	खेवट/खतौनी संख्या 3556, 4028, 4667, 4927 और 3255 सहित 390 वर्ग गज का आवासीय भूखंड, 13/1921वें हिस्से की सीमा तक कुल 96 कनाल 1 मरला, जो 0 कनाल 13 यानी 0 कनाल 13 होता है। 390 वर्ग गज, तहसील झज्जर, जिला– झज्जर, हरियाणा की राजस्व संपदा में स्थित है। पूर्व में श्रीमती कविता का प्लॉट पश्चिम में : रामकला का प्लॉट उत्तर में : श्री राजेश का प्लॉट दक्षिण में : 16 फीट चौड़ा मार्ग

उपरिवर्णित तिथि से भुगतान की तिथि तक, सहमत संविदात्मक दरों पर, आगे ब्याज के साथ देय।

एतद्द्वारा आपसे उपरोक्त राशि का भुगतान उस पर संविदा दर पर ब्याज सहित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट के अधीन उपरोक्त प्रतिभूति प्रवर्तित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त कर्जदारों/गारंटरों का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक : 08.03.2025 स्थान : रेवारी — हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

नैनीताल बैंक

शाखा- बी–1/42, सेंट्रल मार्केट, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
फोन नं. 0120–2973310, मो. नं. 7835099053

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता नैनीताल बैंक, बी-1/42, सेंट्रल मार्केट, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201301 शाखा का प्राधिकृत अधिकारी है तथा सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल ऐसेट्स एण्ड, इनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (SARFAESI) एक्ट 2002 के सेक्शन 13(12) के नियम 3 के अधीन 60दिन की अवधि का डिमान्ड नोटिस निम्नलिखित ऋणियों तथा जमानतियों को जारी कर चुका है। यह कि ऋणी/ जमानती ऋण का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहे अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) व रूल 8 एवं 9 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सम्पत्ति का जो है जहा है जैसे है के आधार पर दिनांक 06.03.2025 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणियों/जमानतियों तथा सामान्य रूप से सम्पूर्ण जनता को सावधान किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें। सम्बन्धित लेन–देन दि नैनीताल बैंक लि0 के संबंधित ऋणियों/जमानतियों पर देय धनराशियों तथा उस पर देय ब्याज एवं अन्य सम्बन्धित खर्चे की सीमा तक बैंक प्रभार के अधीन होंगे। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा–13 की उपधारा (8) के प्रावधान को आकर्षित किया जाता है।

ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. नूतन शर्मा पत्नी प्रफुल्ल कुमार (कर्जदार), निवासी 65 बी, ई – 5, शताब्दी विहार, सेक्टर – 52, नोएडा, उत्तर प्रदेश। 2. प्रफुल्ल कुमार पुत्र सी पी शर्मा (कर्जदार), निवासी 65 बी, ई – 5, शताब्दी विहार, सेक्टर – 52, नोएडा, उत्तर प्रदेश। 3. रंजीत कुमार पुत्र एसएन सिंह (जमानती), निवासी बी – 301, आम्रपाली ग्रीन, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। 4. उदय वीर सिंह पुत्र रामेश्वर दयाल (जमानती), निवासी बी – 69, सेक्टर – 47, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश – 201001

डिमान्ड नोटिस दिनांक 02.12.2024 को रू. 28,87,456.00 (रुपये अट्ठाईस लाख सत्तासी हजार चार सौ छप्पन मात्र दिनांक 19.11.2024 तक) दिनांक 20.11.2024 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे (घटायें वसूली, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है।

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि टाइप– एम.आई.जी. फ्लैट सं. 65–सी (द्वितीय तल), ब्लॉक–ई–5, शताब्दी विहार, सेक्टर–52, नोएडा, जिला– गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सम्पति उप निबंधक तृतीय, नोएडा के कार्यालय में बही सं. 1, जिल्द सं. 1849, पृष्ठ सं. 1 से 22, क्रमांक सं. 1098, दिनांक 23.03.2010 को नूतन शर्मा के नाम पर विधिवत पंजीकृत है। सीमायें – पूरब में सोसायटी रोड, पश्चिम में फ्लैट सं. 66 सी, उत्तर में सोसायटी रोड, दक्षिण में पार्क।

स्थान : नोएडा, उत्तर प्रदेश — दिनांक : 09.03.2025 — प्राधिकृत अधिकारी

Bank of India
Relationship beyond banking

ई–नीलामी बिक्री सूचना

सम्पत्तियों की ई–नीलामी : 25.03.2025

बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली क्षेत्र, "स्टार हाऊस" एच–2, क्नॉट सर्कस, मिडल/आउटर सर्कल, पीवीआर प्लाज़ा हॉल के पास, नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–28844099

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जैसा है जहां है" "जैसा है वही है" "बिना किसी सहारे के"** और **"जो है वहां है"** के आधार पर दिनांक 25.03.2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे को बेचा जाएगा। **प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी द्वारा बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है**

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) बंधककर्ता(ओं) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल देय	a) आरक्षित मूल्य b) ईएमडी c) बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मो. नं.
1	ए : उधारकर्ता : मैसर्स सिनाज हेल्थकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ईक्यूएम विस्तारित) निदेशक/गारंटर : श्री रेशव मित्तल निदेशक/गारंटर : श्री अमरदीप सिंह बी : उधारकर्ता : श्री रेशव मित्तल (2 खाते) शाखा : पंचशील	संपूर्ण तीसरी मंजिल संपत्ति सं. डी–189 पर निर्मित, ब्लॉक–डी, द्वारका आवासीय कॉलोनी, सेक्टर–8, द्वारका, नई दिल्ली–110077, 1387.91 वर्ग फीट मापी गई। श्री रेशव मित्तल के स्वामित्व में **(सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा बैंक के पास हैं।)**	रु. 333.23 लाख + अप्रभारित ब्याज + अन्य प्रभार	a) Rs. 1,53,45,000/- b) Rs. 15,34,500/- c) Rs. 50,000/-	श्री योगेन्द्र सिंह पंखोली 9654991782
2	ए: उधारकर्ता: श्रीमती सीमा चौधरी शाखा: पंचशील	संपूर्ण प्रथम तल (बिना छत /टेरेस अधिकारों के) बिल्ट–अप फ्री–होल्ड संपत्ति संख्या **BE-40D**, क्षेत्रफल 67 वर्ग गज की भूमि पर निर्मित, खसरा सं. 2007 और 2008 का हिस्सा, गांव तिहाड़ के क्षेत्र में, अब कॉलोनी जिसे बीई–ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, हरि नगर, क्लॉक टॉवर, नई दिल्ली–110064, भूमि अधिकारों में 1/4 अविभाजित हिस्सेदारी के साथ उक्त संपत्ति के नीचे कुल भूमि में से, साझा भागों का उपयोग करने के सभी सामान्य अधिकारों के साथ **(सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा बैंक के पास हैं।)**	रु. 36.31 लाख + अप्रभारित ब्याज + अन्य प्रभार	a) Rs. 49,50,000/- b) Rs. 4,95,000/- c) Rs. 25,000/-	श्री योगेन्द्र सिंह पंखोली 9654991782
3	उधारकर्ता: श्री ऋषि राज सह–उधारकर्ता: श्रीमती सोना शाखा: प्रशांत विहार	डीडीए निर्मित फ्रीहोल्ड एक्सपेंडेबल फ्लैट नं. 91, तीसरी मंजिल पर छत के अधिकार के साथ, 28.00 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, पॉकेट–12, सेक्टर–22 में, रोहिणी आवासीय योजना रोहिणी के लेआउट प्लान में, दिल्ली–110086 में स्थित (स्वामित्व श्रीमती सोना पत्नी श्री ऋषि राज) **(सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक के पास हैं।)**	रु. 17.94 लाख + अप्रभारित ब्याज + अन्य प्रभार	a) Rs. 23,76,000/- b) Rs. 2,37,600/- c) Rs. 25,000/-	श्री भूपिंदर पाल सिंह, 9872870948/ 7986964448
4	मैसर्स केवीएस इन्फोटेक प्रोपराईटर–श्रीमती कविता झा गारंटर– श्री सुनील कुमार झा शाखा: ओखला	व्यवसायिक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. एम24 बी (अविभाजित भाग) मेजेनाइन फ्लोर पर, संपत्ति संख्या 4637 (भाग) में जिसे कोठी नंबर 20 के नाम से जाना जाता है, मुनीश प्लाजा, अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली– 110002, स्वामित्व श्री सुनील कुमार झा के नाम पर संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 467 वर्ग फीट है। **(सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक के पास हैं।)**	रु. 33.30 लाख + अप्रभारित ब्याज + अन्य प्रभार	a) Rs. 23,89,000/- b) Rs. 2,38,900/- c) Rs. 25,000/-	सुश्री ममता 9621411960
5	उधारकर्ता – श्री राजीव शर्मा गारंटर – श्री नवनीत सिंह शाखा – चांदनी चौक	4/440, पुराना नंबर 252, द्वितीय तल, खसरा नंबर 506/513/514 और 534 में से, गली नंबर 12 भोला नाथ नगर, ग्राम चंद्रावली के क्षेत्र में, शाहदरा, दिल्ली–110032, श्री राजीव शर्मा के नाम पर है। क्षेत्रफल –41.80 वर्ग मीटर **(सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक के पास हैं।)**	रु. 24.32 लाख + अप्रभारित ब्याज + अन्य प्रभार	a. Rs. 11,50,000/- b. Rs. 1,15,000/- c. Rs. 10,000/-	श्री सुमन कुमार 8986561706
6	उधारकर्ता: श्रीमती कविता घई पत्नी हरीश घई सह–उधारकर्ता– श्री हरीश घई गारंटर– श्री अमित छाबड़ा शाखा–नई दिल्ली गांधीनगर	फ्लैट सं. एच–711, 7वीं मंजिल, टॉवर–एच (छत के बिना) "ऑक्सी होम्ज" में आवासीय हाउसिंग समूह परिसर में जो कि गांव बेहटा हाजीपुर, परगना लोनी तहसील, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, सुपर एरिया 88.26 वर्ग मीटर और कवर्ड एरिया 62.62 वर्ग मीटर है। यह सम्पत्ति श्रीमती कविता घई पत्नी हरीश घई के नाम पर है। **(सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा बैंक के पास हैं।)**	रु. 16.32 लाख + अप्रभारित ब्याज + अन्य प्रभार	a) Rs. 28,02,000/- b) Rs. 2,80,200/- c) Rs. 10,000/-	श्री प्रसून रंजन 8378050835
7	ए : उधारकर्ता: श्री प्रदीप चौहान सह–उधारकर्ता: श्रीमती :बी चौहान शाखा: पंचशील	संपूर्ण निर्मित मकान प्लॉट सं. बी–133, ब्लॉक–बी, खसरा संख्या 1342/2, राम पार्क, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री प्रदीप चौहान और श्रीमती रूबी चौहान के नाम पर है। (क्षेत्रफल 227.60 वर्ग मीटर) **(सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा बैंक के पास हैं।)**	रु. 50.01 लाख + अप्रभारित ब्याज + अन्य प्रभार	a) Rs. 87,99,000/- b) Rs. 8,79,900/- c) Rs. 50,000/-	श्री योगेन्द्र सिंह पंखोली 9654991782

नियम और शर्तें :

1) नीलामी बिक्री/बिडिंग वेबसाइट **https://baanknet.com** के माध्यम से केवल 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग के जरिये की जाएगी।
(2) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://baanknet.com** पर पंजीकरण करना होगा और केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने चाहिए और सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, ईएमडी को एनईएफटी/आरटीजीएस/ ट्रांसफर/चालान फॉर्म जनरेट करने के माध्यम से बैंकनेट ईएमडी वॉलेट **BAANKNET** में जमा करना होगा।
3) ई–नीलामी की तिथि एवं समयः **25.03.2025 पूर्वा 11.00 बजे से अप. 5.00 बजे** तक 10 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तार सहित।
4) संपत्ति का निरीक्षण **20.03.2025 को प्रातः 11.00 बजे से अपराह 04.00 बजे तक** के बीच संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति के साथ किया जा सकता है।
5) जैसा कि ऊपर बताया गया है, ई–नीलामी आरक्षित मूल्य और प्रथम वृद्धितीत मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाताओं को एक साथ सभी संपत्तियों के लिए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में अपने प्रस्तावों में सुधार करना होगा।
6) ई–नीलामी में सहज भागीदारी के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को ईएमडी यानी रिजर्व प्राइस का 10% आवश्यक दस्तावेजों / विवरणों के साथ **BAANKNET** पोर्टल पर 24.03.2025 से पहले ऑनलाइन जमा करना चाहिए।
7) उच्चतम/सफल बोली लगाने वाले को खरीद राशि का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी यानी बोली राशि का 10%) तुरंत जमा करना होगा, लेकिन बिक्री की पुष्टि के अगले कार्य दिवस (बैंकिंग घंटों के दौरान) से पहले नहीं। बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार करने के बाद, ऐसा न करने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
8) खरीद राशि का शेष 75% प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पहले (बैंकिंग समय के दौरान) या लिखित रूप में सहमति के अनुसार विस्तारित अवधि तक देय होगा और यह केवल प्राधिकृत के विवेक पर निर्भर करेगा। अधिकारी, निर्धारित अवधि के भीतर यह शेष राशि जमा न करने की स्थिति में जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी/बैंक नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
9) संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री पूर्ण मानी जाएगी और बैंक कोई दावा स्वीकार नहीं करेगा।
10) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया लिंक देखें **https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3**
11) यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों / बंधककर्ताओं को 15 दिन की अग्रिम सूचना भी है।
12) इस नोटिस के अंग्रेजी संस्करण और किसी अन्य स्थानीय संस्करण के बीच विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

दिनांक 09.03.2025, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया

Chola
Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत, **शाखा कार्यालय :** प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

कब्जा सूचना नियम 8(1) के अधीन

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।
कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।
कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।
प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित चुकाकर प्रत्याभूत आस्ति छुड़ा सकते हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1.	**ऋण खाता सं. X0HEDHE00000459107)** **1. राजेश सिंह** 1153 ई, न्यू सिंडिकेट बैंक VIII बवाना, निकट धोबी चौपाल, नई दिल्ली–110039 **2. अलका कुमार** 1153 ई, न्यू सिंडिकेट बैंक VIII बवाना, निकट धोबी चौपाल, नई दिल्ली–110039	10–06–2021	रू. 1,33,36,496/– 09–06–2021 तक	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : फ्लैट नंबर 20–ए, भू तल, ब्लॉक–पी, पाकेट डी, पीतमपुरा के लेआउट प्लान में स्थित, दिल्ली	07–03–2025 भौतिक
2.	**ऋण खाता सं. X0HEDEF00002037940)** **1. स्व. कुलवंत सिंह इनके कानूनी वारिसों के माध्यम से (विवरण ज्ञात नहीं)** ए–215, सुदर्शन पार्क, मोती नगर, रमेश नगर, एच.ओ. नई दिल्ली–110015 **श्रीमती रविंदर कौर** ए–215, सुदर्शन पार्क, मोती नगर, रमेश नगर, एच.ओ. नई दिल्ली–110015 **मैसर्स डायनाफ्लो इक्विपमेंट्स प्रा. लि.,** इसकी निदेशक रविन्दर कौर के माध्यम से ए–215, सुदर्शन पार्क, मोती नगर, रमेश नगर, एच.ओ. नई दिल्ली–110015 **मैसर्स डायनाफ्लो इक्विपमेंट्स प्रा. लि.,** इसकी निदेशक रविन्दर कौर के माध्यम से मकान नंबर 1543, एमआईई बहादुरगढ़, लैंड मार्क – फेज–2, हरियाणा–124507	11–12–2024	रू. 20,87,864/– 11–12–2024 तक	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : निर्मित भू तल, छत/टेरेस के अधिकार नहीं, सम्पत्ति सं. ए–215 (पुराना नंबर डब्ल्यूजैड–246 एफ/5–बी) का भाग, प्लॉट/अहाता नंबर 4–ए पर निर्मित, क्षेत्रफल परिमाप 175 वर्ग गज (146.32 वर्ग मीटर), स्थित : ग्राम बसई दारापुर, कालोनी सुदर्शन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110015, बिजली और पानी के कनेक्शन सहित, पृथक चालू हालत में, उक्त सम्पत्ति के नीचे भूमि के फ्रीहोल्ड अधिकार सहित।	07–03–2025 भौतिक

तिथि : 07-03-2025 स्थान : दिल्ली/एनसीआर — प्राधिकृत अधिकारी : चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

खबर कोना

केकेआर ने वेस्ट इंडीज के ओटिस गिब्सन को सहायक कोच नियुक्त

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 8 मार्च।

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने 22 मार्च से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के नए सत्र से पहले शनिवार को वेस्टइंडीज के ओटिस गिब्सन को अपना सहायक कोच नियुक्त किया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 650 से अधिक विकेट लेने वाले बारबाडोस के पूर्व तेज गेंदबाज 55 वर्षीय गिब्सन ने कोच के रूप में करिअर शुरू करने से पहले 1995 से 1999 तक टेस्ट और वनडे दोनों में वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व किया। गिब्सन को कोचिंग का व्यापक अनुभव है। वह दो बार इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजी कोच रहे। उन्होंने 2010 से 2014 तक वेस्टइंडीज के मुख्य कोच के रूप में भी काम किया।

आरलियन्स मास्टर्स के सेमीफाइनल में चुन यी से हारे आयुष

आरलियंस, 8 मार्च (भाषा)।

भारतीय शटलर आयुष शेट्टी का 240,000 डालर इनामी आरलियंस मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार अभियान शनिवार को यहां पुरुष एकल सेमीफाइनल में दुनिया के 14वें नंबर के खिलाड़ी चीनी ताइपे के लिन चुन यी से सीधे गेम में हार के साथ समाप्त हो गया। विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 के कांस्य पदक विजेता 19 वर्षीय आयुष ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन दबाव बरकरार नहीं रख सके और 40 मिनट में 13-21, 15-21 से हार गए।

अमेरिका : इंडियन वेल टेनिस गार्डन में बीएनपी परिबास ओपन में थियागो सेबोथ वाइल्ड के खिलाफ स्टेफानोस त्सित्सिपास शाट लगाते हुए।

जोबर्ग ओपन : तीसरे स्थान पर शर्मा, अहलावत ने कट में प्रवेश किया

जोहानिसबर्ग, 8 मार्च (भाषा)।

शुभंकर शर्मा ने जोबर्ग ओपन गोल्फ के दूसरे दौर में छह अंडर 65 स्कोर करके संयुक्त तीसरा स्थान हासिल कर लिया, जबकि पहले दौर में वह संयुक्त 17वें स्थान पर थे। शान नौरिस कान के संक्रमण से जूझने के बावजूद शीर्ष पर हैं, जबकि फ्रांस के एड्रियन सेडियेर उनसे एक शाट पीछे हैं। शर्मा और कोनोर साइमी तीसरे स्थान पर है। वीर अहलावत ने दूसरे दौर में सात अंडर 63 का स्कोर कर संयुक्त 30वां स्थान हासिल किया।

शीर्ष वरीयता प्राप्त ज्वेरेव को दूसरे दौर में मिली हार

इंडियन वेल्स, 8 मार्च (एपी)।

नीदरलैंड के टालोन ग्रीकस्पूर ने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव को बीएनपी परीबस ओपन के दूसरे दौर में 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4) से हरा दिया। इससे आठ दिन पहले ज्वेरेव को अमेरिका की लीर्नर टियेन ने मैक्सिको में 6-3, 6-4 से मात दी थी। ग्रीकस्पूर का सामना अब जियोवान्नी एमपेत्शी से होगा।

अमेरिका : स्टेट फार्म सेंटर में बास्केटबाल टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में पर्ड्यू बायलरमेकर्स के फ्लेचर लोयर (दाएं) और इलिनोइस फाइटिंग इलिनी के ट्रे व्हाइट गेंद के लिए जूझते हुए।

मुकाबला

ग्रुप चरण में भारत से मिली हार से बहुत कुछ सीखने को मिला : विल

दुबई, 8 मार्च (भाषा)।

क्रिकेट

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज विल यंग ने भारत के खिलाफ ग्रुप चरण में मिली हार से अविचलित रहते हुए कहा कि उनकी टीम रविवार को होने वाले चैंपियंस ट्राफी फाइनल में भारत की कमजोरियों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। यंग का मानना है कि भारत के खिलाफ मैच से उनकी टीम को कई अहम बातें सीखने का मौका मिला है और वे इन सीखी हुई बातों का उपयोग फाइनल में भारत को हराने के लिए करेंगे।

यंग ने कहा, हम ग्रुप चरण की हार से बहुत कुछ सीखे हैं, खासकर बल्लेबाजों के तौर पर मैंने और गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों के खेलने के तरीके को समझा है। अब हम जानते हैं कि भारत इन हालातों में कैसे खेल सकता है और हम उन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच कई रोमांचक मुकाबले हुए हैं, जिनमें हाल ही में हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और 2023 विश्व कप सेमीफाइनल शामिल हैं। लेकिन मैच के दिन जो टीम अच्छा खेलेगी, वही जीतेगी। अतीत की बातें अब मायने नहीं रखतीं।

यंग ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड के लिए चैंपियंस ट्राफी की जीत 25 साल बाद एक खास मौका होगा। उन्होंने कहा, 25 साल पहले नैरोबी में भारत को हरा कर न्यूजीलैंड ने पहली बार चैंपियंस ट्राफी जीती थी। उस समय मैं सिर्फ आठ साल का था, लेकिन मुझे वह टूर्नामेंट और स्काट स्टायरिस के किस्से याद हैं। उम्मीद है कि हम इस बार भी वही सफलता दोहरा सकेंगे। यंग ने अपनी टीम के आत्मविश्वास और प्रदर्शन पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे इस दबाव को सही तरीके से संभालते हुए भारत को हरा चैंपियंस ट्राफी जीत सकते हैं।

एकदिवसीय प्रारूप में अपने भविष्य पर रोहित शर्मा ले सकते हैं फैसला

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 8 मार्च।

भारत के कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा चैंपियंस ट्राफी के बाद एकदिवसीय क्रिकेट में अपने भविष्य को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। यह जानकारी बीसीसीआइ के सूत्रों से प्राप्त हुई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने पिछले साल वेस्टइंडीज में टी20 विश्व कप जीतने के बाद से उनके संन्यास की चर्चा तेज हो गई है।

भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को होने वाले फाइनल में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अगर भारत चैंपियंस ट्राफी जीतता है, तो रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी के बाद एक से अधिक आइसीसी प्रतियोगिता जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन सकते हैं। इसके बाद रोहित शर्मा अपने करिअर पर विचार कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, वे चैंपियंस ट्राफी के बाद चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर से अपने भविष्य पर चर्चा कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट में यह देखा गया है कि चयनकर्ता किसी बड़े खिलाड़ी के भविष्य को लेकर फैसला नहीं करते, बल्कि खिलाड़ी खुद इस बारे में बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों से बात करते हैं।

इससे पहले, रोहित ने संवाददाता सम्मेलन में संन्यास से जुड़े सवालों से बचने के लिए पत्रकारों से बात नहीं की। उनके स्थान पर उपकप्तान शुभमन गिल ने मीडिया से बात की और यह स्पष्ट किया कि ड्रेसिंग रूम में किसी खिलाड़ी के संन्यास को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

इस बीच, यह भी माना जा रहा है कि रोहित और विराट कोहली एकदिवसीय क्रिकेट से एक साथ संन्यास नहीं लेंगे, जैसा कि टी20 क्रिकेट से संन्यास के बाद हुआ था। भारतीय क्रिकेट के भविष्य कार्यक्रम के मुताबिक, भारत को दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोई एकदिवसीय मैच नहीं खेलना है, जिससे यह संभावना जताई जा रही है कि यदि रोहित चैंपियंस ट्राफी के बाद एकदिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेते हैं, तो उनका अगला एकदिवसीय मैच दिसंबर में होगा।

अब यह सवाल यह उठता है कि क्या रोहित शर्मा 2027 तक होने वाले एकदिवसीय विश्व कप तक टीम में बने रहेंगे या चैंपियंस ट्राफी के बाद इस प्रारूप से अलविदा ले लेंगे। इस सवाल का जवाब फाइनल मुकाबले के बाद मिलने की उम्मीद है।

चैंपियंस ट्राफी

रोहित हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं : सूर्यकुमार

नई दिल्ली, 8 मार्च (भाषा)।

भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव का मानना है कि रोहित शर्मा सबसे ईमानदार और साफ दिल वाले इंसान हैं जिन्होंने हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दिया। सूर्यकुमार ने यहां कहा, वह बहुत स्वाभाविक और सहज इंसान हैं। वह कुछ भी करते हैं उसमें दूसरों को आगे रखते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। उनसे आसानी से संपर्क किया जा सकता है। वह हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। वह मैदान के अंदर और बाहर बेहद स्वाभाविक इंसान है।

न्यूजीलैंड के साथ भिड़ंत आज, उप कप्तान गिल ने कहा

दबाव जरूर, भारतीय टीम मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी

दुबई, 8 मार्च (भाषा)।

चैंपियंस ट्राफी के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के एकदिवसीय भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं लेकिन उप कप्तान शुभमन गिल ने शनिवार को कहा कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में अभी रोहित और विराट के संन्यास पर चर्चा नहीं हो रही है। अभी सिर्फ टीम आज के मुकाबले के बारे में सोच रही है।

कोहली और रोहित अभी भी इस प्रारूप में दमदार बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन क्रिकेट जगत में चर्चा है कि अगर भारत चैंपियंस ट्राफी जीतता है तो दोनों बल्लेबाज या फिर कम से कम एक अपने करिअर को अलविदा कह सकता है। गिल ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्राफी फाइनल से पहले मैच की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'ड्रेसिंग रूम में अभी संन्यास के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है।' गिल ट्राफी जीतने के भारी दबाव से अवगत हैं। उन्होंने कहा, 'हम सभी फाइनल के लिए उत्साहित हैं। पिछली बार हम 50 ओवर का विश्व कप नहीं जीत पाए थे, लेकिन हम इस बार जीतने के लिए दृढ़ हैं।' उन्होंने कहा कि टीम होने वाले दबाव को संभाल लेगी और ट्राफी जीतेगी। गिल ने कहा, 'बड़े मैचों में दबाव होगा। लेकिन जो भी टीम दबाव से निपटेगी, वह फाइनल जीतेगी। हमें इसे किसी भी अन्य मैच की तरह ही लेना होगा और अच्छी टीमें ऐसा ही करेंगी। हमने यहां चार मैच खेले हैं और अच्छा प्रदर्शन किया है इसलिए हम पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं है।' गिल ने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए क्रिकेट के इतिहास की कुछ बेहतरीन टीमों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, 'यही कारण है कि हम बीते वर्षों की बड़ी टीमों के बारे में बात करते हैं जिसमें वेस्टइंडीज और आस्ट्रेलिया शामिल हैं।' गिल ने कहा, 'इन टीमों ने नाकआउट में अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेला और बड़े मैच के समीकरण से दबाव को दूर किया। कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। पर अच्छी टीमें दबाव में अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलती हैं।

गिल 'सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी क्रम' का हिस्सा होने पर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी क्रम में गहराई शीर्ष तीन खिलाड़ियों को खुद को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने देती है। गिल ने कहा, 'यह सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी क्रम है, जिसका मैं हिस्सा हूं। रोहित दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं और विराट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी टीम की बल्लेबाजी में गहराई है और इससे शीर्ष क्रम को थोड़ी अधिक स्वतंत्रता के साथ बल्लेबाजी करने की अनुमति मिलती है।'

उन्होंने स्वीकार किया कि टीम ने डीआइसीएस पर अपने पिछले सभी चार मैच जीत लिए थे जिससे टीम प्रेरित होगी। गिल ने कहा, 'हमने यहां चार मैच खेले हैं और हमने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई अतिरिक्त चर्चा की जरूरत है।

चैंपियंस ट्राफी : मुकाबला ढाई बजे से, टास दो बजे

भारत ने पिछले साल टी20 विश्व कप जीतकर आइसीसी टूर्नामेंटों में लंबे समय से चली आ रहे खिताब के सूखे को खत्म किया और गिल ने कहा कि इस जीत ने टीम को थोड़ा स्वतंत्र कर दिया है। गिल ने कहा कि टीम की और खिताब जीतने की भूख अभी भी कम नहीं हुई है।

विश्व विजेता गुकेश ने कहा

सभी प्रारूपों में खेलने के लिए मैं तैयार हूं

नई दिल्ली, 8 मार्च (भाषा)।

शतरंज के बदलते परिदृश्य से बेफिक्र मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश सभी प्रारूपों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फ्रीस्टाइल शतरंज जहां रोमांच पैदा करता है वहीं अपने समृद्ध इतिहास के साथ क्लासिकल शतरंज हमेशा सबसे महत्त्वपूर्ण बना रहेगा। शतरंज में अभी दो वर्ग सामने आ रहे हैं। इनमें एक वर्ग जहां फ्रीस्टाइल का समर्थक है तो दूसरा वर्ग क्लासिकल शतरंज के प्रति वफादार बना हुआ है। इससे शतरंज में विभाजन की संभावना बन गई है। पिछले साल चीन के डिंग लिरेन को हरा कर विश्व चैंपियन बनने वाले गुकेश को नहीं लगता है की शतरंज दो गुट में बंट जाएगा।

गुकेश ने एक कार्यक्रम में कहा, 'मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। फ्रीस्टाइल काफी रोमांचक है और मैं इसमें खेल कर खुश हूं। लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। फ्रीस्टाइल में अभी तक केवल दो ही बड़े टूर्नामेंट हैं।'

उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि फ्रीस्टाइल सशक्त हो जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह शतरंज के मूल प्रारूप पर हावी हो जाएगा। क्लासिकल शतरंज का इतिहास और विरासत इसे और अधिक महत्त्वपूर्ण बनाती है।' गुकेश ने कहा, 'क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज़ के साथ फ्रीस्टाइल का जुड़ना खेल के लिए अच्छा है लेकिन यह देखना बाकी है कि यह प्रारूप कैसे आगे बढ़ता है। मैं सभी प्रारूपों में खेलने के लिए तैयार हूं।'

शतरंज

गुकेश ने इसके साथ ही सात से 14 अप्रैल तक होने वाले फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर के पेरिस चरण के लिए अपनी भागीदारी की पुष्टि की। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन और गुकेश उन चोटी के 12 ग्रैंडमास्टर में शामिल है जिन्होंने 750,000 डालर की पुरस्कार राशि वाले पेरिस चरण में भाग लेने की पुष्टि की है।

फाइल फोटो।

स्कूली खेल, प्रशिक्षकों व खिलाड़ियों के कल्याण पर बनी आम सहमति

हैदराबाद, 8 मार्च (एजंसी)।

खेल मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आयोजित किए गए दो दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे और अंतिम दिन शनिवार को स्कूली खेलों को बढ़ावा देने, प्रतिभा की पहचान और अच्छे प्रशिक्षकों को तैयार करने पर आम सहमति बनी। चिंतन शिविर में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों और अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी कि भारत के 2036 ओलंपिक की मेजबानी के सपने को साकार करने और 2028 में लास एंजिलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपसी सहयोग जरूरी है।

मांडविया ने कहा कि चिंतन शिविर में चर्चाएं सम्मेलन कक्ष की चार दीवारों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें 2047 तक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी महत्त्वपूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए। कान्हा शांति वनम में आयोजित किए गए चिंतन शिविर के पहले दिन केंद्र सरकार तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच खेल विकास और शासन पर चर्चा हुई। इस विशिष्ट शिविर के दूसरे दिन हितधारक इस बात पर सहमत हुए कि स्कूली खेलों को बढ़ावा देने, अच्छे प्रशिक्षक तैयार करने और खिलाड़ियों के कल्याण पर नए सिरे से काम किया जाना चाहिए।

मंथन

मांडविया ने कहा कि चिंतन शिविर में चर्चाएं सम्मेलन कक्ष की चार दीवारों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए।

भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने कहा

चैंपियंस ट्राफी — सेमीफाइनल में रोहित की टीम ने आस्ट्रेलिया को हराया था

भारत प्रबल दावेदार, लेकिन न्यूजीलैंड टीम भी बहुत मजबूत

दुबई, 8 मार्च (भाषा)।

भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को चैंपियंस ट्राफी फाइनल में भारत को प्रबल दावेदार बताया है लेकिन कहा कि फायदा ज्यादा नहीं होगा क्योंकि न्यूजीलैंड काफी मजबूत टीम है। भारतीय टीम ने अपने सारे मैच दुबई में खेले और सभी जीतकर फाइनल में पहुंची है। सेमीफाइनल में भारत ने आस्ट्रेलिया को हराया था। न्यूजीलैंड टीम ग्रुप ए में भारत के बाद दूसरे स्थान पर रही थी, जिसे भारत ने लीग चरण में हराया था। न्यूजीलैंड ने लाहौर में सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को मात दी।

भारत के पूर्व मुख्य कोच शास्त्री ने 'द आइसीसी रिव्यू' में कहा कि अगर भारत को कोई टीम हरा सकती है तो वह न्यूजीलैंड है। भारत प्रबल दावेदार है लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। भारत और न्यूजीलैंड का सामना 2000 चैंपियंस ट्राफी फाइनल में भी हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने चार विकेट से जीत दर्ज की थी। 62 वर्ष के शास्त्री ने न्यूजीलैंड के चार खिलाड़ियों का जिक्र किया जो फाइनल का रूख बदल सकते हैं। उन्होंने रचिन रविंद्र को 'बेहद प्रतिभाशाली' करार दिया, जबकि केन विलियमसन की 'स्थिरता और संत जैसे शांत स्वभाव' की प्रशंसा की। उन्होंने कप्तान मिचेल सेंटनेर को बुद्धिमान कप्तान और ग्लेन फिलिप्स को टीम का 'एक्स फैक्टर' कहा। शास्त्री ने विराट कोहली के मौजूदा फार्म को 'गेम चेंजर' करार दिया, जबकि निर्णायक क्षणों में अच्छे प्रदर्शन के लिए विलियमसन की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोहली के मौजूदा फार्म की बात करें तो अगर ऐसे खिलाड़ियों को शुरुआती दस रन बना लेने दें तो बाद में वे लंबा खेलते हैं। विलियमसन हों या कोहली। न्यूजीलैंड के लिए मैं कहूंगा विलियमसन। कुछ हद तक रविंद्र भी जो शानदार युवा खिलाड़ी है।

पच्चीस वर्ष के रविंद्र आइसीसी 50 ओवरों के टूर्नामेंटों में पांच शतक जमा चुके हैं और ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। शास्त्री ने कहा कि जिस तरह से क्रीज में वह मूव करता है, मुझे बहुत पसंद है। वह प्रवाहमयी बल्लेबाजी करता है और उसके पास कई स्ट्रोक्स हैं। बड़े टूर्नामेंटों में शतक ऐसे ही नहीं बन जाते। वह बेहद प्रतिभाशाली है।

विलियमसन के बारे में उन्होंने कहा कि वह बहुत स्थिर है और शांत रहता है। वह अपने काम को लेकर बहुत संजीदा है। वह संत की तरह है मानो ध्यान में लगा हो। बड़े शाट्स के बजाय वह प्रवाह के साथ पारी को आगे बढ़ाता है।

पच्चीस वर्ष के रविंद्र आइसीसी 50 ओवरों के टूर्नामेंटों में पांच शतक जमा चुके हैं और ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। शास्त्री ने कहा कि जिस तरह से क्रीज में वह मूव करता है, मुझे बहुत पसंद है। वह प्रवाहमयी बल्लेबाजी करता है और उसके पास कई स्ट्रोक्स हैं। बड़े टूर्नामेंटों में शतक ऐसे ही नहीं बन जाते। वह बेहद प्रतिभाशाली है।

भारत ने बधिर टी20 त्रिकोणीय शृंखला जीती

जनसत्ता खेल
नई दिल्ली, 8 मार्च।

भारत ने शनिवार को करनैल सिंह स्टेडियम में खेले गए फाइनल में आस्ट्रेलिया को सात विकेट से हरा कर बधिर टी20 त्रिकोणीय शृंखला जीत ली। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय बधिर क्रिकेट संघ (आइडीसीए) ने किया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका भाग लेने वाली तीसरी टीम थी।

भारत के कुलदीप सिंह ने फाइनल में पांच विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्हें शृंखला का सर्वश्रेष्ठ और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया। भारत के ही अभिषेक सिंह को शृंखला का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया। टूर्नामेंट के लिए भारतीय बधिर क्रिकेट टीम का नेतृत्व वीरेंद्र सिंह ने किया। आइडीसीए के अध्यक्ष सुमित जैन ने कहा, त्रिकोणीय शृंखला के प्रति दिलचस्पी से बधिर क्रिकेट का भविष्य उज्जवल नजर आता है।'

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. UPHIN/2007/21637, वर्ष 18 अंक 269
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए रमेश चंदर मल्होत्रा द्वारा प्रकाशित और मुद्रित। दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड प्रेस, सी-26, अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, लखनऊ से मुद्रित और 1/8, विवेक खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। फोन: (0522) 2391233, ई-मेल: jan.up@expressindia.com, फैक्स: (0522) 2391302,
बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज* *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com

इंडियन एक्सप्रेस समूह

जनसत्ता सरोकार | सम-सामयिक | एक

जनसत्ता | 9 मार्च, 2025

सिमटती संवेदना

तकनीक के विकास के साथ जैसे-जैसे इंसान ने तालमेल बिठाया है, वैसे-वैसे कई स्तर पर इसे ही आधुनिकता का पैमाना बना लिया गया है। मगर इस क्रम में यह याद रखना जरूरी नहीं समझा गया कि जिन तकनीकों के सहारे इंसान खुद को आधुनिक घोषित करने चला है, उसमें उसकी इंसानी संवेदना कहां और कितनी बच सकेगी। आज हालत यह है कि हर हाथ में मौजूद स्मार्टफोन या मोबाइल के छोटे से पर्दे ने लोगों को इस कदर गुम कर दिया है कि उसमें इंसानी संवेदनाओं की जगह लगातार सिमटती जा रही है।

जनसत्ता सरोकार

इसमें कोई दोराय नहीं कि विज्ञान और तकनीकी की दुनिया ने मनुष्य के जीवन को आसान बनाया है। मगर क्या तकनीक पर निर्भरता इस स्तर तक हो सकती है या होनी चाहिए कि उसके सम्मोहन में मनुष्य अपना विवेक या सोचने-समझने की शक्ति खो दे और उसे किसी अपने की हत्या तक कर डालने में कोई हिचक न हो?

गौरतलब है कि हाल के दिनों में ओड़ीशा और मध्य प्रदेश में दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवकों ने लगातार स्मार्टफोन देखते रहने से मना किए जाने पर अपने परिवार के ही सदस्यों पर जानलेवा हमला किया। ओड़ीशा के जगतसिंहपुर जिले में इक्कीस साल के एक कालेज छात्र ने भारी पत्थर से कुचल कर अपने मां-पिता और बहन की हत्या कर दी। हमले की वजह यह थी कि उसके मां-पिता और बहन ने छात्र को हमेशा ही मोबाइल पर 'आनलाइन गेम' खेलते रहने से मना किया था।

इसी तरह, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से भी ऐसी ही दहला देने वाली खबर आई। एक किशोर को उसके माता-पिता पिता ने हर वक्त में मोबाइल में डूबे रहने से मना किया। इसके बाद किशोर ने लोहे की छड़ से माता-पिता पर हमला कर दिया। इसमें उसके पिता की जान किसी तरह बच सकी, लेकिन मां की जान चली गई।

राजस्थान के जयपुर में तेरह साल की एक बच्ची को उसके माता-पिता ने मोबाइल देखने से मना किया और इससे गुस्साई उस बच्ची ने पहले अपने हाथ की नस काट ली, तो उसके अभिभावकों ने इलाज करा कर उसे बचा लिया। मगर अगले ही दिन उसने नदी में कूद कर जान दे दी।

निर्भरता की हद

इन तीन घटनाओं ने हर संवेदनशील व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर किया है कि मनुष्य के जीवन में तकनीक का दखल किस हद तक हो, इसका दायरा कहां तक हो, इस पर निर्भरता की सीमा क्या हो। कई बार यह यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि जिस विज्ञान और तकनीक ने मनुष्य के जीवन और विचार के फलक को असीम विस्तार दिया, उसमें किसी खास तकनीकी ने उसकी मनोग्रंथियों के स्वरूप को संवेदनशून्य होने के स्तर तक विकृत कर दिया है।

> **आज हालत यह हो गई कि ज्यादातर लोग जो स्मार्टफोन में गुम दिखते हैं, अगर वे अपने रोजाना चार-पांच या छह या इससे ज्यादा घंटे देखी गई सामग्री और उसके हासिल पर गौर करें तो उन्हें हैरानी होगी कि उन्हें कुछ भी महत्त्वपूर्ण हाथ नहीं लगा।**

सवाल है कि जो तकनीक जनजीवन को सुविधाजनक और आसान बनाने के लिए आम उपयोग में दाखिल हुआ, वह आज मनुष्य को मनुष्य से छीन लेने के एक कारगर औजार के तौर पर क्यों और कैसे काम करने लगा है? आखिर क्या कारण है कि स्मार्टफोन या मोबाइल के छोटे-से पर्दे, यानी स्क्रीन में अपनी दिलचस्पी की कोई चीज देखते-देखते ऐसी मनःस्थिति में गुम हो जाता है कि उसे देश-दुनिया का भान नहीं रहता और वह कुछ पल के लिए भी खुद को उससे अलग कर पाने में असमर्थ हो जाता है?

जरूरत से आगे

हालांकि आज की पीढ़ी के युवा इस बात को शायद अतीत की किसी गैर-महत्त्व की बात की तरह याद करते होंगे या फिर कुछ को यह पता भी नहीं होगा कि जिस स्मार्टफोन के चार-पांच इंच के पर्दे में उनकी दुनिया सिमट गई है, वह उस मोबाइल की अगली सीढ़ी है, जिससे अलग-अलग दो जगहों पर मौजूद लोग सिर्फ बात कर पाते थे या फिर सिर्फ एक दूसरे को संदेश भेज सकते थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की विस्तृत दुनिया की बातों के समांतर उसी मोबाइल की शक्ल आज स्मार्टफोन के इस रूप में है, जिसकी छोटी स्क्रीन ने बच्चों से लेकर बड़ों तक की आंखों को अपने भीतर कैद कर लिया है और उनके सोचने-समझने की प्रक्रिया तक को बुरी तरह सीमित, केंद्रित और कई अर्थों में बाधित कर दिया है। वरना क्या कारण है कि कोई व्यक्ति बिना किसी वजह या मकसद के भी हर वक्त मोबाइल के पर्दे में गुम रहता है, जरूरत न होने पर भी फोन उठा कर उसके स्क्रीन पर अंगुलियां फिराने लगता है? उससे दूर होने के खयाल भर से किसी बच्चे या किशोर या युवा के भीतर अगर आक्रामकता उभर आती है या वह जानलेवा हद तक हिंसक हो जाता है, तो इसकी क्या वजह है?

लत का हासिल

दरअसल, मोबाइल में कोई भी चीज देखते रहना या गेम खेलना महज मनोरंजन नहीं रह गया लगता है। ऐसा लगता है कि इसे लगातार देखते रहने के क्रम में व्यक्ति

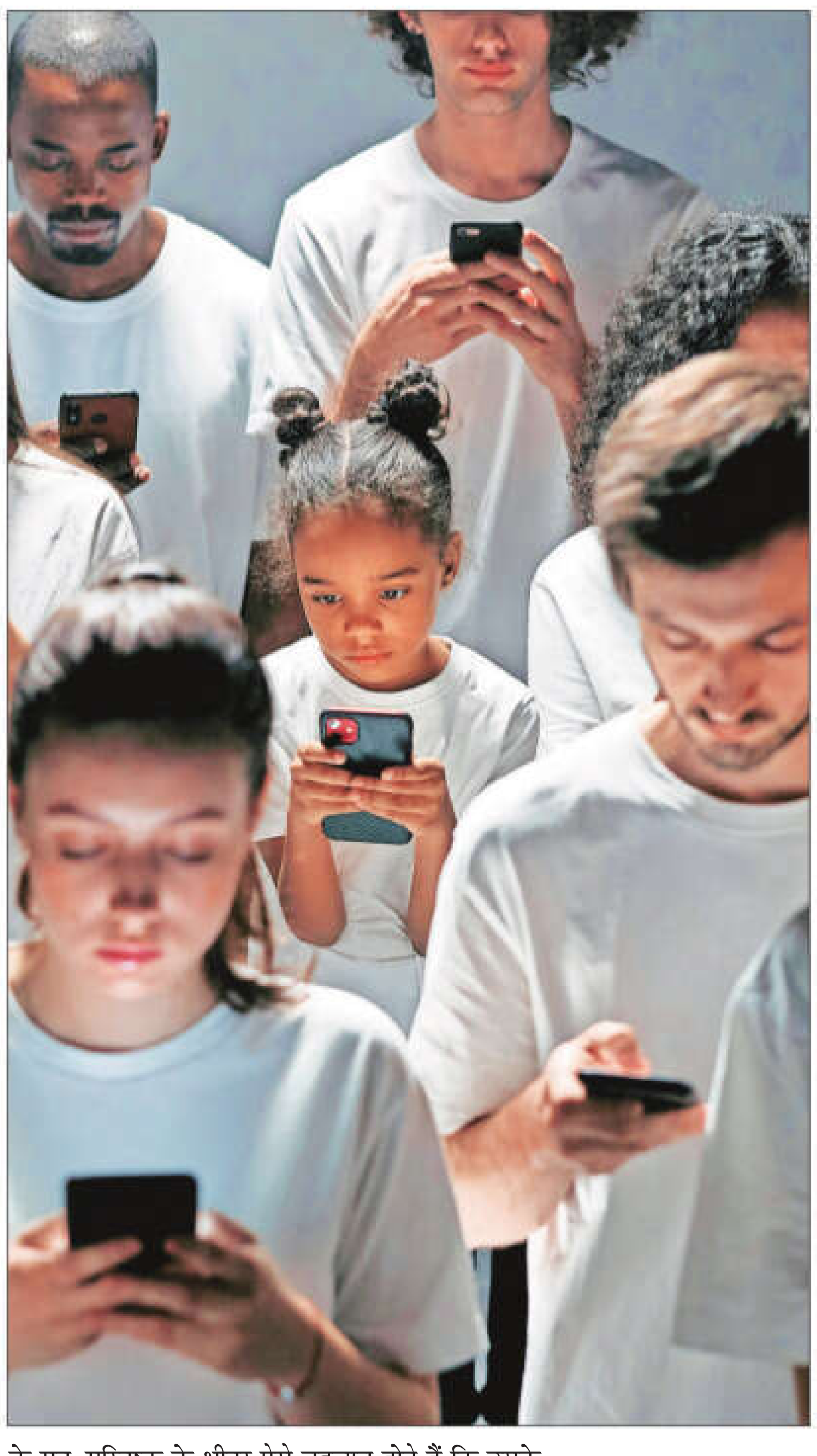

के मन-मस्तिष्क के भीतर ऐसे बदलाव होते हैं कि उसके लिए खुद को मोबाइल के पर्दे से दूर करना एक मुश्किल काम हो जाता है। यह बदलाव मनोविज्ञान या सोचने-समझने के ढांचे तक के स्तर पर भी होता है, जिसके नतीजे में व्यक्ति पहले तो अपने स्तर पर इस बात का अहसास नहीं कर पाता कि मोबाइल में गुम रहने की वजह से उसे फायदा कितना हो रहा है और इसके मुकाबले उसके कितने जरूरी काम बाकी रह जा रहे हैं, कितना वक्त जाया हो रहा है। जब मोबाइल देखने की वजह से उपजी बाधा के क्रम में किसी काम में कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, तब जाकर सिर्फ उस काम के न हो पाने का अफसोस होता है। इसके बावजूद अगर स्मार्टफोन का सम्मोहन नहीं छूट पाता है, तो निश्चित रूप से यह कोई जटिल संरचना है, जिसकी जकड़बंदी विवेक पर हावी हो जाती है।

तेजरफ्तार दुनिया में खुद के पीछे छूट जाने के डर से पीड़ित व्यक्ति बहुत आसानी से मोबाइल की लत में डूबता चला जाता है। इस बात पर मनोवैज्ञानिक और अन्य स्तर पर गंभीर अध्ययन की जरूरत है कि मोबाइल में लगातार अपनी रुचि की चीजें देखते रहने, आनलाइन गेम खेलने की स्थिति किन वजहों से लत में तब्दील हो जाती है और उसे छोड़ने या उसमें गुम रहने से मना करने पर किसी युवा या बच्चे के भीतर हिंसा या आक्रामकता पैदा होने की क्या वजह है। मोबाइल के पर्दे में ऐसा कौन-सा सम्मोहन है कि वह किसी के समूचे व्यक्तित्व को अपने अदृश्य जंजीरों में इस कदर कैद कर लेता है कि उसे बाकी दुनिया की कोई फिक्र नहीं रह जाती?

जाल की जड़

दरअसल, जब किसी किशोर या युवा के भीतर इस मनःस्थिति की बुनियाद पड़ रही होती है तब हम इस बात को लेकर बेफिक्र होते हैं या फिर उसे गंभीरता से नहीं लेते। इसकी भी वजह शायद यह है कि ज्यादातर लोग कमोबेश एक ही गतिविधि में लीन रहते हैं, इसलिए उन्हें दूसरों से कोई शिकायत नहीं होती। ऐसे दृश्य आम हैं, जिनमें किसी घर में मेहमान आए हों या फिर घर के ही सदस्य किसी कमरे की बैठक में आसपास बैठे हों, मगर आपस में बात करने के बजाय लगभग सभी अपने-अपने स्मार्टफोन में रील देखने या सोशल मीडिया के किसी मंच पर एक पंक्ति लिखने, उस पर आई टिप्पणियां या पसंदगी का चटका गिनने में मशगूल होते हैं। कई लोगों की हालत यह है कि उन्हें कोई जरूरी काम निपटाने, पढ़ाई करने, किसी से मिलने, बात करने के बजाय मोबाइल में दस-बीस सेकंड के वीडियो देखना और उससे भी आगे इस तरह के रील बनाना ज्यादा जरूरी काम लगने लगा है।

कुछ घरों में यह भी देखा जा सकता है कि बच्चा अपने अभिभावकों या पड़ोस के बच्चों के साथ प्रत्यक्ष गतिविधियों वाला कोई खेल खेलना चाहता है, मगर उसे न तो बच्चों का साथ मिलता है, न ही उसके अभिभावकों का। जबकि ठीक उसी समय ऐसे बच्चे अपने आसपास ज्यादातर लोगों को स्मार्टफोन में गुम देखते हैं। इस स्थिति का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? स्वाभाविक तौर पर बच्चा भी धीरे-धीरे इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन में ही कोई गेम खेलने लगता है और धीरे-धीरे इसी पर उसकी निर्भरता बढ़ती जाती है। इस स्थिति के लिए किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी?

जरूरी बनाम मजबूरी

एक समस्या यह है कि अनेक वजहों से बहुत सारे बच्चों और किशोरों के लिए अपनी पढ़ाई-लिखाई के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करने की मजबूरी पैदा हुई है। मौसम या प्रदूषण या अन्य वजहों से स्कूलों को बंद करने और आनलाइन पढ़ाई का चलन बढ़ने की वजह से बच्चों के लिए बहुत सारा वक्त अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के पर्दे में लीन रहना एक जरूरत बन गई है। मगर इस पर अध्ययन किए जाने की जरूरत है कि ज्यादा देर तक स्मार्टफोन या कंप्यूटर के स्क्रीन पर पढ़ाई के क्रम में क्या बच्चों या युवाओं के भीतर कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, उनके दिमाग और सोचने-समझने की संरचना को इस तरह प्रभावित करते हैं, जो उन्हें इंटरनेट या मोबाइल की दुनिया के संजाल में उलझा देते हैं!

आज हालत यह हो गई कि ज्यादातर लोग जो स्मार्टफोन में गुम दिखते हैं, अगर वे अपने रोजाना चार-पांच या छह या इससे ज्यादा घंटे देखी गई सामग्री और उसके हासिल पर गौर करें तो उन्हें हैरानी होगी कि उन्हें कुछ भी महत्त्वपूर्ण हाथ नहीं लगा। बल्कि बहुत कम बातें या दृश्य उन्हें याद रहे। इसके बावजूद, बिना किसी प्रयास के हाथ स्मार्टफोन की ओर बढ़ जाते हैं और उसके स्क्रीन में गैरजरूरी चीजें देखने में समय गंवाना लोगों को जरूरी लगता है। एकाग्र होकर किसी चीज को देखने दशा यह हो गई है कि बहुत सारे लोग पच्चीस या तीस सेकंड के एक वीडियो को भी तेज गति करके देखते हैं या फिर पूरा नहीं देख पाते हैं। सवाल है कि व्यक्ति के भीतर यह मानसिक अस्थिरता कैसे पैदा हुई है।

अनुपस्थित विवेक

सच यह है कि इस मोड़ पर आकर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी लत जड़ पकड़ चुकी होती है, जिसकी चपेट में वह कुछ वक्त भी बिना मोबाइल के गुजार पाने की कल्पना नहीं कर पाता। इसी मन-स्थिति में कभी उसे मोबाइल देखने या उसमें गेम खेलने से मना किया जाता है तो उसका विवेक अनुपस्थित हो जाता है और वह अपना आपा खो देता है। इसके बाद उपजी आक्रामकता में उसे किसी पर भी हमला करने में हिचक नहीं होती या यहां तक कि कई बार वह खुदकुशी भी कर लेता है।

अगर कोई व्यक्ति लगभग हर समय स्मार्टफोन का गैरजरूरी तरीके से और कई बार आदत से मजबूर होकर इस्तेमाल करने लगता है और इस क्रम में उसे अपने जीवन की सामान्य गतिविधियों और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों की फिक्र नहीं रहती है और वह खुद को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से नहीं रोक पाता है, तो इस स्थिति को 'नोमोफोबिया' कहा जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति का उपचार मनोचिकित्सा और मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाली दवाओं के जरिए भी किया जाता है।

जरूरी बनाम गैरजरूरी

दुनिया भर में संचार, मनोरंजन और सूचना के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने और इससे भी आगे इस पर निर्भर रहने वाले लोगों के आंकड़ों में तेजी से उछाल आया है। लेकिन इसके समांतर इसके लगातार इस्तेमाल करने के क्रम में एक बड़ी आबादी, जिनमें एक बड़ा हिस्सा युवाओं और किशोरों का है, स्मार्टफोन का उपयोग किसी सार्थक या उपयोगी काम करने के बजाय आनलाइन गेम से लेकर सोशल मीडिया और अन्य गैरजरूरी सामग्रियां और यहां तक कि अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें देखने में अपना वक्त जाया करने लगी है। जरूरत के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल और एक लत के तौर पर इसमें डूबे रहने में बड़ा फर्क है। विडंबना यह है कि इंटरनेट और स्मार्टफोन के संजाल में फंस कर इसके लती हो चुके लोग यह फर्क कर पाने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे।

अगर समय रहते स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर संयमित तौर-तरीकों पर गौर नहीं किया गया, तो आने वाला वक्त वैसी घटनाओं की त्रासद समस्या खड़ी करेगा, जिन्हें हम महज इक्का-दुक्का घटनाएं मानकर सहजता से अपने स्मार्टफोन के पर्दे में अपना सिर झुका लेते हैं।

बिगड़ती सेहत

स्मार्टफोन का इस्तेमाल लत की हद तक करने का असर लोगों की मानसिक सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार बना रहा है। लत में पड़े व्यक्ति को अगर कुछ पल के लिए स्मार्टफोन से दूर कर दिया जाए या उन्हें दूर होना पड़े तो उनकी बेचैनी चेहरे पर आ जाती है। कुछ प्रत्यक्ष असर इस तरह हैं :

- तनाव और उससे आगे चिंता
- अवसाद और अलगाव या एकाकीपन
- नींद का चक्र बुरी तरह प्रभावित होना
- याददाश्त में कमी
- बाधित एकाग्रता
- बौद्धिक कौशल में गिरावट
- काम की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर
- उत्पादकता में कमी
- स्मार्टफोन के बिना खुद को कुछ नहीं समझना
- रिश्तों की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित
- आवेग पर नियंत्रण में कमी
- हिंसक आक्रामकता का विकास
- भविष्य के नतीजों के आकलन की क्षमता में कमी।

पाबंदी के सहारे

कुछ समय पहले आई एक खबर के मुताबिक, आस्ट्रेलिया में अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सोशल मीडिया पर मौजूदगी पर रोक लगाई गई। यह बच्चों को मोबाइल या स्मार्टफोन से दूरी बनाने की कोशिशों की एक कड़ी के तौर पर देखा गया है। इसके अलावा, कुछ अन्य जगहों पर भी बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल को सीमित किया गया है।

यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड जैसे कुछ देशों में कहीं सभी स्कूलों में, तो कहीं कुछ स्कूलों में बच्चों के मोबाइल लाने पर मनाही है। एशिया में भी चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर में भी आमतौर पर स्कूलों में

मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित है। कनाडा और अमेरिका में भी कई स्कूलों में मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित या सीमित है।

मुसीबत की कड़ियां

चार मार्च, 2025

ओड़ीशा के जगतसिंहपुर जिले में 21 साल के युवक ने अपने माता-पिता और बहन की हत्या कर दी। आरोपी को मोबाइल फोन पर आनलाइन गेम खेलने की लत थी और इसे लेकर पिता और मां अक्सर उसे रोकते थे। 4 मार्च को भी जब परिजनों ने युवक को मोबाइल फोन पर गेम खेलने से रोका तो उसने पत्थर मारकर उनकी हत्या कर दी। युवक ने 25 साल की बहन को भी मौत के घाट उतार दिया।

चार मार्च, 2025

मध्य प्रदेश में बालाघाट के वारासिवनी में एक युवक ने मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से मना किए जाने के बाद अपने माता-पिता पर लोहे की छड़ से हमला कर दिया। इस घटना में मां की मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी बेटा नीट की तैयारी कर रहा था और मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर अक्सर माता-पिता से झगड़ता रहता था।

चार मार्च, 2025

एक नाबालिग लड़की ने जयपुर की द्रव्यवती नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक, परिजनों ने जब लड़की को मोबाइल नहीं दिया, तो उसने पहले अपने हाथ की नसें काट कर जान देने की कोशिश की थी। परिजन उसे अस्पताल ले गए और इलाज कराया। लेकिन अगले दिन मंगलवार को उसने नदी में छलांग लगा दी। घरवालों के अनुसार, उनकी बच्ची मोबाइल के लिए हमेशा आक्रामक हो जाती थी, इसलिए वे उसकी आदत छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर बच्ची मानने के लिए तैयार नहीं थी।

23 फरवरी, 2025

इंदौर में मोबाइल गेम की लत और जिद ने एक नौवीं कक्षा के छात्र की जान ले ली। प्रिंस मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने का आदी था और पुराना मोबाइल खोने पर वह लगातार अपनी मां से नया मोबाइल दिलाने की जिद कर रहा था। इसके बाद उसने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

16 दिसंबर, 2024

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 14 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली। खबर के मुताबिक,

परिजनों ने नौवीं कक्षा की छात्रा से मोबाइल छीन लिया था।

14 नवंबर, 2024

बंगलुरु में शुक्रवार को एक शख्स ने अपने 14 वर्षीय बेटे की मोबाइल की लत और पढ़ाई में दिलचस्पी न होने को लेकर बहस के बाद क्रिकेट के बल्ले से पीट-पीट कर और दीवार पर उसका सिर पटक कर हत्या कर दी।

नौ नवंबर, 2024

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में बड़े भाई ने छोटे भाई को ज्यादा मोबाइल देखने से मना किया। मोबाइल उससे छिन लिया, जिसके बाद छोटे भाई ने जहर का सेवन कर जान दे दी।

पांच सितंबर 2024

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक नाबालिग लड़के ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खबर के मुताबिक, मां ने बेटे को मोबाइल चलाने से मना किया तो उसने खुदकुशी कर ली।

परिसीमन की दुविधा

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

> अगर केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के अनुसार चलती है और दक्षिणी राज्य जनसंख्या के आधार पर पुनर्निर्धारण के अपने विरोध पर अड़े रहते हैं, तो यह एक अप्रतिरोधी शक्ति का एक अचल वस्तु के साथ संघर्ष का मामला होगा। इससे कलह और विध्वंश बढ़ता जाएगा। क्या हमारे पास सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का विवेक है?

भारतीय संविधान में बयालीसवें संशोधन के बाद, परिसीमन की तलवार, 1977 से ही राज्यों की गर्दन पर लटकी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में स्पष्ट भाषा में कहा गया है किः वे 'एक नागरिक, एक वोट' के सिद्धांत को अंगीकार करते हैं।

अनुच्छेद 81 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या तय कर दी गई है, जिसके मुताबिक इसमें राज्यों से चुने जाने वाले कुल 530 से अधिक और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाने वाले 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। वर्तमान संख्या राज्यों के लिए 530 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 13 है।

उप-अनुच्छेद (2) (ए) में लिखा हैः 'प्रत्येक राज्य को लोकसभा में उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सीटें आबंटित की जाएंगी और जहां तक संभव हो सकेगा, सभी राज्यों के लिए यही नियम समान होगा।' 'जनसंख्या' शब्द का अर्थ पिछली जनगणना में निर्धारित जनसंख्या है, पर शर्त यह है कि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार ही मान्य होगी। अनुच्छेद 81 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद किसी राज्य को आबंटित सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, लेकिन 2026 के बाद की जनगणना तक इस प्रक्रिया को रोक दिया गया था। इसलिए, विभिन्न राज्यों को आबंटित सीटों की संख्या को 1971 की तरह स्थिर रखा गया, जो 'एक नागरिक, एक वोट' के सिद्धांत का उल्लंघन है।

लोकतंत्र और संघवाद

इसमें कोई दो राय नहीं कि 'एक नागरिक, एक वोट' लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, लेकिन अमेरिकी लोगों ने 1776 में महसूस किया, यह संघवाद के सिद्धांत के विपरीत है। उन्होंने इसका एक समाधान निकाला, जो पिछले ढाई सौ वर्षों में उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ है। उन्होंने समय-समय पर प्रतिनिधि सभा में पचास राज्यों में से प्रत्येक को राज्य की जनसंख्या के आधार पर आबंटित सीटों का पुनर्निर्धारण किया, लेकिन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व (2 सदस्य) दिया। अमेरिका की तरह भारत भी एक लोकतंत्र और संघ है। हमने 1971 में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व के नुकसानों को देखा, लेकिन उसका समाधान खोजने के बजाय हमने इसे 2026 तक टाल दिया।

आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। 2021 के बाद से किसी न किसी बहाने जनगणना का काम टाला जाता रहा है। 2026 के बाद जनगणना का मतलब है कि परिसीमन करना होगा; हर राज्य को आबंटित सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण होगा; और कुछ राज्यों को जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए पुरस्कृत किया जाएगा और कुछ राज्यों को 2.0 या उससे कम की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) प्राप्त करने के लिए दंडित किया जाएगा। 'एक नागरिक, एक वोट' की असमानता आपके सिर पर वार करेगी।

घटाना और बढ़ाना

अगर लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 530+13 पर स्थिर कर दी जाती है और अनुच्छेद 81 और 82 के अनुसार परिसीमन और पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो दक्षिणी राज्य (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना) बुरी तरह हार जाएंगे। उनकी कुल संख्या 129 से घटकर 103 रह जाने का अनुमान है। राज्यों के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए जनसंख्या के अनुपात के सिद्धांत को लागू करने का कोई भी तरीका उन राज्यों को 'दंडित' करेगा, जिन्होंने प्रजनन दर कम और अपनी जनसंख्या को स्थिर करने में अच्छा प्रदर्शन किया है- जो पचास से अधिक वर्षों से एक राष्ट्रीय लक्ष्य था और अब भी है। आज, दक्षिणी राज्यों की लोकसभा में 129/543 के बराबर आवाज है, और यह पर्याप्त मुखर नहीं है। अगर यह हिस्सा 103/543 हो जाता है, तो दक्षिणी राज्यों की आवाज और कम हो जाएगी।

यह वादा कि दक्षिणी राज्यों की सीटों की संख्या कम नहीं की जाएगी, एक खोखला वादा है। कृपया ध्यान दें कि ऐसा कोई वादा नहीं है कि सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश की सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी। अगर सीटों के पुनर्निर्धारण के माध्यम से 'कोई कमी नहीं' और 'वृद्धि' दोनों को लागू किया जाना है, तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना है। ऐसी स्थिति की आशंका- और उसके लिए योजना बनाते हुए- लोकसभा के नए कक्ष को 888 सदस्यों के बैठने के लिए चतुराई से डिजाइन किया गया है। अगर सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए वह रास्ता अख्तियार किया जाता है, तो दक्षिणी राज्यों की आवाज काफी कम हो जाएगी- 129/543 (23.76 फीसद) से 129/888 सीटें (14.53 फीसद) तक।

किसी भी तरह, 'एक नागरिक, एक वोट' के सिद्धांत का पालन करने के लिए यह बहुत बड़ी कीमत है। प्रजनन दर कम और जनसंख्या को स्थिर करने के लिए भी यह एक अस्वीकार्य कीमत है। चुनिंदा राज्यों की वर्तमान कुल प्रजनन दर (स्रोतः एनएचएफएस-5) इसका किस्सा बयान करती है :

निम्न	उच्च
आंध्र प्रदेश 1.70	बिहार 3.0
कर्नाटक 1.70	उत्तर प्रदेश 2.35
केरल 1.80	मध्यप्रदेश 2.0
तमिलनाडु 1.80	राजस्थान 2.0
तेलंगाना 1.82	

खोने और पाने वाले

लोकसभा में राज्य की आवाज के संदर्भ में, कम टीएफआर वाले राज्यों को नुकसान उठाने होंगे और उच्च टीएफआर वाले राज्य लाभ में होंगे। राज्यसभा की सदस्यता पहले से ही अधिक आबादी वाले राज्यों के पक्ष में है।

अगर केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 के अनुसार चलती है और दक्षिणी राज्य जनसंख्या के आधार पर पुनर्निर्धारण के अपने विरोध पर अड़े रहते हैं, तो यह एक अप्रतिरोधी शक्ति का एक अचल वस्तु के साथ संघर्ष का मामला होगा। इससे कलह और विध्वंस बढ़ता जाएगा। क्या हमारे पास सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकालने का विवेक है?

बेजुबान और गुमनाम

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

> जान सस्ती है हमारे देश में उन लोगों की, जो वैसे भी गरीबी की वजह से बेजुबान हैं और जिनकी पहुंच इतनी नहीं है कि अखबारों या टीवी में अपनी आवाज उठा सकें। महाकुंभ के दौरान भगदड़ मचने से त्रिवेणी में भी लोग मरे और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी, लेकिन आज तक बेनाम हैं ये लोग। मुआवजा दिए जाने का एलान तो किया गया है, लेकिन अगर कुछ महीने बाद भी नहीं दिया गया है, तो इतने बेजुबान हैं ये गुमनाम लोग कि किसी के पास नहीं जा सकते हैं अपनी फरियाद लेकर।

कुछ साल पहले जब किसी हादसे में काफी लोग मारे गए थे, तो मेरे एक विदेशी दोस्त ने मुझे कहा था कि 'भारत में जान की कीमत बहुत थोड़ी है'। उस समय मुझे इतना बुरा लगा था कि हम में बहस छिड़ गई थी इस बात को लेकर, लेकिन आज जब भी किसी दुर्घटना में लोग मरते हैं, मुझे उसकी यह बात याद आती है। मानती हूं आज कि वह सही था और मैं गलत। भारत में वास्तव में लोगों की जानें सस्ती हैं। ऐसा न होता, तो बार-बार न देखते हम कि जब लोग मरते हैं भगदड़ में, या सुरंग में दब कर या किसी अन्य निर्माण कार्य में, तो अक्सर ऐसा होता है किसी न किसी की लापरवाही के कारण।

तेलंगाना में कई दिनों से उन आठ मजदूरों की खोज हो रही है, जो सुरंग धंसने से अंदर फंस गए थे। पिछले सप्ताह मालूम हुआ कि पांच साल पहले तेलंगाना सरकार के एक सर्वेक्षण ने बताया था कि जहां सुरंग बन रही है, वहां का पत्थर कमजोर है इतना कि भूस्खलन की संभावना है। इसके बावजूद एक निजी ठेकेदार को सुरंग बनाने का ठेका मिला। उसको जानकारी दी गई थी पहले से कि भूमि में कमजोरी है और सुरंग बनाते समय मजदूरों की जान को खतरा है। इसके बावजूद उनकी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे, उठाए नहीं गए। खतरे की घंटियां तभी बजने लगीं, जब सुरंग की छत गिर गई। उसके बाद सेना की भी मदद मांगी गई और कई किस्म के ड्रोन और मशीनें लाई गईं मजदूरों के बचाव के लिए। इसके बदले अगर पहले से ठेकेदार ने सुरक्षा पर पैसे खर्च किए होते, तो कहीं ज्यादा कम पैसे लगते।

गरीब मजदूरों की जानें सस्ती हैं सो पूर्व दुर्घटनाओं से भी हमारे ठेकेदार कुछ नहीं सीखते। यहां याद कीजिए उस दुर्घटना को जो उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में हुई थी 2023 में, जिसमें 41 मजदूर सुरंग के अंदर 17 दिन फंसे रहे। खुशकिस्मत थे वे मजदूर, इसलिए कि जहां फंसे थे, वहां बिजली थी और सांस लेने के लिए आक्सीजन भी। उनसे संपर्क जब हुआ तो उन तक खाने-पीने का सामान पहुंचाने की गुंजाइश थी। उनको जिंदा निकालने के लिए महंगी अमेरिकी मशीनें लाई गईं और कई दिन तक उनको बचाने का प्रयास चलता रहा, लेकिन आखिर में उनको बचाया बारह लोगों ने जिनको 'रैट-होल माइनर' कहा जाता है।

कोयले की खदानों में प्रशिक्षित ये लोग न पहुंच पाते उन 41 मजदूरों तक तो शायद वे बच नहीं पाते। सारी दुनिया ने देखा किस तरह उनको बारी-बारी इन 'रैट-होल' खान-मजदूरों ने निकाला था, लेकिन इसके बाद जब आई बारी उनकी काबलियत की कदर करने की या उनको नौकरियों और इनामों से नवाजने की, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाल में उनके बारे में किसी अखबार में खबर पढ़ी थी मैंने, जिससे मालूम हुआ कि इनमें से कुछ तो कचौड़ी बेचने का काम कर रहे हैं शहरों की पटरियों पर और कुछ दिहाड़ी पर काम करते हैं। वकील हुसैन, जो इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे, उसके साथ जो हुआ वह इतना शर्मनाक है कि मुझे शर्म आ रही है वह लिखते हुए।

वकील हुसैन रहते थे दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में। एक दिन डीडीए के बुलडोजर उनके छोटे से घर पहुंचे और तोड़ डाला उसको अवैध कह कर। अफसोस कि ऐसा हुआ सिलक्यारा सुरंग वाली घटना के कुछ ही महीने बाद। किसी और देश में पैदा होते तो इनके कच्चे घर के बदले में इनाम के तौर पर पक्का घर तो कम से कम मिलता, लेकिन अपने इस देश में न गरीबों की जान की परवाह है हमारे शासकों को और न ही गरीबों को वे सम्मान देते हैं, जो कम से कम उनको इंसान होने के नाते मिलना चाहिए।

ऐसा क्यों है और कब बदलेगा, मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना जान गई हूं कि मेरा विदेशी दोस्त ठीक था, जब उसने कहा कि हमारे देश में जान सस्ती है। गलती सिर्फ उसकी यह थी कि उसने यह नहीं समझा कि ऐसा सिर्फ गरीबों की जान के बारे में कहा जा सकता है। भारत में जिनकी किस्मत अच्छी होने के नाते किसी अमीर या मध्यवर्ग में कोई पैदा होता है, तो उसकी जान सस्ती बिल्कुल नहीं होती है। पूरी कोशिश रहती है सरकारों की उसको सुरक्षित रखने की उसके अपने घर में भी और उन जगहों पर भी, जहां वह काम करता है। थोड़ी सी लापरवाही अगर दिखती है उन आलीशान दफ्तरों में, जहां ऐसे लोग काम करते हैं, तो मुआवजा मिलता है और सजाएं भी होती हैं।

जान सस्ती है हमारे देश में उन लोगों की, जो वैसे भी गरीबी की वजह से बेजुबान हैं और जिनकी पहुंच इतनी नहीं है कि अखबारों या टीवी में अपनी आवाज उठा सकें। महाकुंभ के दौरान भगदड़ मचने से त्रिवेणी में भी लोग मरे और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी, लेकिन आज तक बेनाम हैं ये लोग। मुआवजा दिए जाने का एलान तो किया गया है, लेकिन अगर कुछ महीने बाद भी नहीं दिया गया है, तो इतने बेजुबान हैं ये गुमनाम लोग कि किसी के पास नहीं जा सकते हैं अपनी फरियाद लेकर।

ऐसा होना तो नहीं चाहिए ऐसे देश में, जिसके हर दूसरे दिन विकसित होने का आश्वासन दिया जाता है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों द्वारा, लेकिन ऐसा है। विकसित देशों में जान की कीमत इतनी है कि मजदूरों को खानों और सुरंगों में तभी भेजा जाता है, जब उनको सुरक्षित रखने के लिए सारे इंतजाम करते हैं ठेकेदार। ऐसा अपने भारत महान में शायद तभी हो सकेगा, जब हम विकसित भारत का सपना साकार कर लेंगे। वह दिन अभी दूर है। बहुत दूर।

विरोधाभास की उपज

संदर्भ

राकेश सिन्हा

> औरंगजेब की कुपात्रता का कारण उसका सिर्फ सत्तावादी चरित्र नहीं है। दुनिया के इतिहास में ऐसे शासकों की कमी नहीं रही है। सत्तावाद सदैव संकीर्णता के पीठ की सवारी करती है। इसे इतिहास की दुर्घटना ही माना जाना चाहिए, जिसे सहना उस काल के लोगों की नियति बन जाती है।

महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के बयान ने राजनीतिक विमर्श की दुनिया में हलचल मचा दी है। उनका बयान औरंगजेब का महिमामंडन था। इसका प्रतिकार स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कि औरंगजेब का स्तुतिगान पहले नहीं हुआ है। कई इतिहासकार उसकी बर्बरता, क्रूरता और सांप्रदायिक आक्रामकता को सत्ता संघर्ष की संज्ञा देकर उसे 'सेकुलर' साबित करते रहे हैं। उसके प्रमाण में वे कुछ उदाहरण ढूंढ़ लाते हैं, जिसमें हिंदू मंदिरों को उसके द्वारा दी गई वित्तीय सहायता थी। इतिहासकारों की दृष्टि विचारधाराओं से प्रभावित रहती है। इसलिए कोई भी इतिहास निष्पक्ष इतिहास नहीं हो पाता है। इसलिए इतिहास पढ़ने से पहले इतिहासकार की पृष्ठभूमि जाननी चाहिए। यह दृष्टिकोणों की लड़ाई को जन्म देती है। यही लड़ाई औरंगजेब पर लड़ी जा रही है। इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या औरंगजेब का शासनकाल, सामाजिक दर्शन या उसका व्यक्तित्व दृष्टिकोणों के संघर्ष का विषय बनने के लायक भी है? सिर्फ शासक होने से ऐतिहासिक हो जाने की पात्रता नहीं होती है। पर भारतीय इतिहास पर विमर्श की त्रासदी है कि हम इसे बुद्धि विलास, मनोरंजन का साधन या अधिक से अधिक अपने कमजोर वर्तमान को सुदृढ़ करने के साधन के रूप में उपयोग करते हैं। यह इतिहास कम, किस्सा-कहानी अधिक हो जाता है। तथ्य और तर्क का संबंध बिल्कुल टूट जाता है।

अबू आजमी उस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिद्धांत और मूल्यों से परे ऐतिहासिक पात्रों को जाति, नस्ल, धर्म जैसे मापदंडों के आधार पर अपना और पराया में तब्दील करते हैं। यह इतिहास के साथ ही नहीं, पीढ़ियों के साथ नाइंसाफी है। क्या औरंगजेब की प्रशंसा या आलोचना एक मुसलिम शासक के कारण होनी चाहिए? मुगल शासकों की लंबी शृंखला रही है। पर दो नाम सबसे अधिक उत्तेजना और कटुता का कारण बनता है। ये हैं बाबर और औरंगजेब। इसका कारण उनकी संकीर्णता और कटुतापूर्ण सामाजिक दर्शन था। ठीक इसके विपरीत अकबर और बहादुर शाह जफर के शासन-काल और सामाजिक दृष्टिकोणों पर उत्तेजना रहित विमर्श और मूल्यांकन होता है।

औरंगजेब की क्रूरता का कारण उसका सिर्फ सत्तावादी चरित्र नहीं है। दुनिया के इतिहास में ऐसे शासकों की कमी नहीं रही है। सत्तावाद सदैव संकीर्णता के पीठ की सवारी करती है। इसे इतिहास की दुर्घटना ही माना जाना चाहिए, जिसे सहना उस काल के लोगों की नियति बन जाती है। सत्तावाद का स्वाभाविक परिणाम अवसरवाद, असहिष्णुता, असंवेदनशीलता और अंधकारवादी मानसिकता पैदा करती हैं। ये सत्तावादी रथ के घोड़े होते हैं। औरंगजेब इससे भी मीलों आगे था। वह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। उसने अपनी बेटी जेबुन्निसा को इक्कीस वर्षों तक जेल में रखा था। उसकी गलती क्या थी? वह संगीत और कविता की प्रेमी थी। औरंगजेब को यह नापसंद था। वह जेल में मर गई। संकीर्ण सांप्रदायिक मानसिकता ने वात्सल्य को भी कुचल डाला। उसने अपने चौथे बेटे अकबर अहमद को भी जेल में मार डाला। अपने शासन के तौर-तरीके के प्रति असहमति उसे नापसंद थी। पिता को कारावास और भाई दारा शिकोह की हत्या इनमें प्रमुख है। ऐसे तो सत्ता संघर्ष में अपनों की हत्या के अनेक उदाहरण हो सकते हैं। पर औरंगजेब उससे बिल्कुल भिन्न है। वह पीढ़ियों को क्या प्रेरणा देता है, यह उसके महिमामंडन करने वाले को बताना चाहिए।

दारा शिकोह की घटना गौरतलब है। यह आज के भारतीय समाज के लिए पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। धर्मनिरपेक्षता के पैरोकार 'गंगा जमुनी संस्कृति' द्वारा हिंदू-मुसलिम एकता को संबोधित करते हैं। इस सिद्धांत और व्यवहार का जनक दाराशिकोह था। उसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। काशी में विद्वानों की टीम एकत्रित कर इस कार्य को पूरा किया गया। इसके अतिरिक्त भगवद्गीता और योगवासिष्ठ का भी अनुवाद हुआ। वह सिर्फ अनुवादक नहीं था। इसके द्वारा वह धर्म के समान सूत्र ढूंढ़ने का रचनात्मक प्रयास करता रहा। वेद का अनुवादक मैक्समूलर तो हमारी स्मृतियों और संदर्भों में सम्मानजनक तरीके से रहता है, पर दारा शिकोह को हमारी स्मृति से मिटाने का प्रयास हुआ। दारा ने अनुवाद के साथ दार्शनिक पहचान भी बनाई थी। कार्ल अर्न्स्ट जैसे विद्वानों ने संस्कृत से फारसी अनुवाद की उपयुक्तता को स्थापित किया है।

उपनिषदों के अनुवाद से दो वर्ष पूर्व दाराशिकोह ने जो पुस्तक लिखी, उसे भुला दिया गया। इसका नाम है, 'माजमा-उल-बहरीन', जिसका अर्थ है 'दो सागरों का परस्पर मिलने का स्थान'। उसने इसका संस्कृत अनुवाद 'समुद्रसंगम' नाम से किया। जो लोग 'गंगा जमुनी' संस्कृति कहते थकते नहीं हैं, वे दाराशिकोह को क्यों भुला देना चाहते हैं। औरंगजेब की क्रूरता का एक और उदाहरण है। गुरु तेग बहादुर के सिर को शरीर से अलग कर उनकी हत्या कर दी गई। दोनों के बीच टकराव का कारण क्या था? औरंगजेब हिंदुओं का बलात् धर्म परिवर्तन करा रहा था। उन्होंने इसका प्रतिकार किया था।

हम भलीभांति जानते हैं भारत के संविधान में धर्म स्वातंत्र्य को विशिष्ट स्थान दिया गया है। इसके बिना पंथनिरपेक्षता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लोगों को अपने विवेक के आधार पर पूजा पद्धति और आस्था रखने की स्वतंत्रता किसी भी सभ्य समाज की थाती होती है। औरंगजेब ने धर्म स्वातंत्र्य के दर्शन पर हमला करने में हिंदुओं को तो नहीं छोड़ा, इसके लिए पहल करने वाले अपने सगे-संबंधियों की हत्या की या कारावास दिया। इतिहास अगर-मगर से नहीं चलता है। घटनाओं और दृष्टिकोणों की आंख-मिचौनी का कोई स्थान नहीं होता है। इसीलिए फासीवादी शासकों में इतिहास को ही मिटा देने की ललक रही है। दुर्भाग्य की बात है छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतों का व्यवहार वैसा ही है। औरंगजेब का महिमामंडन करना गुरु तेगबहादुर के त्याग का तिरस्कार करना है।

हम पश्चिम में धार्मिक सुधार के लिए मार्टिन लूथर किंग को सम्मान से देखते हैं। दाराशिकोह को वह दर्जा न मिलना चिंतनीय है। इतिहास में दृष्टिकोण की विविधता और भिन्नता विरोधाभासी नहीं बन जाना चाहिए। औरंगजेब उसी विरोधाभास की उपज है।

मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं

बाखबर

सुधीश पचौरी

> एक दिन जैसे ही एक चैनल पर एक विपक्षी विधायक का बयान आया कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, तो कई चैनलों में 'औरंगजेब औरंगजेब' होने लगा। विवाद बढ़ा तो औरंगजेब की तारीफ करने वाले नेता ने बयान वापस ले लिया। तब भी उनके विपक्षियों की नाराजगी कम न हुई और उनको विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया।

एक दिन दक्षिण के एक बड़े नेता ने कह दिया कि नई शिक्षा नीति उनको अस्वीकार्य है, कि इसके जरिए त्रिभाषा फार्मूले के जरिए लागू कर हिंदी को थोपना चाहते हैं, कि ये तमिल को कमजोर करना चाहते हैं, लोकसभा सीटों के परिसीमन के जरिए केंद्र दक्षिणी राज्य की सीटों को कम करना चाहता है। केंद्र के कई बार के 'आश्वासनों' व 'स्पष्टीकरण' कि किसी की लाकसभा की सीटें कम नहीं होंगी, तब भी कई चैनल 'दक्षिणी राज्यों' में उत्तर के 'फोबिया' की चर्चा में लगे दिखे। कुछ प्रवक्ताओं ने इसे 'दक्षिण बरक्स उत्तर' के बीच 'टकराव की राजनीति' की नई शुरुआत बताया, तो कुछ की नजर में टकराव की यह राजनीति हिंदुत्व की और केंद्र की नाक में दम करने वाली रही।

इस बीच एक विपक्षी प्रवक्ता ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को खेल के लिए 'अनफिट' बताकर उनके मोटापे पर टिप्पणी करके जोरदार खबर बनाई और उतनी ही जोरदार निंदा पाई। एक ने तो उनको देशद्रोही तक कह दिया। लेकिन जब रोहित के नेतृत्व मे टीम जीत गई, तो वे बधाई देती दिखीं। चर्चा में आने के लिए बहुत से बंदे आजकल कुछ भी बोल देते हैं, फिर स्थिति बदलते ही अपने बयान के विपरीत भी बोल देते हैं और ऐसों का दल भी कुछ नहीं करते।

ऐसे ही एक मौलाना ने एक मुसलिम क्रिकेटर को भारत की टीम में 'सेमीफाइनल मैच' खेलता देखा और उसे खेल के दौरान एक 'एनर्जी ड्रिंक' पीता देख उन्हें नागवार लगा और वे कह उठे कि रोजे के दिनों में एक मुसलिम क्रिकेटर का रोजा न रखना इस्लाम की अवमानना है। यह 'शरीअत' के खिलाफ है, तो जवाब में दूसरे मौलवी बोल उठे कि उस खिलाड़ी ने मैच के दौरान रोजा न रखकर कुछ भी गैर-इस्लामी कृत्य नहीं किया। वे देश के लिए खेल रहे थे और खेल में ऊर्जा की जरूरत होती है। उसके बाद कई मौलाना रोजेदारों की 'व्यवस्थाओं' के बारे में बताते रहे। एक बयान के चक्कर में कुछ हिंदी चैनलों में इतनी देर तक 'इस्लाम इस्लाम' और 'शरीअत शरीअत' होता दिखा।

फिर एक दिन जैसे ही एक चैनल पर एक विपक्षी विधायक का बयान आया कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, तो कई चैनलों में 'औरंगजेब औरंगजेब' होने लगा। विवाद बढ़ा तो औरंगजेब की तारीफ करने वाले नेता ने बयान वापस ले लिया। तब भी उनके विपक्षियों की नाराजगी कम न हुई और उनको विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर दिया। कुछ उनको सदन से निकालने और जेल भेजने की कहते रहे तो कुछ उनको पाकिस्तान जाने के लिए कहते रहे।

कुछ प्रवक्ता औरंगजेब को 'पैंतालीस लाख हिंदुओं का हत्यारा' और सैकड़ों मंदिर तुड़वाने वाला, गुरु तेगबहादुर का सिर काटने वाला, गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों को दीवार में जिंदा चुनवाने वाला, संभाजी महाराज पर भयानक अत्याचार करने वाला और उनकी निर्मम हत्या करने वाला बताते रहे, तो कुछ उसे 'अखंड भारत का निर्माता बादशाह' बताते रहे। एक नेता औरंगजेब को 'रहमतुल्ला...' कहते रहे, जिस पर औरंगजेब विरोधी एक प्रवक्ता ने आपत्ति जताई कि औरंगजेब जैसे आततायी को ऐसा कहकर सम्मान देना 'देश विरोधी' है। फिर 'औरंगजेब विवाद' राजस्थान तक पहुंचा और कुछ ने वहां अकबर की 'महानता' को भी रगड़ दिया। फिर अलीगढ़ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परिसर में होली न मनाने को कहा गया तो विवाद पैदा हो गया। फिर एक दिन संभल में होली मनाने को लेकर एक पुलिस अफसर ने 'व्यवस्था' दी कि जिनको होली के रंग न भाते हों, वे उस दिन घर में ही नमाज पढ़ें।

इस सप्ताह हुई 'ट्रंप-जेलेंस्की' की 'रूस-यूक्रेन' युद्ध 'खत्म' करने के लिए हुई 'बातचीत' की कहानी सबसे मजेदार दिखी! मानो ट्रंप कहते हों कि 'मेरी बिल्ली और मुझसे ही म्याऊं.!' एकदम 'वाइल्ड वैस्ट' वाला एक्शन दृश्य रहा। इधर 'डर्टी हैरी', उधर 'संडेज किड'। दोनों आमने-सामने! दोनों के दाएं हाथ अपने-अपने पिस्तौलों के बटन को खोलते हुए और ठांय-ठांय करने के लिए तड़पते हुए। दूर खड़े घोड़ों का हिनहिनाना और आसमान में चीलों का चीखते हुए मंडराना।

'डर्टी हेरी' उर्फ अपने 'अंकल सैम' इन दिनों खूब जोश में हैं। सौ फैसलों का एक साथ एलान और अंकल के दोनों सहायकों का हर फैसले पर खड़े होकर ताली पीटना अंकल की ताकत की लीला को ही दिखाने वाला रहा! सिर्फ कुछ विपक्षी अपने हाथ में सिर्फ 'नो नो' की तख्ती लिए हुए दिखे, यानी 'धींग मारे और रोने न दे'... चर्चक विभाजित रहे। कुछ कहते कि 'अंकल सैम' की ऐसी दादागीरी बहुत दिन तक नहीं चलेगी। कुछ कहते कि जब तक अंकल हैं, तब तक दुनिया हिलती रहनी है।

बहुत से चर्चक खुश कि उधर 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' तो इधर 'मेक इंडिया ग्रेट अगेन'। वे भी 'ग्रेट' तो हमहूं 'ग्रेट'। यहां पर सब 'ग्रेट ग्रेट' हैं..!

चार सच

बाल कथा

चित्रा मुद्गल

सदियों पुरानी बात है। अफ्रीका के दक्षिण में असमुल नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा निर्दयी था। उसके राज्य में कोधी नाम का एक दार्शनिक संत भी रहता था। पर राजा ने कभी भी उस संत को वह आदर नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था। अलबत्ता उनके उपदेशों को प्रजा बड़े ध्यान से सुनती। यह सब होते हुए भी कोधी ने राजा के व्यवहार की कभी परवाह नहीं की। वे तो बस दीन-दुखियों की सेवा में लगे रहते।

कोधी को अपनी पहली पत्नी से जब तीसरी संतान हुई तो उन्होंने वालोफ प्रथा के अनुसार बच्चे का पूरा मुंडन संस्कार नहीं करवाया। सिर के चारों तरफ बालों का एक गुच्छा छुड़वा दिया। लोगों ने इस अजीब रवैये को लेकर उनसे पूछा कि उन्होंने बालों के ये गुच्छे क्यों छुड़वा दिए हैं? उन्होंने शांत भाव से इसका जवाब दिया कि सिर के चारों तरफ छोड़े गए ये बालों के गुच्छे चार बड़े सच हैं जिनके बारे में मैं और मेरी पत्नी के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता।

लोगों ने बड़ी कोशिश की। बार-बार पूछते रहे कि आखिर ये सच है क्या? लेकिन गंभीर कोधी ने बड़े धैर्य से उनकी जिज्ञासा को यह कह कर शांत कर दिया कि समय आने पर 'सच' अपने आप उन पर प्रकट हो जाएगा।

उड़ते-उड़ते इस बात की खबर राजा के पास पहुंची। राजा ने राजगुरु को कोधी के पास भेजा। पता लगाओ आखिर यह मामला क्या है? ये चार सच क्या बला है?

लेकिन राजा की यह कोशिश बेकार गई। कोधी ने राजगुरु को भी वही उत्तर दिया जो उन्होंने दूसरे लोगों को दिया था। राजा को कोधी का व्यवहार नागवार गुजरा।

एक दिन कोधी अपने गांव से बाहर गए। राजा ने कोधी की पत्नी को महल में आने का बुलावा भेजा। उसने बालों के चारों गुच्छे का राज जानना चाहा। कोधी की पत्नी ने पहले तो राज बताने में आनाकानी की। फिर राजा के मुंह से अपनी तारीफ सुन कर खुशी से फूली न समाई। उसने बालों के चारों गुच्छों का 'सच' उगल दिया।

-राजा न किसी का मित्र बन सकता है न रक्षक।

-आपकी दूसरी पत्नी से हुआ पुत्र आपका हितैषी कम शत्रु अधिक है।

-आदमी को अपनी पत्नी से प्रेम जरूर करना चाहिए पर उसे हमराज नहीं बनाना चाहिए।

-दुनिया में बुजुर्गों की सख्त जरूरत है।

राजा ने जैसे ही पहला सच सुना वह तिलमिला गया। किसी तरह खुद को काबू में रख कर उसने कोधी की पत्नी को विदा किया।

कोधी की पत्नी के जाते ही उसने मंत्री को बुलावा भेजा और हुक्म सुनाया कि कोधी जैसे ही घर वापस आए, उसे फौरन बंदी बना लिया जाए। उसे भरे दरबार में मृत्युदंड का भागी बनना होगा।

रात भर राजा को नींद नहीं आई। उसका वश चलता तो वह कोधी को तुरंत मौत के घाट उतार देता। इतना बड़ा अपमान? राजा, जो प्रजा का पिता होता है। उसके सुख-दुख का ख्याल रखने वाला होता है। उसके लिए ऐसी बात?

पूरी रात करवटें बदलते बीत गई। सुबह होते ही मंत्री ने कोधी के बंदी बनाए जाने की खबर राजा को दी। सूचना पाकर राजा के दिल में ठंडक पहुंची। रातोंरात यह खबर आग की तरह गांव-गांव में फैल गई। राजा ने कोधी को बालों के चार गुच्छों का सच न बताने के एवज में बंदी बना लिया है और उन्हें मृत्युंदड सुनाया है।

वह दिन आया जब भरे दरबार में कोधी को फांसी दी जानेवाली थी। लोग बहुत दुखी हुए। वे गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचे। उन्होंने मिन्नतें की कि वे राजा के पास चलें। उनसे प्रार्थना करें कि कोधी जैसे समाज सेवक संत के लिए उनका यह फैसला ठीक नहीं।

बुजुर्गों का दल राजदरबार पहुंचा। उन्होंने राजा से, प्रजा के लिए की गई कोधी की सेवाओं का हवाला देकर क्षमादान देने की विनती की। राजा दुविधा में पड़ गया अब क्या करें? फैसला तो उसने दे दिया।

तभी अचानक कोधी की दूसरी पत्नी से हुआ पुत्र छाती कूटता हुआ राजा के सामने पहुंचा और चीख-चीखकर शिकायत करने लगा। कोधी ने मरने से पहले नियम के मुताबिक किया जाने वाला वसीयतनामा नहीं लिखा है। वह उसकी जायदाद का असली हकदार है। अगर कोधी ने वसीयतनामा नहीं किया तो उसका हक मारा जाएगा। फांसी देने से पहले कोधी को कागज कलम दी जाए। ताकि वह वसीयतनामा लिख सके। वहीं कोधी की पहली पत्नी से हुआ पुत्र जिसके सिर पर कोधी ने 'सच' के प्रतीक बालों के चार गुच्छे रखवाए थे, राजा के सामने घुटनों के बल बैठ अपने पिता के प्राणों की भीख मांग रहा था। रोते-रोते उसकी आंखें सूज गई थीं।

राजा ने कोधी को वसीयतनामा लिखने के लिए कागज कलम दिए जाने का हुक्म दिया। कोधी ने शांत भाव से वसीयतनामा लिख दिया। उसकी मौत के बाद उसकी सारी जायदाद का हकदार उसकी दूसरी पत्नी से हुआ पुत्र होगा।

वसीयतनामा जैसे ही पूरा हुआ, वह पुत्र उसे लेकर चुपचाप एक कोने में जा खड़ा हुआ।

समय हो गया। जल्लाद जैसे ही उन्हें पकड़कर फांसी के फंदे के सामने लाए कोधी ने उन्हें ठहरने को कहा। फिर गंभीर स्वर में राजा से बोले। मैं मौत से नहीं डरता राजन। पर क्या आपने अब तक मेरे चारों सचों की सच्चाई महसूस नहीं की? एक राजा न तो किसी का मित्र बन सकता है, न रक्षक। यह 'सच' गलत कहां है? आपने मेरी पत्नी से राज तो जान लिया किंतु अपनी बुराई सुनकर आगबबूला हो गए। संयम खोकर मुझे फांसी की सजा दे डाली। इस तरह आप न मित्रता की लाज रख सके और न अपने आप पर काबू।

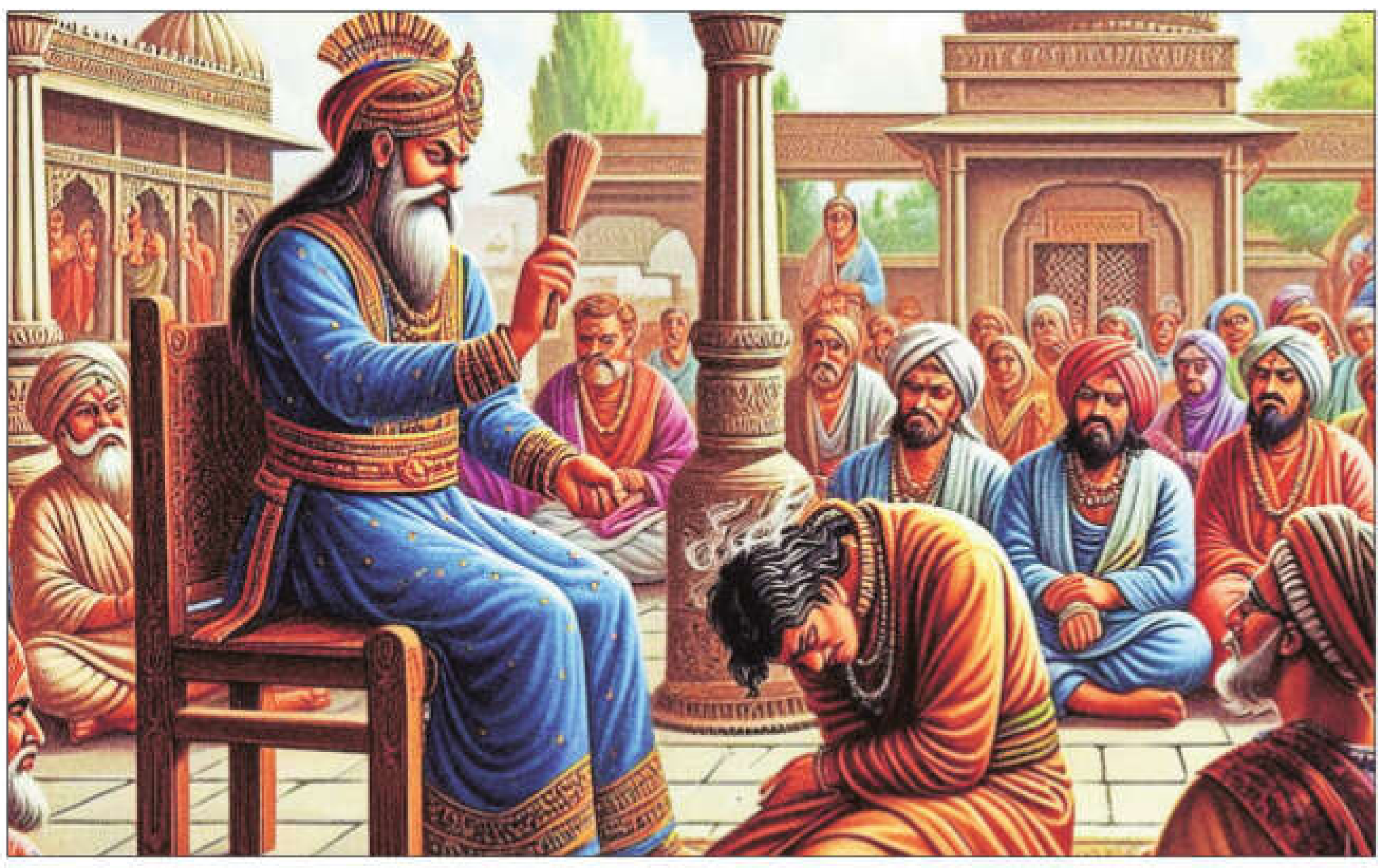

> रात भर राजा को नींद नहीं आई। उसका वश चलता तो वह कोधी को तुरंत मौत के घाट उतार देता। राजा, जो प्रजा का पिता होता है। उसके सुख-दुख का ख्याल रखने वाला होता है।

दूसरा सच भी सही साबित हुआ। मेरी दूसरी पत्नी से हुए पुत्र को मेरी मौत का दुख नहीं हुआ। उसे तो वसीयतनामा की चिंता ने पागल कर दिया। देख लीजिए, वसीयतनामा मिलते ही वह शांत हो गया।

तीसरा सच है, पत्नी को कभी हमराज नहीं बनाना चाहिए। मेरी पत्नी को यह राज हजम नहीं हुआ। कितनी आसानी से उसने आपको बता दिया और मेरे लिए मौत का कारण पैदा कर दिया।

चौथा सच है, बुजुर्गों की जरूरत। बुजुर्गों ने जब मेरे काम और सेवाओं की जानकारी आपको दी और आप की गलती की ओर इशारा किया तो आप गुस्से में लिए गए अपने फैसले पर मन ही मन दुखी हुए न! अब भले ही आप अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार न करें।

संत कोधी की बात खत्म होते ही राजा एकाएक अपने सिंहासन से उठा और दौड़ कर कोधी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कोधी से बार-बार क्षमा मांगी कि वे उसके राज्य में महागुरु का पद ग्रहण करके जनहित में उसका मार्गदर्शन करें।

कोधी ने राजा के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकराते हुए कहा, राजगद्दी पर बैठने वाला संत सेवक नहीं रह पाता। मैं जहां हूं, मुझे वहीं रहने दें।

कहते हैं तब से असमुल नाम का वह राजा जनसेवक बन गया।

भारतीय कार्टून किरदारों को दिया 'प्राण'

अमर किरदार

जनसत्ता सरोकार

चाचा चौधरी, बिनी चाची, साबू और राकेट। अस्सी के दशक तक यह कुनबा हिंदी पट्टी के हर परिवार का पसंदीदा बन चुका था। इसके पसंदीदा बनने की वजह यही थी कि कार्टूनिस्ट प्राण का बसाया यह परिवार बिल्कुल आम उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी परिवार जैसा था। इसलिए हिंदुस्तानी अभिभावकों की यह चिंता खत्म हुई कि उनके बच्चे कार्टून किरदारों से ऐसी भाषा और जीवनशैली सीख लेंगे जो उनकी अपनी नहीं है। खास बात यह रही कि अब कार्टून किरदार पूरे परिवार का हिस्सा हो गए। जब 25 पैसे किराया देकर चाचा चौधरी की कार्टून वाली किस्सों की किताब आती तो उसे पढ़ने के हिस्सेदार मां-बाप से लेकर दादा-दादी तक हो जाते।

जब कोई चीज सहज, सरल भाषा में कही जाए तो वह ज्यादा गंभीर प्रभाव छोड़ती है। इसलिए दुनिया भर में कार्टून किरदार रचे गए। हिंदी 'दैनिक मिलाप' में कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा ने ढब्बू जी के जरिए कार्टून की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद जब उन्होंने चाचा चौधरी के किरदार को 'प्राण' दिए तो इसके अमर हो जाने का आकलन करते हुए डायमंड पाकेट बुक्स ने इसे कामिक्स की कड़ी में लाने का फैसला किया। अपने किरदारों के साथ कार्टून की दुनिया में प्राण भी अमर हो गए। बच्चों से लेकर किशोरों तक का पसंदीदा संवाद बन गया, 'साबू को जब गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फूटता है।' 'अजी सुनती हो...' चाचा चौधरी की इस पुकार पर बिनी चाची कह देतीं कि नहीं कान पड़ोसी के यहां रख आई हूं। इस परिवार का लंबू सदस्य साबू आया तो गुरु ग्रह से था लेकिन पूरी और हलवे की भरपूर खुराक के लिए बिनी चाची की चापलूसी के लिए मजबूर था।

इसके साथ ही आम घरों की प्यारी बच्ची की तरह बनाई गई किरदार पिंकी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि हर घर में बच्चियों के लिए पिंकी पसंदीदा नाम बन गया। फैशनपरस्त बिल्लू और उसके दोस्त बजरंगी पहलवान से हर पाठक की दोस्ती हो चुकी थी। 'श्रीमतीजी' के जरिए शीला उन चुटकुलों की जनक बनी जहां तेजतर्रार पत्नी के सामने पति बेचारा सा होता है। 'रमनः हम एक हैं' के जरिए सांप्रदायिक एकता का संदेश था। इस किरदार की लोकप्रियता और भाईचारे के संदेश को देखते हुए 1983 में इंदिरा गांधी ने इसका लोकार्पण किया था। प्राण कुमार शर्मा का जन्म 15 अगस्त 1948 को लाहौर में हुआ था। बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बासिंदे हुए। मुंबई के जेजे स्कूल आफ आर्ट से शिक्षा लेने के बाद कार्टून किरदारों पर हाथ आजमाया तो फिर देश के पत्र-पत्रिकाओं में धूम मचा दी। चाचा चौधरी के किरदार को अमेरिका के 'म्यूजियम आफ कार्टून आर्ट' में जगह मिली। चाचा चौधरी पर एक टीवी धारावाहिक भी बना। 2014 में प्राण का निधन हुआ। उन्हें मरणोपरांत 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

प्राण कुमार शर्मा

> आम घरों की प्यारी बच्ची की तरह बनाई गई किरदार पिंकी इतनी प्रसिद्ध हो गई कि हर घर में बच्चियों के लिए पिंकी पसंदीदा नाम बन गया। फैशनपरस्त बिल्लू और उसके दोस्त बजरंगी पहलवान से हर पाठक की दोस्ती हो चुकी थी। 'श्रीमतीजी' के जरिए शीला उन चुटकुलों की जनक बनी जहां तेजतर्रार पत्नी के सामने पति बेचारा सा होता है। 'रमनः हम एक हैं' के जरिए सांप्रदायिक एकता का संदेश था।

न सुनना भी सिखाएं

मार्गदर्शन

जनसत्ता सरोकार

शहर के नामी स्कूल में पढ़ने वाली जेसी की मां शुभांगी को लगता है कि उनकी बेटी का स्कूल उसके साथ ज्यादती कर रहा है। जेसी की मुख्य शिक्षिका उसे लेकर काफी परेशान रहती थी। उसने शुभांगी को बताया, उसकी बेटी की चाहत होती है कि कक्षा में उसे ही सबसे ज्यादा तवज्जो मिले। जेसी हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहती है। अगर कोई शिक्षिका जेसी के काम में गलती बता कर उसे सुधारने के लिए कहती हैं तो वह रोना शुरू कर देती है। इन सब परेशानियों के कारण शुभांगी को स्कूल की तरफ से सलाह मिली कि वे स्कूल के अभिभावक परामर्श केंद्र में आकर बात करें।

पहले तो परामर्श केंद्र के बुलावे से ही शुभांगी को बुरा लगा। वह खुद को एक योग्य अभिभावक समझती थी। उसे लगता था कि उसकी बेटी को उससे बेहतर और कौन समझ सकता है?

स्कूल के परामर्श केंद्र में बातचीत के बाद शुभांगी को अहसास हुआ कि अभी वह अपनी बेटी को कितना कम जान पाई है। उसे बताया गया कि जेसी किसी भी बात पर 'न' सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाती है। यहां तक कि वह अपनी हमउम्र दोस्तों से यही उम्मीद करती है कि जेसी जैसा कहे वैसा ही वे करें। जेसी की शिक्षिकाओं का कहना है कि वह कुशाग्र बुद्धि की है लेकिन उसका यह मिजाज उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है।

स्कूल से आने के बाद शुभांगी ने परिवार के सभी लोगों के बीच इस समस्या का जिक्र किया। शिवांगी की बात सुनने के बाद सब इस बात से सहमत हुए कि परिवार में जेसी को न सुनने का प्रशिक्षण ही नहीं मिला है। इकलौती संतान होने के कारण हर कोई उसे भरपूर प्यार करना चाहता था जिसमें अति हो रही थी। अगर जेसी ज्यादा देर टीवी देखने की जिद करती और शुभांगी टीवी बंद करने की कोशिश करती तो उसकी दादी टोक देती है कि बच्ची को क्यूं रुला रही हो, देखने दो थोड़ी देर और टीवी। अगर शुभांगी जेसी के ज्यादा चाकलेट खाने पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती तो दादा जी ही टोक देते हैं कि बच्ची चाकलेट नहीं खाएगी तो और कौन खाएगा? वहीं जेसी के पिता उसे किसी बात के लिए टोकते हैं तो शुभांगी ही तरफदारी करने चली आती है कि बच्ची पर सख्ती क्यों बरत रहे हैं।

स्कूल के परामर्शदाता ने शिवांगी को सलाह दी कि वह घर के सभी सदस्यों से इस मसले पर बात करे। अगर बच्चे को मां कुछ कहती है तो अन्य सदस्यों को उस वक्त उसके फैसले का सम्मान करते हुए दिखना चाहिए। परिवार के सदस्यों में हर कोई बच्चे का प्रिय बनने की कोशिश करता है और दूसरे सदस्यों के सख्त फैसलों से बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। बच्चे को भी अहसास हो जाता है कि मां के सुनाए फैसले से दादी निजात दिला देगी, तो पापा ने अगर किसी बात के लिए न कहा है तो मां उसके लिए हां कहवा देगी।

इस तरह के घरेलू माहौल से निकले बच्चे जब स्कूल, खेल का मैदान या सार्वजनिक जगहों पर होते हैं तो वह घर जैसा ही वातावरण चाहते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि सब उसकी बात मान लें और उसे किसी चीज के लिए न नहीं सुनना पड़े। इस वजह से वे ठीक से दोस्ती भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर खेल भावना भी विकसित नहीं हो पाती है और वे खुद के अंदर सिमटने लगते हैं। वे किसी भी तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से बचने लगते हैं क्योंकि उन्हें पहले ही हारने या असफल होने का डर सताने लगता है। अन्य बच्चों से दूरी उन्हें मानसिक अवसाद में भी डाल सकती है।

शुभांगी को इस बात का अहसास हो गया कि घर में जेसी को 'न' सुनने का प्रशिक्षण भी देना होगा ताकि बाहर वह दूसरों के नकार का सम्मान कर सके।

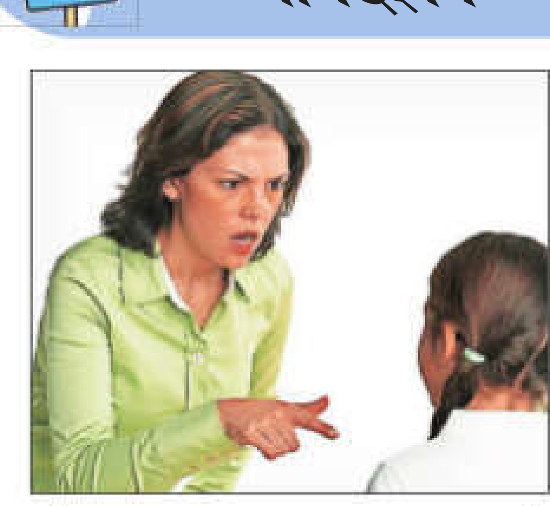

> हर कोई बच्चे का प्रिय बनने की कोशिश करता है। दूसरे सदस्यों के सख्त फैसलों से बच्चे को बचाने की कोशिश करता है।

आवरण

कहानी

ट्विंकल तोमर सिंह

'भैया...क्या आपके पास नीले रंग में बंधेज का दुपट्टा होगा?' बाजार में खरीदारी कर रही नेहा के लिए यह आवाज परिचित थी। उसने तुरंत पहचान लिया। संध्या... ये तो संध्या की आवाज है। उसकी सहेली, जिससे वह पिछले पांच सालों से मिली नहीं थी।

त्वरित गति से उसने पीछे मुड़कर देखा तो लगा शायद संध्या ही थी। पर पहचान में ही नहीं आ रही थी। इतना सुंदर शरीर.! कहां वह भरे-भरे गालों वाली, गोल-मटोल संध्या और कहां ये 'मिस इंडिया' जैसी दुबली माडल जैसी लड़की, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाए हुए, महंगी साड़ी पहने हुए। नेहा ने हिचकते हुए पूछा- 'संध्या... तुम संध्या हो न?'

'अरे नेहा तू...?' संध्या ही थी। महंगे लिपस्टिक से सजे उसके होंठ खिल उठे। 'अरे, तू तो एकदम पहचान में ही नहीं आ रही। एकदम बदल गई यार!' नेहा ने कहा।

'अच्छा, चलो कहीं किसी बढ़िया रेस्तरां में बैठ कर काफी पीते हैं, वहीं बातें होंगी।' संध्या ने प्रस्ताव रखा।

दोनों एक रेस्टोरेंट के कोने में बैठ कर बातें करने लगीं। संध्या ने बताया कि उसके पति का अभी ही तबादला हुआ है। पिछले हफ्ते ही वह लखनऊ रहने आई है। सबसे ज्यादा जिस चीज ने नेहा को आश्चर्य में डाल रखा था, वह था उसका वजन। कहां पांच साल पहले वाली, सत्तर किलो वजन वाली संध्या, और कहां ये एकदम पतली संध्या।

नेहा अपने बढ़े हुए वजन और बेडौल शरीर पर झेंपने लगी थी। उसने पूरा दुपट्टा फैलाकर ओढ़ लिया। फिर भी उसका निकला हुआ पेट उसके वजन का संकेत दे रहा था। उसे कहीं न कहीं संध्या से जलन हुई। उसने मन ही मन कहा- 'हुंह, अच्छे घर में शादी हो गई है। बस मैडम को करना ही क्या होता होगा अपनी सेहत पर ध्यान देने के सिवा। रोज जिम जाती होंगी, हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर। यहां गृहस्थी का ऐसा बोझ लदा हुआ है कि अपने ऊपर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं।'

संध्या अपनी सहेली को इतने दिनों बाद देखकर प्रफुल्लित थी। वह अपनी बातें बताने में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जाने कितने दिनों बाद उसे कोई अपना मिला है मन की बातें साझा करने के लिए। पर नेहा... नेहा तो कुछ और ही सोच रही थी। 'मैडम के जलवे तो देखो। रेस्तरां के अंदर भी फैशन वाला चश्मा पहन कर बैठी हैं। उफ्फ! ये फैशनपरस्त अमीरजादियां..! ये जलन नई नहीं थी। बेल पुरानी थी। जल मिला तो हरी हो गई, कंटीले फूल पुनः उग आए थे।

मायका जिस कस्बे में था, वहां पगडंडी पर साथ चल कर झोला टांगकर विद्यालय जाती लड़कियां जैसे ही ससुरालवाली हुईं, उनके रास्ते बहुत अलग हो गए। नेहा को याद आया एक बार उसने बाहर से उसके ससुराल की कोठी देखी थी। क्या विशाल और भव्य कोठी थी! संध्या के ससुराल का वैभव उसके सीने में गड़ गया था। उसके घर की खिड़कियों पर आलीशान भारी भारी पर्दे लगे थे। पर्दों की कीमत के बराबर तो उसके वस्त्र भी न थे।

संध्या के प्रश्नों का बेमन से नेहा हां-हूं में उत्तर दे रही थी। बदले में बेमन से ही कुछ औपचारिक प्रश्न पूछ रही थी। यहां कहां रह रही हो? अच्छा बच्चों का दाखिला कहां कराने का सोचा है? बच्चों को नेहा मौसी के बारे में बताया है कि नहीं? फिर एक प्लास्टिक की गुड़िया-सी मुस्कान दे कर आत्मीयता जताना। संध्या बेहद अपनेपन से नेहा को सारी बात बताने में लगी हुई थी। उसके अंदर अपनी हैसियत को लेकर किसी भी तरह की श्रेष्ठता की भावना नहीं थी। नेहा का मन खुद ही छोटा होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि संध्या उसका मोटापा, उसका सस्ता पर्स, उसके सस्ते कपड़े देखकर जाने क्या सोच रही होगी। मैल अपने मन में हो तो मलिनता का अनुभव भी खुद को ही होता है।

इधर-उधर की तमाम बातों के बाद आखिरकार नेहा उत्सुकता रोक न सकी उसने पूछ ही लिया, 'अच्छा, ये सब छोड़ ये बता तूने इतना वजन कम कैसे कर लिया? योगा, जिम? बहुत फिट है तू यार।'

संध्या अचानक से बोलते-बोलते शांत हो गई। उसका मुंह छोटा-सा हो गया। बड़ी मुश्किल से बोली- 'अब तुमसे क्या छिपाना नेहा। सारा योगा, सारा जिम मेरा एक ही है- टेंशन। पति वैसे तो ठीक हैं, पैसों की भी कोई कमी नहीं है, पर उनकी शाम से शराब पीने की आदत बहुत बुरी है। कंट्रोल ही नहीं है। अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया है। बच्चों को भी कभी-कभी पीट देते हैं। कभी-कभी मुझ पर भी हाथ..! इतना कहते ही संध्या का गला रुंध गया, उसकी आंखें भर आई थीं। उन्हें पोंछने के लिए उसने अपने चश्मे को उतारा। गागल्स हटाते ही उसकी आंखों के नीचे के काले गड्ढे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। नेहा उसकी सूनी आंखों में अधिक देर तक देख न सकी। उसने नजरें फेर लीं।

नेहा को याद आया कि जब बाहर से उसने संध्या के ससुराल की कोठी देखी थी और उसके ससुराल का वैभव उसके सीने में गड़ गया था। उसने उसके घर की खिड़कियों पर आलीशान भारी-भारी पर्दे लगे हुए तो देखे थे, पर उसने यह नहीं अनुभव किया कि परदों के भीतर कुछ नहीं देखा जा सकता था।

आज वही गलती फिर नेहा ने दुबारा कर दी थी। संध्या के काले बड़े, महंगे गागल्स के नीचे उसे उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे न दिखे। नेहा की आंखे पनीली हो आईं थीं। उसने सीखा कि किसी को भी बाहर से देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। पुस्तक को बिना पढ़े उसके आवरण से उसके विषय में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए।

नेहा के मन में उमड़ी ग्लानि ने उसकी आंखों को सजल कर दिया था, उसकी सारी जलन धुलती जा रही थी। गीली आंखों को ढकने के लिए चश्मे की दरकार हो रही थी।

> आज वही गलती फिर नेहा ने दुबारा कर दी थी। संध्या के काले बड़े, महंगे गागल्स के नीचे उसे उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे न दिखे। नेहा की आंखे पनीली हो आईं थीं। उसने सीखा कि किसी को भी बाहर से देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। पुस्तक को बिना पढ़े उसके आवरण से उसके विषय में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए।

बच्चों का पाचन स्वच्छता का साधन

बच्चों, खासकर नवजात का पाचन खराब रहने का खतरा अधिक रहता है। इसलिए भी कि उसके लिए हर बदलता मौसम नया होता है और उसमें सबसे अधिक प्रभाव उसके पाचन पर ही पड़ता है। बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, वह हर चीज को छूने और उसे उठा कर मुंह में ले जाने का प्रयास करता है। इस तरह बाहरी जीवाणु के संक्रमण का खतरा भी उसे बहुत रहता है। बच्चे जब थोड़े और बड़े होते हैं, तो वे अपने दोस्तों के साथ खेल-कूद करते हुए अक्सर मिट्टी और गंदगी के संपर्क में आते हैं, उससे भी बैक्टीरिया उनके भीतर पहुंचता है। इसलिए प्रायः बच्चों के पेट में दर्द रहता, खाना नहीं पचता है, उन्हें उल्टी-दस्त शुरू हो जाती है। इसलिए बच्चों के पाचन का ध्यान रखना जरूरी होता है और इन समस्याओं से पार पाने का सबसे आसान तरीका उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना ही है।

हाथ-मुंह धोने की आदत

बच्चों के पाचन पर हमला हमेशा बाहरी बैक्टीरिया करते हैं। इसलिए उनमें स्वच्छता की आदत बचपन से ही डालने की जरूरत होती है। छोटे बच्चे अक्सर फर्श पर खेलते हैं, उनके हाथ में फर्श का बैक्टीरिया चिपक कर पेट में पहुंच जाता है। इसलिए थोड़े-थोड़े समय पर उनका हाथ-मुंह धुलाते रहना चाहिए। घर के फर्श की अच्छी तरह सफाई करानी चाहिए। जो बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं, उन्हें भी हाथ-मुंह धोने की आदत डालनी चाहिए। बेवजह चीजों को छूने और मुंह में डालने से रोकना चाहिए। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें अपने साथ सेनेटाइजर रखने की आदत डालें, तो बैक्टीरिया के प्रकोप से उन्हें काफी हद तक बचाया जा सकता है।

ताजा भोजन

बच्चों का पाचन तंत्र काफी संवेदनशील होता है। उन्हें हमेशा ताजा बना भोजन ही दें। आमतौर पर तीन घंटे से अधिक समय पहले बने भोजन में बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को ऐसा भोजन न दें। अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो उनके टिफिन में कुछ ऐसा ही दें, जिसके देर तक बासी होने का खतरा न रहे। पैकेट वाले भोजन की आदत से उन्हें दूर ही रखें, तो अच्छा। क्योंकि बचपन में पड़ी भोजन की आदतें ही बड़े होने पर भी बनी रहती हैं। फिर, सबसे जरूरी बात कि बचपन में ही पाचनतंत्र मजबूत हो जाए, तो प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत रहती है। इसलिए बच्चों के खानपान में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है।

देसी उपाय

नुस्खे

बच्चा अपने भौगोलिक वातावरण से ही शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। इसलिए उसके आहार में अगर स्थानीय फलों-सब्जियों, अनाज-दालों का समावेश करें और देसी नुस्खों का सहारा लें, तो उसका पाचन तंत्र मजबूत होता जाता है। इसके लिए बच्चों के दूध में कच्ची हल्दी डाल कर पीने की आदत डालें, इस तरह पाचन संबंधी कई विकार दूर हो जाएंगे। इसी तरह, अगर पेट में दर्द हो रहा हो, तो हींग वाला कांजी पीने को दें। चुटकी भर हींग को हल्के पानी में घोल कर उसकी नाभि पर लगा दें। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, तो उसके भोजन में लहसुन की मात्रा बढ़ा दें। अजवाइन का सत्व दें। नीबू-चीनी और नमक का घोल पीने को दें। भोजन में अधिक से अधिक तरल पदार्थ दें और अधिक तेल-मसाले वाले भोजन से परहेज करने दें। आजकल बच्चे बाजार का चिप्स, मैगी वगैरह बहुत पसंद करते हैं, ऐसे खाद्य से उन्हें दूर रहने की आदत डालें।

रमजान : नेकी का पाठ

त्योहार

फिरोज बख्त अहमद

न केवल धर्म, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी रमजान उपवास मास का आकलन किया जाए तो ज्ञात होगा कि यह एक ऐसा पवित्र समय है कि जिसमें न केवल मुसलिमों, बल्कि पूर्ण अंतर्धर्म समाज की खुशहाली का प्रण किया जाता है। उसे ऐसे ही कार्यान्वित भी किया जाता है जैसे गुरुद्वारों में बिरादरान-ए-वतन सिख भाई करते हैं! इफ्तार (रोजा खोलना) के समय कहीं भी, कोई भी, किसी भी धर्म का व्यक्ति उसका भाग बन सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे गुरुद्वारों में लंगर के समय कोई भी शामिल हो सकता है।

अनोखेपन का आभास

धर्म चाहे जो भी हो, हर धर्म से जुड़ी कुछ विलक्षण, अनोखी और अनूठी बातें ऐसी होती हैं। उदाहरण के तौर पर रमजान के पूर्ण महीने में चौदह से सोलह घंटे उपवास रखने के बाद भी मानव शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचती, बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से लाभ ही पहुंचता है कि अंदर के विषैले तत्त्व बाहर निकल जाते हैं। रमजान वास्तव में इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। रमजान का एक अलग ही जोश होता है और मुसलिम समुदाय एक रमजान के जाते ही, अगले रमजान की प्रतीक्षा करने लगते हैं। कुछ लोग सोचते हैं रमजान मात्र भूखे रहना है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। रमजान के रोजे इस बात का आभास कराते हैं कि जिन लोगों को दो वक्त खाना नहीं मिलता, उनकी क्या दशा होती है। साथ ही रोजे इस बात की भी गारंटी होते हैं कि एक मुसलिम व्यक्ति किसी प्रकार के गुनाह या चरित्रहरण जैसे पापों से भी दूर रहे।

अधिकारों का सम्मान

इन सबसे परे हट कर रमजान, जो सबसे बड़ी शिक्षा देता है, वह है 'तकवे' की, जिसका अर्थ है कि अल्लाह-मुहम्मद को सामने रख कर सही फैसला किया जाए और किसी के अधिकारों का हनन न हो। वैसे भी रमजान वास्तव में एक ऐसा पाठ है, जो मुसलमानों से कहता है कि उनको मात्र एक मास के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण जीवन के लिए इसी प्रकार से जिंदगी गुजारनी है कि किसी के साथ नाइंसाफी हरगिज नहीं, किसी भी व्यक्ति का कभी भी दिल नहीं दुखाना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का दुराग्रह नहीं रखना। किसी को गाली नहीं देना, ऊंची आवाज में नहीं बोलना आदि। मगर समस्या यह है कि यह सब बस मात्र एक महीने के लिए होता है, जबकि हजरत मुहम्मद ने अपनी तमाम जिंदगी बेतहाशा ईमानदारी के साथ इन्हीं उसूलों पर गुजार दी। रमजान में किया गया हर काम, यानी सहरी से लेकर नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, स्वयं अच्छी बातों पर अमल कर दूसरों को 'वसुधैव कुटुंबकम्' की तरह सबको साथ लेकर चलना ऐसी बातें हैं कि जिनको अल्लाह पसंद करता है और भरपूर पुण्य मिलता है।

रमजान के बाजार

ऐसे में क्या कहना है, रमजान के बाजारों का! रमजान की नूरानी महफिलें चाहे तरावियों की हों, इफ्तार की हों या बाजार की हों, उनका जवाब नहीं। सारे बाजार दुल्हन की तरह सज जाते हैं। नाना प्रकार के कचालू, फल और मिठाइयां बाजारों की जीनत बनते हैं। कपड़ों, जैसे कुर्ते, कुर्तियां, कोटियों, पजामों, महिलाओं के लिए बनाए गए खूबसूरत परिधान आदि के ढेर लग जाते हैं। इफ्तार की अजान से पहले मस्जिदों, घरों और बाजारों में सभी के लिए इफ्तार की सामग्री लगा दी जाती है। देर रात तक ज्यादातर मुसलिम बस्तियों में चहल-पहले की रौनक लगी रहती है। ईद से एक दिन पहले जब चांद दिखाई देता है तो बच्चों की टोलियां, 'चांद हो गया है' के नारे लगाते फिरते हैं, जिससे बड़ी रौनक बनी रहती है।

नेकियों का साथ

जब रमजान के दिन जाने लगते हैं तो इसकी रिवायतों में दिल से डूबे और बड़े प्यार से उसे निबाहते लोगों का मन एक तरह से मायूस होने लगता है।

> **रमजान,** वास्तव में एक ऐसा पाठ है, जो मुसलमानों से कहता है कि उनको मात्र एक मास के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण जीवन के लिए इसी प्रकार से जिंदगी गुजारनी है कि किसी के साथ नाइंसाफी हरगिज नहीं, किसी भी व्यक्ति का कभी भी दिल नहीं दुखाना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का दुराग्रह नहीं रखना। किसी को गाली नहीं देना, ऊंची आवाज में नहीं बोलना आदि।

दरअसल, ऐसा कहा जाता है कि रमजान के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, जिसका सांकेतिक अर्थ यही होता है कि मुसलमान अपने अंदर की बुरी भावनाओं और विचारों को दफ्न कर देते हैं और इस दौरान ज्यादा से ज्यादा नेकियां बटोरते हैं।

जाहिर है, यह स्थिति हर भला इंसान हमेशा के लिए बनाए रखना चाहेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि केवल रमजान के दौरान ही नहीं, बल्कि अपने दिल, सोच-समझ और बरतने के तौर पर लोग अपने खयाल और बरताव के लिहाज से कुछ ऐसा करते रहें, जो उनकी नेकियों में इजाफा करे। इसके लिए रमजान और रमजान के पर्व के दिनों को अपने लिए तोहफा मानना चाहिए, लेकिन अपनी सोच-समझ में अगर इसके संदेशों को ढाल लिया जाए, तो कितनी अच्छी बात हो!

खूबसूरत यादें

इस संदर्भ में एक खूबसूरत याद बहुत सारे लोगों के जेहन में होगी। सहरी में रोजेदारों को जागने की प्रभात फेरियां और नगाड़े बजाना भी आम बात थी। इस तरह की गतिविधियां अब भले ही कम होती जा रही हों, मगर बहुत सारे लोगों को याद होगा कि उनके बचपन में प्रभात फेरियां और नगाड़े बजाना इस त्योहार में सबको शामिल करने की कवायद थी, मगर बच्चों के लिए यह एक सुंदर अहसास देने वाला मनोरंजन भी था। ऐसे पर्व-त्योहार अपने मूल में सद्भाव और संवेदनशीलता के प्रसार का जरिया रहे हैं।

संवाद का सलीका, व्यक्तित्व का सौंदर्य

जीवन शैली

आम बातचीत में हम कई बार बेतकल्लुफी से इस तरह पेश आते हैं कि जिससे सामने वाले के सामने थोड़ी असुविधाजनक स्थिति पैदा हो जा सकती है। मसलन, वह खुद को थोड़ा अपमानित महसूस करने लगे या फिर ऐसी दुविधा महसूस करे कि हमारी किसी बात पर वह कैसी प्रतिक्रिया जाहिर करे कि उससे हमारा दिल न दुखे। दरअसल, यह बातों की प्रकृति के साथ-साथ इस बात पर भी निर्भर है कि हमारे बातचीत करने का सलीका क्या है और हम कुछ कहते हुए सामने वाले व्यक्ति की सुविधा-असुविधा का कितना खयाल रखते हैं। कई बार कड़वी बातें भी सिर्फ कहने के तौर-तरीके की वजह से कह दी जाती हैं और अपना मकसद भी पूरा कर जाती हैं। वहीं कई बार मीठी बात कहने या सिर्फ हंसी-मजाक के लिए कही कोई बात सिर्फ लहजे और शब्दों के प्रयोग की वजह से नकारात्मक असर डालती है।

सच यह है कि बातचीत के दौरान कुछ बेहद साधारण प्रयोग में मानी जाने वाली बातों की हम अनदेखी कर देते हैं। जबकि अगर हम एक-दो शब्दों को अपनी बातचीत में अपने साथ रखें तो वे हमारे बोलने या बात करने को शिष्ट और सभ्य बना सकते हैं। यों भी, अगर कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहा है, तो बातचीत के तरीके में शिष्टाचार एक जरूरी तत्त्व के तौर पर शामिल रहना चाहिए।

प्रतिक्रिया का पैमाना

हम सबको यह याद होगा कि बचपन में हमारे अभिभावकों ने हमें कुछ बोलने के क्रम में कई बार टोका-टोकी की थी, हिदायतें दी थीं। कभी ऊंचे स्वर में बोलने से मना किया होगा, तो कभी कोई बात पूरी सुने बिना तुरंत या हड़बड़ी में प्रतिक्रिया देने से रोका होगा। इसी तरह अगर कोई बात कर रहा है तो उसमें नाहक बहस करने से बचने की सलाह भी मिली होगी। लेकिन इन सबके मूल में हमारे बड़ों की चिंता यह रही कि हम बातचीत के दौरान ऐसी शैली और भाषा में बात करें, जो अपने असर में तो पूरी हो, मगर उससे सामने वाला व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से खुद को चोटिल न महसूस करे। यों भी विचार के लिए जो बातें की जाती हैं, उसमें आक्रामकता के बजाय स्थिरता का तत्त्व ज्यादा जरूरी और प्रभावी होता है।

शिष्टाचार के समांतर

दरअसल, शांत रह कर अपनी बात कहना बातों के असर को व्यापक और ठोस बनाने का तरीका है। इसे शिष्टाचार की श्रेणी में रख कर देखा जाता है। दो लोगों के बीच बातचीत में जरूरी यह है कि एक दूसरे की बात सुनी जाए और उसे सामने वाले का विचार मान कर उस पर तल्ख होने के बजाय अपनी बात भी शालीनता के साथ रखी जाए। हम जिससे बात कर रहे होते हैं, उसके पास समय की उपलब्धता से लेकर उसके सम्मान का खयाल रखा जाए तो शायद हम अपने पक्ष को ज्यादा कारगर और असरदार तरीके से उसके सामने रख सकते हैं। शालीनता और सलीके से अपनी बात रखने के बाद हम खुद को ज्यादा बेहतर भी महसूस कर सकते हैं और अपने व्यवहार में शिष्टाचार को बनाए रख कर अपने व्यक्तित्व को भी प्रभावी बना सकते हैं।

> ***दो** लोगों के बीच बातचीत में जरूरी यह है कि एक दूसरे की बात सुनी जाए और तल्ख होने के बजाय अपनी बात भी शालीनता के साथ रखी जाए।*

दवा और मर्ज खतरे भी समांतर

सेहत

भारत में दर्दनिवारक दवाओं का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। सिरदर्द, पेट दर्द या बदन दर्द होने पर लोग बिना चिकित्सीय परामर्श के कोई भी दर्दनिवारक दवा ले लेते हैं। इस समय बाजार में ये दवाएं आसानी से मिल जाती हैं। अब तो एक ही दर्दनिवारक दवा अलग-अलग नामों से बिक रही हैं। इनमें कुछ दवाएं तो मरहम, क्रीम और 'पैच' के रूप में भी आने लगी हैं। मगर बिना सोचे समझे या चिकित्सक से राय लिए बिना ये दवाएं लेना न केवल सेहत से खिलवाड़ है, बल्कि यह जानलेवा भी हो सकती हैं।

दवा लेने से पहले

कई दर्दनिवारक इतने शक्तिशाली होते हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका के माध्यम से भेजे जाने वाले संकेत के संचार में हस्तक्षेप करते हैं। यह तंत्रिका संकेत ही है, जिससे हमें दर्द का पता चलता है। ज्यादातर दर्दनिवारक मस्तिष्क के कुछ खास हिस्से को प्रभावित करते हैं। इसलिए मामूली दर्द में इन दवाओं को लेने से बचना चाहिए।

बेलगाम इस्तेमाल

दर्दनिवारकों में 'पैरासिटामोल' सबसे लोकप्रिय है। अमूमन इसका प्रतिकूल असर कम होता है। मगर लोग इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करने लगे हैं जोकि चिंता की बात है। इसी तरह गैर 'स्टेरायड-एंफ्लेमेटरी' दवाएं खूब बिक रही हैं। इस दवा से सिरदर्द, दांतों का दर्द, गठिया दर्द और मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द में लिया जाता है। इस दवा में अच्छी बात यह है कि यह सूजन को रोकने में कारगर है और इसमें स्टेरायड नहीं है। इबुप्रोफेन और एस्प्रिन ऐसी ही दवाएं हैं, जिन्हें लोग दवा की दुकानों से आसानी से खरीद लेते हैं। इसके अलावा कुछ मिश्रित दवाएं भी आ गई हैं, जिनमें एक से अधिक दवाओं का मिश्रण होता है। मगर ऐसी दवाओं से अपच, कब्ज और तंद्रा जैसी सामान्य समस्याएं भी सामने आती हैं।

दवा का बढ़ता दुष्प्रभाव

शरीर के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले दर्द के निवारण के लिए कई तरह की दवाइयां अब बाजार में उपलब्ध हैं। मगर मर्ज को जाने बिना दर्द दूर करने के लिए लंबे समय तक दर्दनिवारक दवाइयां लेना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा किसी को नहीं। इन दवाओं का आम तौर पर यकृत और गुर्दे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। न केवल पेट संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, बल्कि इसका असर हृदय तक होता है। इन दवाओं का प्रतिकूल असर जल्दी तो नहीं दिखता, लेकिन होता जरूर है। गोली, कैप्सूल और सीरप के रूप में ली जा रहीं ये दवाएं क्या प्रभाव डालेंगी, किसी को पता नहीं होता। कभी-कभी कुछ लोगों को पेशाब करते समय कोई समस्या हो सकती है। सीने में दर्द और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में दर्दनिवारक लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए।

सजगता है जरूरी

दर्दनिवारक दवा लेने से पहले सजगता बहुत जरूरी है। खासतौर से उन लोगों को जिन्हें गुर्दे और यकृत में कोई समस्या है। गर्भवती और स्तनपान करा रहीं महिलाओं को दर्दनिवारक दवाएं लेने से बचना चाहिए।

जिन्हें दिल का दौरा पड़ा हो, उनको इन दवाओं से परहेज करना चाहिए। हृदय और रक्त संचार की समस्या होने पर चिकित्सक के परामर्श के बिना कोई भी दर्दनिवारक लेना घातक हो सकता है। कोडिन युक्त कुछ दर्दनिवारक दवाएं ऐसी ही हैं, जिन्हें तीन दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। इसी तरह सोलह साल से कम उम्र के बच्चों को डाक्टर की सलाह के बिना यह दवा नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसी की पहले से दवाएं चल रही हों, तो दर्दनिवारक दवाइयां नुकसान कर सकती हैं।

(यह लेख सिर्फ सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है। उपचार या स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए विशेषज्ञ की मदद लें।)

होली के रंग, पकवान के संग

रसोई

चुकंदर कांजी

होली आ रही है। होली के व्यंजन बनाने की तैयारियां अभी से चल रही होंगी। हर इलाके में होली के अलग-अलग व्यंजन हैं। पर कुछ व्यंजन ऐसे हैं, जो हर जगह बनते हैं। कांजी भी उनमें एक है। होली पर कांजी बनाने का एक महत्त्व यह है कि इसे पीने से हाजमा दुरुस्त हो जाता है। दिन भर तैलीय और मसालेदार व्यंजन खाकर अक्सर पेट गड़बड़ हो जाता है। ऐसे में कांजी बहुत मदद करती है। कांजी के कई रूप हैं। कुछ लोग इसमें चुकंदर, गाजर आदि डालते हैं, तो कुछ लोग वड़े डालते हैं। मगर इसका पानी बनाने का तरीका सब जगह एक ही है। इसे बनाना बहुत आसान है। गाजर-चुकंदर की कांजी बहुत स्वादिष्ट लगती है।

सामग्री

राई (पीली सरसों), हींग, कुटी लाल मिर्च, काला नमक, काली गाजर, चुकंदर।

विधि

कांजी का मुख्य भाग उसका पानी बनाने का होता है। इसके लिए एक कांच या फिर मिट्टी के बरतन में चार से पांच लीटर पानी लें। उसमें दो चम्मच के बराबर काला नमक डाल दें। फिर एक से डेढ़ चम्मच राई को कूट कर डालें। लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच और आधा चम्मच हींग पाउडर डाल कर अच्छी तरह मिला लें। इसी में दो चुकंदर और दो काले गाजर छिलका उतार कर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दें। बर्तन के ऊपर कपड़ा बांध दें और उसे धूप में रख दें। इसे दो दिन धूप में रखना होता है, तब अच्छा स्वाद आता है। सुबह और शाम को इसे कलछी या किसी चम्मच से चला दिया करें ताकि सारी सामग्री घुल-मिल जाए। फिर कपड़ा बांध कर रख दें।

दो दिन में कांजी तैयार हो जाती है। इसे गिलास में भर कर पीएं। गाजर और चुकंदर के टुकड़े चबा लें। होली के अलावा भी कांजी बना कर रख सकते हैं। गरमी का मौसम आ रहा है, इसमें कांजी पीने से पाचनतंत्र ठीक रहता है।

मालपुआ

होली पर भी दिवाली की तरह आमतौर पर मीठे पकवान बनते हैं। गुझिया वगैरह। मगर मालपुआ एक ऐसा व्यंजन है, जिसकी पहचान होली से ही जुड़ी हुई है। कई इलाकों में होली के दिन कुछ और बने न बने मालपुआ अवश्य बनता है। मालपुआ शुद्ध भारतीय और देसी व्यंजन है। इसे बनाना बहुत आसान है।

सामग्री

चीनीः आधा किलो, आटाः आधा किलो, तलने के लिए तेल, मेवेः चिरौंजी, किशमिश, बादाम आदि मनपसंद मेवे।

विधि

जिस दिन मालपुआ बनाना हो, उसके एक रात पहले इसकी तैयारी कर लें। इसके लिए सबसे पहले ढाई सौ ग्राम चीनी को एक लीटर पानी में उबाल कर ठंडा कर लें। फिर उसी पानी से आटे का घोल तैयार करें। ध्यान रहे कि घोल न तो बहुत पतला हो और न ज्यादा गाढ़ा। घोल ऐसा हो कि ऊपर से छोड़ें तो एकसार धीरे-धीरे नीचे गिरे। इसी में मेवे काट कर डाल दें और ढक्कन लगा कर रात भर के लिए छोड़ दें।

सुबह कड़ाही में भरपूर तेल गरम करें। कड़ाही अगर चपटे तले की लें, तो मालपुआ अच्छा बनता है। आटे के मिश्रण को एक बार अच्छी तरह फेंट लें। कलछी से एक कलछी बताबर सामग्री तेल में डालें और मध्यम आंच पर उलट-पलट कर सुनहरा रंग आने तक तल लें। इसी तरह सारे पुए तल लें। फिर बची हुई चीनी को एक गिलास पानी डाल कर उबाल लें। जब वह एक तार की चाशनी बन जाए तो ठंडा कर लें। जब हल्का गरम रह जाए, तो उसमें एक-एक पुआ डाल कर निकालें और अलग बर्तन में रखते जाएं। जो चाशनी बच जाए उसे पूरे पुए पर डाल दें। अगर चाहें, तो पुओं के ऊपर मावा और कतरा हुआ बादाम डाल कर सजा सकते हैं।